खण्ड-411, अंक-3
सोमवार, 21 चैत्र, शक संवत् 1916
(11 अप्रैल, 1994 ई0)

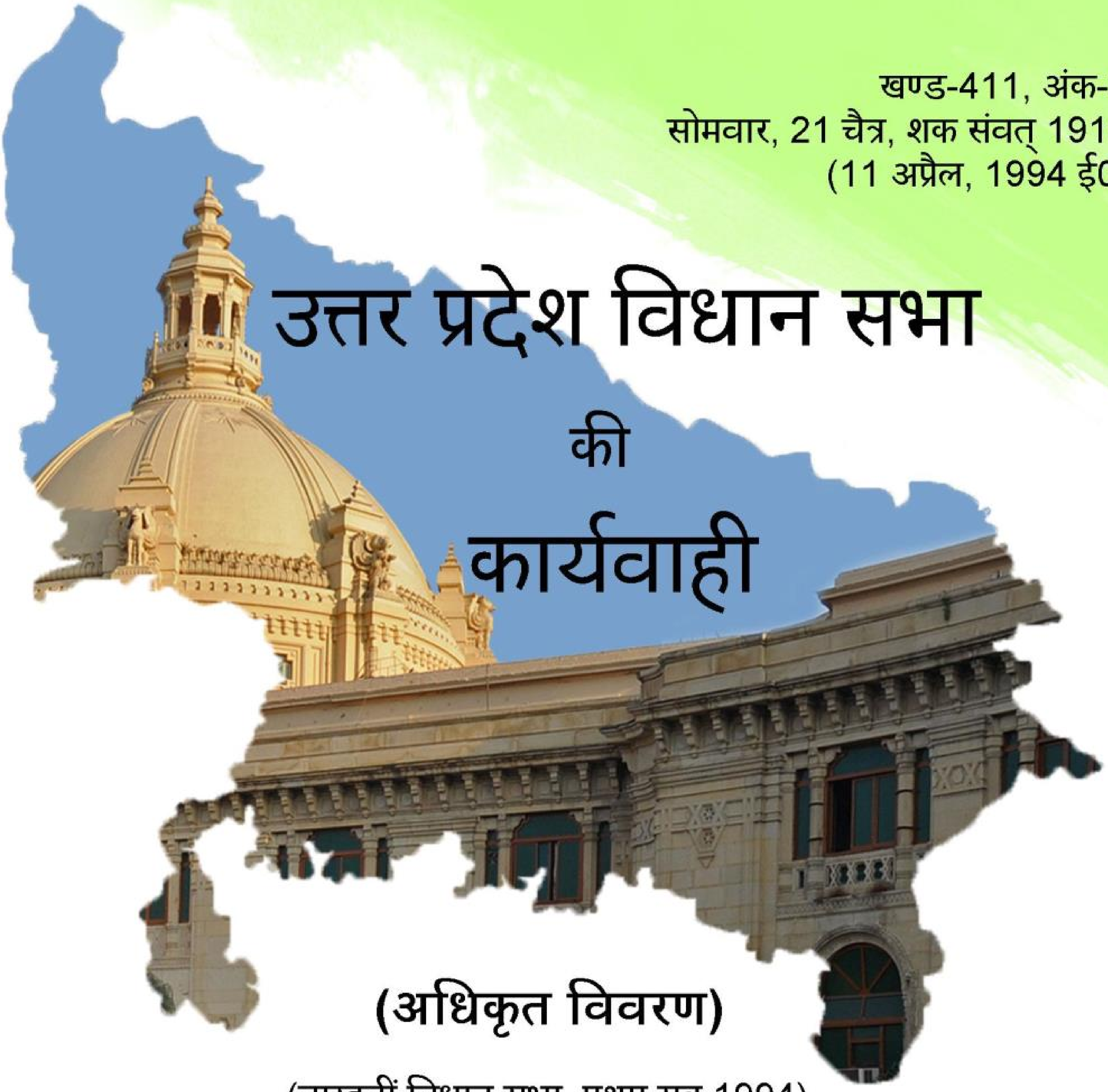

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(बारहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1994)

खण्ड 411 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
1994

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	i–ii
प्रश्नोत्तर	1–115
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें	115–116
शाहजहांपुर नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों को विगत छः माह से वेतन न मिलने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	117
हरदोई जनपद के हजारों भूमिहीन पट्टेदारों को भौतिक कब्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	117
इलाहाबाद में थाना सराय अकिल के इंचार्ज द्वारा की जा रही मनमानी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	118
जनपद चमोली में अलकनन्दा के कटान से पुजारी गांव को खतरा उत्पन्न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	118–119
गाजियाबाद हथकरघा परियोजना द्वारा बुनकरों का माल न क्रय करने से बुनकर परिवारों में भुखमरी उत्पन्न होने से नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	119
बाराबंकी के हैदरगढ़ क्षेत्रान्तर्गत लघु डाल पम्प कैनाल भिटोरा, बिबियापुर बिबियापुर, दुनौली द्वारा कतिपय गांवों के किसानों को पानी न मिलने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	120
आगरा में यमुना नदी के पानी में घुलनशील आक्सीजन की मात्रा घटने से जन स्वास्थ्य को खतरा उत्पन्न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	120
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	120
बजट साहित्य समय से उपलब्ध न कराये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	121
जनपद लखनऊ के आलमबाग क्षेत्र के मोहल्ला प्रेमनगर में गन्दे पानी की निकासी हेतु सीवर की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में श्री राम लोटन तिवारी आदि की याचिका को अगले दिन लिये जाने की सूचना	121

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विषय	पृष्ठ संख्या
विशेषाधिकार अवहेलना की सूचनाओं के सम्बन्ध में सूचना	121
नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (जारी)	121
आगरा पुलिस द्वारा एक किसान की हत्या किये जाने विषयक सूचना को नियम 103 या नियम 109 के अन्तर्गत परिवर्तित करके सुने जाने की मांग	137–138
नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (क्रमागत)	138–141
वर्ष 1994-95 के लिये विधान सभा की 30 स्थायी समितियों में कार्य करने हेतु विधान सभा सदस्यों के नाम निर्देशन हेतु श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव	141–142
वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में पर्यटन विभाग एवं पर्यावरण विभाग के लिये मांगों को प्रस्तुत करने हेतु सम्बन्धित मंत्री के अनुपस्थित होने पर आपत्ति	143
वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या–44 पर्यटन विभाग तथा अनुदान संख्या–45 पर्यावरण विभाग (जारी)	143
पर्यटन विभाग तथा पर्यावरण विभाग की मांगों को प्रस्तुत करने हेतु सम्बन्धित मंत्री के अनुपस्थित होने पर संसदीय कार्यमंत्री द्वारा भ्रामक सूचना देने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	143–144
विभिन्न विभागों के अनुदानों की मांगों को अलग-अलग प्रस्तुत करने की मांग	144
वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या–44 पर्यटन विभाग तथा अनुदान संख्या-45 पर्यावरण विभाग (क्रमागत)	144–176
वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय–व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या–60 वन विभाग (जारी)	176–197
लंच पैकेट सड़े और दुर्गन्धयुक्त होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	197–198
वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या–60 वन विभाग (क्रमागत)	198–209

विषय	पृष्ठ संख्या
वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान अनुदान संख्या–43 परिवहन विभाग (स्वीकृत)	209–247
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	248
श्री प्यारे लाल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ग्राम नगलाविधी थाना राम घाट जनपद बुलन्दशहर का पुलिस द्वारा उत्पीड़न के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य का स्थगन	248–251
जनपद उन्नाव में अवैध बसों के संचालन विषयक नियम-51 के अन्तर्गत वक्तव्य का स्थगन	251
जनपद मुजफ्फरनगर में चल रहे चकबन्दी कार्य में किसानों को हो रही असुविधाओं के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य	251–254
प्रदेश के मण्डलीय विकास निगमों में कार्यरत हजारों कर्मचारियों को एक वर्ष से वेतन न मिलने विषयक नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	254–257
नित्थियां	258–267

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 11 अप्रैल, 1994

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :-

1–अंगद यादव, श्री	आजमगढ़
2–अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद
3–अनिल कुमार, श्री	सीतापुर
4–अफजाल अन्सारी, श्री	गाजीपुर
5–अमरनाथ यादव, श्री	वाराणसी
6–अमित अग्रवाल, श्री	मेरठ
7–अरविन्द प्रताप सिंह, कुंवर	फर्रुखाबाद
8–ओम प्रकाश, श्री	गोरखपुर
9–काशी सिंह ऐरी, श्री	पिथौरागढ़
10–किरन पाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
11–केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
12–कोकब हमीद खां, श्री	मेरठ
13–गजराज सिंह, श्री	गाजियाबाद
14–घनश्याम शुक्ल, श्री	गोण्डा
15–चन्द्र किशोर, श्री	महराजगंज
16–चन्द्र भान मौर्य, श्री	आगरा
17–चन्द्र शेखर, श्री	बस्ती
18–जगदीश मुनि, श्री	हरिद्वार
19–जगराम सिंह, श्री	कानपुर नगर
20–जय प्रताप सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
21–जवाहर यादव उर्फ पंडित, श्री	इलाहाबाद
22–जसवन्त सिंह, श्री	कानपुर देहात
23–जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भइया, श्री	गोरखपुर
24–तेजपाल सिंह, श्री	मथुरा
25–तेजपाल सिंह पवार, श्री	हरिद्वार
26–दीनानाथ भास्कर, श्री	वाराणसी
27–देवेन्द्र कुमार सिंह, श्री	ललितपुर
28–नन्द किशोर मिश्रा, श्री	देवरिया
29–नरेन्द्र सिंह सिसौदिया, श्री	गाजियाबाद
30–निर्भय पाल शर्मा, श्री	सहारनपुर
31–नीरज चतुर्वेदी, श्री	कानपुर नगर
32–परमानन्द दण्डी, स्वामी	रामपुर
33–पृथ्वी सिंह विकसित, श्री	हरिद्वार
34–प्रताप सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
35–प्रमोद तिवारी, श्री	प्रतापगढ़
36–बंशीधर, श्री	नैनीताल
37–भगवती प्रसाद सागर, श्री	कानपुर देहात
38–भागवत पाल, श्री	मिर्जापुर
39–मनव्वर हसन, श्री	मुजफ्फरनगर
40–मनोहर लाल, श्री	मुरादाबाद
41–महराज सिंह यादव, इटैली श्री	इटावा
42–महाबीर सिंह कुंवर	हरदोई
43–महेन्द्र अरिदमन सिंह राजा, श्री	आगरा
44–मुख्तार अनीस, श्री	सीतापुर
45–मोहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
46–यश पाल आर्य, श्री	नैनीताल
47–यश पाल चौधरी, श्री	खीरी
48–रंगनाथ, श्री	वाराणसी
49–रघुराज प्रताप सिंह, कुंवर उर्फ राजा भइया, श्री	प्रतापगढ़
50–रमाकान्त यादव, श्री	आजमगढ़
51–रमेश बहादुर, श्री	प्रतापगढ़

उत्तर प्रदेश विधान सभा

52–राकेश सोनकर, श्री — कानपुर नगर
53–राजीव कुमार, श्री — नैनीताल
54–रानी देव लता, श्रीमती — सहारनपुर
55–राम कुमार वर्मा, श्री — खीरी
56–राम कुमार शुक्ल, श्री — लखनऊ
57–राम दास पाल, श्री — कानपुर देहात
58–राम प्रसाद टम्टा, श्री — अल्मोड़ा
59–राम प्रसाद, श्री — बुलन्दशहर
60–राम स्वरूप शर्मा, श्री — मथुरा
61–रिजवान जहीर उर्फ रिज्जू भइया, श्री — गोण्डा
62–लक्ष्मी नारायण पाण्डेय उर्फ गुरू जी, श्री — प्रतापगढ़
63–विक्रमा सिंह, श्री — बलिया
64–विजय सिंह, श्री — सोनभद्र
65–विजेन्द्र सिंह, श्री — अलीगढ़
66–विनय कुमार पाण्डेय उर्फ विन्नू, श्री — गोण्डा
67–विश्वनाथ, श्री — देवरिया
68–शब्बीर अहमद, श्री — बहराइच
69–शशि बाला भारती, श्रीमती — खीरी
70–शिव कुमार बेरिया, श्री — कानपुर देहात
71–शिव बहादुर सक्सेना, श्री — रामपुर
72–श्याम सुन्दर शर्मा, श्री — मथुरा
73–श्रीराम पाल, श्री — जालौन
74–संदीप अग्रवाल, श्री — मुरादाबाद
75–सतीश कुमार, श्री — बिजनौर
76–सतीश महाना, श्री — कानपुर नगर
77–संत बक्श रावत, श्री — लखनऊ
78–सर्वेश कुमार उर्फ राकेश, श्री — मुरादाबाद
79–सुखदेवी, श्रीमती — इटावा
80–स्वयम्बर चौधरी, श्री — सिद्धार्थनगर
81–हरक सिंह रावत, श्री — गढ़वाल
82–हरिशंकर तिवारी, श्री — गोरखपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 11 अप्रैल, 1994

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री धनीराम वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

प्रश्नोत्तर

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश के समस्त ब्लाकों में राजकीय कन्या हाई स्कूल खोलने की मांग

**1.–श्री जगदम्बिका पाल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि छात्राओं की शिक्षा के लिये प्रदेश के प्रत्येक ब्लाक में राजकीय कन्या हाई स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया है? यदि हां, तो प्रदेश के ब्लाकों में उक्त विद्यालय कब तक खोल दिये जायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

माध्यमिक शिक्षा तथा बेसिक शिक्षा मंत्री (डा० मसूद अहमद)–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुये प्रत्येक ब्लाक में राजकीय कन्या हाई स्कूल खोला जाना सम्भव नहीं हैं।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, आपका संरक्षण चाहता हूँ। सदन में जो उत्तर आते हैं और प्रश्नों के जो उत्तर दिये जाते है इस संबंध में सरकार की तरफ से जो भी उत्तर दिये जाते हैं और आते हैं, वह उत्तर प्रश्नों के अनुरूप नहीं होते हैं, सरकार की तरफ से अतर्कयुक्त उत्तर आते हैं। आप स्वयं संरक्षण दे दें। राज्य सरकार ने इस सदन के अन्दर और बाहर कई घोषणायें की हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी एवं शिक्षा मंत्री जी ने प्रेस कांफ्रेंस में, सार्वजनिक स्थलों में और अनेक समारोहों में इस संबंध में घोषणायें की हैं। यह सरकार कहती है कि प्रत्येक विकास खण्ड में कन्या विद्यालय की स्थापना की जायगी, क्या इस संबंध में यह सरकार बचनबद्ध है? विकास खण्डों को कन्या विद्यालय खोले जाने के संबंध में आज भी माननीय मुख्य मंत्री जी की घोषणा है। ब्लाकों में कन्या हाई स्कूल खोले जाने के संबंध में यह कहा जा रहा है कि वित्तीय संसाधनों की कमी है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूँ कि पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री जी की तरफ से जो घोषणायें हो रही हैं इस संबंध में अगर इस सदन में यह जो उत्तर दिया गया है या तो वास्तविक है या फिर सदन को गुमराह करने वाला उत्तर है, क्या सरकार इसे स्वीकार करती है। इस संबंध में मैं विशेषाधिकार के संबंध में नोटिस देता हूँ। दूसरी बात अपनी जानकारी

है कि सरकार की तरफ से यह निर्णय है कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक विकास खण्ड में कन्या विद्यालय खोले जायेंगे, उस पर कोई प्रतिबन्ध तो नहीं है, पहले से और पूर्व में भी इस तरह का निर्णय लिया जा चुका है, तो क्या उसे रद्द किया जा चुका है? निर्णय के परिप्रेक्ष्य में मैं आपसे यह बता देना चाहता हूँ कि आपने कहा कि भूमि और भवन उपलब्ध कराये जाने की दशा में कन्या विद्यालय की स्थापना कर दी जायेगी। इस संबंध में पूर्ववर्ती सरकारों का भी तो निर्णय है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी दो–तीन बिन्दुओं पर उत्तर दे दीजिये। पहली बात यह है कि क्या राज्यपाल के अभिभाषण पर कोई इस तरह की बात कही गयी है?

श्री राम आसरे वर्मा–

(व्यवधान) नहीं कह सकते हैं, व्यवस्था की बात है।

श्री जगदम्बिका पाल–

इसमें क्या व्यवस्था की बात है, सरकार की नीति है और सरकार का काम है।

श्री अध्यक्ष–

कोड नहीं कर सकते हैं। सरकार की नीति हो सकती है।

डा० मसूद अहमद–

श्रीमन् मैं माननीय सदस्य जी को बताना चाहता हूँ कि आपका प्रश्न यह है कि क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि छात्राओं की शिक्षा के लिये प्रदेश के प्रत्येक विकास खण्ड में राजकीय कन्या हाई स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया है? इसका उत्तर है जी नहीं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि प्रदेश के प्रत्येक ब्लाक में ही नहीं बल्कि असेवित विकास खण्डों में भी जहाँ राजकीय कन्या हाईस्कूल या शासकीय स्कूल नहीं है, वहाँ पर सरकार प्रयास कर रही है। आपने यह कहा कि अगर भूमि या भवन उपलब्ध करायेगी, यह सही है कि भूमि उपलब्ध करायेगी और जो हमारे मानक हैं, उसी के अनुसार सुविधायें मुहैया करायेगी, सरकार अपनी तरफ से अध्यापक, साज-सज्जा का सामान भी उपलब्ध करायेगी।

(श्री जगदम्बिका पाल जी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय पाल साहब आप बैठ जायं, आपको अवसर दूँगा, उत्तर दे दिया गया है, मैं आपको अवसर दूँगा।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, सदन के बाहर और अन्दर माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कई प्रकार की जानकारी दी है। असेवित जो ब्लाक है, कन्या हाईस्कूल खोले जाने के उत्तर में यह कहा है कि वित्तीय संसाधन सीमित हैं, उनके कारण नहीं खोल पा रहे हैं। आने वाले वर्षों में इस बजट के अनुसार क्या कोई संभावना है, यह जानकारी चाहता हूँ और कितने वर्षों में प्रत्येक ब्लाक में कन्या हाईस्कूल खोल देंगे इसे माननीय मंत्री जी बता दें?

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)–

मान्यवर, माननीय श्री जगदम्बिका पाल व अन्य माननीय सदस्यों ने सवाल पूछा है कि प्रत्येक ब्लाक में कन्या इण्टर कालेज कब तक खोल दिये जायेंगे। सरकार वचनबद्ध है, प्रत्येक ब्लाक स्तर पर कन्या इण्टर कालेज खोले जायेंगे। अभी माननीय शिक्षा मंत्री जी बता रहे थे कि जहाँ गैर-सरकारी कालेज चल रहे हैं, वहाँ पर आवश्यकता नहीं है। संसाधनों को देखते हुए, आप लोग भी सरकार में रहे हैं, एक या दो साल में प्रत्येक ब्लाक में कालेज खोलना सम्भव नहीं है। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि जो प्राईवेट कालेज खोलेंगे, उन्हें सरकार की तरफ से जमीन उपलब्ध करायी जायेगी और शुरू में कालेज चलाने के लिए कुछ आर्थिक मदद भी उनको दी जायेगी, जिससे कि पूरे प्रदेश में लड़कियों की पढ़ाई की व्यवस्था हो सके। अब मैं समझता हूँ कि इसके बाद कोई अन्य प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं रह जाती है। माननीय श्री वर्मा जी अगर स्कूल खोलेंगे तो उन्हें भी मदद दी जायेगी।

(डा० सरजीत सिंह डंग जी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

अब शंका की कोई आवश्यकता नहीं रह गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से बता दिया है। इसलिए आप कृपा करके बैठ जायें।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मैं तो यह जानना चाहता था कि कब तक खोल दिये जायेंगे?

श्री मुलायम सिंह यादव–

माननीय श्री डंग जी, आप भी मिनिस्टर रह चुके हैं। घोषणा-पत्र कोई एक या दो साल का नहीं होता, वह पांच साल का होता है। हम उसे भेज देंगे, आप उसे पढ़ लीजिए।

श्री नरेश अग्रवाल–

माननीय मुख्य मंत्री जी आप इस घोषणा-पत्र से अपने मंत्रियों को तो अवगत करा दीजिए।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने शासन की नीति की घोषणा यहाँ पर की है। उसी के परिप्रेक्ष्य में मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस समय प्रदेश में कितने विकास खण्ड ऐसे हैं, जिनमें राजकीय कन्या विद्यालय नहीं हैं?

श्री अध्यक्ष–

स्पष्ट तो किया जा चुका है कि जहाँ पर नहीं हैं, वहाँ पर खोले जायेंगे।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

माननीय मुख्य मंत्री जी ने बड़ी कृपा पूर्वक जो उत्तर दिया है, उसमें उन्होंने माननीय शिक्षा मंत्री ने जो उत्तर दिया है, उसको भी ठीक करने की कोशिश की है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इस वर्ष जो सत्र आरम्भ होने वाला है, उसमें कितने ऐसे ब्लाक हैं, जहाँ पर कालेज खोलने की योजना सरकार की है? यह तो मैं भी मानता हूँ कि सभी ब्लाकों में अभी कालेज नहीं खोले जा सकते।

श्री मुलायम सिंह यादव–

आपकी सरकार ने 120 का तय किया था, उसमें शायद कुछ निरस्त भी कर दिये थे परन्तु हम प्राथमिकता के आधार पर उन्हें ही पहले खोलेंगे।

प्रदेश में स्थित राजकीय प्रयोगशालाओं में लम्बित बिसरा (आंतरिक अवयव) से सम्बन्धित मामलों के निस्तारण की जानकारी

श्री श्याम देव राय चौधरी 'दादा'–

**2–क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सही है कि राजकीय प्रयोगशालाओं में बिना जांच के हजारों की संख्या में बिसरा (आंतरिक अवयव) वर्षों से पड़े हुए हैं? यदि हां, तो क्यों और सरकार इस दिशा में क्या कर रही है?

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

विधि विज्ञान प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश आगरा एवं लखनऊ में एक मार्च, 1994 को बिसरा परीक्षण हेतु लम्बित कुल मामलों की संख्या 1228 थी। सबसे पुराना लम्बित मामला दि० 27.11.1991 के थे। इस प्रयोगशाला में संदर्भित मामलों का परीक्षण क्रम से किया जाता है किन्तु यथावश्यक दहेज, हत्या, कानून व्यवस्था आदि से संबंधित मामलों में एवं न्यायालयों तथा प्रेषण अधिकारियों के अनुरोध पर परीक्षण प्राथमिकता के आधार पर भी किया जाता है। प्रयोगशालाओं में प्रतिवर्ष संदर्भित मामलों की संख्या में हो रही वृद्धि के कारण परीक्षण में विलम्ब हो रहा है।

वर्ष 1988-89 में अधिकांश रिक्तियों के भरे जाने की कार्यवाही की गई जिससे विगत चार वर्षों से परीक्षण हेतु लम्बित मामलों की संख्या में कमी हो रही है। लम्बित मामलों के त्वरित निस्तारण हेतु केन्द्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, चण्डीगढ़ से भी अनुरोध किया गया है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी 'दादा'–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ जैसा कि उत्तर में उन्होंने स्वीकार किया है कि प्रयोगशालाओं में प्रतिवर्ष संदर्भित मामलों की संख्या में हो रही वृद्धि के कारण परीक्षण में विलम्ब हो रहा है और यह भी निश्चित है कि जो रासायनिक वगैरह लगा कर विसरा प्रिजर्व किये जाते हैं उनमें परिवर्तन आ जाता है और बाद में जो परिणाम आते हैं वह प्रभावित होते हैं। उसके कारण मामले अदालतों में जाने पर अपराधी को उसका लाभ भी मिलता होगा। तो इस कारण अपराधी भी उसका लाभ लेता है और अपराध प्रभावित होता है। तो इसको दृष्टि में रखते हुये क्या सरकार के कोई नयी प्रयोगशाला पूर्वांचल में विचाराधीन है? इस समय केवल लखनऊ और आगरा में ही प्रयोगशाला हैं, पूर्वांचल में कोई नहीं है तो वहां के लिये बनारस में प्रयोगशाला खोलने पर विचार करेगी और दूसरा प्रश्न अभी और कितनी रिक्तियां भरी जानी हैं?

श्री अध्यक्ष–

आप उत्तर पढ़ियेगा उसमें अंत में कहा गया है कि विज्ञान प्रयोगशाला, चण्डीगढ़ से भी अनुरोध किया गया है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, रिक्तियां भरी जाने की कार्यवाही की जा रही है। यह सही है कि पिछले दिनों मामले काफी लम्बित हो गये थे लेकिन अब निस्तारण तेजी से हो रहा है और संख्या घट रही है। विशेष रूप से आपने पूर्वांचल की बात कही तो भूमि उपलब्ध करा दीजियेगा वाराणसी में प्रयोगशाला खोल दी जायेगी।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, यह तथ्य सर्वविदित है कि कोई भी विसरा ज्यादा दिन तक रखा रहेगा तो उसमें कैमिकल चेजेंज होंगे और फिजिकल चेजेंज भी होंगे जिसका लाभ अदालतों में अपराधी को मिलता है। तो मैं जानना चाहता हूँ अपराध संबंधी सही-सही सूचना दी जा सके इस सारी विसंगतियों को दूर करने के लिये क्या एक और प्रयोगशाला खोलने की सरकार कृपा करेगी जिससे ऐसे मामलों का निस्तारण समय से हो सके।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

श्रीमन् माननीय सदस्य ने लगता है सुना नहीं मैंने स्पष्ट कहा कि बनारस में खोलने पर विचार करेंगे अगर भूमि उपलब्ध कराने में सहयोग करें तो वहां पर प्रयोगशाला खोल दी जायेगी।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

जनपद मऊ स्थित किसान सहकारी चीनी मिल घोसी से जल निकासी हेतु अन्डर ग्राउन्ड नाले का निर्माण

श्री अछयवर भारती,

श्री राजेन्द्र कुमार तथा

श्री रामजीत भारद्वाज –

* 1.–क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किसान सहकारी चीनी मिल, घोसी जनपद मऊ तथा उससे सम्बद्ध आसवनी के विषाक्त पानी के नाले के पानी से अनेक पशु मर गये हैं तथा क्षेत्र में संक्रामक रोग फैल रहा है। यदि हां, तो जहरीले पानी की निकासी के लिये अन्डर ग्राउन्ड नाला निर्माण एवं जल प्रदूषण की कोई योजना बनी है? यदि हां, तो योजना का कार्य कब तक प्रारम्भ होगा? यदि नहीं, तो क्यों?

परिवहन राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा)

जी नहीं। इस प्रकार की कोई सूचना प्राप्त नहीं है।

आसवनी एवं चीनी मिल से निकले गन्दे पानी को मिल परिसर में प्रदूषण रहित करने हेतु प्रदूषण संयंत्र लगाये गये हैं जिनका परीक्षण किया जा रहा है। प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र, निकले शोधित जल को अन्डर ग्राउन्ड नाले द्वारा परिसर से निकालने की योजना बनाई गयी है। जिसके लिये वित्तीय एवं प्रशासनिक अनुमति प्रदान कर दी गयी है एवं कार्य प्रारम्भ हो चुका है।

श्री अछयवर भारती –

मान्यवर, मेरी निजी जानकारी के अनुसार वहां पर अक्तूबर माह में विषाक्त पानी से दर्जनों पशु मर गये तथा तमाम संक्रामक बीमारियां फैल गयीं और मच्छरों का प्रकोप उसके कारण बढ़ रहा है तो क्या इसकी जांच करायेंगे?

दूसरा यह कह रहे हैं कि प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र लगाया गया है पानी साफ करने के लिये जो अंडर ग्राउण्ड नाले द्वारा परिसर से निकालने की योजना बनाई गयी है तो यह किस तारीख को हुआ है और किस तारीख को धन अवमुक्त हुआ है?

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

मान्यवर, पशुओं के मरने की सूचना तो नहीं है इस संबंध में मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी से जांच कराई गयी है और संक्रामक रोग से पशुओं के मरने की सूचना नहीं आई है। फिर भी माननीय सदस्य इस संबंध में कुछ चाहते हैं तो वह लिख कर दे दें हम दिखवा लेंगे।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, जैसा उत्तर में आया है कि कार्य शुरू करा दिया गया है लेकिन मेरी जानकारी है कि अभी वहां कोई कार्य नहीं हो रहा है, इसलिये मेरी जानकारी को आधार मानकर क्या मंत्री जी इस संबंध में कोई जांच करवाने का काम करेंगे?

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

मान्यवर, हमारा वहां जो कार्य चल रहा है वह दो महीने में पूरा हो जाएगा और नाले का कार्य जो है उसको पूरा करा लिया जाएगा।

उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम द्वारा ईराक में अवशेष धनराशि का क्लेम

*2–श्री बी० आर० वर्मा

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ईराक युद्ध के पहले ईराक में सेतु निगम, उ० प्र० द्वारा कितनी परियोजनायें चल रही थीं? कितनी सम्पत्ति छोड़कर उ० प्र० राज्य सेतु निगम के अधिकारी वापस आये थे? क्या युद्ध के बाद उक्त सम्पत्तियों को बेचा गया? यदि हां, तो बेचने वाले अधिकारी ने क्या समस्त धन विभाग में जमा किया? यदि नहीं, तो क्या सरकार, इस सम्पूर्ण प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

ईराक युद्ध (गल्फ वार) के पहले उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम की कोई परियोजना ईराक में नहीं चल रही थी परन्तु सेतु निगम के अधिकारी ईराकी दीनार 92, 108 मूल्य की सम्पत्ति छोड़कर भारत वापस आये थे। जिसमें से लगभग 78,000 ईराकी दीनार की सम्पत्ति युद्ध के बाद निस्तारित हो चुकी है। यह धनराशि विभाग में जमा कर दी गयी है। शेष का क्लेम कर दिया गया है। इस प्रकरण के सम्बन्ध में उच्च स्तरीय जांच का प्रश्न नहीं उठता।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं तीन प्रश्न पूछना चाहता हूं। पहला प्रश्न यह है कि युद्ध के पहले जो उत्तर में बताया गया है कि 92, 108 ईराकी दीनार मूल्य की संपत्ति छोड़ कर आये थे, इस संबंध में मेरा आज ही एक अतारांकित प्रश्न है जिसमें पूछा है कि ईराक युद्ध के पूर्व सेतु निगम का कितना स्टाक शेष था तो उसमें बताया गया है कि कुल 134 मदों में 21,984,812 ईराकी दीनार की बुक वैल्यू का स्टाक शेष था किन्तु इसमें बता रहे हैं कि 92, 108 ईराकी दीनार की संपत्ति थी, तो मैं जानना चाहता हूं कि दोनों में क्या सही?

दूसरा प्रश्न है कि दिसम्बर 1993 में इस विभाग की आडिट जांच हुई थी, ए०जी० ने किया था, तो कौन से सामान बिके और कौन गायब हुए इसके अभिलेख उनके सम्मुख प्रस्तुत किये गये थे, ए०जी० उत्तर से संतुष्ट रहे, इसलिये कोई आडिट आब्जेक्शन नहीं बना है। लेकिन इसमें कह रहे हैं कि अभिलेख विभाग के पास उपलब्ध नहीं हैं? तो मैं जानना चाहता हूं कि जब अभिलेख उपलब्ध नहीं थे तो आडिटर के सामने क्या प्रस्तुत किया गया था?

तीसरा प्रश्न है कि जो सामान वहां था तो जब यह लोग वहां से आये थे तो लिस्ट दिया होगा कि इतना सामान था और यहां से फिर ईराक जाने के बाद पता चला होगा कि कितना सामान बचा है उसकी लिस्ट रही होगी, तो जो सामान गायब हुआ उसकी क्या कोई रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी कि नहीं?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, ईराक में जो सेतु निगम का कार्य चल रहा था वह वर्ष 1986-87 में समाप्त हो गया था लेकिन पेमेन्ट क्लीयर करने हेतु वहां दफ्तर और कुछ कर्मचारी काम कर रहे थे और

ईराक युद्ध के समय सभी लोग यहां चले आये। मान्यवर, यहां कहना मुनासिब नहीं है कि युद्ध के समय सामान मिलिटरी या पब्लिक के लोग उठा ले गये। यहां से जब लोग वहां गये तो जो था उसका निस्तारण करके बता दिया और जो बाकी बचा था उसका क्लेम कर लिया गया है। उस समय तमाम कमी हो सकती है इसको मैं मानता हूं लेकिन इस संबंध में उच्च स्तरीय जांच का आश्वासन यदि दिया जाए तो इसमें खर्च होगा लाभ नहीं होगा। इसलिये पेमेन्ट्स जितने थे वह क्लीयर हो गये थे।

10 करोड़ का भी पेमेन्ट हमारा बाकी है, जिनके क्लेम्स चल रहे हैं। वहां से बड़ी मशीनें चली आई थीं और छोटी-छोटी मशीनें, जिनके सम्बन्ध में चोरी की बात हमको बताई गई है के सम्बन्ध में यह है। अब हम समझते हैं कि इसमें उच्चस्तरीय किसी जांच की कोई आवश्यकता नहीं है। यह हमारी जानकारी में अब आ गया है और यही काफी है। इस पर हमने बहुत डिस्कशन किया है और हमारे ध्यान में आ जाना ही पर्याप्त है, इसमें अब कोई कमी हमारी तरफ से नहीं रहने दी जाएगी।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मंत्री जी की जानकारी सही नहीं है, वह आधी अधूरी है, मैं उन्हें बताना चाहता हूं, मेरी जानकारी है कि आज ईराक के ऊपर हमारा 23 करोड़ रुपये का बकाया है, जो कि ब्याज आदि मिलाकर आज की तारीख में और ज्यादा हो गया होगा। इसलिए आप अपनी सूचना को ठीक कर लें, जो आपने 10 करोड़ कहा है वह 23 करोड़ से कहीं ज्यादा है। यह जो इतना रुपया बकाया है वह आपका न रहता और इसका आपको 80 प्रतिशत मिल जाता लेकिन, आपके किन्हीं अधिकारियों की कमी और ढिलाई के चलते समय पर औपचारिकता न पूरी किये जाने के कारण जो 100 रुपये का एक फार्म भरना था, यह पेमेन्ट नहीं मिल सकता है, तो क्या सरकार इसकी जानकारी करके ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ समुचित कार्यवाही करेगी ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

यह सवाल जब पहली बार इस सदन में आया था तो आप ही इसके मंत्री थे और यही प्रश्नकर्त्ता सदस्य का उस समय भी प्रश्न था और यदि उस समय सही दिशा में प्रयास किया जाता तो ज्यादा बेहतर नतीजे आते। जानकारी जो की है.....

श्री जगदम्बिका पाल–

इसीलिए तो कल्याण सिंह, मुख्यमंत्री जी ने उनका पी० डब्लू० डी० बदलकर उन्हें वन विभाग दे दिया था।

"व्यवधान"

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

हमने निश्चित कहां कहा है, हमने लगभग 10 करोड़ कहा है। उसका क्लेम यू०एन०ओ० में कर दिया गया है, वह धीरे-धीरे मिलेगी। चोरी का मामला प्रकाश में आ गया है और माननीय सदस्य भी इसे ध्यान में ले आए हैं, यही पर्याप्त है। हम इसमें उच्च स्तरीय जांच का आश्वासन नहीं दे सकते हैं, लेकिन इसको मैंने ध्यान में ले लिया है।

(अगला प्रश्न लेने पर)

डा० सरजीत सिंह डंग–

पाल साहब ने मेरे ऊपर एक कमेण्ट किया है, उसके लिये हमें समय दे दीजिए।

श्री अध्यक्ष–

नहीं बैठिये, तारांकित प्रश्न संख्या–3

जनपद पौड़ी गढ़वाल के उप शिक्षा निदेशक द्वारा जारी विज्ञप्ति मण्डलीय संवर्ग के अधीन

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

* 3–क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि हिलकैडर द्वितीय श्रेणी तक का शासनादेश होने के बावजूद भी उप शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी द्वारा जारी विज्ञप्ति जो अध्यापकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति के संबंध में है, उसमें पर्वतीय संवर्ग का किसी प्रकार का उल्लेख नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों? क्या शासनादेश को दृष्टिगत रखते हुए उक्त अधूरी विज्ञप्ति को हिलकैडर हेतु संशोधित करने के तत्काल निर्देश देंगे? यदि हां, तो कब तक। यदि नहीं, तो क्यों?

डा० मसूद अहमद–

जी हां। विज्ञापित पद-प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी (एल०टी० ग्रेड) का मण्डलीय संवर्ग है। अतः पर्वतीय संवर्ग के उल्लेख की नियमानुसार आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' –

मान्यवर, मेरा प्रश्न था कि क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि हिलकैडर द्वितीय श्रेणी तक का शासनादेश होने के बावजूद भी उप शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मंडल, पौड़ी द्वारा जारी विज्ञप्ति जो अध्यापकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति के संबंध में है, उसमें पर्वतीय संवर्ग का किसी प्रकार का उल्लेख नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों? इसका मंत्री जी ने जवाब दिया है कि क्योंकि यह मंडलीय संवर्ग है, इसलिए इसमें पर्वतीय संवर्ग का उल्लेख किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। यदि नहीं है तो क्या उस विज्ञप्ति के आधार पर पूरे प्रदेश के अभ्यर्थी अपने आवेदन नहीं कर सकते थे, फिर भी यदि किया है तो उसमें किस आधार पर वह मंडलीय संवर्ग के लोगों को ही नियुक्ति देंगे? अभी अनुसूचित जाति के जिन अभ्यर्थियों के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है, उसमें पर्वतीय क्षेत्र के मूलरूप में जो अभ्यर्थी हैं, उनमें उनका 2 प्रतिशत भी आना चाहिए? जब नियुक्तियां होनी है और पर्वतीय क्षेत्र के लिए होती है, तो उन लोगों को मैदानी संवर्ग में सम्बद्ध किये जाने का क्या औचित्य है, यदि यह मंडलीय संवर्ग है? तो क्या इसमें जरूरी नहीं है कि मंडलीय आधार पर जो अभ्यर्थी है मंडल के, उनको ही प्राथमिकता दी जाए? तो क्या तत्काल उस विज्ञप्ति को निरस्त करके स्थानीय आधार पर मंडलीय अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति देने की कृपा करेंगे?

डा० मसूद अहमद–

उप शिक्षा निदेशक का उक्त शासनादेश मंडलीय संवर्ग के ही सम्बन्ध में है जैसा कि कहा जा चुका है? यदि उसमें पर्वतीय संवर्ग का नाम आ जाता तो उसमें आठों जिलों का उल्लेख होता।

इसलिये इस किस्म के एडवरटाइजमेंट की कोई आवश्यकता नहीं है और जहां तक नियुक्तियों का सम्बन्ध है मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह मण्डलीय संवर्ग की नियुक्तियां हैं

और इसी संवर्ग के लोगों का इसमें एप्वाइन्टमेंट किया जायेगा। डी०आर०एस०डी०आर०, डी०आई०ओ०एस०, आर०आई०जी०एस० यह मेम्बर्स हैं और मण्डलीय स्तर पर नियुक्तियां होंगी और रही आरक्षण की बात तो कोटे का अक्षरशः पालन किया जायेगा।

श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, मूल प्रश्न का उत्तर नहीं आया है। मेरा यह कहना है कि यदि यह मण्डलीय संवर्ग है तो मण्डलीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों को ही प्राथमिकता मिलनी चाहिए? पूरे देश के कोने-कोने से आकर लोग नियुक्तियां पा रहे हैं तो यह मण्डलीय संवर्ग कैसे हुआ। दूसरी बात यह है कि अनुसूचित जाति का आरक्षण जो पर्वतीय मूल के निवासी हैं, उनको नहीं मिल पा रहा है दो प्रतिशत भी नहीं दिया जा पा रहा है। डेढ़ दो महीने से उप शिक्षा निदेशक के कार्यालय पर धरना दे रहे हैं। इसलिये मेरा कहना है कि मूल क्षेत्र के लोगों द्वारा ही आरक्षण के पद भरे जायं।

डा० मसूद अहमद–

मान्यवर, माननीय सदस्य का जो प्रश्न है वह मूल प्रश्न से हटकर है फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा विधान नहीं है मण्डलीय संवर्ग में वहीं के लोगों को नियुक्त किया जायेगा।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमवली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न।

जनपद मऊ स्थित किसान सहकारी चीनी मिल में अधिक गन्ना देने वाले किसानों की जानकारी

श्री अछयवर भारती–

* 1–क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किसान सहकारी चीनी मिल, घोसी, जनपद मऊ में वर्ष 1990-91 व 1991-92 तथा 1992-93 में किन-किन पांच किसानों ने सबसे अधिक गन्ना मिल में दिया है? क्या यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उन किसानों के पास कुल कितने क्षेत्रफल में गन्ना बोया गया था? यदि क्षेत्रफल के मुताबिक गन्ना नहीं है, तो उक्त अनियमितता हेतु दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या सरकार कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक। यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री अछयवर भारती–

मान्यवर, मैंने कोई बहुत बड़ा प्रश्न नहीं पूछा है। मैंने प्रश्न किया था कि घोसी चीनी मिल में किन पांच किसानों ने सबसे अधिक गन्ना मिल को दिया है? मान्यवर, मेरे छोटे से प्रश्न की जानकारी के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने उत्तर दे दिया है कि सूचना एकत्र की जा रही है। उसके बाद बता देंगे तो फिर क्या है?

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, आप इसको स्थगित करा दें। इस तरह से तो हमारे अधिकारों का हनन है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जिस प्रश्न का उत्तर आता है कि सूचना एकत्र की जा रही है, उसका मतलब ही यह हुआ कि वह स्थगित हो गया।

श्री नरेश अग्रवाल–

नहीं ऐसा नहीं है। अध्यक्ष महोदय कह दें कि वह इसको स्थगित करते हैं।

श्री अध्यक्ष –

मंत्री जी क्या यह सूचना इस सत्र में आ जायेगी?

श्री सुरेन्द्रपाल वर्मा–

इसका जवाब 15 दिन के अन्दर दे देंगे।

।सोमवार दि० 11 अप्रैल, 1994 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न।

जनपद उन्नाव में बनी नामक स्थान सहरांवा–मिर्रीकलां पुरवा रोड के निर्माण की मांग

* 1–श्री हृदय नारायण–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि तत्कालीन मुख्य मंत्री, उ० प्र० द्वारा उन्नाव जिले के पुरवा कस्बे में अन्तर्जनपदीय महत्व की लखनऊ-कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के बनी नामक स्थान से सहरांवा-मिर्रीकलां पुरवा रोड के बनाये जाने की घोषणा मार्च, अप्रैल, 1991 में की गयी थी? यदि हां, तो उक्त घोषणा का क्रियान्वयन क्या चालू वर्ष 1993-94 में राज्य सेक्टर की योजनाओं के अधीन किये जाने के आदेश जारी हो गये हैं? उक्त सड़क कब तक बन जायेगी?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हां।

जी हां। प्रश्नगत मार्ग को निर्मित किये जाने हेतु समय निर्धारित किया जाना राज्य सेक्टर में पर्याप्त संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

(लिखित उत्तर पढ़े जाने पर कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं किया गया)

जनपद देवरिया के विकास खण्ड बनकटा में बनकुल घाट पर नया पुल बनाने की मांग

* 2– श्री कामेश्वर उपाध्याय–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1988-89 में जनपद देवरिया के विकास खण्ड बनकटा के बिहार सीमा पर बनकुल घाट का पुल क्षतिग्रस्त हो जाने के फलस्वरूप नया पक्का पुल बनाने हेतु प्रस्ताव मंगाया गया था? यदि हां, तो स्वीकृत न होने का क्या कारण है? क्या सरकार इसे स्वीकृत करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हां।

सीमित वित्तीय संसाधन। सम्प्रति ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है? प्रश्न नहीं उठता। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है।

श्री कामेश्वर उपाध्याय–

मान्यवर, मैं माननीय लोक निर्माण मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि देवरिया के विकास खण्ड बनकटा के बिहार सीमा पर बनकुल घाट का पुल जो बिहार से 50 मीटर की दूरी पर स्थित है, यह पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। यह काफी पुराना पुल था। मैं, माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि क्या सरकार इतनी अक्षम हो गयी है कि 20 लाख रुपया देकर इस पुल को नहीं बनवा सकती है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, माननीय उपाध्याय जी ने तो हम पर अक्षमता का आरोप लगा दिया है। यह जो पुल क्षतिग्रस्त हुआ है यह बिहार सीमा पर स्थित है जो पहले किसी संस्था ने बनाया था। किसने बनाया इसकी जानकारी नहीं है। परन्तु यह पी० डब्ल्यू० डी० का पुल नहीं था। इसे बनाने के लिए हमें बिहार राज्य से बात करनी पड़ेगी क्योंकि इसमें दोनें राज्य शामिल हैं। फिलहाल सीमित संसाधनों को देखते हुए यह संभव नहीं है?

श्री कामेश्वर उपाध्याय–

मान्यवर, इसमें बिहार से भी रास्ता है और उत्तर प्रदेश से भी रास्ता है। इसमें 20 लाख रुपया लगना है। क्या माननीय मंत्री जी इतनी मेहरबानी नहीं कर सकते हैं कि यह बनवा दें।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

हमने पहले भी बता दिया था कि सीमित संसाधनों को देखते हुए यह संभव नहीं है।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने माननीय सदस्य की जिज्ञासा के परिपेक्ष्य में जो उत्तर दिया है वह यह दिया है कि सीमित संसाधनों के देखते हुए यह संभव नहीं है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि माननीय मंत्री जी ने विभाग से इसका सर्वेक्षण कराया। जब तक इसका आगणन तैयार नहीं हुआ होगा तब तक वित्तीय संसाधनों का उल्लेख वह नहीं करते। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इसमें कितना व्यय होगा?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, कुछ दूरी पर दूसरा पुल भी उपलब्ध है। माननीय पाल साहब से जो पूछा है कि कितनी लागत लगेगी तो मैं यह बता दूं कि इसमें करीब 65 लाख रुपया व्यय होगा जो वर्तमान में संभव नहीं है।

श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, बड़ा आश्चर्य होता है। जिस काम को सरकार नहीं करना चाहती है तो एक वाक्य यह कह देती है कि सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुए यह संभव नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो पुरानी स्वीकृतियां होती हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है और नयी स्वीकृतियां कर दी जाती है तो उनके लिए पैसा कहां से आ रहा है। जबकि होना यह चाहिए कि जो पुरानी स्वीकृतियां हैं उनको प्राथमिकता देते हुए करना चाहिए तब कहीं नयी

स्वीकृतियां करनी चाहिए। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि नयी स्वीकृतियों के लिए कहां से पैसा आ रहा है?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

यह सरकार का अपना अधिकार है। यह आवश्यक नहीं है कि वह सदस्य के माफिक उत्तर दे और यह परम्परा भी रही है। सरकार अपने हिसाब से उत्तर देगी और सरकार अपने अधिकारों का उपयोग जनहित में किस प्रकार करे यह उनका अपना अधिकार है?

श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

सरकार क्या मनमाने उत्तर देगी?

श्री अध्यक्ष–

आपका हो तो गया पूरा। मैं थोड़ा संशोधित किये देता हूं, इससे आपको संतोष मिलेगा और उत्तर भी स्पष्ट हो जायेगा। माननीय सदस्य की जिज्ञासा यह है कि पुराने कार्य जो स्वीकृत हो चुके हैं, उनको स्थगित किया गया और नये कार्य लिये गये तो क्या नये कार्यों को पुराने कार्यों से ज्यादा आवश्यक समझा गया या अन्य कोई कारण है?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

श्रीमन्, इस पर लम्बी चर्चा हो जायेगी बजट में। वैसे नये कार्यों और पुराने कार्यों दोनों के लिये बजट में प्राविधान होता है। मैं बताना चाहूंगा कि पुराने कार्य, जो माननीय नेता विरोधी दल, जब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर थे, इन्होंने निरस्त कर दिये थे, उनको भी हम पुनर्जीवित कर रहे हैं। श्रीमन् हम यह प्रयास करेंगे कि जितने काम आपकी सरकार में हुये थे, उससे कहीं ज्यादा हमारे कार्यकाल में हों।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मुझे चुनौती स्वीकार है, आंकड़े आप भी दे दें, मैं भी दे देता हूं। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना बहुत आसान है। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाये।

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

मान्यवर, इस सरकार की कथनी-करनी में बहुत अन्तर है। जो यह सरकार कहती है, करती नहीं है। मुख्यमंत्री ने 1130 करोड़ रुपये की घोषणा की थी, लेकिन आपके मुख्यमंत्री का नाम लोग कागजी मुख्यमंत्री के रूप में ले रहे हैं, केवल घोषणायें करते जा रहे हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल की बात कही गयी। मैं लोक निर्माण मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि पिछली बार माननीय मुख्यमंत्री ने सदन में जो घोषणा की थी, अपनी उसी घोषणा के अनुरूप सरकार पुराने कामों को करायेगी। दूसरी बात जानना चाहता हूं कि छोटे-छोटे कार्यों के लिये सरकार कहती है कि वित्तीय संसाधन उपलब्ध नहीं है और जब कोई 50 किलो की माला मंच पर पहना देता है तो तुरन्त 50 करोड़ रुपये की घोषणा कर देते हैं तो जब संसाधन उपलब्ध नहीं है और कामों को पूरा नहीं करा सकते तो क्या जनता को बेवकूफ बनाने का काम सरकार इसी तरह करती रहेगी? इन दोनों प्रश्नों का उत्तर दिलवा दें।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

माननीय सदस्य कम से कम संतुलित भाषा का उपयोग करें तो उत्तर देने में हमको भी आनन्द आये। वर्ना हमको यही कहना पड़ेगा कि जिस तरह के दल में हैं, उसी तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

जनता को बेवकूफ बनाने वाली बात ठीक नहीं है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, हम भी यदि उलट कर कह दें तो अभी उत्तेजना फैल जायेगी। सरकार किसी गलत बात को नहीं मानेगी। वैसे सरकार कृतसंकल्प है। इन साम्प्रदायिक शक्तियों ने जिस तरह से प्रदेश का सत्यानाश किया है उनकी किसी भी धौंस में आकर सरकार काम नहीं करेगी। पूरे प्रदेश में विकास की गति साम्प्रदायिक शक्तियों ने रोक दी.....

प्रदेश के अन्दर साम्प्रदायिकता फैलाकर करोड़ों रुपये की आपने क्षति की और अब आप प्रदेश के विकास की बात कर रहे हैं। प्रदेश में विकास कार्य ठप्प हो गये थे, हम उनको पुनर्जीवित कर रहे हैं। हम नये और पुराने कार्य पूरे करवायेंगे, दल भेद नहीं करेंगे, दल भेद से ऊपर उठकर निर्माण कार्यों को करायेंगे।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से दो चीजें जानना चाहता हूं। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में जो सड़कें निरस्त की गयी थी, उनको पुनर्जीवित करेंगे, मैं जानना चाहता हूं कितने किलोमीटर की स्वीकृत सड़कें निरस्त की गयीं और उनको पुनर्जीवित करने में शासन को कितना धन उपलब्ध कराना पड़ेगा? दूसरे माननीय मंत्री जी ने माननीय सदस्य की इस बात की सत्यता को माना है लेकिन अपने विभाग की बात यहां पढ़ दिया कि उस पुल को बनाये जाने में 65 लाख रुपये व्यय करने पड़ेंगे। माननीय मंत्री जी हम तो आपके सहयोगी दल हैं। कम से कम आप मा० कामेश्वर उपाध्याय जी की इस बात को गम्भीरता से लेते हुए कम से कम आश्वासन दे दें, माननीय सदस्य कह रहे हैं कि उक्त पुल 20 लाख रुपये में ही बन जायेगा।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

श्रीमन्, जिस पुल की बात की जा रही है वह बिहार राज्य सीमा पर है और बगैर बिहार राज्य से बात किये कुछ कहना मुनासिब नहीं होगा। दूसरी बात जो अग्रवाल जी ने पूछी है तो भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में 105 करोड़ रुपये की सड़कें निरस्त की गयी थीं।

(कई सदस्यों के एक साथ प्रश्न पूछने पर)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न का उत्तर आ गया है, आप सब बैठ जायें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मेरा तारांकित प्रश्न संख्या–4 रह गया था, चूंकि समय है इसलिये इसको ले लीजिये।

* 3—श्री मातवर सिंह कण्डारी–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

प्रदेश के कतिपय हाई स्कूल व इण्टर कालेजों तथा लघु माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान सूची में लेने का विचाराधीन प्रस्ताव

* 4–श्री विश्वनाथ (अनुपस्थित)–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हाई स्कूल व इण्टर कालेजों तथा लघु माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान सूची पर लिये जाने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो उक्त विद्यालयों को कब तक अनुदान सूची पर ले लिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

डा० मसूद अहमद–

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित होने के उपरान्त ऐसे विद्यालयों को यथासमय अनुदान सूची पर लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि प्रदेश के कितने विद्यालयों की इस प्रकार की अनुदान सूची है तथा किन-किन विद्यालयों को किस वर्ष से अनुदान सूची में नहीं लिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस संबंध में घोषणा की थी। इस महत्वपूर्ण एवं नीतिगत मामले के संबंध में आज मैं घोषणा की मांग कर रहा हूँ, मैं यह आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो घोषणा की गयी थी कि 250 विद्यालयों को अनुदान सूची में लाया जायगा। ऐसा लगता है कि माननीय मंत्री एवं माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा में मतभेद हो सकता है। इस सम्बन्ध में यह भी कहा जा सकता है कि यह न लागू करें प्रदेश के विद्यालयों के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 250 विद्यालयों को अनुदान सूची में रखे जाने की घोषणा की है तो इस संबंध में आदेश इस वर्ष जारी करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

डा० मसूद अहमद–

मान्यवर, प्रदेश में 4516 विद्यालय अनुदान सूची पर है। 86 तक मान्यता प्राप्त 251 ऐसे अशासकीय विद्यालय अनुदान सूची पर लाना है, कुछ विद्यालय और भी हैं जिनकी संख्या 2370 है। इसके पहले जब माननीय मुख्य मंत्री जी नेता सदन और मुख्य मंत्री थे तो उनके समय में लगभग 500 विद्यालयों को मान्यता मिली थी और उन्हें अनुदानित किया गया था। उसके बाद

भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो उन्होंने इस संबंध में कुछ भी नहीं किया और उनके समय में कुछ नहीं हुआ। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता हो जाने पर ही अब विद्यालयों की संख्या के संबन्ध में निर्णय लिये जायेंगे।

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह जानकारी चाहता हूँ कि इन्होंने यह कहा है कि पिछले नेता सदन, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 500 विद्यालयों को अनुदानित करने का कार्य किया था। मैं माननीय मंत्री जी से यह उत्तर चाहता हूँ कि क्या जो अनुदानित विद्यालय थे, उनके लिये उस समय माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा किया था या उसमें गडबड़ नीति रहने के कारण उसके लिये हाई कोर्ट से कोई स्टे आ गया था। क्या माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा अपने निजी विद्यालयों और अपने से संबंधित विद्यालयों के लिये उस समय जो मानक के अन्तर्गत नहीं आते हैं, उनको अनुमोदित करने का कार्य किया गया था?

डा० मसूद अहमद–

मान्यवर, ऐसी कोई बात नहीं थी।

श्री शिव प्रताप शुक्ल –

क्या अनुदान सूची रद्द की गयी थी?

श्री अध्यक्ष–

इस पर जो आपकी जानकारी हो, लिखकर दे दीजिये, इस तरह की बात नहीं कीजिये। (व्यवधान).....प्रश्न के अन्तर्गत दे रहे हैं।

श्री जगदम्बिका पाल–

मैं आपका ध्यान मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि जो सदन में उत्तर दिया है और इस संबंध में सदन से बाहर जो घोषणायें की है उसमें विरोधाभास है। ऐसे प्रश्नों को औचित्य के प्रश्न के रूप में स्वीकार करने की कृपा करें। यह बहुत ही महत्वपूर्ण और नीतिगत सवाल है। जो असहायता प्राप्त विद्यालय हैं उन्हें अनुदान सूची पर लाने की यह सरकार कृपा करेगी। मान्यवर, उत्तर में यह कहा गया है कि वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर कार्य किया जायगा। माननीय मुख्य मंत्री जी एवं शिक्षा मंत्री जी द्वारा जो घोषणा की गयी है, इस संबंध में औचित्य प्रश्न के रूप में ग्राह्य कर लें मान्यवर, तथ्यों को भी प्रकट कर दें।.....

जनपद सिद्धार्थनगर के बढ़नी स्थित गन्ना समिति के घाटे को पूरा करना तथा गन्ने के बकाये मूल्य का भुगतान

*5–चौधरी रवीन्द्र प्रताप (अनुपस्थित)–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना समिति बढ़नी, सिद्धार्थनगर घाटे में चल रही है? यदि हां, तो घाटे को पूरा करने का क्या उपाय किया जा रहा है? यदि मिल घाटे में नहीं है, तो गन्ना किसानों के बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान क्यों नहीं हो पा रहा है?

.....

नोट :–तारांकित प्र० सं० 2 एवं 4 ता० प्र० सं० 2[illegible] के उपरान्त लिये गये।

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)–

जी हाँ।

ऋण राहत योजना के मद में नाबार्ड से आर्थिक सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है।

गन्ना समिति-बढ़नी से तीन चीनी मिलों बस्ती, आनन्दनगर व खलीलाबाद को गन्ना आपूर्ति किया जाता है।

(1) चीनी मिल खलीलाबाद घाटे के कारण पेराई सत्र 1991-92 से बन्द है।

(2) आनन्दनगर चीनी मिल घाटे में है तथा भारत सरकार के नियंत्रणाधीन है।

(3) दि बस्ती शुगर मिल्स कम्पनी लि० बस्ती, से निरन्तर गन्ना मूल्य प्राप्त कर किसानों को भुगतान किया जा रहा है।

यदि चीनी मिलों एवं ऋण राहत योजना के मद में नाबार्ड से समुचित धनराशि प्राप्त हो जाती है तो किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान शीघ्र हो जावेगा।

(सदस्य उपस्थित नहीं थे)

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

मान्यवर, इसमें रुचि है।

श्री अध्यक्ष–

बाद में देखेंगे।

प्रदेश के राजकीय जूनियर हाई स्कूलों में प्रचलित पाठ्य पुस्तकों में आधुनिक महापुरुषों का समावेश

*6—श्री इरशाद (अनुपस्थित)–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के राजकीय जूनियर हाई स्कूलों में पढ़ाये जा रहे इतिहास विषय के अन्तर्गत भारत की नयी पीढ़ी के व 19 वीं सदी से 20 वीं सदी के महापुरुषों यथा राम मनोहर लोहिया, डा० भीमराव अम्बेडकर, आचार्य नरेन्द्र देव आदि के पाठों को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने की नीति सरकार अपनायेगी? यदि हां, तो इसकी रूपरेखा क्या होगी ? उक्त योजना कब तक कार्यान्वित होगी? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० मसूद अहमद–

जूनियर हाई स्कूलों की इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में 19 वीं, 20 वीं सदी के व आधुनिक पीढ़ी के महापुरुषों का उल्लेख यथा स्थान किया गया है। पुस्तकों के पुनर्लेखन, परिवर्धन तथा संशोधन के समय जिन महापुरुषों का उल्लेख प्रचलित पाठ्य पुस्तकों में नहीं होता, उनका समावेश यथा स्थान किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

(सदस्य उपस्थित नहीं थे)

स्थानीय निकायों द्वारा संचालित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों की स्थानीय निकाय में कार्यरत कर्मचारियों के समान सुविधा

*7—श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्थानीय निकायों द्वारा संचालित मान्यता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को पेंशन एवं राहत आदि की वही सुविधायें प्राप्त हैं, जो अन्य गैर-सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालयों के अध्यापकों तथा कर्मचारियों को उपलब्ध हैं? यदि नहीं, तो इसमें भिन्नता का कारण क्या है?

डा० मसूद अहमद–

प्राप्त सूचनानुसार शिक्षकों के सम्बन्ध में समान सुविधा उपलब्ध है परन्तु शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के सम्बन्ध में यह सुविधा समान नहीं है।

नगरपालिका के कर्मचारी होने के कारण उन्हें नगर महापालिका के कर्मचारियों के समरूप दरों पर सुविधायें अनुमन्य हैं।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, एक तरफ तो सरकार कहती है कि जो केन्द्रीय कर्मचारी हैं उनके अनुसार हम अपने प्रदेश के कर्मचारियों को वेतन देंगे, सुविधायें देंगे दूसरी तरफ मान्यवर जो उत्तर में आया है उसके बारे में मैं जानना चाहूँगा कि जो वेतन विसंगति है इसके क्या कारण हैं ? सरकार ने घोषणा की कि केन्द्रीय कर्मचारियों को दी जा रही सुविधाओं को प्रदेश के कर्मचारियों को देंगे, तो नगरपालिका के शिक्षणेत्तर कर्मचारी हैं, इस भीषण महंगाई में वह किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं तो उनको समान कार्य के लिए समान वेतन देने पर कब तक निर्णय लेंगे?

डा० मसूद अहमद–

मान्यवर, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के संबन्ध में अपना प्रश्न माननीय सदस्य ने किया है तो मैं बताना चाहूँगा कि अभी तक न तो उनकी तरफ से कोई ऐसी मांग रखी गई है। इनके ऊपर नगरपालिका ऐक्ट के तहत कानून लागू है यह लोग नगरपालिका ऐक्ट के तहत रहना चाहते हैं क्योंकि इसमें कुछ अन्य सुविधायें भी उपलब्ध हैं। फिर भी शासन स्तर पर विचार किया जा रहा है। विचारोपरान्त जो नतीजा आएगा उसके अनुसार कार्य किया जाएगा।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

विचार करने के लिए कोई कमेटी गठित की गई है?

डा० मसूद अहमद–

मान्यवर, कमेटी तो गठित नहीं है। जहां तक शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का प्रश्न है, संबंध है, यह सूचित किया गया है कि जिन शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को पालिका द्वारा नियुक्त किया जा रहा है उत्तर प्रदेश की जो शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की पेंशन एवं राहत संबन्धी नियमावली, 1984 है उसके अन्तर्गत उनको पेंशन सुविधा दी जाती है उक्त नियमावली में संशोधन का प्रकरण विचाराधीन है उसमें संशोधन होने पर कार्यरत कर्मचारियों को सुविधा उपलब्ध हो जाएगी।

*8-श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

(विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त)

इलाहाबाद विश्वविद्यालय में वित्तीय घाटे के समाधान हेतु विचार

*9-डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय वित्तीय घाटे से ग्रस्त है ? यदि हाँ, तो इसे दूर करने का सरकार क्या प्रयास कर रही है ?

डा० मसूद अहमद–

जी हाँ।

वित्तीय घाटे की समस्या अन्य विश्वविद्यालयों में भी है। अतः इस समस्या के समाधान हेतु गम्भीरता से शासन द्वारा विचार किया जा रहा है।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौड़–

मान्यवर, मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहूँगा जैसा कि इन्होंने बताया है कि वित्तीय घाटा है, 31.3.92 तक सभी विश्वविद्यालयों में 26.25 करोड़ का घाटा था जिसमें लखनऊ का घाटा 4.15 करोड़ था और 31.3.94 में सभी संकलित घाटा कितना है। इलाहाबाद में संकलित घाटा कितना है। मैं जानना चाहूँगा कि 11 नवम्बर, 1992 को तत्कालीन मंत्री जी की अध्यक्षता में एक वित्तीय घाटे को दूर करने के लिए बैठक बुलाई गई थी इसमें समिति बनाने का निर्णय लिया गया था उसमें क्या कार्यवाही की गई ? वित्तीय घाटा कम हो इसके लिए सरकार क्या कर रही है।

डा० मसूद अहमद–

मैंने कहा घाटे में है आपने पूछा है इस घाटे के संबंध में आपकी सरकार क्या कर रही है इस बारे में बताना चाहूँगा यह जो घाटा है यह आज का नहीं यह पहले से चला आ रहा है जब माननीय कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित हुई उसमें आप थे उसमें आपने अपने स्तर से प्रयास कितना किया मैं नहीं बता सकता हूँ उसके बाद राष्ट्रपति शासन कॉल हो गया। उसके बाद मान्यवर डा० राय सिंह मेहरोत्रा की संस्तुतियां आई वित्तीय संसाधन को सुधारने के लिए। आप कहें तो इसको पढ़ दूँ। वैसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उन समस्याओं से आप भी अवगत हैं। इसके बाद जब हमारी सरकार आई, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है और वह कमेटी अपनी राय से अवगत कराएगी। जो राय होगी उसका हम अनुपालन करेंगे।

श्री जगदम्बिका पाल–

वहां के शिक्षक राजनीति में भाग ले रहे हैं और तनख्वाहें ले रहे हैं वह भी तो पैसा व्यर्थ खर्च हो रहा है।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मैंने जो प्रश्न किया था उसका उत्तर नहीं दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

पूरा उत्तर आ गया है।

नेता विरोधी दल (श्री कल्याण सिंह)–

माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्री ने अपने उत्तर में कहा है कि उत्तर प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालय भी घाटे की स्थिति में हैं। मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय घाटे की स्थिति में हैं। और जब आपको यह जानकारी है कि अन्य विश्वविद्यालय भी घाटे की स्थिति में हैं तो आपको जरूर जानकारी होगी कि कौन-कौन से विश्वविद्यालय कितने-कितने रुपये के घाटे में चल रहे हैं? जो एक समिति बना दी गई, उसकी जो संस्तुति रही होगी उस पर क्या कार्यवाही होगी। उस सम्बंध में कान्टीनुएशन में कोई स्टेप उठाना चाहते हैं या अलग से उपाय कर रहे हैं। मैं आपसे केवल इतना ही जानना चाहता हूँ कि इस वित्तीय घाटे को आप कब तक पूरा कर देंगे अलग-अलग विश्वविद्यालय का अलग-अलग घाटा कितना है ? जो उपाय कर रहे हैं वह सब कब तक पूरा कर देंगे।

श्री मुलायम सिंह यादव–

यह बात सही है कि सभी विश्वविद्यालय घाटे में चल रहे हैं इसको नेता विराधी दल ने भी स्वीकार किया है। कितना घाटा विश्वविद्यालय में है, उसकी अभी सूचना की आवश्यकता है। अभी इस संबन्ध में महामहिम राज्यपाल जी से हमारी बातचीत हुई है। इस सम्बंध में सभी विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर से राय लेकर कोई समाधान निकालेंगे। इसमें आपका भी सहयोग लेंगे।

श्री कल्याण सिंह–

एक बात मैं प्रश्न के तौर पर नहीं सुझाव के तौर पर देना चाहता हूँ। विश्वविद्यालयों में जो घाटा चल रहा है। उसका एक बड़ा कारण वहाँ पर वित्तीय अनियमितता और वित्तीय अनुशासनहीनता का होना है। इसको दूर करना जरूरी है। पैसा आप चाहे जितना दे दें वह घाटा बढ़ता चला जाएगा।

श्री मुलायम सिंह यादव–

आपके सुझाव से मैं सहमत हूँ।

जनपद शाहजहाँपुर की तहसील पुवायां स्थित दि किसान सहकारी चीनी मिल में आरक्षण कोटा पूरा करने की मांग

*10-श्री चेतराम (अनुपस्थित)–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दि किसान सहकारी चीनी मिल, पुवायां, जनपद शाहजहांपुर में कितने अधिकारी व कर्मचारी अनुसूचित जाति/जनजाति के कार्यरत हैं ? उनमें कितने नियमित एवं कितने दैनिक वेतन पर कार्यरत हैं ? दैनिक वेतन वालों को नियमित न किये जाने के क्या कारण रहे? क्या अनुसूचित जाति/जनजाति के अधिकारी/कर्मचारियों का शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण कोटा पूर्ण है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद लखनऊ की इन्दिरा नगर कालोनी में बालिकाओं हेतु इन्टरमीडिएट की कक्षाएं खोलने की मांग

*11-श्री किशन लाल (अनुपस्थित)–

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि इन्दिरा नगर, लखनऊ में बालिकाओं की शिक्षा हेतु एक राजकीय कन्या हाई स्कूल की स्थापना की गयी थी? क्या इन्दिरा नगर, गोमती नगर और समीपवर्ती सैकड़ों गांवों की बालिकाओं की शिक्षा को ध्यान में रखकर उक्त विद्यालयों को उच्चीकृत करके यहां पर इण्टरमीडिएट कक्षाओं को खोलने की व्यवस्था सरकार द्वारा की जायेगी? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

डा० मसूद अहमद–

जी हाँ।

जी नहीं।

क्योंकि योजनान्तर्गत अपेक्षित धन एवं उपयुक्त भवन/भूमि का अभाव है।

जनपद कानपुर देहात के विकास खण्ड घाटमपुर के अन्तर्गत सजेती से बरीपाल तक के मार्ग को पक्का करने की मांग

*12-श्री राकेश सचान (अनुपस्थित)–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर (देहात) के विकास खण्ड घाटमपुर के अन्तर्गत हमीरपुर रोड, सजेती से बरीपाल मार्ग लगभग 3 कि० मी० को पक्का कराये जाने की योजना शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो इसे कब तक पूरा करा दिया जायगा?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

सजेती से बरीपाल मार्ग के पक्का कराये जाने की कोई योजना शासन के विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के पर्वतीय जनपदों में नीलामी द्वारा मदिरा का विक्रय

*13-श्री बची सिंह रावत–

क्या आबकारी मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ०प्र० के जिला अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ व गढ़वाल के कुछ क्षेत्र में मद्य निषेध लागू किया गया था? यदि हां, तो कब और क्यों? उक्त नशाबन्दी अभी भी वहां पर लागू रखने का क्या कारण है? क्या यह सही है कि प्रदेश की राजधानी सहित अधिकांश जनपदों में मद्य निषेध लागू नहीं है? क्या मदिरा की दुकानों की नीलामी करके वहां खुली बिक्री की जाती है? क्या सरकार सम्पूर्ण प्रदेश में समान आबकारी नीति अपना कर पूरे क्षेत्र में मदिरा की दुकानों की नीलामी करके खुली बिक्री करायेगी? यदि नहीं, तो क्या प्रदेश भर में पूर्ण मद्य निषेध लागू करवायेगी?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जनपद अल्मोड़ा में दिनांक 26 मई, 1984 से, जनपद पिथौरागढ़, पौड़ी गढ़वाल एवं टिहरी गढ़वाल में दिनांक 21.8.80 से और जनपद चमोली एवं उत्तरकाशी में दि० 1.4.1991 से स्थानीय निवासियों को विदेशी मदिरा की सुविधा परमिट पर उपलब्ध है। शासन द्वारा विचारोपरान्त जनहित में 1 अप्रैल, 1994 से जनपद अल्मोड़ा एवं पिथौरागढ़ में परमिट व्यवस्था समाप्त करते हुए इन जनपदों में भी विदेशी व देशी मदिरा के विक्रय हेतु दुकानों का व्यवस्थापन टेण्डर-कम-नीलामी प्रणाली के तहत प्रारम्भ किया गया है। जनपद पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी एवं चमोली में परमिट धारियों को नियंत्रित मात्रा में विदेशी मदिरा की विक्रय की सुविधा वर्तमान में उपलब्ध है। यह सही है कि गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ व ऋषिकेश आदि प्रमुख धार्मिक स्थलों को छोड़कर प्रदेश की राजधानी सहित 59 जनपदों में वर्तमान में मद्य-निषेध नहीं है और इन जनपदों में देशी व विदेशी मदिरा की दुकानों का व्यवस्थापन टेण्डर-कम-नीलामी प्रणाली के तहत करके उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 के प्राविधानों के अनुसार मदिरा की बिक्री की जाती है। शासन की मौलिक नीति मद्य-निषेध की है, परन्तु स्थानीय आवश्यकताओं आदि को देखते हुए कुछ विशेष क्षेत्रों को मद्य-निषेध से पूर्णतया मुक्त करके समान आबकारी नीति लागू किया जाना फिलहाल जनहित में सम्भव नहीं है। सरकार मद्य-निषेध सम्बन्धी शिक्षात्मक कार्यकलापों के माध्यम से मादक वस्तुओं के दुरुपयोग के दुष्परिणामों के विरुद्ध जन-जागृति हेतु शतत प्रचार-प्रसार का कार्य करती है। जब तक जनता मादक वस्तुओं के अनौषधीय उपयोग की बुराईयों और मद्य-निषेध की अच्छाईयों से अवगत नहीं हो जाती और नशाबन्दी को स्वतः स्वीकार नहीं कर लेती तब तक सम्पूर्ण प्रदेश में पूर्ण नशाबन्दी किये जाने का औचित्य नहीं है।

श्री बची सिंह रावत–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी की जानकारी में लाना चाहता हूँ कि मद्य-निषेध जब लागू हुआ था तो उसी संबंध में 1984 में एक व्यापक जन आंदोलन "नशा नहीं रोजगार दो" इस आशय का चला था और तभी प्रतिबंध लगाया था, मौजूदा समय में खुले आम शराब की बिक्री हो रही है। तमाम नियमों को दरकिनार करके चौराहों, स्कूलों, मंदिर, बस अड्डों के पास शराब की दुकानों के लाइसेंस दिये गये हैं। इससे संविधान की जो नीति निर्देशक, मौलिक नीति है उसका खुला उल्लंघन हो रहा है। शराब की इस तरह खुली बिक्री से जनता तथा समाज पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। 1 अप्रैल, 1994 से उत्तराखंड क्षेत्र में शराब की जो खुली बिक्री की जा रही है तो उस संबंध में क्या जन-प्रतिनिधियों को विश्वास में लिया गया है। दूसरा प्रश्न यह है कि एक ही व्यक्ति के नाम से टेंडर या नीलामी की गयी है और मंदिर, स्कूल, चौराहों पर शराब की खुली बिक्री की जा रही है। शराब के संबंध में एक गिरोह कायम हो गया है जो नियमों और कानूनों को दरकिनार करके मनमाने दामों पर शराब बेच रहा है क्या इसको नियंत्रित करने के लिये सरकार कोई उपाय करेगी।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

श्रीमन् शराब की दुकानें कहां खोली जा सकती हैं और कहां नहीं इस संबंध में पहले से ही निर्देश और नियम हैं। मंदिर, स्कूल के निकट पहले से ही शराब की दूकानें खोलने के लिये प्रतिबंधित हैं। अगर कहीं पर आपको शिकायत है तो हमारी जानकारी में ले आयें, उसको अलग से दिखवा लिया जायगा। कुछ पहाड़ी जनपदों में इस साल शराब की नीलामी के संबंध में जहां तक जन-प्रतिनिधियों की राय लेने का प्रश्न है तो वहां जन-प्रतिनिधियों की राय पहले भी रही है कि वहां पर जो अनुचित शराब बिक रही है वह बंद हो जाय इससे अच्छा सरकारी दूकानें खोली जायं। इसी का पालन करते हुये दुकानें खोली गयी हैं। फिर भी तमाम तीर्थ स्थान जो हैं वहां मद्य-निषेध पहाड़ी क्षेत्रों में लागू है।

श्री गोविंद सिंह कुंजवाल–

मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि कुमायूं मंडल में शराब की खुली नीलामी की गयी है लेकिन गढ़वाल मंडल को इससे वंचित किया गया है। इससे जो शराब की तस्करी होगी और तस्करी में जो बढ़ोत्तरी होगी उसके लिये सरकार क्या कदम उठा रही है?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

श्रीमन् इन्हीं सब बातों को माननीय सदस्य ने जो कहा है ध्यान में रखते हुए कुछ जनपदों में इस साल नीलामी की व्यवस्था की गयी और भी कोई शिकायत आयेगी, तो सरकार सतर्क दृष्टि रखेगी और इसमें जो भी आप सुझाव देंगे, इसको स्वाभाविक रूप से हम लागू करेंगे।

श्रीमती ज्योत्स्ना श्रीवास्तव–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूँ कि शराब की वे दुकानें जो ठेके पर ली गयी हैं और वे विश्वविद्यालय के बगल में या विश्वविद्यालय के लड़कों के लाज के बगल में या स्कूलों के बगल में खोल दी गयी हैं, क्या उन्हें बन्द कराने की कृपा करेंगे?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

कोई इस प्रकार की स्पेसिफिक जानकारी आपके पास हो, तो लिखकर भिजवा दीजिए, मैं उसको दिखवा लूंगा।

(घोर व्यवधान)

श्री राम विशुन आजाद–

माननीय अध्यक्ष जी, एक सवाल मुझे पूछने दीजिए।

श्री अध्यक्ष–

नहीं, आप बैठें।

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, मैं अनुसूचित जाति का हूं, इसलिए आप मुझे सवाल नहीं पूछने दे रहे हैं।

(घोर व्यवधान)

श्री बची सिंह रावत–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या यह बारहवीं विधान सभा के जो विधायक चुनकर आये हैं, क्या इनमें से किसी की राय मद्य-निषेध करने के लिये ली गयी थी? यदि हाँ, तो कब और किससे? इसके साथ ही मैं माननीय मंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूँ कि रानीखेत नगर में मजार से 200 मीटर की दूरी पर तथा मंदिर से 300 मीटर की दूरी पर सार्वजनिक बस अड्डे पर शराब की दुकानें खोली गयी हैं, क्या माननीय मंत्री जी इन्हें बन्द कराने की कार्यवाही करेंगे?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

नियमों के विरुद्ध अगर कोई दुकान खुली होगी और उसकी जानकारी आप हमको देंगे, तो हम उसको अलग से दिखवा लेंगे।

श्री बची सिंह रावत–

मान्यवर, मेरे पहले प्रश्न का उत्तर नहीं आया है। मान्यवर, उसका उत्तर दिलवाने की कृपा करें।

(घोर व्यवधान)

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, मुझे एक सवाल पूछने की अनुमति दे दीजिए। मुझे आप सवाल करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप बैठें।

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, मुझे एक सवाल पूछने की अनुमति दे दीजिए। आप मुझे बोलने नहीं देते हैं। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप बोलते रहिये, आप बोलते रहिये, मैं नहीं सुनूँगा।

(व्यवधान)

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि विभिन्न अंचलों में महुये की शराब बनायी जाती है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप बोलते रहिये , बोलते रहिये।

(व्यवधान)

अब आप बैठ जाइये। देखिये, सदन इस तरह से नहीं चलेगा।

(व्यवधान)

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

मान्यवर, मेरे क्षेत्र में.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह नहीं, आप बैठें।

जनपद सीतापुर के राजकीय डिग्री कालेज में बी०एस-सी० कक्षायें खोलने की मांग

*14—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय डिग्री कालेज, सीतापुर में बी० एस-सी० कक्षायें खोलने की अनुमति सम्बन्धी सभी औपचारिकतायें पूर्ण हो चुकी हैं? यदि हाँ, तो प्रवेश कब से प्रारम्भ कर दिया जायेगा? अध्यापन कार्य हेतु अध्यापक कालेज में कब तक भेज दिये जायेंगे?

डा० मसूद अहमद–

जी हाँ।

वित्तीय स्वीकृति के तुरन्त बाद।

पद सृजन के आदेश जारी होने के तुरन्त बाद नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर।

श्री अध्यक्ष–

तारांकित प्रश्न संख्या–14 (नत्थी घ) श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी का है, माननीय शिक्षा मंत्री जी उत्तर दे दें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैंने यह जानकारी चाही थी कि राजकीय डिग्री कालेज, सीतापुर में बी०एस-सी० कक्षायें खोलने की अनुमति सम्बन्धी समस्त औपचारिकतायें पूर्ण हो चुकी हैं? माननीय मंत्री जी ने कहा कि, जी हाँ। अब सभी अधिकारियों को नाम भेजना मात्र शेष है। अध्यापक भेजे जाने के बारे में कहा कि पद सृजन के बाद नियुक्ति की जायेगी। मैं जानना चाहता हूं कि जब सभी औपचारिकतायें पूरी हो गयीं हैं, बिल्डिंग बन गयी है, दो फैकल्टीज़ वहां पर हैं, कामर्स के क्लासेज़ चल रहे हैं, प्रधानाचार्य भी है और विज्ञान का सामान भी वहां पहुंच चुका है, यदि तत्काल वहां अध्यापक की व्यवस्था हो जाये तो वहां के लोगों की जो कई वर्षों से मांग थी वह पूरी हो जाये। इसलिये मंत्री जी यह बता दें कि समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करके वहां अध्यापकों को कब तक भेज दिया जायेगा? पद सृजन अगर नहीं करना है तो प्रदेश के अन्य जगहों से कुछ अध्यापकों को स्थानान्तरित करके वहां पर नियुक्त कर दिया जाये और कक्षायें प्रारम्भ हो जायें।

डा० मसूद अहमद–

मान्यवर, 1994-95 के बजट में आवश्यक प्राविधान किया जा रहा है। आय-व्ययक पर अनुदान प्राप्त होने के पश्चात् 4 लाख 25 हजार की स्वीकृति दिये जाने के बाद पद सृजन का आदेश जारी किया जाना सम्भव होगा, तदुपरान्त ही सृजित पदों पर नियुक्तियों की प्रक्रिया प्राथमिकता के आधार पर आरम्भ की जायेगी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

हम आभारी हैं कि मंत्री जी ने सहानुभूतिपूर्वक इस बात को समझा, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि यदि आय-व्ययक में बजटीय प्रावधान नहीं है तो क्या कन्टेन्जेंसी से पैसा लेकर अध्यापकों के पद सृजित करेंगे? मैंने सुझाव दिया कि नये पद सृजन की आवश्यकता नहीं है जो अध्यापक काम कर रहे हैं उन्हीं में कुछ को स्थानान्तरित कर वहां नियुक्त कर दें और यदि पद सृजित करना है तो आप आकस्मिकता निधि से पैसा ले लें।

डा० मसूद अहमद–

मान्यवर, हमारा प्रयास है कि इसी सत्र से चालू कर दिया जाय।

उत्तरांचल के राजकीय विद्यालयों के सेवानिवृत्त अध्यापकों/कर्मचारियों के पेंशन का निस्तारण

*15—श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तरांचल के राजकीय विद्यालयों में अध्यापकों/कर्मचारियों के पेंशन का निस्तारण मण्डल स्तर पर हो रहा है? यदि हां, तो कब से?

क्या उक्त तिथि से सेवानिवृत्त हुए समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों/अध्यापकों के पेंशन के प्रकरण मण्डल स्तर पर निस्तारित हो रहे हैं? यदि हां, तो उक्त तिथि से सेवानिवृत्त अध्यापकों/कर्मचारियों की संख्या क्या है? कितने प्रकरण अब तक निस्तारित हो चुके हैं? शेष प्रकरण कब तक निस्तारित हो जायेंगे?

डा० मसूद अहमद–

जी हां।

दिनांक 1-12-92 से।

जी हां, किन्तु राजपत्रित एवं अधीनस्थ सेवा के अधिकारियों के पेंशन का निस्तारण शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, इलाहाबाद के स्तर पर हो रहा है।

उत्तरांचल के राजकीय विद्यालयों के सेवानिवृत्त अध्यापकों/कर्मचारियों की संख्या 201 है।

83 प्रकरण निस्तारित किये जा चुके हैं तथा 118 प्रकरण शेष हैं।

शेष 118 प्रकरण आपत्ति निस्तारण हेतु लौटाये गये हैं जिनका निस्तारण प्राप्त होते ही शीघ्रता से निस्तारित कर दिया जायेगा।

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

मान्यवर, मेरा मूल प्रश्न यह था कि उत्तरांचल में अध्यापकों की पेंशन का निस्तारण मंडल स्तर पर किया जायेगा। माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह कहा है कि 1-12-1992 से, लेकिन आगे लिख दिया कि राजपत्रित एवं अधीनस्थ सेवा के अधिकारियों के पेंशन का निस्तारण शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद के स्तर पर हो रहा है। तो मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि यह लोग भी शिक्षा से जुड़े हुये हैं तो इनका मामला मंडल स्तर पर क्यों नहीं निस्तारित किया जाता है, इसमें क्या कठिनाई है? जो प्रवक्ता हैं, वह द्वितीय श्रेणी के अधिकारी हैं। अगर सारे प्रकरण इलाहाबाद से तय हो रहे हैं, तो मंडल स्तर से किन मामलों को निस्तारित किया जा रहा है। अगर सभी मामले मंडल स्तर पर निस्तारित हो सकते हैं, तो उनको इलाहाबाद भेजने का क्या मतलब है। माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह बताया है कि उत्तरांचल के राजकीय विद्यालयों के सेवानिवृत्त अध्यापकों/कर्मचारियों की संख्या है, वह 201 है, उनमें से 83 प्रकरण निस्तारित किये जा चुके हैं और 118 प्रकरण अभी भी शेष हैं, तो क्या माननीय मंत्री जी इन शेष प्रकरणों को निस्तारित किये जाने के लिये एक समय सीमा बांधेंगे।

डा० मसूद अहमद–

मान्यवर, यह राजपत्रित अधिकारियों की पेंशन का निवारण इलाहाबाद से किया जा रहा है, यह सही है लेकिन मान्यवर, यह जानना चाहते हैं कि राजपत्रित में कौन लोग आते हैं तो उनकी संख्या बहुत कम है। जहां तक अराजपत्रित अधिकारियों की बात है तो उसमें कहा गया कि 83 का निवारण हो चुका है और 118 बाकी हैं। यह जो मामले बाकी रह गये हैं उसमें अब हमारे स्तर से काम नहीं है उसको आपत्ति निवारण के लिये भेजा गया है, जिस दिन वह कागजात पूरे कर देंगे उनको दे दिया जायेगा और आपकी जानकारी के लिये मैं और स्पष्ट करना

चाहता हूं कि हमारी तरफ से जी० ओ० हो गया है और स्पष्ट निर्देश दिये जा चुके हैं कि वहीं पर जा करके और शिविर लगा करके लोगों के पेंशन सम्बन्धी मामलों का निवारण करें।

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

मान्यवर, यह जो अशासकीय विद्यालयों के सेवानिवृत्त अध्यापक हैं जिनको आज भी पेंशन उपलब्ध नहीं हो पाई है, आज भी वह वहीं विद्यालय समिति के चक्कर लगाते रहते हैं, 6-6 महीने एक-एक वर्ष हो रहे हैं अभी उनको पेंशन उपलब्ध नहीं हो पाई है जो अर्द्धशासकीय विद्यालय थे उनके राजकीय होने के बाद उनसे सेवानिवृत्त होने वाले भी विद्यालय कमेटियों के अधीनस्थ, जब तक वह पूर्ण सहमति नहीं दे देती है तब तक उनको पेंशन नहीं मिलती है। क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि जितने भी अर्द्धशासकीय विद्यालय हैं, प्राइवेट विद्यालय हैं उनसे जो सेवानिवृत्त होते हैं उनको पेंशन कोषागार से उपलब्ध करायेंगे?

डा० मसूद अहमद–

मान्यवर, यह जो आपका प्रश्न है इसमें आपने सिर्फ अर्द्धशासकीय विद्यालयों के संवर्ग से संबंधित बात कही है आपका इससे सम्बन्ध नहीं है फिर भी आप इसमें जानना चाहते हैं तो इसमें नियमानुसार कार्यवाही होगी।

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

मान्यवर, शायद माननीय मंत्री जी समझ नहीं पाये। मैंने पूछा है कि जो राजकीय सेवा से निवृत्त हुए हैं।

श्री अध्यक्ष–

उत्तर आ जायेगा, आप बैठें।

माननीय मंत्री जी आपका कहना है और शिक्षक संघ से भी बहुत दिनों से मांगें चली आ रही हैं कि माध्यमिक शिक्षक जितने भी हैं उनकी पेंशन का भुगतान क्या ट्रेजरी से करवाने के लिये कोई व्यवस्था कर रहे हैं या करेंगे उनकी स्थितियों को देखते हुए, आपकी मंशा यही है?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, माननीय सदस्य और आपकी भावना को देखते हुए इसमें हर सम्भव शीघ्रता लाने का प्रयास सरकार करेगी।

*16—श्री बाबू खां तथा श्री मित्रसेन यादव–

[दि० 7-3-94 को अल्प० सू० ता० प्र० सं०–2 द्वारा उत्तरित]

प्राइमरी शिक्षकों को राजकीय शिक्षक घोषित करने की मांग

*17—श्री हरक सिंह रावत (अनुपस्थित)–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राइमरी शिक्षकों को राजकीय शिक्षक घोषित किया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

डा० मसूद अहमद–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उ०प्र० बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत गठित उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद्, द्वारा संचालित विद्यालयों के शिक्षकों को सरकारी शिक्षक घोषित करने का प्रश्न ही नहीं है।

जनपद मुरादाबाद के गजरौला स्थित बाम केमिकल फैक्ट्री में शुद्धिकरण संयंत्र की स्थापना

*18—श्री प्रीतम सिंह (मुरादाबाद) (अनुपस्थित)–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि बाम केमिकल फैक्ट्री, गजरौला, जनपद मुरादाबाद का गन्दा तथा विषैला पानी बंगद नदी में जाता है? क्या उक्त नदी से पशुओं तथा मनुष्यों को अपार धन-जन की हानि हो रही है? क्या उक्त फैक्ट्री ने नदी पर पुल तथा हेल्थ सेन्टर बनवाने की घोषणा की थी? क्या अभी तक कोई पुल तथा हेल्थ सेन्टर बनवाया गया है? क्या सरकार ने जनहित में फैक्ट्री के खिलाफ कार्यवाही करने की कोई योजना बनायी है? क्या उक्त नदी पर पुल तथा हेल्थ सेन्टर बनवाने का निर्देश सरकार देगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव–

मै० वाम आर्गेनिक्स कैमिकल्स लिमिटेड गजरौला द्वारा यद्यपि उत्प्रवाह शुद्धिकरण हेतु प्रथम एवं द्वितीय चरण शुद्धिकरण संयंत्र की स्थापना की गयी है एवं उत्प्रवाह का निस्तारण शुद्धिकरण के उपरान्त बंगद नदी में किया जाता है, परन्तु उत्प्रवाह बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप शुद्धिकृत नहीं है।

जी नहीं।

जी हाँ।

जी हाँ।

मा० सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित रिट याचिका संख्या–3727/85 एम०सी० मेहता बनाम भारत सरकार एवं अन्य में मा० न्यायालय द्वारा औद्योगिक इकाई को बोर्ड के निर्धारित मानक प्राप्त करने हेतु 30-11-93 तक का समय दिया गया था। मा० न्यायालय द्वारा दिनांक 28-1-94 को पुनः इकाई को उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र में उचित संशोधन करने हेतु जिससे उद्योग द्वारा निस्तारित मानकों के अनुरूप हो, बारह सप्ताह का समय दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

लागू नहीं।

*19—श्री ऊदल–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।

जनपद बस्ती में महानगर के अन्तर्गत चौपला में उपरिगामी सेतु बनाने की मांग

* 20—कु० सर्वराज सिंह (अनुपस्थित)—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में महानगर के अन्तर्गत चौपला में ओवरहेड ब्रिज बनाने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो उसके कार्यान्वयन में विलम्ब का क्या कारण है? क्या यह सही है कि उक्त ब्रिज का निर्माण न होने से स्थानीय जनता को यातायात में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? यदि हां, तो नागरिकों की कठिनाई को देखते हुए क्या उक्त ब्रिज का निर्माण सरकार प्राथमिकता के आधार पर करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हाँ।

प्रदेश के रेलवे सम्पारों पर उपरिगामी सेतुओं के निर्माण हेतु बनाई गयी वरीयता सूची में प्रश्नगत सम्पार संख्या 358 स्पेशल वरीयता क्रम में 23 पर आता है तथा इससे उच्च वरीयता क्रम पर आने वाले सम्पारों, जहां पर अधिक यातायात है, पर अभी उपरिगामी सेतुओं का निर्माण होना शेष है।

प्रश्न नहीं उठता। इससे उच्च वरीयता क्रम वाले सेतुओं का निर्माण किया जाना शेष है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं।

श्री नरेश अग्रवाल—

मान्यवर, उपाध्याय जी आ गये हैं इनका नत्थी "घ" का तारांकित प्रश्न संख्या–2 है, उसे ले लें।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न का उत्तर आ गया है, अब आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब प्रश्न प्रहर समाप्त हुआ।

अतारांकित प्रश्न

जनपद जौनपुर में वित्त विहीन मान्यता प्राप्त संस्थाओं में अंशकालिक शिक्षक एवं कर्मचारियों के वेतन वितरण का दायित्व शासन द्वारा लिए जाने की मांग

1—श्री नरेन्द्र सिंह (मैनपुरी)—

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर में कितने विद्यालयों को वित्त विहीन मान्यता प्राप्त है तथा इन वित्त विहीन मान्यता प्राप्त संस्थाओं में कुल कितने अंशकालिक शिक्षक एवं कर्मचारी कार्यरत हैं? क्या इन अंशकालिक शिक्षकों एवं कर्मचारियों के वेतन वितरण का भी दायित्व शासन निकट भविष्य में लेगा। यदि नहीं, तो क्यों?

नोट :—तारांकित प्रश्न संख्या 4 के उपरान्त 12 बजकर 20 मिनट पर प्रश्नों का समय समाप्त हो गया।

डा० मसूद अहमद—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जी नहीं।

ऐसे विद्यालयों को वर्तमान में अनुदान सूची पर लिये जाने की शासन की नीति नहीं है।

बुन्देलखण्ड विकास निधि के अन्तर्गत जनपदवार आवंटित धनराशि का विवरण

2—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या नियोजन मंत्री कृपया बतायेंगे कि बुन्देलखण्ड विकास निधि के बारे में वित्तीय वर्ष 1992-93 तथा 1993-94 के लिये ज़िलावार उक्त तिथि में कितना-कितना धन आवंटित किया गया था? 15 जनवरी, 1994 तक कितने-कितने धनराशि की स्वीकृतियां जारी की जा चुकी हैं? यदि नहीं जारी की गयीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव—

बुन्देलखण्ड विकास निधि के अन्तर्गत वर्ष 1992-93 एवं 1993-94 में जिलावार धनराशि का आवंटन निम्नवत् किया गया था :—

जनपद	आवंटित धनराशि (लाख रु०)	
	1992-93	1993-94
1. बांदा	170.00	228.58
2. हमीरपुर	147.67	190.48
3. झांसी	113.33	152.38
4. जालौन (उरई)	113.33	152.38
5. ललितपुर	80.00	76.18
योग—	618.33	800.00

वित्तीय वर्ष 1992-93 का वर्ष समाप्त होने तक जारी की गई स्वीकृतियों का जनपदवार विवरण निम्नवत् है :—

जनपद	धनराशि (लाख रु०)
1. बांदा	344.420
2. हमीरपुर	141.670
3. झांसी	163.330
4. जालौन (उरई)	113.330
5. ललितपुर	110.018
योग—	872.768

वर्ष 1993-94 की 15 जनवरी तक निम्नलिखित जनपदों के समक्ष अंकित धनराशि की स्वीकृतियां जारी की जा चुकी हैं :—

जनपद	धनराशि (लाख रुपये में)
1. बांदा	71.190
2. हमीरपुर	93.265
3. झांसी	116.190
4. जालौन	76.190
5. ललितपुर	33.000
योग—	389.835

शेष स्वीकृतियां इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक जारी कर दी जायेंगी।

पूर्वांचल विकास निधि के अन्तर्गत जनपदवार आवंटित धनराशि का विवरण

3—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या नियोजन मंत्री कृपया बतायेंगे कि पूर्वांचल विकास निधि के बारे में वित्तीय वर्ष 1992-93 तथा 1993-94 के लिये जिलावार उक्त निधि में कितना-कितना धन आवंटित किया गया था? यदि नहीं, तो क्यों? 15 जनवरी, 1994 तक कितने-कितने धनराशि की स्वीकृतियां जारी की जा चुकी हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव—

पूर्वांचल विकास निधि के अन्तर्गत वर्ष 1992-93 एवं 1993-94 में जिलावार धनराशि का आवंटन निम्नवत् किया गया था :—

जनपद	आवंटित धनराशि (लाख रु०)	
	1992-93	1993-94
1	2	3
1. वाराणसी	215.50	293.37
2. गाज़ीपुर	115.75	158.32
3. बलिया	119.00	162.76
4. जौनपुर	157.25	215.07
5. सोनभद्र	80.00	109.47
6. मिर्ज़ापुर	80.00	109.47
7. गोरखपुर	147.50	193.53

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1		2	3
8.	महराजगंज	93.50	127.88
9.	बस्ती	134.65	184.17
10.	सिद्धार्थनगर	85.60	117.08
11.	देवरिया	204.50	279.70
12.	आज़मगढ़	156.50	214.04
13.	मऊ	80.00	109.47
14.	इलाहाबाद	220.25	301.10
15.	प्रतापगढ़	110.00	150.45
16.	फैजाबाद	141.50	193.53
17.	सुल्तानपुर	125.75	171.99
18.	गोंडा	173.00	236.61
19.	बहराइच	125.75	171.99
	योग–	2559.00	3500.00

प्रश्न नहीं उठता।

वित्तीय वर्ष 1992-93 का वर्ष समाप्त होने तक जारी की गई स्वीकृतियों का जनपदवार विवरण निम्नवत् है :–

	जनपद	धनराशि (लाख रु०)
1.	वाराणसी	161.23
2.	ग़ाज़ीपुर	110.40
3.	बलिया	118.07
4.	जौनपुर	157.25
5.	सोनभद्र	77.57
6.	मिर्ज़ापुर	80.00
7.	गोरखपुर	141.500
8.	महराजगंज	93.500
9.	बस्ती	117.637
10.	सिद्धार्थनगर	85.60
11.	देवरिया	204.50
12.	आज़मगढ़	141.10

उत्तर प्रदेश विधान सभा

	जनपद	धनराशि (लाख रु०)
13.	मऊ	155.553
14.	इलाहाबाद	206.55
15.	प्रतापगढ़	132.70
16.	फैजाबाद	190.53
17.	सुल्तानपुर	160.75
18.	गोण्डा	157.779
19.	बहराइच	125.75
	योग—	2617.969

वर्ष 1993-94 में 15 जनवरी, 1994 तक निम्नलिखित जनपदों के समक्ष अंकित धनराशि की स्वीकृतियाँ जारी की जा चुकी हैं :—

	जनपद	धनराशि (लाख रु०)
1.	वाराणसी	125.739
2.	जौनपुर	92.17
3.	मिर्ज़ापुर	46.95
4.	गोरखपुर	82.94
5.	सिद्धार्थनगर	73.793
6.	महराजगंज	54.80
7.	देवरिया	147.84
8.	आजमगढ़	86.93
9.	प्रतापगढ़	117.055
10.	फैजाबाद	82.94
11.	सुल्तानपुर	58.97
12.	गोण्डा	101.40
13.	बहराइच	73.638
	योग—	1145.165

शेष जनपदों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुये हैं, तथा प्रस्ताव प्राप्त करके इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक स्वीकृतियाँ जारी कर दी जायेंगी।

4—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

। विभिन्न विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

5—श्री लाल मणि प्रसाद—

। विभिन्न विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त ।

सहकारी गन्ना समिति उ०प्र० में बचत निरीक्षक श्री राकेश कुमार मिश्र की वैध नियुक्ति

6—श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अ० शा० पत्र सं० कम्प्यू० सेल / दिनांक 23-9-93, संयुक्त गन्ना आयुक्त (मार्केटिंग) को प्राप्त कराया गया है? यदि हां, तो इस पत्र के क्रमांक 95 पर अंकित संदर्भ का विस्तृत विवरण क्या है और इस विषय में अब तक संबंधित अधिकारी द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या अब कार्यवाही की जायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हाँ।

गन्ना आयुक्त / निबन्धक, सहकारी गन्ना समिति, उ०प्र० के आदेश सं० 290-92/रा०ब०, दिनांक 1-8-91 जो पूर्व आदेश सं० 61-63/रा०ब० दिनाँक 14-7-87 को पुनर्स्थापित करने के सम्बन्ध में है, के विरुद्ध शिकायत है। शिकायत की जाँच कराई गयी तथा जाँच में यह पाया गया कि श्री राकेश कुमार मिश्र, बचत निरीक्षक की नियुक्ति का आदेश सं० 290-92/रा०ब०, दिनांक 1-8-91 वैध है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता है।

गन्ना विभाग में कार्यरत श्री जमीर अली द्वारा फर्जी यात्रा भत्ता प्राप्त करने सम्बन्धी प्रकरण न्यायालयाधीन

7—श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व विधायक का शिकायती-पत्र सं० ख 075303, दिनांक 29-4-92 जो गन्ना संघ के आदेश सं० 360/सी/कैम्प, दिनांक 3-9-91 के संबंध में था, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उक्त पत्र के संबंध में विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों? उक्त आदेश किन नियमों /शासनादेश के आधार पर संवैधानिक है? क्या इस असंवैधानिक आदेश को निरस्त करते हुए अतिरिक्त भुगतान धन की सम्बन्धित व्यक्ति से वसूली करते हुए, प्रकरण में लिप्त कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्यवाही की जायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हाँ।

प्रश्नगत पत्र में यह शिकायत की गयी है कि श्री जमीर अली द्वारा फर्जी यात्रा भत्ता प्राप्त करने का मामला न्यायालय में लम्बित होते हुए भी गन्ना संघ के आदेश संख्या-360/सी/कैम्प, दिनांक 3-9-91 के द्वारा श्री जमीर अली की पदोन्नति कर दी गयी। वास्तव में तथ्य यह है कि फर्जी यात्रा भत्ता प्राप्त करने के प्रकरण पर गुण-अवगुण के आधार पर विचारोपरान्त राज्य गन्ना सेवा प्राधिकरण ने अपने आदेश दिनांक 28-1-88 द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही को बलहीन पाते हुए समाप्त करने का निर्णय इस प्रतिबन्ध के साथ लिया गया कि यदि पुलिस जाँच के आधार पर इनके विरुद्ध कोई अभियोग बनता है तो तद्नुसार कार्यवाही की जायेगी। चूँकि श्री जमीर अली के विरुद्ध न्यायालय द्वारा कोई निर्णय अभी तक नहीं दिया गया है, अतः आदेश सं० 360/सी/कैम्प, दिनांक 3-9-91 के अंतर्गत राज्य गन्ना सेवा प्राधिकरण ने श्री जमीर अली को पदोन्नति करने का निर्णय लिया।

प्रश्न ही नहीं उठता।

वर्तमान नियमों के अन्तर्गत राज्य गन्ना सेवा प्राधिकरण प्रश्नगत आदेश करने हेतु सक्षम है।

वर्तमान समय में शेष का प्रश्न ही नहीं उठता। भविष्य में यदि पुलिस जाँच के आधार पर अथवा न्यायालय द्वारा कोई प्रतिकूल निर्णय दिया जाता है तो तत्पश्चात नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

8—श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि गन्ना संघ के पत्रांक 360/सी/कैम्प, दिनांक 3-9-91 के क्रमांक 9 पर अंकित कर्मचारी के विरुद्ध चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, लखनऊ के कोर्ट में वाद सं० 710/86 चल रहा है? यदि हां, तो क्या उक्त कर्मचारी की पदोन्नति हेतु पात्रता निर्धारण के लिये प्रशासकीय खण्ड से सकारात्मक टिप्पणी प्राप्त हुई थी? यदि हां, तो किस आधार पर ? यदि नहीं, तो पदोन्नति का आधार/औचित्य क्या है? क्या इस आदेश को निरस्त कर विधिक कार्यवाही की जायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हाँ।

जी नहीं। प्रशासकीय खण्ड की टिप्पणी किसी कर्मचारी की पदोन्नति हेतु वांछित नहीं है।

कर्मचारी की ज्येष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर राज्य गन्ना सेवा प्राधिकरण द्वारा पदोन्नति की जाती है।चूंकि अभी तक सम्बन्धित कर्मचारी के विरुद्ध पुलिस रिपोर्ट/मा० न्यायालय द्वारा ऐसा कोई आदेश पारित नहीं हुआ है जिससे उनके सेवाकाल में कोई व्यवधान उत्पन्न हो। उपर्युक्त पृष्ठभूमि के अन्तर्गत ही प्रश्नगत आदेश के क्रमांक-9 पर अंकित श्री जमीर अली की पदोन्नति, राज्य गन्ना सेवा प्राधिकरण द्वारा की गयी । चूंकि प्रश्नगत आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार जारी किया गया है अतः निरस्त किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

जब तक कि मा० न्यायालय के आदेश अन्यथा न हो उपर्युक्तानुसार शेष का प्रश्न नहीं उठता।

प्राविधिक शिक्षा विभाग की राजपत्रित रिक्तियों को पदोन्नति द्वारा भरे जाने की मांग

9—श्री राम करन आर्य–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राविधिक शिक्षा विभाग की वर्ष 1991-92 की पदोन्नति द्वारा भरी जाने वाली राजपत्रित रिक्तियों को भर दिया गया है? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्या शासन इन रिक्तियों को वर्ष 1990-91 की भाँति भरने का आदेश करेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव–

वर्ष 1991-92 की पदोन्नति द्वारा निम्नांकित राजपत्रित रिक्तियां भर दी गयी हैं:-

पद नाम	पद संख्या	शासनादेश की तिथि
संयुक्त निदेशक	एक	11.8.92
अध्यक्ष, यांत्रिक	सात	20.5.93
अध्यक्ष, सिविल	ग्यारह	20.5.93
अध्यक्ष, विद्युत	एक	20.5.93
अध्यक्ष, इलेक्ट्रा०	तीन	20.5.93

वर्ष 1990-91 तथा वर्ष 1991-92 की पदोन्नति की रिक्तियां एक ही नियम के अधीन भरी गयी हैं। शेष कतिपय पदों को भरने की कार्यवाही उ०प्र० प्राविधिक शिक्षा राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली, 1990 के अनुसार की जायगी।

प्रबन्ध निदेशक गन्ना संघ द्वारा बरती गयी अनियमितताओं के सम्बन्ध में कतिपय विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित शिकायती पत्र एवं कार्यवाही

10—श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधायक सर्वश्री हरदेव सिंह, राधेश्याम वर्मा, अनिल कुमार वर्मा तथा रामपाल वर्मा का संयुक्त हस्ताक्षरित शिकायती-पत्र दिनांक 2-1-94 जो प्रबन्ध निदेशक, गन्ना संघ द्वारा बरती गयी अनियमितताओं के संबंध में है, समस्त संलग्नकों सहित प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों? क्या अब कार्यवाही की जायेगी? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हाँ।

प्रश्न में उल्लिखित शिकायती-पत्रों पर गन्ना आयुक्त से जाँच करायी गयी। जाँच आख्या प्राप्त हो गयी है। उपर्युक्तानुसार इसका प्रश्न नहीं उठता।

जाँच आख्या पर परीक्षणोपरान्त नियमानुसार शीघ्र निर्णय लिया जायेगा। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

प्रबन्ध निदेशक गन्ना संघ द्वारा आदेशों के विरुद्ध डी०ए०पी०के आपूर्ति आदेश दिये जाने पर कार्यवाही किये जाने की मांग

11—श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निबन्धक, सहकारी समितिया, उ०प्र० के पत्र दिनांक 16.11.92 द्वारा आई० पी० एल० की डी०ए०पी० उर्वरक क्रय न करने के आदेश दिये गये थे? यदि हां, तो क्या प्रबन्ध निदेशक, गन्ना संघ द्वारा आदेशों के विरुद्ध डी०ए०पी० के आपूर्ति आदेश दिये गये हैं? यदि हां, तो कुल कितनी मात्रा क्रय की गयी तथा उसका मूल्य कितना है और इसके क्रय करने का औचित्य क्या है? क्या इस परिप्रेक्ष्य में सम्बन्धित के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रश्नगत पत्र सहकारी गन्ना समिति संघ लि०, लखनऊ में प्राप्त नहीं हुआ है। इस सम्बन्ध में उ०प्र० सहकारी संघ लि० ने भी सूचित किया है कि वर्ष-92 में निबन्धक सहकारी समितियाँ उ०प्र० के द्वारा आई० पी०एल०की डी०ए०पी० उर्वरक न क्रय करने के सन्दर्भ में दिनांक 16.11.92 पत्र प्राप्त नहीं हुआ।

जी नहीं।

निबन्धक, सहकारी समितियाँ उ०प्र० के पत्रांक सी/153/उर्वरक, दिनांक 14.10.92 के अनुसार डी०ए०पी०के आपूर्ति आदेश दिये गये।

कुल क्रय की गयी मात्रा 10.120 मै० टन है और उसका मूल्य रुपये 8.28 करोड़ है। जहाँ तक उक्त के औचित्य का प्रश्न है यह क्रय प्रदेश की सहकारी गन्ना समितियों द्वारा की गयी माँग पर आधारित है।

उपरोक्त पृष्ठभूमि में वर्तमान में कोई कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं है।

जनपद बस्ती के हीरालाल रामनिवास इण्टर कालेज, खलीलाबाद के छात्रों को छात्र-वृत्ति भुगतान किये जाने की मांग

12—श्री लालमणि प्रसाद–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के हीरालाल रामनिवास इण्टर कालेज, खलीलाबाद के कक्षा 6 से आठ तक के अनुसूचित जाति/पिछड़ी जाति के छात्रों को

छात्रवृत्ति 1992-93 की अब तक वितरित न किये जाने का क्या कारण है? कब तक वहां के छात्रों को छात्रवृत्ति वर्ष 1992-93 का भुगतान कराया जायेगा?

डा० मसूद अहमद–

प्रश्नगत कालेज के वर्ष 1992-93 में कक्षा 6-8 तक अनुसूचित जाति के कुल 24 छात्रों तथा पिछड़ी जाति के कुल 8 छात्रों को छात्रवृत्ति स्वीकृति होनी थी जिसमें से अनुसूचित जाति के पांच तथा पिछड़ी जाति के 3 छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा चुका है। अनुसूचित जाति के शेष 19 तथा पिछड़ी जाति के शेष 5 छात्रों के आवेदन-पत्र न प्राप्त होने तथा खाता न खोले जाने के कारण छात्रवृत्ति वितरित नहीं की जा सकी।

सम्बन्धित छात्रों से आवेदन-पत्र प्राप्त कर तथा उनके खाते खोलवाकर छात्रवृत्ति भुगतान की कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित कराने हेतु विद्यालय के प्रधानाचार्य तथा जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देश दे दिये गये हैं।

जनपद बाराबंकी के हैदरगढ़ क्षेत्र में दहिला शिवनामा पोखरा मार्ग पर डामर डलवा कर निर्माण कार्य कराये जाने की मांग

13—श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जनपद के हैदरगढ़ क्षेत्र में दहिला शिवनामा पोखरा मार्ग पर डामर डलवाकर निर्माण कार्य करवाया जाना शासन से प्रस्तावित है? यदि हां, तो कब तक निर्माण कार्य प्रारम्भ होगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण।

14—श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

(दि० 7.3.94 को अता० प्र०सं०-141 द्वारा उत्तरित)

जनपद देहरादून के चकराता निर्वाचन क्षेत्र के साहियां व चकराता निर्माण खण्डों में बिना निविदा आमंत्रित कराये निर्माण कार्य किये जाने के कारण

15—श्री प्रीतम सिंह (देहरादून)–

क्या लोक निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि जनपद देहरादून के चकराता निर्वाचन क्षेत्र के साहियां व चकराता अस्थाई निर्माण खण्डों में निर्माण कार्य बिना निविदायें आमंत्रित किये ही कराये जाते हैं? यदि हां तो क्यों?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

यह कहना सही है कि विशेष परिस्थितियों में जैसे निविदायें न प्राप्त होने अथवा ऊँची दर पर प्राप्त होने, वर्षा के कारण यातायात हेतु मार्ग के शीघ्र खोलने, विभाग द्वारा ही स्वयं कार्य कराने आदि कुछ अपरिहार्य एवं अतिआवश्यक कार्य जनहित में निविदायें प्राप्त किये बिना ही लोक निर्माण विभाग द्वारा कराये जाते हैं।

उ०प्र० सहकारी गन्ना समिति संघ के प्रबन्ध निदेशक, श्री राम मिलन सिंह को स्थानान्तरण अन्यत्र किये जाने की मांग

16—श्री राम आसरे वर्मा तथा श्री राकेश सचान–

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ०प्र० सहकारी गन्ना समिति संघ के प्रबन्ध निदेशक, श्री राम मिलन सिंह के विरुद्ध हुई सतर्कता विभाग की तीन गोपनीय प्रारम्भिक जांचों की रिपोर्टों को ध्यान में रखते हुए तत्काल इनका स्थानान्तरण अन्यत्र करके खुली सतर्कता जांच कराने का आदेश शासन प्रदान करेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव–

उ०प्र० सहकारी गन्ना समिति संघ लि०, लखनऊ के प्रबन्ध निदेशक, श्री राम मिलन सिंह के विरुद्ध सतर्कता विभाग से कोई गोपनीय प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता।

गन्ना विभाग के अन्तर्गत गन्ना समितियों को कीट नाशक दवा के वितरण को रोकने के निर्देश

17—श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वनस्पति रक्षा संगरोध और संग्रह निदेशालय, कृषि मंत्रालय भारत सरकार के पत्र सं० 6-7/93-सी आई आर-11, दिनांक 7.6.93 जो गन्ना विभाग द्वारा अनियमित रूप से क्रय की गयी कीटनाशक दवा से संबंधित था, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है तथा क्या गन्ना समितियों को आपूर्तित कीटनाशक में से अवशेष मात्रा को सम्बन्धित फर्म द्वारा शत-प्रतिशत वापस ले ली गयी है? यदि हां, तो किन-किन गन्ना समितियों से कब तथा कितनी? यदि नहीं, तो क्यों? क्या अब इसकी वापसी सुनिश्चित की जायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? इस अनियमित कीटनाशक के क्रय के लिये कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार है? क्या उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां, संदर्भित पत्र प्राप्त हुआ था। कृषि रक्षा सलाहकार भारत सरकार ने उक्त पत्र द्वारा कृषि निदेशक उ०प्र० एवं गन्ना आयुक्त, उ०प्र० को अवगत कराया था कि बिजनौर जनपद के कतिपय कृषकों द्वारा की गयी शिकायत पर केन्द्रीय टीम द्वारा दवा में प्रयुक्त तत्वों की जांच की गयी, जिसमें प्रयुक्त नवीन तत्वों का पंजियन केन्द्रीय कीटनाशक परिषद् द्वारा फर्म ने प्राप्त नहीं की है, जिसके कारण भारत सरकार द्वारा यह अपेक्षा की गयी कि लिन्डेन 6 प्रतिशत ग्रेन्यूल ने नवीन उत्पाद का वितरण तुरन्त रोक दिया जाय। तद्नुसार गन्ना समितियों को वितरण रोकने हेतु निर्देश दे दिया गया।

जी नहीं। माल वापस उठाने के सम्बन्ध में गन्ना आयुक्त, प्रबंध निदेशक, गन्ना संघ एवं गन्ना विकास समितियों, द्वारा फर्म को सूचित किया गया, परन्तु अभी तक फर्म ने विवादित दवा को वापस नहीं उठाया है। भारत सरकार की केन्द्रीय कीटनाशी परिषद् एवं पंजीयन समिति से नवीन उत्पाद में प्रयुक्त किये गये तत्वों (कम्पोजीशन) की मान्यता फर्म को दिये जाने के उपरान्त ही दवा की बायोफिकेशी की जांच करायी जायेगी, जिससे प्राप्त परिणामों के आधार पर ही दवा के प्रयोग/वापसी पर अन्तिम रूप से निर्णय लेना संभव हो सकेगा।

कीटनाशक क्रय समिति के सदस्यों द्वारा क्रय के सम्बन्ध में अपनायी गयी नीति में कोई अनियमितता नहीं की गयी है। अतः उनके विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं है।

सेतु निगम में लोक निर्माण विभाग के प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारियों द्वारा चिकित्सा प्रतिपूर्ति का दोहरा लाभ न लिया जाना

18—श्री बी०आर० वर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सेतु निगम में लोक निर्माण विभाग के प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारी शासन से निःशुल्क चिकित्सा प्रतिपूर्ति सुविधा अनुमन्य होने पर भी, सेतु निगम से एक माह का मूल वेतन चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रूप में प्राप्त कर दोहरा लाभ प्राप्त कर रहे हैं? क्या सेतु निगम में कतिपय कार्या० सहायकों के आश्रितों के टी० बी० संबंधित विशेष चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों का भुगतान विगत वर्षों में किया गया है? यदि हां, तो इसी प्रकार के क्या किसी अन्य दावे पर आपत्ति की गयी है?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

सेतु निगम में लोक निर्माण विभाग के प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारी का ऐसा कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है जिसमें अधिकारी द्वारा शासन से निःशुल्क चिकित्सा सुविधा अनुमन्य होने के बावजूद भी चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्राप्त की गई हो, अतः दोहरे लाभ का प्रश्न नहीं उत्पन्न होता है।

जी, हां। कतिपय प्रकरणों में पुराने टी०बी० रोग पर व्यय की प्रतिपूर्ति संबंधी मामलों में चिकित्सक के परामर्श के आधार पर अस्पताल में भर्ती होने की दशा में गुणावगुण के आधार पर तथा अध्यक्ष, सेतु निगम के अनुमोदन के उपरान्त भुगतान किया गया है।

जी, हां। कतिपय कार्यालय सहायकों के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति संबंधी दावे, जो प्रचलित आदेशों के परिप्रेक्ष्य में तथा गुणावगुण के आधार पर अनुपयुक्त पाये गये, को अस्वीकृत कर दिया गया है।

सेतु निगम के संयुक्त सचिव श्री के०सी० मिश्रा, का मितव्ययता विषयक प्रबन्ध निदेशक, सेतु निगम को प्रेषित पत्र एवं उस पर कार्यवाही

19—श्री बी० आर० वर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सेतु निगम वर्तमान में कितने रुपये की हानि में है? क्या सेतु निगम में मितव्ययता की दृष्टि से श्री के०सी० मिश्रा, संयुक्त सचिव,

लो० नि० अनु० 1 का पात्रांक 6320 सी/23 लो० नि० अनु० 1, 267 सी-90, दिनांक 17-12-93 प्रबन्ध निदेशक, सेतु निगम को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो प्रबन्ध निदेशक सेतु निगम इसे निर्गमित कर निगम में लागू न किये जाने का क्या कारण है?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

वर्ष 1992-93 तक राज्य सेतु निगम कुल रु० 14.27 करोड़ की संचित हानि में है।

जी हां। इसे लागू करने के सम्बन्ध में निर्णय लेने हेतु निदेशक मण्डल की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

गन्ना संघ तथा गन्ना संघ प्रेस की सेवा नियमावली में भिन्नता

20—श्री अनिल कुमार वर्मा–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना संघ तथा गन्ना संघ प्रेस की सेवा नियमावलियां एक ही हैं अथवा भिन्न हैं? यदि भिन्न हैं तो क्या प्रेस के कर्मचारी की सेवायें गन्ना संघ में संविलीन की जा सकती है? यदि हां, तो किस आधार पर? यदि नहीं तो आदेश सं० क–1/स्था०-7-9, दि० 1-4-92 को जारी करने का आधार क्या है? क्या अब इस असंवैधानिक आदेश को निरस्त किया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव–

गन्ना संघ तथा गन्ना संघ प्रेस की सेवा नियमावलियां भिन्न हैं।

जी हां।

गन्ना संघ में पद की उपलब्धता के विपरीत गन्ना संघ प्रेस के कर्मचारी द्वारा अनुरोध किये जाने पर उसकी उपयुक्तता को देखते हुए गन्ना संघ की सेवा में संविलीनीकरण किया जा सकता है।

श्री तरुण कुमार भटनागर द्वारा संविलीनीकरण के संबंध में दिये गये प्रत्यावेदन/प्रार्थना-पत्र के अतिरिक्त उपर्युक्त आधारों को दृष्टिगत रखते हुए आदेश सं०-क-1/स्था०-7-9, दिनांक 1-4-92 जारी किया गया।

चूंकि प्रश्नगत आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है अतः उसे निरस्त किये जाने का प्रश्न नहीं है।

उपर्युक्तानुसार शेष का प्रश्न नहीं उठता।

सचिव, गन्ना विकास विभाग, उ०प्र० शासन को सम्बोधित विधायक श्री हरदेव सिंह का श्री राकेश कुमार मिश्र, बचत निरीक्षक की नियुक्ति सम्बन्धी पत्र पर कृत कार्यवाही

21—श्री अनिल कुमार वर्मा–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आदेश सं० 290-92/रा०व०, दिनांक 1-8-91 के विरुद्ध सचिव, गन्ना विकास विभाग, उ० प्र० शासन को सम्बोधित विधायक श्री हरदेव सिंह का शिकायती-पत्र दिनांक 4-1-94 प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इस क्रम में अब तक

क्या कार्यवाही की गयी है? क्या इस असंवैधानिक आदेश को निरस्त किया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां।

मा० विधायक श्री हरदेव सिंह के पत्र दिनांक 4-1-94 के साथ संलग्न मा० विधायक श्री हरिवंश सहाय के शिकायती-पत्र दिनांक 25-11-92 की जांच करायी गयी तथा जांच में यह पाया गया कि श्री राकेश कुमार मिश्र, बचत निरीक्षक की नियुक्ति का आदेश सं०–290–92/रा०ब०, दिनांक 1-8-91 वैध है।

उपर्युक्तानुसार शेष का प्रश्न नहीं उठता।

22—श्री तीरथ राज–

[दि० 7-3-94 को अता० प्र० सं०–80 द्वारा उत्तरित।

जनपद एटा में गांव कबीरपुर व दुदैरा के बीच काली नदी पर स्टेट सेक्टर से स्वीकृत पुल के निर्माण की मांग

23—श्री सूरज सिंह शाक्य–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद एटा में गांव कबीरपुर व दुदैरा के बीच काली नदी पर पुल का निर्माण वर्ष 1991-92 में स्टेट सेक्टर से स्वीकृत हुआ था? यदि हां, तो कब से इसका निर्माण कार्य प्रारम्भ हो जायेगा?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जनपद एटा में प्रश्नगत सेतु बागवाला सिढपुरा मार्ग के कि०मी०–7 में काली नदी पर पाण्टून पुल के नाम से निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 1992-93 में राज्य सेक्टर के अन्तर्गत स्वीकृत हुआ था।

विषयगत सेतु का निर्माण कार्य पुल के प्रान्तीयकरण के उपरान्त ही प्रारम्भ कराया जाना संभव होगा।

जनपद एटा में बकावली से अमापुर तक स्टेट सेक्टर से स्वीकृत सड़क के निर्माण की मांग

24—श्री सूरज सिंह शाक्य–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद एटा में बकावली से मगथरा, शाहपुर जारई होती हुई अमापुर तक की सड़क स्टेट सेक्टर से वर्ष 1991-92 में स्वीकृत हुई थी? यदि हां, तो इस सड़क का निर्माण कब तक पूरा हो जायेगा? यदि नहीं तो क्यों?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद एटा में कस्बा मोहनपुर से सिढ़पुरा तक खराब सड़क की मरम्मत किये जाने की मांग

25—श्री सूरज सिंह शाक्य–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद एटा में कस्बा मोहनपुर से सिढ़पुरा तक की सड़क बहुत खराब स्थिति में है? क्या इसकी मरम्मत की कोई योजना शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो कब तक इसकी मरम्मत की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

प्रश्नगत मार्ग का निर्माण वर्ष 1984 में सोलिंग स्तर तक किया गया था। मार्ग पर लेपन के कार्य की स्वीकृति न हो पाने के कारण सामान्य रख-रखाव के बावजूद वर्तमान में मार्ग की सतह की दशा अच्छी नहीं कही जा सकती।

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

सीमित संसाधनों के कारण मरम्मत कराया जाना सम्प्रति संभव नहीं है।

जनपद कानपुर (देहात) के लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत प्रशासनिक भवन के निर्माण से सम्बन्धित सूचना की जानकारी

20—श्री राम करन आर्य तथा श्री धनराज यादव–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि मुख्य अभियन्ता (भवन), लोक निर्माण विभाग, त० कोष्ठ–7 ने अपने पत्र सं०–4000/17 बी-विश्व बैंक भवन/93, दिनांक 4-8-93 के माध्यम से प्रधानाचार्य, राजकीय पालीटेक्निक, घाटमपुर (कानपुर देहात) को सूचित किया था कि उक्त संख्या के प्रशासनिक भवन का निर्माण कार्य पूरा हो गया है? यदि हां, तो मुख्य अभियन्ता ने किस अधिकारी की रिपोर्ट पर उक्त सूचना प्रेषित की थी, क्या उक्त सूचना गलत सिद्ध हुई है? यदि हां, तो दोषी अधिकारी के विरुद्ध लोक निर्माण विभाग क्या कार्यवाही कर कर रहा है तथा कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? क्या मंत्री जी उक्त पत्र की प्रति को सदन के पटल पर रखेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

सूचना एकत्र की जा रही है।

प्राविधिक शिक्षा विभाग में कार्यरत पात्र व्याख्याताओं की शासन द्वारा स्वीकृत वेतन-मान विलम्ब से दिये जाने के जिम्मेदार आधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही

27–श्री राम करन आर्य–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राविधिक शिक्षा विभाग में कार्यरत कितने व्याख्याता, वेतनमान रु० 3000-4500 पाने के पात्र हैं? क्या पात्र व्याख्याताओं को शासन द्वारा स्वीकृत उक्त वेतनमान प्रदान कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? उक्त कार्य में विलम्ब के लिये कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार हैं तथा उनके विरुद्ध शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्राविधिक शिक्षा विभाग में राजकीय पालीटेकनिक में रु० 2200-4000 के वेतनमान में कार्यरत नियमित व्याख्याताओं को, निरन्तर 8 वर्ष की संतोषजनक सेवा उपरान्त, वैयक्तिक वेतनमान रु० 3000-4500 अनुमन्य कराये जाने हेतु शासनादेश संख्या 1096/16 प्रा० शि० 2-115 (ई)/89, दिनांक 20-11-93 को निर्गत हुआ। अद्यावधिक 317 नियमित व्याख्याता 8 वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण कर चुके हैं। इन व्याख्याताओं की संतोषजनक सेवा निर्धारण की चिन्हीकरण का कार्य अग्रेतर स्तर पर होने के कारण अभी उन्हें उक्त वेतनमान स्वीकृत नहीं किया जा सका। निर्धारित प्रक्रिया में उल्लिखित शर्त अनुसार पात्रता चिन्हीकरण संबंधित शासनादेश लगभग 4 माह पूर्व निर्गत हुआ। इतनी संख्या के अधिकारियों की पात्रता चिन्हीकरण में समय लगना स्वाभाविक है। चिन्हीकरण प्रक्रिया प्रगति पर है। इस प्रकार बिलम्ब के लिये कोई अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार नहीं है अतः किसी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड बसखारी में राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की स्वीकृत एवं साज-सज्जा हेतु धनराशि दिये जाने विषयक राजाज्ञा

28—श्री परशुराम यादव–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड बसखारी में राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की स्वीकृति सहित रुपया 22,000 (बाइस हजार रुपया) साज-सज्जा हेतु दिए जाने विषयक कोई शासनादेश वर्ष 1991-92 में जारी किया गया है? यदि हां, तो क्या उक्त विद्यालय शुरू हो गया है? क्या शासनादेश के अनुरूप साज-सज्जा राशि उक्त विद्यालय को उपलब्ध करा दी गयी है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या वित्तीय वर्ष 1994-95 के बजट में इसे शामिल करते हुए शासनादेश के अनुसार विद्यालय का निर्माण कार्य कराकर साज-सज्जा राशि भी दी जाएगी? यदि नहीं, तो क्यों?

डा० मसूद अहमद–

जी नहीं। अपितु वर्ष 1990-91 में जारी हुआ था जिसमें विकास खण्ड बसखारी में राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के लिये साज-सज्जा के निमित्त रु० 20,000 स्वीकृत था।

जी नहीं।

जी नहीं।

क्योंकि विद्यालय के संचालनार्थ उपर्युक्त भवन/भूमि उपलब्ध न होने के कारण राजाज्ञा दिनांक 14 मई, 1992 द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि को राजकोष में जमा कर दिया गया।

जी नहीं।

क्योकि संबंधित योजना स्थगित हो गयी है।

जनपद फैजाबाद में प्रशिक्षित बेरोजगार बी० टी० सी० महिला व पुरुष अध्यापकों की संख्या का विवरण एवं सेवा का अवसर दिये जाने की मांग

29—श्री परशुराम यादव–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद में प्रशिक्षित बेरोजगार बी० टी० सी० महिला व पुरुष अध्यापकों की क्रमशः संख्या क्या है? इनमें से कितने-कितने बेरोजगार अध्यापक, पिछड़े वर्ग के व अनुसूचित जाति के हैं? उक्त बेरोजगार अध्यापक, किस-किस प्रशिक्षण सत्र में, अपना प्रशिक्षण पूरा कर चुके हैं? सरकार द्वारा उक्त बेरोजगार अध्यापकों को कब तक सेवा का अवसर दिया जाएगा?

डा० मसूद अहमद–

कुल बी० टी० सी० प्रशिक्षित बेरोजगार महिला व पुरुष की संख्या 1001 है।

पिछड़ी जाति	184
अनुसूचित जाति	136

वर्ष 1976 से 1992 तक के बेरोजगारों की सत्रवार सूची संलग्न है।

नवीन पदों के सृजन, सेवा निवृत्त, मृत्यु व अन्य कारणों से होने वाली रिक्तियों के प्रति इन बी० टी० सी० बेरोजगारों की नियुक्ति की कार्यवाही अनवरत चलने वाली सामान्य प्रक्रिया के अन्तर्गत होती है, समय सीमा का निर्धारण संभव नहीं है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 258 पर)

जनपद सुल्तानपुर के विकास क्षेत्र धनपतगंज के ग्राम सोहागपुर में गाटा संख्या तीन सौ सोलह पर विद्यालय भवन का निर्माण

30—श्री मित्रसेन यादव–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम सोहागपुर, विकास क्षेत्र धनपतगंज, जिला सुल्तानपुर में प्रा० पा० कुट्टा सोहापुर के नाम से वर्ष 1964 से पाठशाला भवन एवं खेल के मैदान हेतु आरक्षित भूमि सं० 131 व 130 रकबा क्रमशः दस विस्वा व ग्यारह विस्वा के निर्मित

भवन में संचालित हो रहा था? क्या उक्त विद्यालय को प्रधानाध्यापक एवं प्रधान, गांव सभा की साजिश से पाठशाला के लिए आरक्षित उपरोक्त भूमि पर पाठशाला भवन का नव-निर्माण न करा कर निहित स्वार्थ के कारण कहीं अन्यत्र निर्मित कराया जा रहा है? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त गांव के सैकड़ों अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को विद्याध्ययन में भारी असुविधा हो रही है? यदि हाँ, तो उक्त विद्यालय के भवन का नव-निर्माण आरक्षित भूमि पर न कराकर, अन्यत्र स्थान पर निर्मित कराये जाने का कारण क्या है? इस अनियमितता के लिए कौन-कौन लोग दोषी हैं?

डा० मसूद अहमद–

जी हां।

जी, नहीं।

पूर्व स्थल का भवन ध्वस्त हो जाने एवं स्थान अनुपयुक्त होने के कारण वर्ष 1989 से विद्यालय के लिए अन्य आरक्षित भूमि गाटा संख्या 316 पर संचालित हो रहा था और उसी गाटा संख्या 316 पर भवन निर्मित कराया जा रहा है।

जी नहीं।

निर्माण कार्य विद्यालय के लिए आरक्षित अन्य भूमि गाटा संख्या 316 पर कराया जा रहा है।

नवीन स्थल उपयुक्त होने के कारण प्रकरण में कोई दोषी नहीं है और किसी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय पालीटेक्निक, घाटमपुर जिला (कानपुर देहात) के निर्माणाधीन प्रशासनिक भवन के अवशेष कार्य को पूर्ण किया जाना

31—श्री बाबू राम वर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 31 मार्च, 1992 को राजकीय पालीटेक्निक, घाटमपुर (कानपुर देहात) के निर्माणाधीन प्रशासनिक भवन में कौन-कौन से कार्य शेष थे? दिनांक 1-1-94 को कौन-कौन से कार्य शेष हैं तथा इन कार्यों को लोक निर्माण विभाग कितने वर्षों में पूरा कर लेगा?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

दिनांक 31.3.92 को राजकीय पालीटेक्निक घाटमपुर (कानपुर देहात) के निर्माणाधीन प्रशासनिक भवन में निम्नांकित कार्य शेष थे:–

(1) आन्तरिक जलमल कार्य

(2) बाह्य मल कार्य

(3) बाह्य जल कार्य

(4) आन्तरिक विद्युतीकरण

(5) बाह्य विद्युतीकरण एवं विद्युत कनेक्शन

(6) प्रथम तल पर फर्श

(7) प्रथम तल व भूतल पर प्लास्टर

(8) दरवाजों तथा खिड़कियों के पल्ले व ग्लास पेन्ट

(9) फिनिशिंग कार्य

निर्माणाधीन प्रशासनिक भवन में दिनांक 1.1.94 तक निम्नांकित कार्य शेष थे:–

(1) आन्तरिक जल मल कार्य

(2) विद्युत कनेक्शन

(3) फिनिशिंग कार्य

विभाग द्वारा दिनांक 31.3.94 तक कार्य को पूर्ण किये जाने का प्रस्ताव है।

32—श्री बाबू राम वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय पालीटेक्निक घाटमपुर (कानपुर देहात) के प्रशासनिक भवन का निर्माण करने वाली एजेन्सी ने निर्धारित समय में भवन का निर्माण कर दिया है? यदि नहीं, तो प्राविधिक शिक्षा विभाग को समय से निर्माण कार्य पूरा न होने के कारण कितने धन की क्षति हुई है? इस क्षति के लिये कौन-कौन जिम्मेदार हैं तथा क्या जिम्मेदार व्यक्ति के विरुद्ध शासन कार्यवाही करने जा रहा है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

33—श्री कामेश्वर उपाध्याय–

(विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त)

श्री जे० वी० अग्रवाल, अधिशासी अभियन्ता के प्रान्तीय खण्ड, देवरिया के कार्य काल में भागलपुर पीपे के पुल हेतु नट बोल्ट की खरीद एवं दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

34—श्री कामेश्वर उपाध्याय–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री जे० वी० अग्रवाल, अधिशासी अभियन्ता के प्रान्तीय खण्ड, देवरिया के कार्यकाल में भागलपुर पीपे के पुल हेतु नट बोल्ट की

खरीद तथा मरम्मत पर क्रमशः 60 हजार तथा 47 हजार रुपये का भुगतान किया गया है? क्या इतना नट बोल्ट एक साथ टूटने पर पूरा पुल टिका रहा? क्या उक्त क्रय नियमानुसार था? यदि नहीं, तो दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

श्री जे० वी० अग्रवाल, अधिशासी अभियन्ता के प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, देवरिया के कार्यकाल (जून, 88 से जुलाई, 92 तक) में नट-बोल्ट की खरीद पर रुपये 1,34,727.00 का भुगतान किया गया था। उपरोक्त अवधि में मरम्मत पर कोई व्यय नहीं किया गया था। नट-बोल्ट एक साथ नहीं टूटे अतः पुल टिका रहा।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

35—श्री कामेश्वर उपाध्याय–

(दिनांक 7.3.94 को अता० प्र० सं० 139 द्वारा उत्तरित)

प्रदेश के सहायक कोषागार/लेखाकार/कोषागार लेखाकार के वेतनमान विषयक उ० प्र० कोषागार कर्मचारी संघ का पत्र एवं उस पर कार्यवाही

36—श्री हृदय नारायण–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश कोषागार कर्मचारी संघ का पत्र दि० 25.5.93 जो सचिव, वित्त सेवायें, अनु०-3 उ० प्र० शासन को सम्बोधित था एवं निदेशक, कोषागार, उ० प्र० 1018, जवाहर भवन, लखनऊ का पत्र सं० 8246/2(32)/70/को० नि०/स्थापना, दिनांक 28 अक्टूबर, 1992 प्रदेश के सहायक कोषागार/लेखाकार/कोषागार लेखाकार के वेतनमान दिये जाने विषयक प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उक्त पत्रों के सम्बन्ध में अभी तक क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां,

उक्त पत्रों में उल्लिखित मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुतियां कोषागार कर्मचारियों से संबंधित न होने के कारण विचारोपरान्त शासनादेश जारी नहीं किया गया है।

जनपद देहरादून के चकराता निर्वाचन क्षेत्र में मसूरी-चकराता मोटर मार्ग पर सोलिंग का कार्य विभागीय गैंग से कराये जाने के कारण

37—श्री प्रीतम सिंह (देहरादून)–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देहरादून के चकराता निर्वाचन क्षेत्र में मसूरी- चकराता मोटर मार्ग पर सोलिंग का कार्य विभागीय गैंग से कराया गया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

यह कहना सही नहीं है कि मसूरी चकराता मार्ग जिसकी कुल लम्बाई 77 कि० मी० बताई गयी है, पर सोलिंग का पूरा कार्य विभागीय गैंग से कराया गया है। प्राप्त सूचना के अनुसार कि० मी०61 की केवल आधी लम्बाई में कार्यहित में कुटाई का कार्य विभागीय गैंग से कराया गया है। उपरोक्तानुसार।

ईराक में गल्फ युद्ध के दौरान उ० प्र० सेतु निगम के स्टाक के अवशेष मेटीरियल का विवरण एवं सेना द्वारा चोरी किये गये सामान की रिपोर्ट एवं कार्यवाही

38—श्री बी० आर० वर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ईराक में गल्फ युद्ध से पूर्व सेतु निगम का कितना स्टाक मदवार एवं कीमतवार शेष था? क्या युद्ध से पश्चात् ईराक में कोई स्टाक मेटीरियल तत्कालिक लेखाकार द्वारा विक्रय किया गया? क्या ईराक के गल्फ युद्ध के दौरान तत्कालिक लेखाकार द्वारा सेतु निगम के स्टाक का अवशेष मेटीरियल मिलेट्री द्वारा चोरी किया जाना दर्शाया गया है? यदि हां, तो उक्त मेटीरियल का विवरण क्या था? क्या सेना द्वारा चोरी किये सामान की भारतीय दूतावास में कोई रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी? यदि नहीं, तो चोरी में गये मेटीरियल की रिपोर्ट न करने के लिये दोषी अधिकारियों के विरुद्ध आज तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

गल्फ युद्ध से पूर्व उ० प्र० राज्य सेतु निगम का ईराक स्थित दो कैंम्पों (वाकूबा व एस्कीकलक) में कुल 134 मदों में ईराकी दीनार 21984.812 की बुक वैल्यू का स्टाक शेष था।

जी, नहीं।

प्राप्त सूचना के अनुसार सेतु निगम की कुछ सम्पत्ति मिलिट्री द्वारा उठा ली गई बतायी गई है जिसका विवरण दिया जाना सम्भव नहीं है क्योंकि अभिलेख निगम के कार्यालय में वर्तमान में उपलब्ध नहीं हैं। उठाई गई इस सम्पत्ति के बारे में निगम द्वारा भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के माध्यम से यूनाइटेड नेशन्स कम्पन्सेशन कमीशन को क्षति का क्लेम दर्ज कराया जा चुका है। इस मामले में किसी अधिकारी /कर्मचारी के विरुद्ध किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

उ० प्र० सेतु निगम में कार्यरत श्री कान्तेश कुमार के चिकित्सा प्रतिपूर्ति सम्बन्धी प्रकरण पर सार्वजनिक उद्यम ब्यूरों के आदेश के अन्तर्गत निर्णय

39—श्री बी० आर० वर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सार्व० उद्यम ब्यूरो के आदेश सं० 2461/44-1/1988-13 के० सी०/88, दिनांक 8.11.88 सेतु निगम में प्रबन्ध निदेशक ने अपने किस पत्रांक द्वारा निर्गमित करके लागू किये हैं? यदि नहीं, तो इनकी वैधता क्या है? क्या इनके लागू माने जाने पर निगम में प्रत्येक वर्ष भुगतान किये जाने वाले एक माह के मूल वेतन व

चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए हास्पीटलाईजेशन का प्रमाण-पत्र दावाकर्ताओं से प्राप्त किया जाता रहा है? यदि नहीं, तो फिर यह आदेश श्री कान्तेश कुमार की विशेष चिकित्सा प्रतिपूर्ति रु० 6500 पर किस प्रकार लागू किया जा रहा है?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

किसी मामले पर राज्य के सार्वजनिक उद्यम ब्यूरों के आदेशों के उपरान्त प्रबन्ध निदेशक द्वारा अलग से किसी आदेश की आवश्यकता नहीं होती है। चिकित्सा के मामले में भी सार्वजनिक उद्यम ब्यूरों के निर्देश हैं जिसके अन्तर्गत निगम के कर्मचारियों के चिकित्सा प्रति-पूर्ति के मामले निर्णीत होंगे। श्री कान्तेश कुमार की चिकित्सा के संबंध में सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो के आदेशों के अन्तर्गत यदि मामला आता है तो उसी प्रकार से निर्णीत होगा।

जनपद बाराबंकी के विकास खण्डों में सड़कों के निर्माण हेतु सरकार से प्राप्त धन एवं कार्य स्तर का ब्योरा

40—श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बाराबंकी में वर्ष 1993-1994 तक सड़कों के निर्माण हेतु सरकार से कितना धन प्राप्त हुआ है? उक्त धनराशि का प्रत्येक विकास खण्ड में कार्यस्तर तक का ब्योरा क्या है?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जनपद बाराबंकी में सड़कों के निर्माण हेतु वर्ष 1993-94 में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कुल 560.25 लाख रु० की धनराशि दी गयी है।

प्रत्येक विकास खण्ड में आवंटित उक्त धनराशि का ब्योरा निम्नवत् हैं:–

क्र० सं०	ब्लाक का नाम	जिला योजना (लाख रु०)	राज्य योजना (लाख रु०)	जवाहर रोजगार योजना (लाख रु०)
1	2	3	4	5
1	रुदौली	3.38	...	10.01
2	मवई	2.86	...	...
3	दरियाबाद	5.19	33.55	2.66
4	पूरे डलई	3.50	...	0.57
5	सिद्धौर	20.99	16.08	3.16
6	बनी कोडर	8.00	5.00	0.10
7	हैदरगढ़	8.40	...	1.97
8	त्रिवेदीगंज	4.56	...	1.38
9	मसौली	11.78	76.35	20.97

1	2	3	4	5
10	हरख	42.57	64.32	32.94
11	देवा	6.40	16.50	1.10
12	बंकी	10.80	28.37	7.60
13	फतेहपुर	5.33	5.40	3.32
14	निन्दूरा	15.47	11.00	5.84
15	रामनगर	15.89	20.59	10.24
16	सूरतगंज	4.40	9.00	2.71
	योग	169.52	286.16	104.57

कुल योग रु० 560.25 लाख

जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत हैदरगढ़ क्षेत्र में भवनहीन सीनियर बेसिक विद्यालय के भवनों के निर्माण की मांग

41–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि बाराबंकी जिले के अन्तर्गत हैदरगढ़ क्षेत्र में सीनियर बेसिक विद्यालय अहीरंगा व हसनपुर चौबीसी, परीवा, इन्दीपुर आदि 15 वर्षों से भवनहीन चल रहे हैं? उक्त विद्यालयों में भवन निर्माण का कार्य कब तक सरकार पूरा कराने जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

डा० मसूद अहमद–

चौबीसी, हसनपुर, अहीरगाँव व परीवा भवनहीन है। दूँदीपुर भवनयुक्त है।

संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पीपे के पुल पर से पथकर माफ करने की शासन की नीति एवं चुनार घाट (मिर्जापुर) के पीपा पुल का पथकर माफ करने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

42–श्री ओम प्रकाश सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में पीपा पुल से पथकर माफ करने की शासन की नीति क्या है? क्या तहसील केन्द्र से किसी विकास खण्ड या बड़े क्षेत्र को जोड़ने वाले पीपा पुल का पथकर समाप्त करने पर शासन विचार कर रहा है? क्या चुनार घाट (मिर्जापुर) के पीपा पुल का पथकर माफ करने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र उन्हें दिनांक 28/29 जनवरी, 1994 को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या चुनार पीपा पुल का पथकर माफ करने पर सरकार विचार कर रही है? क्या यह भी बतायेंगे कि चुनार पीपा पर पथकर वसूली का ठेका कितने रुपये में कितने वर्ष के लिये दिया गया है?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

प्रदेश में पीपे के पुल पर से पथकर माफ करने की शासन की नीति नहीं है।

जी नहीं।

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्नगत ठेका रु० 3,01,000.00 प्रति वर्ष की दर से तीन वर्ष के लिए दिनांक 25.12.93 से 24.12.96 के लिए दिया गया है।

जनपद बाराबंकी के हैदरगढ़ क्षेत्र में जिला परिषदीय मार्ग का लोक निर्माण विभाग के माध्यम से लेपन स्तर तक निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

43–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ क्षेत्र में लोनी कटरा, कान्हीपुर, तिलोकपुर शाहपुर मनोधर होते हुये बड़तक जिला परिषदीय मार्ग को जिला परिषद् से स्थानान्तरित करके लोक निर्माण विभाग के माध्यम से लेपन स्तर तक मार्ग निर्माण करवाये जाने की आज्ञा प्रदान करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत मार्ग को जिला परिषद् से लोक निर्माण विभाग में ग्रहण कर लेपन स्तर तक निर्मित किया जाना सीमित संसाधनों के कारण सम्प्रति सम्भव नहीं है।

जनपद बाराबंकी के हैदरगढ़ क्षेत्र के अन्तर्गत कतिपय स्थानों पर राजकीय हाई स्कूल एवं इण्टर मीडिएट कालेज खोलने की मांग

44–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जनपद के हैदरगढ़ क्षेत्र के अन्तर्गत सुवेहा, चौबीसी, पलिया, बटावां, कमेला, खरसतिया, दतौली, चंदा, अन्सारी, सरांय गोपी, बहुता, रामनगर, खैराकनकू, भिलवल, दहिला, त्रिवेदीगंज आदि स्थानों पर राजकीय हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट विद्यालयों को खोलने पर सरकार विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यो?

डा० मसूद अहमद–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

योजना एवं वित्तीय संसाधनों के अभाव में राजकीय हाई-स्कूल, इण्टर मीडिएट कालेज खोलना सम्भव नहीं है।

45–श्री बैजनाथ रावत–

(सीमित महत्व होने के कारण निरस्त)

शिक्षा विभाग में समस्त श्रेणियों में आरक्षित पदों की संख्या एवं उनकी पूर्ति की मांग

46–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके अधीनस्थ विभाग में समस्त श्रेणियों में अनुसूचित जाति एवं जन जाति के पदों में आरक्षण की वर्तमान संख्या पूर्ण है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या इसकी पूर्ति हेतु समयबद्ध कार्यक्रम बनाया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं।

उच्च शिक्षा विभाग के अधीन शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा), उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, उत्तर प्रदेश संस्कृत अकादमी, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, स्वतंत्रता संग्राम इतिहास परामर्शदात्री समिति, राजकीय महाविद्यालय एवं राज्य विश्वविद्यालय आते हैं। जहां तक राजकीय पदों का संबंध है, उनमें आरक्षण की व्यवस्था पूर्व से ही थी। अतः राजकीय कार्यालयों महाविद्यालयों में उन्हें भरने की कार्यवाही नियमानुसार की गयी तथा आरक्षित पदों पर चयन में नियमानुसार उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों की नियुक्तियां की गयी। किन्तु अशासकीय महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में आरक्षण की व्यवस्था दिनांक 11.12.1993 से उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 द्वारा की गई है। अतः शासन द्वारा उक्त अधिनियम में किये गये प्राविधानों के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य वर्गों के रिक्त पदों पर चयन/नियुक्ति किये जाने के संबंध में सभी संबंधित प्राधिकारियों को निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

47–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतलायेंगे कि उनके विभाग के अन्तर्गत कार्यरत विद्यालयों एवं विभागों में अनुसूचित जाति तथा जन जाति का वर्तमान आरक्षण कोटा पदों पर पूर्ण है? यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या इस कोटे की निर्धारित अवधि में पूरी करने की कोई शासन की योजना है? यदि हां, तो यह योजना क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

डा० मसूद अहमद–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

पात्र एवं अर्ह अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण।

जी हां।

शासन की अधिसूचना संख्या 265/सत्रह-वि०-1-2 (क)/5-1994 दिनांक 11.2.94 में अनूसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवाओं में आरक्षण की नवीन व्यवस्था की गई है, जिसके अन्तर्गत आरक्षण पूर्ति सम्बन्धी आदेशों का पालन न करने पर दोषी अधिकारियों के विरूद्ध दण्ड की व्यवस्था का प्राविधान किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रतापगढ़ शहर के राजकीय कन्या इण्टर कालेज में अध्यापिकाओं की नियुक्ति किये जाने की मांग

48–श्री लाल बहादुर सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि प्रतापगढ़ शहर में स्थित एक मात्र राजकीय कन्या इण्टर कालेज में कई वर्षों से विज्ञान एवं अन्य कई विषयों की पढ़ाई के लिये कोई अध्यापिका नियुक्त नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार अध्यापिकाओं की नियुक्ति वहां पर करने की कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

डा० मसूद अहमद–

इस विद्यालय में दो पद प्रवक्ता (विज्ञान) तथा दो पद स्नातक वेतनक्रम के वर्तमान में रिक्त हैं।

जी हां, समस्त रिक्त पदों पर चयन की प्रक्रिया प्रगति में है।

चयन की प्रक्रिया पूरी होते ही चयनित अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त होने पर, उक्त विद्यालय में रिक्त पदों को भरने की व्यवस्था तुरन्त की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देवरिया के ब्लाक-भलुवनी, छितई बाजार, बैतालपुर एवं रूद्रपुर में राजकीय कन्या हाईस्कूल खोलने की जानकारी

49–श्री मुक्तिनाथ यादव–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पगड़ी बाजार ब्लाक भलुवनी, छितई बाजार, ब्लाक बैतालपुर एवं रुद्रपुर ब्लाक, जिला देवरिया में वर्ष 1989-90 और 1990-91 में तत्कालीन मुख्य मंत्री ने कन्या इण्टर कालेज खोलने की स्वीकृति प्रदान की थी? क्या उसकी साज-सज्जा हेतु 20-20 हजार रुपया उन विद्यालयों को देना निर्धारित किया गया था। यदि हां, तो किन परिस्थितियों में आज तक इन विद्यालयों को प्रारम्भ नहीं किया गया? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र व मुख्य मंत्री के आदेश विभाग को प्राप्त हुये हैं? यदि हां, तो उस पर अब तक विभाग द्वारा क्या कार्यवाही हुयी है?

डा० मसूद अहमद–

कन्या इण्टर कालेज नहीं अपितु वर्ष 1990-91 में प्रश्नगत स्थानों पर राजकीय कन्या हाईस्कूल खोलने की स्वीकृति दी गई थी।

जी हां।

उपयुक्त भवन/भूमि की उपलब्धता के अभाव में विद्यालय प्रारम्भ नहीं किये जा सके।

जी हां।

चूँकि सम्बन्धित योजना अब स्थगित हो गई है, अतः कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देवरिया के रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र में ऐतिहासिक स्थल एवं उनके विकास तथा यात्रियों की सुविधा के लिए ठोस कदम उठाये जाने की मांग

50 श्री मुक्तिनाथ यादव–

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया में रुद्रपुर विधान सभा क्षेत्र में महेन, मदनपुर, रुद्रपुर में कौन-कौन से ऐतिहासिक स्थल है ? क्या पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण उक्त स्थानों के विकास एवं यात्रियों की सुविधा के लिये वर्तमान सरकार कोई ठोस कदम उठाने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद देवरिया में रुद्रपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत महेन में महेन्द्रनाथ रुद्रपुर में दुग्धेश्वर नाथ का मंदिर तथा मदनपुर में मीरा साहब की ऐतिहासिक मजार एवं एक प्राचीन मस्जिद है।

उक्त ऐतिहासिक स्थलों में से केवल दुगधेश्वर नाथ में रेस्टोरेन्ट एवं स्नेकबार के निर्माण हेतु वर्ष 93-94 में रु० 6.60 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पेड़ों के अवैध कटान को रोकने की मांग

51-श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या पर्यावरण मंत्री बतायेंगे कि नई सरकार ने पर्यावरण सन्तुलन बनायें रखने के लिये क्या-क्या उपाय किये हैं ? एतदर्थ पेड़ों के अवैध कटान को रोकने के लिये क्या सरकार कोई ठोस कार्यक्रम बनायेगी ? यदि हां, तो क्या ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सरकार के गठन के उपरांत पर्यावरण निदेशालय द्वारा अपने सीमित संसाधनों से मैदानी तथा उत्तरांचल क्षेत्र में पर्यावरण संतुलन बनाये रखने के लिए विविध कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

मैदानी क्षेत्र के अन्तर्गत शारदा सहायक कमाण्ड क्षेत्र में जल भराव के कारण होने वाले भूमि के अपघटन, भूगर्भ जल प्रदूषण तथा फसलों की गुणवत्ता पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जा रहा है। पर्यावरण की सुरक्षा, पर्यावरण अपघटन की रोकथाम, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा विभिन्न परियोजनाओं के पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण करने के उद्देश्य से एक चलित प्रयोगशाला का निर्माण कराया जा रहा है। मोटर वाहनों से निकलने वाले धुएं से उत्पन्न प्रदूषण का मानव नेत्र एवं फेफड़े पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन कराया जा रहा है। वाराणसी, कानपुर, आगरा में पर्यावरणीय प्रदूषण रोकने के उद्देश्य से दो-दो सुलभ शौचालयों का निर्माण कराया जा रहा है। अभी तक इन शहरों में तीन सुलभ शौचालयों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। प्रदेश की दुर्लभ एवं लुप्तप्राय वनस्पति प्रजातियों की रणनीति तैयार की जा रही है। विश्व बैंक द्वारा पोषित "औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण" योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को एक केन्द्रीय प्रयोगशाला तथा 11 क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं के भवन निर्माण, सुदृढ़ीकरण आदि हेतु योजना चलायी जा रही है। पर्यावरणीय जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से जिला योजना के अन्तर्गत 32 जनपदों में गोष्ठी, सेमिनार, प्रतियोगिता, प्रदर्शनी आदि का आयोजन किया जा रहा है। कुछ जनपदों में जल प्रदूषण की जांच हेतु किट तथा वाहनों से निकलने वाले धुएं की जांच हेतु धुंआमापी संयंत्र का क्रय भी किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त एक-दो जनपद में होर्डिंग्स की स्थापना तथा शौचालय का निर्माण भी कराया जा रहा है। पर्यावरण की गतिविधियों को सुचारुरूप से चलाने के दृष्टिकोण से लखनऊ स्थित गोमती नगर, लखनऊ में पर्यावरण परिसर का निर्माण कराया जा रहा है।

उत्तरांखण्ड क्षेत्र में नई सरकार के गठन के उपरांत पर्यावरण बहुविषयक शोध योजनायें चलायी गयीं। पर्यावरण संगत विकास की दृष्टि से पर्यावरण के विभिन्न अवयवों के स्तर के बोध हेतु देहरादून उत्तरकाशी, पौड़ी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ जनपदों की पर्यावरणीय स्टेटस रिपोर्टों का विरचन प्रारम्भ कराया गया। वनों पर दबाव कम करने के लिए कृषि वानिकी प्रणाली के माध्यम से फसलों के उत्पादन और उपयुक्त वृक्ष प्रजातियों का रोपण समन्वित ढंग से एक साथ किये जाने हेतु अध्ययन योजना के द्वितीय चरण का कार्य प्रारम्भ कराया गया। पारिस्थितिकीय विकास के कार्यों में जन चेतना एवं सहभागिता बढ़ाने हेतु गढ़वाल एवं कुमायूँ मण्डलों में 18 पारि विकास शिविरों के आयोजन की योजना स्वीकृति हुयी। चमोली एवं उत्तरकाशी जनपदों में पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील स्थलों पर पर्यटन के पड़ने वाले प्रभावों के अध्ययन योजना के तृतीय चरण की स्वीकृति हुयी। टेहरी और पौड़ी जनपदों में पायी जाने वाली कुछ शीत जल मत्स्य प्रजातियों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु चलायी जा रही अध्ययन योजना के तृतीय चरण की स्वीकृति हुयी।

उपरोक्त के अलावा भूक्षरण की रोकथाम एवं संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग की दृष्टि से शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया कि भविष्य में सरकारी निर्माणों में कंटीले तार की दीवार बनाने की जगह बायो-फेंसिंग/राम बांस फेंसिंग का निर्माण किया जाये।

पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना में पर्यावरणीय पहलुओं के समावेश हेतु देवरिया, जनपद में पेपर, सुलतानपुर जनपद में स्टील, मथुरा जनपद में पेट्रो केमिकल्स तथा बुलन्दशहर जनपद में आसवानी उद्योगों की स्थापना हेतु प्रस्तावित स्थलों का पर्यावरणीय दृष्टि से मूल्यांकन कर उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अभिमत दिया गया।

उद्योग द्वारा होने वाले जलवायु प्रदूषण को रोकने हेतु वर्ष 1990 में एक कार्य योजना तैयार की गई जिसमें अत्यधिक प्रदूषणकारी 17 श्रेणी के उद्योगों को सम्मिलित किया गया है। इस कार्य योजना के अन्तर्गत 16 मई, 81 के बाद स्थापित उद्योगों की 31-12-92 तक प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित करनी थी। तथा 15 मई, 1981 के पूर्व स्थापित उद्योगों का 31-12-93 तक प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित करनी थी। प्रदेश में मध्यम एवं वृहद श्रेणी के 205 जल प्रदूषणकारी तथा 42 वायु प्रदूषणकारी उद्योगों को चिन्हित किया गया था। मध्यम एवं वृहद श्रेणी के 205 जल प्रदूषणकारी उद्योगों में से 171 उद्योगों में शुद्धिकरण संयंत्र की स्थापना हो गयी है। 27 उद्योगों में से शुद्धिकरण संयंत्र लगवाने हेतु कार्यवाही की जा रही है। वायु प्रदूषणकारी 42 उद्योगों में 29 उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था कर ली गई है। 8 में संयंत्र निर्माणाधीन हैं, 5 उद्योग बन्द हैं तथा शेष में संयंत्र लगवाने की कार्यवाही की जा रही है।

वाहनों द्वारा होने वाले वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु प्रदेश सरकार द्वारा पेट्रोल तथा डीजल चालित वाहनों के उत्सर्जन मानक निर्धारित किए जा चुके हैं तथा ये मानक उत्तर प्रदेश में वर्ष 1988 में लागू हो गये हैं।

ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवेशीय ध्वनि के मानक प्रदेश में लागू किए जा चुके हैं। प्रदेश सरकार द्वारा भी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत समस्त जिलाधिकारियों को उक्त मानकों को प्रदेश में कड़ाई से अनुपालन कराने हेतु निर्देश दिए गए हैं।

बोर्ड द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा वित्त पोषित नामक परियोजना के अन्तर्गत कानपुर, लखनऊ, नोएडा, आगरा में तीन स्थलों पर गाजियाबाद, देहरादून, आनपारा, गजरौला में दो स्थलों पर तथा वाराणसी में एक स्थान पर वायु गुणता का अनुश्रवण कार्य किया जा रहा है।

बोर्ड द्वारा मीनास परियोजना के अन्तर्गत गोमती, गंगा, यमुना, सरयू, सई, घाघरा, राप्ती, रामगंगा, बेतवा, काली हिण्डेन आदि नदियों नैनीताल झील तथा रेनूसागर जलाशय की जल गुणता का अनुश्रवण कार्य किया जाता है।

अवैध कटान को रोकने के लिए भारतीय वन अधिनियम, 1927 के प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

जनपद फैजाबाद के टाण्डा क्षेत्र में सरयू नदी पर स्वर्गीय जयराम वर्मा टाण्डा कलवारी सेतु के निर्माण हेतु स्थल चयन की कार्यवाही

52—श्री परशुराम यादव–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद के टाण्डा क्षेत्र में सरयू नदी पर "स्वर्गीय जयराम वर्मा टाण्डा कलवारी सेतु" का शिलान्यास किये जाने के उपरान्त निर्माण कार्य हेतु कुल धनराशि आवंटित करके निर्माण कार्य करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो इस सेतु के शिलान्यास होने से लेकर अब तक निर्माण कार्य होने सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण क्या हैं ? क्या यह भी बतायेंगे कि यदि निर्माण कार्य नहीं हुआ है, तो क्या इस सेतु के निर्माण के लिये अनुमानित व्यय राशि 1994-95 के बजट में स्वीकृत करके निर्माण कार्य पूरा कराये जाने के बारे में कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी नहीं,

विस्तृत सर्वेक्षण करके मॉडल स्टडी कराई गई तथा स्थल चयन की कार्यवाही पूर्ण की गई।

जी, नहीं ।

इस कार्य की स्वीकृति शासनादेश दिनांक 30-5-92 द्वारा निरस्त कर दी गई है ।

जनपद फैजाबाद में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों के नियुक्ति की मांग

53—श्री परशुराम यादव

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद में शिक्षण सत्र 1993-94 के लिये तत्कालीन जिलाधिकारी द्वारा माह जुलाई, 93 से जनपद भर में बेसिक शिक्षा परिषद् के माध्यम से करीब 300 (तीन सौ) प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना कराकर, इन विद्यालयों में अस्थाई तौर पर अध्यापकों की नियुक्ति करके शिक्षण कार्य शुरू करा दिया गया है ? यदि हां, तो जनपद फैजाबाद के किन-किन विकास खण्डों में कितने-कितने प्राथमिक विद्यालय कहां-कहां पर स्थापित कराये गये हैं ? क्या यह भी बतायेंगे कि क्या इन प्राथमिक विद्यालयों में स्थायी अध्यापकों की नियुक्ति कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो स्थायी अध्यापकों की नियुक्ति कब तक करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० मसूद अहमद–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

54—श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

गढ़वाल मण्डल में लोक निर्माण विभाग में निर्धारित अवधि तक कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का स्थानान्तरण

55—श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल मण्डल में लोक निर्माण विभाग में कितने अधिकारी/कर्मचारी लगभग 10 से 20 वर्ष व उससे अधिक अवधि से एक ही स्थान पर कार्यरत हैं ? क्या यह सत्य है कि शासन द्वारा निर्धारित स्थानान्तरण नीति के अनुसार अब तक इनके कई बार स्थानान्तरण नीति के अनुसार अब तक इनके कई बार स्थानान्तरण किये गये ? यदि स्थानान्तरण किये ही नहीं गये, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

गढ़वाल मंडल में कुल 18 कर्मचारी 10 से 20 वर्ष की अवधि से तथा एक कर्मचारी 20 वर्ष से अधिक की अवधि से एक ही स्थान पर कार्यरत हैं ।

जी हाँ ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राज्य सेतु निगम द्वारा सी० पी० एफ० की धनराशि का सी० पी० एफ० ट्रस्ट में जमा करने का प्रकरण

56—श्री बी० आर० वर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रबन्ध निदेशक, सेतु निगम द्वारा सी० पी० एफ० मद में वेतन से कटौती किया गया धन कितने समय से सी० पी० एफ० ट्रस्ट को भुगतान नहीं किया गया है ? उक्त सी० पी० एफ० ट्रस्ट क कितना धन सेतु निगम पर देय हो चुका है ? ट्रस्ट को समय से सी० पी० एफ० की धनराशि न मिल पाने के कारण कितने चक्रवृद्धि ब्याज की हानि हुयी है ? क्या प्रबन्ध निदेशक द्वारा सी० पी० एफ० ट्रस्ट को समय से देय धनराशि भुगतान न करने पर उत्तरदायी ठहराया गया है ? यदि हां, तो इनके विरुद्ध शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

राज्य सेतु निगम द्वारा माह जनवरी, फरवरी एवं मार्च, 1994 के वेतन से सी०पी०एफ० मद में की गई कटौती का भुगतान सी०पी०एफ० ट्रस्ट को कराया जाना बाकी है ।

माह मार्च, 1994 तक कुल लगभग रु० 197 लाख देय हो चुका है ।

लगभग रु० 24.83 लाख का ब्याज देय हो गया है ।

निगम में धनाभाव के कारण प्रश्नगत धनराशि का भुगतान किया जाना सम्भव नहीं हो सका है, जिसके लिये प्रबन्ध निदेशक, राज्य सेतु निगम दोषी नहीं हैं।

जनपद शाहजहाँपुर के जी०जी०आई०सी० विद्यालयों में विद्यार्थियों को बैठने की व्यवस्था

57—श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि शाहजहांपुर जनपद के जी० जी० आई० सी० में विद्यार्थियों के बैठने के लिये कुर्सी के स्थान पर दरी/पट्टे भी नहीं है ? यदि हां, तो क्या इन विद्यालयों में विद्यार्थियों के बैठने की व्यवस्था शासन स्तर पर की जावेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० मसूद अहमद–

जी नहीं। अति अल्पसंख्या में उपलब्ध है।

छात्राओं की संख्या को दृष्टिगत रखते हुये बैठने की व्यवस्था आवश्यक है जिसके लिये कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बेसिक विद्यालयों एवं बेसिक विद्यालय विहीन ग्रामसभाओं की संख्या की जानकारी

58—श्री ओम प्रकाश सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में कुल कितने भवनयुक्त एवं भवन विहीन प्राथमिक बेसिक विद्यालय खुल गये हैं ? उनमें से कितनी ग्राम सभायें बेसिक विद्यालय विहीन हैं ? वर्ष 1993 व 31 जनवरी, 1994 में प्रदेश में कितने बेसिक विद्यालय खोले गये ?

डा० मसूद अहमद–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद मिर्जापुर की तहसील चुनार के अन्तर्गत बेसिक विद्यालयों का विवरण तथा सीखड़, नरायनपुर एवं जमालपुर विकास खण्डों में बेसिक विद्यालय खोलने की मांग

59—श्री ओम प्रकाश सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि मिर्जापुर जिला में कुल कितने बेसिक विद्यालय हैं ? इनमें से कितने विद्यालयों के भवन नहीं हैं ? उक्त जिला में कितनी ग्राम सभायें अभी बेसिक विद्यालय विहीन हैं ? चुनार तहसील के सीखड़, नरायनपुर एवं जमालपुर विकास खण्डों के किन-किन ग्राम सभाओं में बेसिक विद्यालय नहीं हैं तथा इनमें कब तक विद्यालय खोले जायेंगे ?

डा० मसूद अहमद–

909

35

196

सूची संलग्न है ।

वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए आगामी तीन वर्षों में सभी ग्राम सभाओं को प्राइमरी पाठशालाओं से आच्छादित करने का प्रयास किया जायेगा ।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 259 पर)

जनपद मुजफ्फरनगर स्थित नयी चीनी मिल में पेराई का कार्य प्रारम्भ किया जाना

60—श्री रणधीर सिंह–

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद मुजफ्फरनगर में वर्ष 1993 में एक नयी शुगर मिल का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के बावजूद भी उक्त मिल में पेराई प्रारम्भ नहीं हुयी है ? यदि हां, तो उक्त मिल कब तक चालू करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

पेराई सत्र 1992-93 में जनपद मुजफ्फरनगर में नई चीनी मिल तितावी शुगर काम्पलेक्स का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के बाद दिनांक 24-12-92 से दिनांक 7-4-93 तक गन्ने की पेराई का कार्य हुआ है तथा इस वर्ष 1993-94 में भी इस चीनी मिल द्वारा दिनांक 14-10-93 से पेराई कार्य आरम्भ किया जा चुका है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

61—श्री अजय कुमार पोइया–

[निस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद उन्नाव के प्राइमरी/बेसिक/ जूनियर स्कूलों के भवनों हेतु धन का न दिया जाना

62—श्री हृदय नारायण–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले के कितने प्राइमरी/बेसिक/जूनियर स्कूलों के भवनों के निर्माण के लिये दिया गया धन निदेशक के पी० एल० ए० खाते में जमा है ? क्या उक्त धन को निकालकर भवन बनाने हेतु सरकार कार्यवाही करने जा रही है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त विद्यालय भवन कब तक बन जाने चाहिये थे ? अब तक उक्त भवन न बना पाने के लिये दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? उक्त भवन कब तक बन जायेगा ?

डा० मसूद अहमद–

प्राइमरी स्कूलों के भवन निर्माण हेतु कोई धनराशि पी०एल०ए० में जमा नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद प्रतापगढ़ में निर्मल पैलेस व कुमार पैलेस में सफाई व्यवस्था न होने के विरुद्ध कार्यवाही

63—श्री लाल बहादुर सिंह–

क्या संस्थागत वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रतापगढ़ स्थित छवि गृह वृन्दावन कुमार पैलेस, निर्मल पैलेस, राजपैलेस, पवन पैलेस में दर्शकों के नित्य क्रिया हेतु कोई व्यवस्था की गयी है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त छविगृहों में समुचित सफाई नहीं है व बैठने की स्टैन्डर्ड व्यवस्था भी नहीं है ? यदि हां, तो क्या वहां पर वाहनों को रखने हेतु कोई छतदार स्टैण्ड बना है ? क्या वाहनों के खड़ा करने पर वाहन धारक को कोई टोकन भी दिया जाता है ? यदि नहीं, तो उक्त छविगृहों में व्याप्त उक्त अनियमितताओं की जांच किसी वरिष्ठ अधिकारी से कराकर दोषी लोगों को सरकार दण्डित करने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हाँ ।

उक्त छविगृहों में से वृन्दावन व पवन सिनेमा में समुचित सफाई है । राज पैलेस अनिश्चित काल के लिये बन्द है । निर्मल पैलेस तथा कुमार पैलेस में समुचित सफाई नहीं है जिसके कारण इन्हें दी जाने वाली अनुरक्षण शुल्क की सुविधा की समाप्ति हेतु वैधानिक कार्यवाही की गयी है । उक्त 4 छविगृहों में बैठने की स्टैण्डर्ड व्यवस्था है ।

उत्तर प्रदेश चलचित्र नियमावली, 1951 के प्राविधानों के अन्तर्गत छतदार स्टैन्ड की व्यवस्था का कोई प्राविधान नहीं है ।

जी हाँ ।

केवल निर्मल पैलेस व कुमार पैलेस में सफाई व्यवस्था उचित नहीं है जिसके कारण उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की गयी है । उक्त छविगृहों में अन्य कोई भी ऐसी अनियमितता नहीं पायी गयी है जिसकी नियमों के अन्तर्गत जाँच कराकर दोषी लोगों को दंड दिये जाने की आवश्यकता हो ।

प्रश्न नहीं उठता ।

64—श्री बशीर—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

प्रदेश के नव सृजित जनपदों में प्राविधिक शिक्षण संस्थायें खोले जाने सम्बन्धी विचाराधीन योजना

65—श्री बशीर—

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० के प्रत्येक जनपद में कुल कितनी प्राविधिक शिक्षण संस्थायें चल रही हैं ? क्या पिछड़े क्षेत्रों के उत्थान के लिये वर्तमान सरकार द्वारा प्राविधिक शिक्षण संस्थायें खोले जाने की योजना है ? यदि हां, तो कहां-कहां पर ? क्या प्रदेश के सबसे पिछड़े जनपद हमीरपुर के पिछड़े विधानसभा क्षेत्र मौदहा में भी प्राविधिक शिक्षण संस्थान खोले जाने की शासन की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

एयरोनाटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, लखनऊ को सम्मिलित करते हुए प्रदेश में 89 डिप्लोमा संस्थायें हैं, जिनमें से वर्तमान में 85 संस्थायें कार्यरत हैं तथा 4 संस्थायें अवस्थापना की स्थिति में हैं।

प्रत्येक जनपद में नवसृजित जनपदों को छोड़कर, कम से कम एक पालीटेकनिक संस्था स्वीकृत हैं। नवसृजित जनपदों हेतु प्राविधिक शिक्षण संस्थाएं खोले जाने का मामला विचाराधीन है नवसृजित जनपद में, जहाँ एक भी पालीटेक्निक संस्था नहीं है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद, हरदोई की तहसील बिलग्राम के मल्लावां विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में शराब की दुकानों को बन्द कराने की मांग

66—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या आबकारी मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई की तहसील बिलग्राम में मल्लावां विधानसभा क्षेत्र के ही हीरा रोशनपुर, सेखवापुर, पुरबावा, राघौपुर, रामपुर, मंसूरपुर, जरेरा मजरा बादरमऊ आदि अनेक गांवों तक में शराब की दुकानें शासन द्वारा खोलने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में शराब के कारण उत्पन्न बुराइयों को दृष्टिगत रखते हुए वहां पर शराब की दूकानें बन्द कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जनपद हरदोई के तहसील बिलग्राम में ग्राम हीरा रोशनपुर, सेखवापुर, पुरबावाँ, राघवपुर, रामपुर व जरेरा मजरा बादरमऊ में देशी शराब की अनुज्ञापित दुकानें स्थापित हैं। ग्राम मंसूरपुर

में शराब की कोई दुकान नहीं खोली गई है। मल्लावां विधानसभा क्षेत्र के गांवों में अवैध मद्य निष्कर्षण एवं शराब की अवैध बिक्री के अपराधों पर नियंत्रण एवं उचित मूल्य पर स्वच्छ एवं मानक मदिरा उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से उक्त ग्रामों में स्थित शराब की दुकानों को जनहित एवं राजस्व हित में चलाया जाना आवश्यक है, अतः उक्त अनुज्ञापित दुकानों को बन्द कराये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

67—श्री मित्रसेन यादव–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

68—श्री मित्रसेन यादव–

[दि० 21-3-94 को अता० प्र० स०–162 द्वारा उत्तरित]

जनपद फैजाबाद के लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत निर्माणाधीन सड़कों पर गिट्टी की कुटाई का कार्य

69—श्री मित्रसेन यादव–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री जमुना सिंह, जिला सचिव, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, फैजाबाद का पत्र दिनांक 29-6-93 मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग क्षेत्र, फैजाबाद को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त पत्र में किसी सड़क पर गिट्टी कुटाई का भी उल्लेख है ? यदि हां, तो क्या उसे रोलर की लागबुक में दर्ज किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग क्षेत्र फैजाबाद को जमुना सिंह, जिला सचिव, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, फैजाबाद का पत्र दिनांक– 29-6-93 को प्राप्त हुआ था।

मामले की छान-बीन कराने के पश्चात् यह पाया गया कि पत्र में निर्माणित सड़क पर गिट्टी कुटाई का कार्य ठेकेदार द्वारा किया गया था जिन्हें इस कार्य के लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया गया। चूँकि यह कार्य थोड़ी मात्रा में पथरी कूटकर मार्ग की ऊपरी सतह ठीक कराने से संबंधित था इसलिए इसमें इस कार्य को रोलर की लागबुक में अलग से लिखना आवश्यक नहीं समझा गया।

जनपद उन्नाव में ब्लाक नवाबगंज के ग्राम जैतीपुर से नवाबगंज मार्ग खड़न्जा स्तर तक निर्माण

70—श्री सुन्दर लाल लोधी–

क्या लोक निर्माण मंत्री के संज्ञान में है कि जनपद उन्नाव के नवाबगंज ब्लाक में ग्राम जैतीपुर एवं अन्य 25 ग्रामों को जोड़ने वाली सड़क (उधौ सिंह मार्ग) जो नवाबगंज से जैतीपुर

तक मात्र 6 किलोमीटर है, तथा इस रोड पर पड़ने वाले गांवों की जनसंख्या 10 व 15 हजार के मध्य है तथा ब्लाक का मुख्य रास्ता यही है, अभी तक नहीं बन सका है? क्या सरकारी नीति के अन्तर्गत रेलवे रोड एवं 5 हजार आबादी वाले ग्रामों को मुख्य मार्ग से जोड़ने की नीति है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त मार्ग का निर्माण करा देंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री देनी प्रसाद वर्मा–

जी, नहीं,

नवाबगंज से जैतीपुर मार्ग खड़न्जा स्तर तक निर्मित है तथा यातायात हेतु खुला है ।

जी, हाँ ।

प्रश्न नहीं उठता क्योंकि उक्त मार्ग खड़न्जा स्तर तक पूर्व में ही निर्मित है ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद हरदोई के मल्लावां विधान सभा क्षेत्र में असहायता प्राप्त विद्यालयों को विशेष अनुदान देने की मांग

71.—श्री राम आसरे वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई के मल्लावां विधान सभा क्षेत्र में कुल कितने असहायता प्राप्त विद्यालय चल रहे हैं? उन विद्यालयों में शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की संख्या कितनी है? क्या सरकार शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की दयनीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये अनुदान सूची में उनके आने तक विशेष अनुदान देने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

डा० मसूद अहमद–

9 'अ' श्रेणी के मान्यता प्राप्त विद्यालय असहायता प्राप्त हैं।

86 ।

जी नहीं।

शासन द्वारा प्रश्नगत विद्यालयों को विशेष अनुदान दिए जाने की कोई योजना संसाधन की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद हमीरपुर के विधान सभा क्षेत्र मौदहा में टूटी पुलियों के निर्माण की मांग

72.—श्री बशीर–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हमीरपुर के विधान सभा क्षेत्र मौदहा में कौन-कौन सी पुलियां टूटी हैं? क्या टूटी हुयी उक्त पुलियों का नया निर्माण कराने की सरकार की कोई योजना है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वेनी प्रसाद वर्मा–

जनपद हमीरपुर के विधान सभा क्षेत्र मौदहा में मौदहा-बसवारी में का पुलिया सं०-29/1, 26/3, 25/2, इमिलिया-महरौली मार्ग की पुलिया सं०-5/1, इमिलिया-हुसेना मार्ग की पुलिया सं०-1/1 एवं मुस्करा विलगांव मार्ग की पुलिया सं०-2/1, 6/1,8/2 (कुल 8 (आ०) पुलिया टूटी हैं।

जी नहीं,

कार्य जिला योजना का है जिसकी स्वीकृति जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति, के अनुमोदन तथा धन की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद हमीरपुर के विधान सभा क्षेत्र मौदहा की कतिपय सड़कों की मरम्मत

73—श्री बशीर–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हमीरपुर की मौदहा विधान सभा क्षेत्र की कौन-कौन सड़कें किस-किस किलोमीटर में उखड़ी पड़ी हैं? क्या उक्त उखड़ी हुयी सड़कों को बनाने की सरकार की कोई योजना है? यदि हां, तो कब तक उनका निर्माण करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वेनी प्रसाद वर्मा–

जनपद हमीरपुर की मौदहा विधान सभा क्षेत्र में कोई भी सड़क उखड़ी हुई नहीं है किन्तु निम्नलिखित सड़कों–

1– सुमेरपुर टिकरी बुजुर्ग मार्ग

2– मौदहा अरतरा परछट मार्ग

3– चरखारी मुस्करा मार्ग

4– मौदहा बसवारी मार्ग

5– मटोद कपसा मार्ग

6– कानपुर हमीरपुर कबरई मार्ग के कतिपय किलोमीटरों में हल्के तथा भारी दाग हैं, जिन पर अनुरक्षण मद में उपलब्ध सीमित धनराशि के अन्तर्गत मरम्मत का कार्य कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बाराबंकी में धामपुर शुगर मिल्स रौजागांव की स्थापना हेतु किसानों की सहमति पर, भूमि का क्रय किया जाना

74—श्री मित्रसेन यादव–

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि धामपुर शुगर मिल्स रौजागांव, बाराबंकी की स्थापना हेतु किसानों की भूमि अर्जित की गयी है? यदि हां, तो किन-किन किसानों की? क्या जिन किसानों की भूमि अर्जित की गयी है, उनके आश्रितों को योग्यता एवं पात्रता को देखते हुए सेवा में लिया गया है? यदि हां, तो कितने लोगों को? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव–

धामपुर शुगर मिल रौजागांव, बाराबंकी की स्थापना हेतु किसानों की कोई भूमि उ०प्र० जमींदारी विनाश अधिनियम, 1950 के प्राविधानों के अनुसार अर्जित नहीं की गयी है, बल्कि निजी क्षेत्र की इस मिल द्वारा किसानों की भूमि पारम्परिक सहमति के आधार पर क्रय की गयी है। शेष का प्रश्न नहीं है।

जनपद बाराबंकी के रौजा गांव स्थित शुगर मिल में प्रदूषण रोकने हेतु संयंत्र का लगाया जाना

75—श्री मित्रसेन यादव–

क्या पर्यावरण मंत्री कृपया बतायेंगे कि रौजा गांव शुगर मिल, बाराबंकी में प्रदूषण रोकने संबंधी कानून और नियमों का पालन किया जा रहा है? यदि हां, तो क्या प्रदूषण रोकने संबंधी संयंत्र वहाँ पर लगाया गया है? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि पर्यावरण को ठीक-ठाक रखने के लिये कारखाना लगाने के पूर्व कौन-कौन से कार्य कारखाना मालिक द्वारा कराये जाने का प्राविधान है? क्या उक्त कार्य उक्त रौजा गांव शुगर मिल द्वारा पूरे कर लिये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव–

पूर्ण अनुपालन नहीं किया गया है।

जी हाँ।

उद्योग को स्थापना से पूर्व बोर्ड से पर्यावरण दृष्टिकोण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होता है। तत्पश्चात उद्योग में उत्पादन प्रारम्भ करने से पूर्व उचित क्षमता के प्रदूषण निवारण संयंत्र स्थापित कर जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 के अंतर्गत उत्प्रवाह निस्तारण हेतु तथा वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम, 1981 की धारा-21)

के अन्तर्गत उद्योग के संचालन हेतु बोर्ड से सहमति प्राप्ति करना आवश्यक है जिसका नवीनीकरण प्रत्येक वर्ष होना अनिवार्य है। उद्योग द्वारा स्थापना से पूर्व बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण प्राप्त किया है। उद्योग द्वारा स्थापित होकर कामर्शियल उत्पादन नवम्बर, 93 में प्रारम्भ किया गया था।

उद्योग द्वारा वर्ष 1994 में जल अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 के अन्तर्गत उत्प्रवाह निस्तारण हेतु तथा वायु अधिनियम, 1981 की धारा 21 के अंतर्गत उद्योग के संचालन हेतु सहमति प्राप्त करने के लिए बोर्ड में आवेदन किया गया था, जो अपूर्ण होने के कारण बोर्ड द्वारा उद्योगों को वापस कर दिया गया था। उद्योग ने मार्च, 94 में सहमति हेतु पुनः आवेदन किया गया है, जो विचाराधीन है। वर्तमान में उद्योग बन्द है।

उद्योग में प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र दिसम्बर, 1993 में स्थापित कर चालू किया गया। उद्योग के शुद्धिकृत उत्प्रवाह का दिनांक 20.12.93 को एकत्रित नमूना बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पाया गया तथा दिनांक 3.2.94 को एकत्रित उत्सर्जन का नमूना बोर्ड द्वारा निर्धारित मानको के अनुरूप पाया गया।

लागू नहीं।

जनपद बाराबंकी की तहसील रुदौली में धामपुर शुगर मिल इकाई की स्थापना

76—श्री मित्रसेन यादव–

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बाराबंकी की तहसील रुदौली में धामपुर शुगर मिल्स की एक इकाई की स्थापना पिछले वर्ष 1990-91 में हुयी थी? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि क्या इस मिल की स्थापना हेतु गांव सभाओं व किसानों की भूमि अर्जित की गयी थी? यदि हां, तो मुआवजा किस रेट पर निर्धारित किया गया? क्या उक्त मुआवजा का भुगतान कृषकों एवं गांव सभाओं को कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? उक्त अधिग्रहीत भूमि व मुआवजा का पूरा विवरण क्या है? उक्त मिल में कुल कितने कर्मचारी नियुक्त किये गये हैं तथा इसमें से कितने जनपद बराबंकी के हैं? मिल कब से चालू है तथा कितने कर्मचारी स्थायी व कितने अस्थाई हैं? कितने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी वहां पर कार्यरत हैं?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद बाराबंकी की तहसील रुदौली में धामपुर शुगर मिल्स को एक इकाई की स्थापना का कार्य वर्ष 1992-93 पूर्ण में हुआ।

उक्त मिल की स्थापना हेतु ग्राम सभाओं व किसानों की कोई भूमि उ०प्र० जमींदारी विनाश अधिनियम, 1950 के प्राविधानों के अनुसार अर्जित नहीं की गई है बल्कि निजी क्षेत्र को इस मिल द्वारा किसानों की भूमि पारस्परिक सहमति के आधार पर क्रय की गई है। उपलब्ध सूचना के अनुसार उक्त क्रय की गई भूमि के बीच-बीच में 7.166 हे० भूमि ग्राम सभा गनौली की स्थित है, जिसके सम्बन्ध में तहसीलदार के न्यायालय में वाद विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

मिल से उपलब्ध सूचना के अनुसार उक्त मिल में पेराई सत्र 93-94 में कुल 470 कर्मचारियों ने काम किया जिनमें 226 कर्मचारी जनपद बाराबंकी के हैं।

मिल में गन्ने की पेराई का कार्य प्रथम बार गत पेराई सत्र 1992-93 में दिनांक 14.2.93 को प्रारम्भ हुआ था। मिल से उपलब्ध सूचना के अनुसार पेराई सत्र 1993-94 में कुल 125 स्थायी तथा 345 अस्थायी कर्मचारियों ने कार्य किया है तथा मिल की ओर से नियोजित दैनिक वेतन भोगी कोई कर्मचारी वर्तमान में कार्यरत नहीं हैं।

रानीखेत इण्टरमीडिएट कालेज, रानीखेत के प्रधानाचार्य के स्थानान्तरण का मामला

77.—श्री हृदय नारायण–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रानीखेत इण्टरमीडिएट कालेज, रानीखेत के प्रधानाचार्य को स्थानान्तरण के आधार पर पारकर इण्टर कालेज, मुरादाबाद के प्रधानाचार्य के पद पर दिनांक 1.7.92 को किन परिस्थितियों में नियुक्त किया गया है, जब कि शासकीय अधिसूचना संख्या 5080/15-7-1(56)/82, दिनांक 1.2.1983 के अनुसार शासन ने इस पर रोक लगा रखी है जो अल्पसंख्यक स्कूलों पर मुख्य रूप से प्रभावी है? क्या मंत्री जी को जानकारी है कि उपरोक्त स्थानान्तरण के द्वारा पारकर इण्टर कालेज, मुरादाबाद के प्रधानाचार्य ने गलत ढंग से अपने वेतनमान को भी पुनरीक्षित वेतनमान में निर्धारित करा लिया है और इस प्रकार अब तक वह लाखों रुपये की धनराशि सरकारी कोष से आहरित कर चुके हैं? क्या यह भी सत्य है कि अभी तक उप निदेशक (शिक्षा) द्वादश मण्डल द्वारा उनके पद का अनुमोदन भी नहीं किया गया है? क्या ऐसी अनियमित नियुक्ति को निरस्त करने हेतु सरकार कोई तत्काल कदम उठायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

डा० मसूद अहमद–

विद्यालय की प्रशासन योजना के निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया है। प्रश्नगत अधिसूचना दिनांक 1.2.83 की है। वर्तमान अधिसूचना दिनांक 23.1.92 में यह प्रतिबन्ध नहीं है। वेतन निर्धारण नियम संगत है।

अनुमोदन मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, नैनीताल द्वारा किया जा चुका है। अतः पुनः अनुमोदन करने का प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उ० प्र० राज्य सेतु निगम के एन० एस० सी० एकाउन्ट में जमा की गई धनराशि एवं कर्मचारी/अधिकारी के नाम निगमित न होने से वित्तीय हानि के लिए प्रबन्ध अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही न किये जाने के कारण

78–श्री बी० आर० वर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1987-88 में वित्तीय वर्ष 1992-93 तक सेतु निगम के लेखों में कुल कितना धन एन० एस० सी० एकाउन्ट में जमा दर्शाया गया है? क्या समय से जमा धन की एन० एस० सी० इकाई अधिकारी अथवा प्रबन्ध निदेशक सेतु निगम द्वारा कर्मचारी/अधिकारी के नाम निर्गमित न कराने से राष्ट्र एवं कर्मचारी दोनों की वित्तीय हानि हुयी है? यदि हां, तो इकाई अधिकारी/प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध आज तक कोई कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

उ० प्र० राज्य सेतु निगम के वित्तीय वर्ष अक्टूबर, 87 से मार्च, 89 से वित्तीय वर्ष 1992-93 तक रु० 96,37,218 एन० एस० सी० एकाउन्ट में जमा दर्शाया गया है। इनमें से अधिकतर धनराशि शासन द्वारा शासनादेश के अनुसार निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतनमानों के पुनरीक्षण के कारण तथा समय-समय पर अतिरिक्त महंगाई भत्ते की दरों में वृद्धि के कारण देय हुई परन्तु सेतु निगम के पास धनाभाव के कारण यह धनराशि वास्तविक तौर पर सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों को दिया जाना बाकी है। इस स्थिति के लिये कोई अधिकारी दोषी नहीं है, इसलिए किसी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर में सेतु निर्माण इकाई द्वारा सन्ड्री क्रेडिटर मद में सभी देयों का भुगतान न होना

79–श्री बी० आर० वर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सेतु निर्माण इकाई कानपुर के 12/93 माह के तलपट के अनुसार कितना धन सण्ड्री क्रेडीटर एवं आउट स्टैंडिंग लाइबिलिटीज मद में दर्शाया गया है? क्या सण्ड्री क्रेडीटर मद में जमा धनराशि के विरुद्ध श्री आर० टी० सुषमा, परियोजना प्रबन्धक ने अपने कार्यकाल से पूर्व देय भुगतानों को भुगतान नहीं किया था? यदि हां, तो श्री सुषमा परियोजना के कार्यकाल से पूर्व सण्ड्री क्रेडीटर में फर्मवार बीजकों का विवरण क्या था एवं इन बीजकों को सेतु निगम पर बनवाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध आज तक कोई कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

सेतु निर्माण इकाई, कानपुर के 12/93 माह के तलपट के अनुसार सण्ड्री क्रेडिटर्स में रु० 29,74,195.51 पै० एवं रु० 14,50,592.93 पै० आउट स्टैंडिंग लायबिलिटीज मद में दर्शाया गया है।

यह कहना सही है कि सण्ड्री क्रेडिटर मद में पूर्व सभी देय भुगतानों का भुगतान नहीं हो पाया।

यह विवरण विस्तृत है जिसे प्रश्नकर्ता लोक निर्माण मंत्री के कार्यालय में देख सकते हैं।

उक्त बीजक इकाई के अधीन कार्यों हेतु विभिन्न फर्मों से ली गई सामग्री आदि के हैं जिनके लिये अभी तक किसी अधिकारी को दोषी नहीं पाया गया है।

विधान सभा क्षेत्र चरथावल जनपद मुजफ्फरनगर की ग्राम सभाओं में प्राइमरी पाठशालाओं की स्थापना किये जाने की मांग

80–श्री रणधीर सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री वर्ष 1995 तक विधान सभा क्षेत्र चरथावल जनपद मुजफ्फरनगर की सभी ग्राम सभाओं में प्राइमरी पाठशालाओं की स्थापना सुनिश्चित करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

डा० मसूद अहमद–

जी नहीं। वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए आगामी तीन वर्षों में सभी ग्राम सभाओं को प्राइमरी पाठशालाओं से आच्छादित करने का प्रयास किया जायेगा।

जिला देवरिया के कनोडिया शुगर मिल कप्तान गंज के चिमनी के राख के प्रदूषण निराकरण की मांग

81–श्री अम्बिका सिंह–

क्या सरकार को जानकारी है कि कनोडिया शुगर मिल कप्तानगंज जिला देवरिया के चिमनी के निकले राख से कप्तानगंज के निवासियों के स्वास्थ्य पर खराब असर पड़ रहा है? क्या सरकार इसके निराकरण का उपाय करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव–

चिमनी की राख से कप्तानगंज के निवासियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

उद्योग द्वारा गैसीय उत्सर्जन हेतु स्थापित तीन चिमनियों में दो चिमनियों के साथ वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित कर ली गई है, परन्तु अनुश्रवण के दौरान केवल एक चिमनी का उत्सर्जन बोर्ड मानकों के अनुरूप पाया गया। उद्योग में संतोषजनक वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था न होने के कारण उद्योग की वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत सहमति अस्वीकार कर समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित करने के निर्देश दिए गए थे। उद्योग का उत्सर्जन बोर्ड मानकों के अनुसार न होने के कारण उद्योग को वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

(ब) के अनुसार

लागू नहीं।

जनपद देवरिया के कनोडिया शुगर मिल कप्तानगंज एवं डिस्टेलरी कप्तानगंज का गन्दा पानी मौन नाले में न छोड़ने की व्यवस्था किये जाने की मांग

82– श्री अम्बिका सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कनोडिया शुगर मिल कप्तानगंज, जिला देवरिया एवं डिस्टेलरी कप्तानगंज, जिला देवरिया का गन्दा पानी मौन नाले में छोड़ा जाता है? क्या उस गन्दे पानी से मौन नाले की मछलियां मर जाती है? क्या सरकार कोई व्यवस्था करायेगी, कि गन्दा पानी मौन नाले में न छोड़ा जाय? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां।

जी नहीं।

कनोडिया शुगर मिल कप्तानगंज में उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित है तथा उत्प्रवाह निर्धारित मानकों के अन्तर्गत है।

कप्तानगंज डिस्टेलरी जिला देवरिया को पूर्ण उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित न करने के कारण माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 3.12.93 को उद्योग के बन्दी के आदेश दिये गये थे। दिनांक 24.2.94 को उद्योग के बन्दी के आदेश दो माह के लिये निलम्बित किये गये थे। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 18.3.94 के बन्दी आदेशों के निलम्बित की अवधि चार सप्ताह दिनांक 15.4.94 तक के लिये और बढ़ा दी गई है। वर्तमान में उद्योग शीरे के अभाव में बन्द है।

उपरोक्तानुसार।

लागू नहीं।

गन्ना आयुक्त एवं निबन्धक सह० गन्ना समितियां, उ०प्र० के आदेश के विरुद्ध गन्ना संघ के कतिपय जू० सहायकों द्वारा संयुक्त रूप से श्री राकेश मिश्र को कनिष्ठ होते हुए बचत निरीक्षक के पद पर पदोन्नति किये जाने विषयक प्रत्यावेदन

83–श्री अनिल कुमार वर्मा–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना आयुक्त एवं निबन्धक सह० गन्ना समितियां, उ० प्र० के आदेश सं० 290-92 दिनांक 1-8-91 के विरुद्ध गन्ना संघ के कतिपय जू० सहायकों द्वारा संयुक्त रूप से उन्हें प्रत्यावेदन दिनांक 21-9-92 को उपलब्ध कराया है? यदि हां, तो प्रत्यावेदन में किन-किन तथ्यों को अंकित किया गया है तथा अंकित तथ्यों के आधार पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या अब विधि सम्मत कार्यवाही की जायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां।

प्रश्नगत प्रत्यावेदन में मुख्यतः यह उल्लिखित है कि वरिष्ठ कर्मचारियों को छोड़कर श्री राकेश मिश्र को कनिष्ठ होते हुए भी बचत निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया और इससे वरिष्ठ कर्मचारियों की ज्येष्ठता प्रभावित हो रही है। विषयगत प्रत्यावेदन में कोई बल नहीं पाया गया। उल्लेखनीय है कि बचत निरीक्षक के निःसम्वर्गीय पद पर श्री राकेश मिश्र को उपयुक्तता के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा नियुक्त किया गया है। चूंकि श्री मिश्र की नियुक्ति निःसम्वर्गीय पद पर की गयी है अतः इस नियुक्ति से अन्य कर्मचारियों की ज्येष्ठता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता।

उपर्युक्तानुसार प्रत्यावेदन पर नियमानुसार विचार कर लिया गया है और प्रत्यावेदन बलहीन पाया गया है। अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर (देहात) में निर्वाचन क्षेत्र घाटमपुर के ग्राम - सिधौल में कन्या जूनियर विद्यालय की स्थापना की मांग

84-श्री राकेश सचान-

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के निर्वाचन क्षेत्र घाटमपुर जनपद कानपुर (देहात) के अत्यन्त पिछड़े ग्राम सिधौल में कन्या जूनियर विद्यालय की स्थापना किये जाने हेतु सरकार विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि उपर्युक्त ग्राम सिधौल में प्राइमरी पाठशाला स्थापित है? यदि हां, तो क्या इसे उच्चीकृत करके जूनियर हाई स्कूल तक किये जाने की शासन की कोई योजना है? यदि नहीं, तो इसे जूनियर हाई स्कूल तक किये जाने पर विचार कब तक किया जायेगा?

डा० मसूद अहमद-

जी हां, संसाधन उपलब्ध होने पर जिला बेसिक शिक्षा समिति द्वारा उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने पर विचार किया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां।

प्राथमिक पाठशाला को उच्चीकृत करने की कोई योजना नहीं है। अतः उच्चीकृत करने का प्रश्न नहीं उठता।

जूनियर हाई स्कूल खोलने की जिला योजनान्तर्गत परिव्यय उपलब्ध होने एवं जिला बेसिक शिक्षा समिति द्वारा अनुमोदित किये जाने पर प्रश्नगत उच्च प्राथमिक विद्यालय खोला जा सकेगा।

बेसिक शिक्षा परिषद् उ० प्र० में उप विद्यालय निरीक्षकों के पदों पर कार्यरत अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को पदोन्नत किये जाने की मांग

85-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद्, उ० प्र० में उप विद्यालय निरीक्षकों के पदों पर कार्यरत अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की पदोन्नतियां अब तक न किये जाने का क्या कारण हैं? क्या इनसे कनिष्ठ सामान्य वर्ग के उप विद्यालय निरीक्षकों को पदोन्नतियां दी जा चुकी हैं? यदि हां, तो उक्त अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को पदोन्नतियों से वंचित किये जाने हेतु कौन उत्तरदायी है? क्या मंत्री जी उक्त अनुसूचित जाति के उप विद्यालय निरीक्षकों को पदोन्नतियां शीघ्र दिलवायेंगे ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

डा० मसूद अमहद-

गत 1991 के चयन में मिश्रित नोशनल (कार्यकारी) ज्येष्ठता सूची के नाम अवशेष न होने के कारण।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

अधियाचन भेजने की कार्यवाही की जा चुकी है।

"सबको शिक्षा समान" कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद बांदा में प्रा० पा० तथा जूनियर हाई स्कूल खोलने का प्रस्ताव एवं आवंटित धन

86–श्री मन्नू लाल कुरील–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि "सबको शिक्षा समान" कार्यक्रम के अन्तर्गत बांदा जनपद में 50 प्रा० पा० तथा 20 जूनियर हाई स्कूल पिछले वर्ष खुलने थे और जिनके लिए जिला योजना की बैठक में प्रस्ताव स्वीकृत हुए थे? यदि हां, तो उन स्वीकृत विद्यालयों में से कितने प्रा० पा० एवं जूनियर हाई स्कूल मऊ-मानिकपुर क्षेत्र में स्थापित किये गये? क्या उपरोक्त विद्यालयों के लिए धन आवंटित हुआ है? यदि हां, तो कितना? यदि नहीं, तो कब तक धनावंटन होगा?

डा० मसूद अहमद–

विश्व बैंक सहायिक उ० प्र० सभी के लिए शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत बांदा जनपद के लिए वर्ष 1993-94 में 50 नवीन प्राथमिक स्कूल तथा 20 नवीन उच्च प्राथमिक स्कूल खोलने हेतु भवन निर्माण की स्वीकृत दी गयी है। मऊ विकास खण्ड में 4 प्राथमिक तथा 1 उच्च प्राथमिक स्कूल तथा मानिकपुर विकास खण्ड में 4 प्राथमिक तथा 1 उच्च प्राथमिक स्कूल का प्रस्ताव है।

बांदा जनपद को प्राथमिक/उच्च प्राथमिक स्कूलों को खोलने हेतु भवनों का निर्माण, स्कूलों के जर्जर भवनों का पुनर्निर्माण परियोजना का जनपद स्तरीय कार्यालय के गठन आदि हेतु प्रथम किस्त में रु० 182.48 लाख की धनराशि उपलब्ध करायी जा चुकी है।

जनपद सिद्धार्थ नगर के बांसी में राप्ती नदी पर बने पुल का निर्माण वर्ष एवं पुल की धनराशि की वसूली

87–श्री जय प्रताप सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांसी, जनपद सिद्धार्थनगर में राप्ती नदी पर बना पुल का निर्माण कब हुआ था? क्या इस पुल की पूरी धनराशि, कर द्वारा वसूल ली गयी है? यदि हां, तो अब वहां पर बैरियर लगाने का औचित्य क्या है? उक्त पुल की बकाया धनराशि को पूरा करने में कितना समय अभी और लगेगा? क्या पुल पर से बैरियर हटाया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

प्रश्नगत पुल का निर्माण वर्ष 1957 में हुआ था।

जी नहीं।

प्रश्नगत पुल की लागत की पूरी वसूली न होने के कारण नियमानुसार अभी बैरियर लगाना आवश्यक है।

मार्च 1995 तक सेतु की लागत की पूरी वसूली की सम्भावना है।

नियमानुसार लागत की वसूली पूर्ण होने पर ही बैरियर हटाया जाता है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थ नगर के अन्तर्गत ग्राम अतर्रा नानकार के पास सेतु निगम द्वारा पुल निर्माण के लिए जिला योजना द्वारा प्राप्त धन एवं निर्माण न होने के कारण

88–श्री जय प्रताप सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड सांथा, जनपद सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत ग्राम अतर्रा नानकार पर सेतु निगम द्वारा पुल निर्माण के लिए जिला योजना द्वारा कब और कितना धन मिला था? क्या सरकार निर्माण कार्य अब तक न प्रारम्भ होने का कारण बतायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जनपद सिद्धार्थनगर में ग्राम अतर्रा नानकार के धर्म-सिंहवा-कलनाखोर मार्ग पर राप्ती नदी के छोर पर लघु सेतु के निर्माण के लिये लोक निर्माण विभाग द्वारा दिनांक 31.3.89 को 7.00 लाख रुपये की धनराशि सेतु निगम को दी गई थी।

प्रस्तावित स्थल पर सर्वेक्षण के उपरान्त 20 मीटर लम्बाई के लघु सेतु के स्थान पर 36 मीटर लम्बाई के दीर्घ सेतु की आवश्यकता पाई गई, जिसके कारण लघु सेतु का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया। इसलिए उक्त स्थल पर दीर्घ सेतु का निर्माण की स्वीकृति एवं राज्य सेक्टर में धन की उपलब्धता पर सम्भव होगा।

प्राविधिक शिक्षा विभाग में कार्यरत यांत्रिक अभियंत्रण के सहायक प्रवक्ताओं की ज्येष्ठता सूची में राजकीय चर्म संस्थान आगरा एवं कानपुर के अनुदेशकों को सम्मिलित किये जाने की मांग

89–श्री धनराज यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्राविधिक शिक्षा विभाग में कार्यरत यांत्रिक अभियंत्रण के सहायक प्रवक्ताओं की ज्येष्ठता सूची में राजकीय चर्म, संस्थान, आगरा एवं राजकीय चर्म संस्थान, कानपुर के पदों में मूल रूप से नियुक्त अनुदेशक, यांत्रिक अभियन्त्रण (वर्तमान सहायक प्रवक्ता) के अनुदेशकों को सम्मिलित किया गया है? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यो? राजकीय चर्म संस्थानों में लोक सेवा आयोग से चयनित यांत्रिक अभियन्त्रण के अनुदेशकों के नामवार स्थान ज्येष्ठता सूची में किस-किस क्रम पर है?

श्री मुलायम सिंह यादव–

राजकीय चर्म संस्थान, आगरा में सहायक प्रवक्ता, यांत्रिक अभियंत्रण का पद, सृजन से ही, संवर्गीय होने के कारण, पद पर नियुक्त किसी कर्मचारी को अलग से सहायक प्रवक्ता, यांत्रिक अभियंत्रण, की ज्येष्ठता सूची में जोड़े जाने की आवश्यकता नहीं है, जबकि राजकीय चर्म संस्थान, कानपुर का अनुदेशक, यांत्रिक (परिवर्तित पदनाम सहायक) प्रवक्ता, (यांत्रिक अभियंत्रण) का पद "संवर्ग बाह्य-एकल था"। उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा विभाग अराजपत्रित प्राविधिक सेवा नियमावली, 1988 के नवगठित संवर्ग के अनुसार इस पद के भी संवर्ग में सम्मिलित होने से, वर्ष, 1981 में, राजकीय चर्म संस्थान, कानपुर के संदर्भित, पूर्व निःसंवर्गीय पद के लिये आयोग से चयनित एवं नियमित नियुक्ति प्राप्त श्री बृजेन्द्र स्वरूप पाण्डेय को सहायक प्रवक्ता, यांत्रिक अभियंत्रण की संवर्गीय ज्येष्ठता सूची के पुनरीक्षित स्थान क्रमांक-27 पर, चयन वर्ष के क्रमानुसार, समायोजित किया गया है।

राजकीय पालीटेक्निकों में प्रधानाचार्यों के पदों की स्थित एवं रिक्त पदों को भरे जाने की मांग

90-श्री धनराज यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न राजकीय पालीटेक्निकों में प्रधानाचार्य के कितने पद हैं? इन पदों पर कितने चयनित तथा कितने कार्यवाहक प्रधानाचार्य कार्यरत हैं? प्रधानाचार्यों के इन रिक्त पदों में से वर्ष 1991-92, 1992-93 की पदोन्नति द्वारा हुई रिक्तियों की संख्या क्या है? कौन-कौन से अधिकारी इन रिक्तियों के विरुद्ध पदोन्नति की पात्रता के क्षेत्र में आते हैं? क्या प्रश्नगत रिक्तियों को भरने का शासन का विचार है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव–

राजकीय पालीटेक्निकों में प्रधानाचार्य के 63 पद है। 26 चयनित (22 नियमित 4 तदर्थ) तथा 36 नियमित विभागाध्यक्ष प्रधानाचार्य के पद का कार्य देख रहे हैं। वर्ष 1991-92 में पदोन्नति हेतु कोई पद रिक्त नहीं हुआ। वर्ष 1992-93 में दो पदधारकों की, सशर्त प्रोन्नति, के फलस्वरूप दो रिक्तियां हुयीं, जो सशर्त होने के कारण वास्तविक रिक्तियां नहीं थीं। अतः वास्तविक रिक्तियां न होने के कारण, उनको पदोन्नति द्वारा भरे जाने का, प्रश्न नहीं उठता।

श्री सियाराम यादव एडवोकेट द्वारा प्रतापगढ़ में एक बालिका इण्टर कालेज खोलने के संबंध में दिये गये प्रस्ताव के सम्बन्ध में कार्यवाही

91–श्री लाल बहादुर सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सियाराम यादव, एडवोकेट द्वारा दिये गये, एक अन्य बालिका इण्टर कालेज, प्रतापगढ़ खोलने के संबंध में, प्रस्ताव पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

डा० मसूद अहमद–

कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

क्योंकि सीधे बालिका इण्टर कालेज खोलने की कोई योजना संचालित नहीं है।

जनपद प्रतापगढ़ में विधान सभा क्षेत्र सदर में संचालित विश्वनाथ गंज विद्यालय के कतिपय अध्यापकों द्वारा राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेने के कारण उनके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की मांग

92–श्री लाल बहादुर सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ विधान सभा क्षेत्र सदर में संचालित विश्वनाथ गंज विद्यालय के श्री नरसिंह बहादुर सिंह, श्री अशोक कुमार मिश्रा एवं अन्य अध्यापक, लगातार बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में उपस्थित रहते हैं? यदि हां, तो क्या श्री अशोक कुमार मिश्रा द्वारा सार्वजनिक सभा जो कि हैसीपरजी बाजार में माह जनवरी, 1994 के दूसरे सप्ताह में आयोजित थी, का संचालन किया गया था? यदि हां, तो उनके विरुद्ध तथा सक्रिय रूप से राजनीति में भाग लेने वाले अन्य अध्यापकों के संबंध में शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? यदि नहीं तो क्यों?

डा० मसूद अहमद–

जी नहीं। प्राथमिक विद्यालय हौसी मोड़ क्षेत्र मान्धाता पर आयोजित विकास गोष्ठी का संचालन किया गया था।

इनके तथा जनपद में अन्य किसी शिक्षक के विरुद्ध सक्रिय राजनीति में भाग लेने संबंधी शिकायत/सूचना विभाग को प्राप्त नहीं है। अतः कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देहरादून के चकराता निर्वाचन क्षेत्र में दारागाड़ - कियथान मोटर मार्ग के निर्माण कार्य पूर्ण करने की मांग

93-श्री प्रीतम सिंह (देहरादून)-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद देहरादून के चकराता निर्वाचन क्षेत्र में दारागाड़-कथियान मोटर मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है? यदि नहीं तो निर्माण कार्य पूर्ण होने में अभी कितना समय और लगेगा? उक्त कार्य में विलम्ब के लिए कौन उत्तरदायी है तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही शासन द्वारा की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री देनी प्रसाद वर्मा-

दिसम्बर, 94 तक निर्माण कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य है।

इस मार्ग के 22 से 27 कि०मी० तक तथा 39 कि०मी० में आरक्षित वन भूमि की भारत सरकार से हस्तान्तरण की स्वीकृति की कार्यवाही वर्ष 1990 में पूर्ण होने पर ही अवशेष भाग का निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जा सका। अतः विलम्ब के लिए कोई उत्तरदायी नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देहरादून के अन्तर्गत प्राइमरी पाठशाला एवं जूनियर हाई स्कूलों में नियुक्त अध्यापकों की संख्या एवं स्कूल में अनुपस्थित रहने वाले अध्यापकों के विरुद्ध कार्यवाही

94-श्री प्रीतम सिंह (देहरादून)-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-देहरादून के अन्तर्गत पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित प्राइमरी पाठशाला व जूनियर हाई स्कूलों में कितने-कितने अध्यापकों की नियुक्ति है? क्या वहां पर नियुक्त अध्यापक उक्त स्कूलों में उपस्थित रहते हैं? यदि नहीं, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही शासन द्वारा की गयी है?

डा० मसूद अहमद-

जनपद देहरादून के पर्वतीय क्षेत्र के विकास क्षेत्र चकराता एवं कालसी में स्थित प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निम्न विवरण के अनुसार अध्यापक नियुक्त है:-

	प्राथमिक विद्यालय		उच्च प्राथमिक विद्यालय	
	विद्यालय	अध्यापक	विद्यालय	अध्यापक
चकराता	140	244	23	99
कालसी	121	228	22	83

जी हां,

प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री राजेन्द्र पाल सिंह, बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ पर गबन का मुकदमा एवं कार्यवाही

95–श्री सतीश भाटिया–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या श्री राजेन्द्र पाल सिंह, बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ पर गबन का मुकदमा दर्ज है? यदि हां, तो किस मुकदमा संख्या द्वारा कितने रुपयों का तथा भारतीय दण्ड संहिता की किस-किस धाराओं में मुकदमा दर्ज है? शिक्षा विभाग द्वारा भी क्या कोई कार्यवाही उनके विरुद्ध प्रस्तावित है? यदि नहीं, तो क्यों?

डा० मसूद अहमद–

लखनऊ कार्यावधि के बारे में गबन का कोई मुकदमा दर्ज नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां। उन्हें निलम्बित करके उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के आदेश पारित किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मेरठ के अशोक हायर सेकेण्ड्री स्कूल, सरावां के सहायक अध्यापक श्री करम सिंह के वेतन विषयक प्रश्नकर्ता का सचिव, मा० शिक्षा को पत्र एवं कार्यवाही

96–श्री गजराज सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने दिनांक 31.1.94 को एक पत्र श्री करम सिंह, सहायक अध्यापक, अशोक हायर सेकेण्ड्री स्कूल, सरावां, जनपद मेरठ के वेतन न मिलने के संबंध में सचिव, मा० शिक्षा को दिया था? यदि हां, तो क्या श्री करम सिंह को वेतन दे दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? उक्त के संबंध में दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जायेगी?

डा० मसूद अहमद–

प्रश्न में उल्लिखित पत्र प्राप्त हुआ है किन्तु अभी तक श्री करम सिंह को वेतन का भुगतान नहीं किया गया है क्योंकि नियुक्ति पत्र जारी करने वाले प्रबन्ध तंत्र की वैधानिकता सुनिश्चित नहीं हो पायी है। वैधानिकता अतिशीघ्र सुनिश्चित करने के निर्देश दे दिए गए हैं।

जनपद प्रतापगढ़ में चमरोरा नदी पर बने पुल की लागत से अधिक धन वसूल लेने के बाद वहां पर टोल टैक्स की वसूली समाप्त करने की कार्यवाही किये जाने की मांग

97–श्री लाल बहादुर सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र, प्रतापगढ़ सदर में चमरोरा नदी पर बने पुल की लागत रुपये 1,50,000 थी? क्या इसके टोल टैक्स की वसूली सन् 1974 से की जा रही है? क्या दिनांक 31 मार्च, 92 तक 25 लाख की वसूली की जा चुकी है? यदि हां, तो क्या 20 वर्षों की वसूली के बाद भी, अभी तक टोल टैक्स वसूली जारी है? क्या सरकार गरीब जनता के हित में अपनी लागत से अधिक धन वसूल लेने के बाद वहां पर टोल टैक्स की वसूली समाप्त करने की कार्यवाही करने जा रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हां।

जी हां।

प्रश्नगत अवधि तक 24.99 लाख रुपये की वसूली की जा चुकी है। प्रश्नगत पुल की लागत उस पर ब्याज, अनुरक्षण व्यय आदि सम्मिलित करते हुए अपेक्षित धनराशि की नियमानुसार वसूली न हो पाने के कारण टोल टैक्स की वसूली अभी जारी है। उपरोक्तानुसार पुल की पूरी लागत की नियमानुसार वसूली हो जाने अथवा आरम्भ से 50 वर्ष की अवधि पूर्ण हो जाने पर पथकर संग्रह समाप्त किया जाना है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

अवध माण्टेसरी स्कूल, फत्तन सरांय, जनपद-सीतापुर के प्रबन्धक के विरुद्ध अनियमितताओं के सम्बन्ध में कु० असफिया खान आदि का पत्र एवं कार्यवाही

98–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि अवध माण्टेसरी स्कूल, फत्तन सरांय, सीतापुर के प्रबन्धक के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के संबंध में कु० असफिया खान, कहकशां फरहीन एवं रश्मि मिश्रा, निवासिनी सीतापुर द्वारा अलग-अलग शिकायती-पत्र, जिलाधिकारी, सीतापुर के माध्यम से बेसिक शिक्षा अधिकारी, सीतापुर को सितम्बर, 93 के दूसरे पखवारे में मिले हैं? यदि हां, तो उक्त तीनों प्रार्थना-पत्रों में मुख्य-मुख्य शिकायतें क्या हैं? उन पत्रों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है?

डा० मसूद अहमद–

जी हां।

प्रार्थना-पत्रों के आधार पर मुख्य-मुख्य शिकायतें निम्नवत् है :–

1—कुमारी कहकशां परवीन के नाम से प्राप्त शिकायती पत्र में आरोप है कि विद्यालय में आठ माह से कार्यरत है, उनका योगदान नहीं कराया गया है। दि० 14.3.93 को प्रबन्धक ने उसे विद्यालय में एक आदेश पर बिना पढ़े हस्ताक्षर करने को कहा, प्रबन्धक वेतन समय से न देकर हस्ताक्षर पिछली तारीखों में कराते हैं।

2—कुमारी रश्मि मिश्रा के नाम से प्राप्त शिकायती–पत्र में आरोप है कि प्रबन्धक उन्हें दि० 13.9.93 को कई दिन से विद्यालय न आने के कारण इस्तीफा देने को कहा तथा एक आदेश पर बिना पढ़े हस्ताक्षर कराने का प्रयास किया।

3—कुमारी असफिया खान के नाम से प्राप्त शिकायती पत्र में प्रबन्धक श्री जमीलूर्रहमान पर आरोप है कि उन्होंने प्रार्थिनी से दि० 13.9.93 को एक आदेश पर बिना पढ़े हस्ताक्षर कराये तथा अनैतिक और अमर्यादित वार्तालाप किया, प्रार्थिनी को एक वर्ष विद्यालय में पढ़ाते हुए हो गया है किन्तु अब तक उसका योगदान नहीं कराया गया। वेतन सदैव विलम्ब से दिया जाता है।

संस्था मान्यता प्राप्त न होने के कारण किसी प्रकार की कार्यवाही किया जाना संभव नहीं है।

बेसिक शिक्षा के लेखा संगठन में रिक्त ज्येष्ठ लेखा परीक्षकों के रिक्त पद एवं उक्त पदों पर कार्यरत लेखा परीक्षकों की पदोन्नतियां किये जाने की मांग

99–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा के लेखा संगठन में विगत पांच वर्षों से ज्येष्ठ लेखा परीक्षकों के कितने पद रिक्त हैं? इन रिक्त पदों पर इसी संगठन में कार्यरत लेखा परीक्षकों की पदोन्नतियां शासनादेश संख्या–वे०आ०–1-1802/दस-34 (एम)-83, दिनांक 11.8.83 द्वारा प्राविधान होते हुए भी अब तक न किये जाने का क्या कारण है? क्या मंत्री जी उक्त संगठन में रिक्त ज्येष्ठ लेखा परीक्षकों के पदों पर कार्यरत लेखा परीक्षकों की पदोन्नतियां शीघ्र करायेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

डा० मसूद अहमद–

उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार कुल 20 पद रिक्त हैं। क्योंकि वर्ष 1993 में लेखा परीक्षा संवर्ग के लिए प्रख्यापित सेवा नियमावली के अनुसार ज्येष्ठ लेखा परीक्षक के पदों पर पदोन्नति हेतु केवल 5 वर्षों की सेवा अवधि पूरी कर चुके स्थायी कनिष्ठ लेखा परीक्षक को ही अर्ह माना

गया है। सम्प्रति वर्तमान में कनिष्ठ लेखा परीक्षक के पद पर कार्यरत, कोई भी कर्मचारी वरिष्ठ लेखा परीक्षक के पद पर प्रोन्नति हेतु अर्ह नहीं है।

लेखा परीक्षकों के विनियमितीकरण पर निर्णय होने तथा उनके स्थायीकरण के पश्चात् ही इनकी पदोन्नति सम्भव हो सकेगी।

गन्ना संघ प्रेस में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को समान मजदूरी का भुगतान

100–श्री अनिल कुमार वर्मा–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना संघ प्रेस में वर्ष 1990-91 से 1993-94 के मध्य कुल कितने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी कार्यरत रहे हैं तथा वे कब से कब तक कार्यरत रहे एवं उनका मय वल्दियत नाम व पता क्या है? ऐसे कर्मचारियों की दैनिक मजदूरी के निर्धारण का आधार क्या है? क्या सभी को प्रतिदिन मजदूरी समान दी जाती है अथवा भिन्न- भिन्न ? यदि भिन्न-भिन्न मजदूरी दी जाती है, तो अधिकतम मजदूरी पाने वाले कर्मचारी का नाम क्या है और मजदूरी की भिन्नता का आधार क्या है? क्या ऐसे भी कर्मचारी हैं जिन्हें श्रमायुक्त द्वारा निर्धारित दैनिक मज़दूरी से भी अधिक मजदूरी भुगतान की गयी है? यदि हां, तो किसे और क्यों? क्या इस अनियमितता के लिए दोषी को दण्डित किया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव–

गन्ना संघ प्रेस में वर्ष 1990-91 में 45, वर्ष 1991-92 में 16, वर्ष 1992-93 में 4, मजदूर एवं एक मैकेनिक तथा वर्ष 1993-94 में 4 मजदूर तथा एक मैकेनिक कार्यरत रहे हैं। इनके कार्यकाल, मय वल्दियत नाम व पते से सम्बन्धित विवरण संलग्न है।

शासनादेश सं०-जी-2-1232/दस-301-85 लखनऊ, दिनांक 15 अक्टूबर, 1990 के आधार पर मजदूरी का निर्धारण किया गया। गन्ना संघ प्रेस के दैनिक वेतन भोगी मजदूरों को समान मजदूरी दी जा रही है।

दैनिक वेतन भोगी मैकेनिक, श्री वसीन जिलानी को गन्ना संघ प्रेस में कुशल कर्मियों हेतु लागू वेतनमान के आधार पर पद के अनुरूप देय मासिक वेतन की सीमा के अन्दर ही रुपये 50/- प्रतिदिन की दर से केवल कार्य दिवसों का भुगतान किया गया है।

जी नहीं।

उपर्युक्तानुसार शेष का प्रश्न ही नहीं उठता।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 260 पर)

गन्ना संघ प्रेस व गन्ना संघ के कर्मचारियों की सेवा नियमावलियां एवं तरुण कुमार भटनागर, प्रूफ रीडर की गन्ना संघ प्रेस की सेवा को गन्ना संघ में संविलीन किये जाने के आधार एवं उसे निरस्त किये जाने की मांग

101–श्री अनिल कुमार वर्मा–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना संघ प्रेस व गन्ना संघ के कर्मचारियों की सेवा नियमावलियां एक ही हैं अथवा अलग-अलग? यदि अलग-अलग हैं तो क्या गन्ना संघ प्रेस में किसी कर्मचारी द्वारा की गयी उसकी सेवाओं को गन्ना संघ में संविलीन किया जा सकता है? यदि हां, तो किस आधार पर? यदि नहीं तो श्री तरुण कुमार भटनागर, प्रूफ रीडर की गन्ना संघ प्रेस की सेवा को किस आधार पर गन्ना संघ में संविलीन किया गया है? क्या अब तक उक्त आदेश को निरस्त किया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव–

गन्ना संघ प्रेस व गन्ना संघ की अलग-अलग सेवा नियमावलियां हैं।

जी हां।

गन्ना संघ में पद की उपलब्धता की स्थिति में गन्ना संघ प्रेस के कर्मचारी की उपयुक्तता के आधार पर गन्ना संघ प्रेस के कर्मचारी को गन्ना संघ की सेवा में संविलीन किया जा सकता है।

उपर्युक्तानुसार ही श्री तरुण कुमार भटनागर को गन्ना संघ में संविलीन किया गया है। श्री भटनागर की गन्ना संघ प्रेस की सेवा अवधि को गन्ना संघ सेवा में सम्मिलित नहीं किया गया है।

चूंकि उक्त कार्यवाही सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार की गयी है अतः शेष का प्रश्न ही नहीं उठता।

102–श्री अनिल कुमार वर्मा–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अब तक गन्ना संघ प्रेस के कितने कर्मचारियों को गन्ना संघ में उनकी प्रेस की सेवाओं सहित संविलीन किया गया है तथा कब से? वह आदेश संख्या व दिनांक क्या है तथा संविलीन किये जाने का आधार क्या है? उनके पदनाम व वेतनमान क्या हैं? वर्तमान में उनकी तैनाती का स्थान व उसके द्वारा सम्पादित किये जा रहे कार्य की प्रकृति क्या है? वर्तमान में प्रेस के कितने कर्मचारी गन्ना संघ व शासन में आबद्ध हैं? क्या उन्हें भी भविष्य में गन्ना संघ में संविलीन किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों और क्या वर्तमान में संविलीन किये गये कर्मचारी के संविलीनीकरण आदेश को निरस्त किया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव–

गन्ना संघ प्रेस के किसी भी कर्मचारी को उनकी प्रेस की सेवाओं सहित गन्ना संघ में संविलीन नहीं किया गया है।

उपर्युक्तानुसार इसका प्रश्न ही नहीं उठता है। गन्ना संघ प्रेस के श्री जोतिन अधिकारी एवं श्री राम प्रसाद पाण्डे, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी शासन में आबद्ध है।

गन्ना संघ में पद की उपलब्धता, आवश्यकता एवं कर्मचारियों की उपयुक्तता को देखते हुए संविलियन पर विचार किया जा सकता है। उपर्युक्तानुसार शेष का प्रश्न नहीं उठता है।

103–श्री अनिल कुमार वर्मा–

[दि० 16-3-94 को अता० प्र० सं०-153 द्वारा उत्तरित]

104–श्री लालमणि प्रसाद–

[दि० 7-3-94 को अता० प्र० सं०-173 द्वारा उत्तरित]

105–श्री धनराज यादव–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

106–श्री लाल बहादुर सिंह–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

107–श्री राम कुमार शुक्ल)

[दि० 7-3-94 को ता० प्र० सं०-5 द्वारा उत्तरित]

108–श्री महेन्द्र प्रताप नारायण सिंह

[दि० 7-3-94 को अता० प्र० सं०-63 द्वारा उत्तरित]

उ० प्र० के मैदानी भागों में बालकों के लिए विज्ञान महाविद्यालय न होने वाले जिले एवं फतेहपुर में विज्ञान महाविद्यालय खोलने की मांग

109–श्री महेन्द्र प्रताप नारायण सिंह–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० के मैदानी भागों में कौन-कौन जिले हैं जहां बालकों के लिए विज्ञान महाविद्यालय नहीं हैं? क्या सरकार उन जिलों, विशेषकर फतेहपुर जिले में बालकों के लिए विज्ञान महाविद्यालय खोलने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव–

मैनपुरी, बाराबंकी, महराजगंज, कानपुर देहात, पीलीभीत, मऊ तथा फतेहपुर जनपद में बालकों हेतु विज्ञान संकाय में अध्ययन की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय कन्या इण्टर कालेज, तेतरी बाजार (नौगढ़), जनपद सिद्धार्थनगर की बन्द की गई बस को छात्राओं की सुविधा हेतु चलाये जाने की मांग

110—श्री धनराज यादव–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय कन्या इण्टर कालेज, तेतरी बाजार (नौगढ़), जनपद सिद्धार्थनगर की बस गत कई महीनों से बन्द होने के कारण छात्राओं को असुविधा हो रही है? यदि हां, तो बस कब तक चलवाने का कष्ट करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

डा० मसूद अहमद–

जी नहीं।

बस चल रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय इण्टर कालेज, तेतरी बाजार (नौगढ़), जनपद सिद्धार्थनगर में छात्राओं के पठन-पाठन हेतु भवन निर्माण की मांग

111—श्री धनराज यादव–

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि राजकीय कन्या इण्टर कालेज, तेतरी बाजार (नौगढ़), जनपद सिद्धार्थनगर अध्यापिकाओं की नियुक्ति हाई स्कूल तक की है एवं भवन फर्नीचर इत्यादि भी हाई स्कूल स्तर तक का ही है? यदि हां, तो क्या वर्षों से चल रहे प्रश्नगत इण्टर कालेज में छात्राओं के पठन-पाठन की असुविधा को दूर करने हेतु इण्टर कालेज एवं भवन निर्माण तथा साज-सज्जा की व्यवस्था करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

डा० मसूद अहमद–

जी नहीं।

जी हां।

स्थानाभाव की समस्या के निराकरण हेतु 11.25 लाख की लागत से 5 कक्षों का निर्माण कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद के गोसाईगंज–सेरवा रोड पर गोहनियां, लालपुर अपूर्ण मार्ग को पूर्ण किये जाने की मांग

112—श्री राम प्रसाद चौधरी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद के गोसाईगंज–सेरवा रोड पर गोहनियां, लालपुर मार्ग अपूर्ण है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग को पूर्ण करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हां।

सम्प्रति ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण।

स्व० श्री भोला नाथ, सहायक अध्यापक, कुढ़वा विकास खण्ड, सुरियावां, जिला वाराणसी के समस्त देयों के भुगतान एवं निकटतम आश्रित को सेवा में लिए जाने की मांग

113—श्री राम सेवक सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि स्व० श्री भोला नाथ, सहायक अध्यापक, कुढ़वा विकास खण्ड, सुरियावां, जिला वाराणसी का स्वर्गवास उनके कार्यकाल (29 सितम्बर, 1979) में हुआ था? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा श्री भोला नाथ के समस्त देयों का भुगतान कर दिया गया है? क्या सरकार ने शासकीय नियमों के अनुसार उनके निकटतम आश्रित को सेवा में ले लिया है? यदि नहीं, तो क्या सरकार उपरोक्त दोनों कार्यों को शीघ्र कराने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक?

डा० मसूद अहमद–

जी नहीं। स्व० भोला नाथ की मृत्यु दिनांक 9-9-79 को हुयी थी।

जी हां।

जी नहीं।

भुगतान कर दिया गया है।

निर्धारित अर्हता न रखने के कारण नियुक्ति संभव नहीं है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद सीतापुर में सेवा निवृत्त अध्यापकों द्वारा पेंशन विकल्प पत्र का भरा जाना

114—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या शिक्षा मंत्री बेसिक शिक्षा परिषदीय शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को पेंशन विकल्प पत्र पुनः प्रस्तुत करने की सुविधा देने संबंधी दिनांक 3 दिसम्बर, 1991, शिक्षा अनुभाग–11 द्वारा निर्गत शासनादेश सदन के पटल पर रखेंगे? उक्त सुविधा प्राप्त करने हेतु सीतापुर जिले के किन-किन व्यक्तियों ने प्रार्थना-पत्र दिये हैं? उनमें से कौन-कौन व्यक्ति विकल्प पत्र के अनुसार पेंशन प्राप्त कर रहे हैं? शेष को पेंशन न मिलने का कारण क्या है?

डा० मसूद अहमद–

परिषदीय शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को पेंशन विकल्प पत्र पुनः प्रस्तुत करने की सुविधा दिये जाने संबंधी शासनादेश संख्या 4724/15-5-91-204/89 दि० 3-12-91 (संलग्न है) जो शिक्षा अनुभाग–5 द्वारा निर्गत किया गया है।

122 सेवा निवृत्त अध्यापकों ने पुरानी पेंशन से नयी पेंशन प्राप्त करने हेतु विकल्प पत्र भर दिये हैं।

परिषदीय सेवा निवृत्त अध्यापकों पर शिक्षा अनुभाग–5 द्वारा निर्गत उक्त राजाज्ञा लागू न होने के कारण कोई भी अध्यापक विकल्प परिवर्तन के अनुसार सुविधा नहीं प्राप्त कर रहे हैं।

शासनादेश .दिनांक 3-12-91 कार्यरत शिक्षकों पर लागू है। सेवा निवृत्त शिक्षक इस शासनादेश से अच्छादित नहीं हैं।

राज्य कर्मचारियों की तरह विधायकों को वेतन, भत्ते व पेंशन में महंगाई भत्ता दिये जाने की मांग

115—श्री महेन्द्र प्रताप नारायण सिंह–

क्या संसदीय कार्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार विभिन्न राज्य कर्मचारियों की तरह विधायकों के वेतन, भत्ते व पेंशन में भी महंगाई भत्ता देने का विचार कर रही है? यदि हां, तो कितना? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

पूर्व विधायकों को वर्तमान विधायकों के अनुरूप निःशुल्क रेलवे डीजल, पेट्रोल कूपन दिये जाने की मांग

116—श्री महेन्द्र प्रताप नारायण सिंह–

क्या संसदीय कार्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार पूर्व विधायकों को वर्तमान विधायकों के अनुरूप निःशुल्क रेलवे कूपन के कुछ प्रतिशत के बराबर निःशुल्क रेलवे कूपन देने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो किस प्रतिशत तक तथा कब से? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

117—श्री महेन्द्र प्रताप नारायण सिंह–

क्या संसदीय कार्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार पूर्व विधायकों को निःशुल्क रेलवे कूपन के बदले कुछ सीमा तक डीजल, पेट्रोल कूपन देने का विचार कर रही है जिससे वह निर्वाचन क्षेत्र का दौरा कर सकें? यदि हां, तो किस सीमा तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

निजी शिक्षण संस्थाओं एवं राजकीय शिक्षण संस्थाओं में नौकरियों में आरक्षण कोटा पूर्ण किये जाने की मांग

118—श्री बशीर–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निजी शिक्षण संस्थाओं और राजकीय शिक्षण संस्थाओं में अनु० जाति व अनु० जनजाति, पिछड़ी जाति व अल्पसंख्यकों का प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों में आरक्षण कितना प्रतिशत है? यदि आरक्षण कोटा पूरा नहीं है तो इसे कब तक पूरा किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

डा० मसूद अहमद–

उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या–265/सत्रह–वि०–1–2 (क) 5-1994 दिनांक 11 फरवरी, 1994 के द्वारा राजकीय शिक्षण संस्थाओं और अशासकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था निम्न प्रकार है:–

(क) अनुसूचित जाति	21 प्रतिशत
(ख) अनुसूचित जनजाति	2 प्रतिशत
(ग) नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों	27 प्रतिशत

राजकीय शिक्षण संस्थाओं में निर्धारित आरक्षण कोटा को पूरा किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। अशासकीय शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण का कोटा पूरा करने हेतु समुचित व्यवस्था उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम 1992, दिनांक 6 जनवरी, 1993 में कर दी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

उ० प्र० में सरकार द्वारा घोषित अल्पसंख्यकों की शिक्षण संस्थाओं का विवरण

119—श्री बशीर–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० में सरकार द्वारा घोषित अल्पसंख्यक की कितनी शिक्षण संस्थायें हैं? किन-किन शिक्षण संस्थाओं को अल्पसंख्यक स्वरूप दिये जाने की सरकार की योजना है? यदि अल्पसंख्यक स्वरूप दिया जायेगा तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

डा० मसूद अहमद–

238 अशासकीय उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय तथा 3 महाविद्यालय अल्पसंख्यक संस्था घोषित हैं।

जो संस्थायें अल्पसंख्यक होने का दावा प्रस्तुत करती हैं, उन्हें निर्धारित मानकों के आधार पर शासन स्तर पर गठित समिति की संस्तुति के उपरान्त अल्पसंख्यक संस्था घोषित किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

गन्ना संघ प्रेस में कार्यरत श्री तरुण कुमार भटनागर का गन्ना संघ में संविलीनीकरण

120—श्री अनिल कुमार वर्मा–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री तरुण कुमार भटनागर, मूलतः गन्ना संघ प्रेस के कर्मचारी हैं अथवा गन्ना संघ के? यदि गन्ना संघ प्रेस के हैं तो क्या वह वर्तमान समय में प्रमुख सचिव, गन्ना विकास विभाग, उ०प्र० शासन के कैम्प में तैनात हैं? यदि हां, तो कब से और किस आधार पर? क्या इनकी प्रेस के सेवाएं अब गन्ना संघ में संविलीन कर दी गयी हैं? यदि हां, तो कब से और क्यों व इसका आधार क्या है? क्या प्रेस के अन्य कर्मचारी जो शासन अथवा गन्ना संघ में आबद्ध हैं, को भी श्री भटनागर की भांति उनकी सेवाएं गन्ना संघ में संविलीन की जाएंगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव–

श्री तरुण कुमार भटनागर मूलतः गन्ना संघ प्रेस के कर्मचारी थे। वर्तमान में गन्ना संघ की सेवा में संविलीनीकरण हो जाने के उपरान्त वे गन्ना संघ के कर्मचारी हैं।

जी हां।

श्री तरूण कुमार भटनागर, प्रमुख सचिव, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग के कैम्प में दिनांक 3-5-84 से कार्यरत हैं। प्रमुख सचिव, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग के कैम्प में कार्य की आवश्यकता के कारण श्री भटनागर वहां पर कार्य कर रहे हैं।

जी हां, परन्तु श्री भटनागर की गन्ना संघ प्रेस की सेवा अवधि को गन्ना संघ में सम्मिलित नहीं किया गया है।

श्री भटनागर की सेवा को गन्ना संघ में दिनांक 24-6-82 से संविलियन किया गया है परन्तु जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया है उनकी गन्ना संघ प्रेस की सेवा को गन्ना संघ में सम्मिलित नहीं किया गया है। गन्ना संघ में उपलब्ध पद के विरुद्ध श्री भटनागर द्वारा अनुरोध किये जाने पर तथा उपयोगिता को देखते हुए राज्य गन्ना सेवा प्राधिकरण द्वारा श्री तरुण कुमार भटनागर की सेवाएं गन्ना संघ में संविलीन कर दी गयी हैं।

गन्ना संघ में पदों की उपलब्धता उनकी आवश्यकता तथा गन्ना संघ प्रेस के कर्मचारियों की उपयुक्तता के आधार पर उनके संविलीनीकरण के मामले पर भी निर्णय किया जा सकता है।

उपर्युक्तानुसार स्थिति स्वतः स्पष्ट है।

गन्ना संघ में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की लिपिक संवर्ग में पदोन्नति का प्रकरण

121—श्री अनिल कुमार वर्मा–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश सं० 37/1-1969-कार्मिक-2, दिनांक 31-8-82 के अधीन गन्ना संघ में चतुर्थ श्रेणी से लिपिक संवर्ग में पदोन्नति हेतु परीक्षा आयोजित की गई थी? यदि हां, तो कुल कितने और किन-किन कर्मचारियों को परीक्षा में सम्मिलित किया गया था तथा उनमें से कौन-कौन कर्मचारी उत्तीर्ण और कौन-कौन अनुत्तीर्ण घोषित किये गये थे? क्या उत्तीर्ण कर्मचारियों की पदोन्नति हेतु रा०ग० सेवा प्राधि० की बैठक दिनांक 12-8-91 में निर्णय लिया गया था? यदि हां, तो क्या अनुत्तीर्ण कर्मचारी वर्तमान में पूर्व पद पर कार्यरत हैं अथवा पदोन्नत कर दिये गये हैं? यदि पदोन्नत किये गये हैं तो वे कौन-कौन हैं और उनकी पदोन्नत का आधार व औचित्य क्या है? क्या अब सभी को पदोन्नत किया जाएगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों, क्या अनियमित ढंग से पदोन्नत किये गये कर्मचारी को पुनः रिवर्ट किया जाएगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों।

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां।

इस परीक्षा में कुल 21 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सम्मिलित हुए थे। परीक्षाफल के आधार पर केवल सम्बन्धित कर्मचारियों की श्रेष्ठता सूची ही (मैरिट लिस्ट) बनायी गयी थी।

श्रेष्ठता सूची के आधार पर 17 पदों पर पदोन्नत करने का निर्णय लिया गया था।

श्रेष्ठता सूची के अनुसार प्रारम्भ में 17 कर्मचारियों की लिपिकीय संवर्ग में पदोन्नति की गयी थी। आगे लिपिकीय संवर्ग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदोन्नति किये जाने हेतु एक पद की उपलब्धता होने पर श्री पारसनाथ राय की, जिनका नम्बर परीक्षाफल के आधार पर तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची में था, लिपिकीय संवर्ग में राज्य गन्ना सेवा प्राधिकरण की स्वीकृति के उपरान्त पदोन्नति की गयी। शेष कर्मचारी अपने पूर्व पदों पर कार्यरत हैं।

गन्ना संघ में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में से लिपिकीय संवर्ग में पदोन्नत किये जाने हेतु रिक्ति होने पर नियमानुसार पदोन्नति की जायगी।

उपर्युक्तानुसार शेष का प्रश्न नहीं है।

गन्ना विभाग में श्री राकेश कुमार मिश्रा की वैधानिक नियुक्ति

122—श्री अनिल कुमार वर्मा—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना आयुक्त / निबन्धक / अध्यक्ष, रा०ग० सेवा प्राधि० उ० प्र० के आदेश सं० 290–92, दि० 1-8-91 व सचिव, राज्य गन्ना सेवा प्राधि० के आदेश सं० 362/सी/कैम्प, दि० 3 सितम्बर, 91 के अनुसार क्या श्री राकेश कुमार मिश्रा, लिपिक की बचत निरीक्षक के पद पर नियुक्ति उक्त आदेश दि० 1-8-91 द्वारा की गई थी और क्या यह नियुक्ति वैधानिक थी? क्या उससे निम्न स्तर के पद जू० सहा० पर दि० 12-8-91 को रा० ग० सेवा प्राधि० की बैठक में पदान्नति किये जाने का निर्णय जो आदेश सं० 362, दि० 3 सितम्बर, 91 द्वारा पारित से, क्या वह नियमानुसार पूर्ण है जबकि दोनों निर्णय गन्ना आयुक्त द्वारा लिये गये हैं? यदि आदेश सं० 290–92 अवैधानिक है तो इसके पारित कराने के लिये कौन-कौन अधिकारी / कर्मचारी उत्तरदायी हैं? क्या अब इस असंवैधानिक आदेश को निरस्त किया जाएगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? क्या इस असंवैधानिकता के लिये जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां, प्रश्नगत मामलों में सम्पन्न हुई जांच में नियुक्ति को वैध पाया गया।

गन्ना आयुक्त, उ० प्र० के आदेश सं० 290–92/रा०ब०, दिनांक 1-8-91 द्वारा श्री राकेश कुमार मिश्रा, लिपिक को बचत निरीक्षक के पद पर नियुक्त नहीं किया गया था बल्कि गन्ना आयुक्त, उ० प्र० के पूर्व आदेश सं० 61–63/रा०ब०, दिनांक 14–7–87 जिसे गन्ना आयुक्त, उ० प्र० के आदेश सं० क-1/1765-68/स्था०, दिनांक 11-9-87 द्वारा निरस्त कर दिया गया था, को पुनः श्री राकेश कुमार मिश्रा के प्रत्यावेदन पर विचार करते हुए आदेश सं० 290–92/रा०ब०, दिनांक 1-8-91 द्वारा पुनर्स्थापित किया गया था। उ० प्र० सहकारी गन्ना सेवा नियमावली, 1975

के नियम 200 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों के तहत गन्ना आयुक्त, उ० प्र० द्वारा बचत निरीक्षक का एक निःसम्वर्गीय पद सृजित करते हुए आदेश सं० 61-63/रा०ब० दिनांक 14-7-87 द्वारा श्री राकेश कुमार मिश्रा की नियुक्ति उक्त पद पर की गयी थी।

गन्ना आयुक्त, उ० प्र० का आदेश सं०-290-92 दिनांक 1-8-91 वैध है।

उपर्युक्तानुसार शेष का प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद टिहरी गढ़वाल में आये भूकम्प से लोक निर्माण विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के क्षतिग्रस्त मकानों के निर्माण एवं मरम्मत हेतु ऋण

123—श्री मातवर सिंह कण्डारी—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1991 में आये भयंकर भूकम्प से जनपद टिहरी गढ़वाल में कार्यरत कर्मचारियों के आवासीय मकान पूर्ण क्षतिग्रस्त हो गये थे? क्या उन भूकम्प प्रभावित कर्मचारियों ने भवन निर्माण हेतु अग्रिम ऋण हेतु आवेदन पत्र भी दिये गये थे? जनपद टिहरी गढ़वाल से कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए थे? क्या जिलाधिकारी ने भूकम्प से क्षतिग्रस्त भवनों का प्रमाण-पत्र दिया था। क्या भूकम्प से प्रभावित मकानों के निर्माण एवं मरम्मत हेतु शासन से कर्मचारियों को ऋण स्वीकृत कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

जी हाँ। वर्ष 1991 में आये भूकम्प से जनपद टिहरी गढ़वाल में कार्यरत लोक निर्माण विभाग के कतिपय कर्मचारियों के आवासीय मकान क्षतिग्रस्त हुये थे।

जी हाँ।

39 प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये थे।

जिलाधिकारी ने मात्र 5 कर्मचारियों को क्षतिग्रस्त भवनों का प्रमाण-पत्र दिया था।

भूकम्प प्रभावित कर्मचारियों के भवन निर्माण हेतु अग्रिम सम्बन्धी शासन द्वारा निर्धारित शर्तों की पूर्ति न होने के कारण उन्हें अभी अग्रिम स्वीकृत नहीं हो सका है।

जनपद गोरखपुर के गन्ना विकास परिषद् पिपराइच के गन्ना पर्यवेक्षक श्री दीनानाथ गुप्त के वेतन से कटौती के आदेश

124—श्री रमापति उर्फ रमाकान्त—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना विकास परिषद् पिपराइच (गोरखपुर) के सर्किल नं० 3 के गन्ना पर्यवेक्षक द्वारा ग्राम होलिया, सुम्हाटार, महुंअवा खुर्द व सोहरौना के छोटे-छोटे गन्ना काश्तकारों, को अक्टूबर, 1992 में एक-एक, दो-दो बोरा खाद देकर

फर्जी बान्ड बनाकर कई बोरे खाद किसानों के खाते में चढ़ा दिया गया है? क्या इस शिकायत की जांच जिला गन्ना अधिकारी, गोरखपुर ने की है? यदि हां, तो जांच में सत्यता पायी गई है। क्या गन्ना पर्यवेक्षक ने अपनी गलती मानी है? यदि हां, तो क्या गन्ना उपायुक्त, पूर्वी क्षेत्र, गोरखपुर ने पुनः जांच के आदेश दिये हैं और अब किस अधिकारी से जांच करायी जा रही है? क्या विशेष सचिव, पिपराइच के पास कोई प्रपत्र भेजा गया है कि कितना ऋण असल है और कितना नकल? क्या गन्ना काश्तकारों के फर्जी ऋण पर सूद भी बढ़ रहा है?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हाँ।

जी हाँ।

जी हाँ।

इस प्रकरण में जाँच कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है और जाँच के आधार पर अन्तिम निर्णय लिया जा चुका है। तद्नुसार विषयगत कर्मचारी श्री दीनानाथ गुप्त के वेतन से रु० 500/- प्रतिमाह की दर से कुल रु० 26,488.48 की वसूली के आदेश जारी किये गये हैं।

जी हाँ।

फर्जी ऋण की डिमाण्ड कृषकों पर नहीं लगायी गयी है। इस प्रकार फर्जी ऋण की कोई वसूली न किये जाने की स्थिति में कृषकों पर फर्जी ऋण की धनराशि पर ब्याज लगाने अथवा बढ़ने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है।

125—श्री ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी—

। स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।

सीतापुर जिले के बेसिक शिक्षा परिषदीय विद्यालयों में मानक के अनुसार रिक्त पदों की पूर्ति किये जाने की मांग

126—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मानक के अनुसार सीतापुर जिले के बेसिक शिक्षा परिषदीय विद्यालयों में कितने स्थान रिक्त हैं तथा उनकी पूर्ति कब तक कर दी जायेगी?

डा० मसूद अहमद—

मानक के अनुसार कोई पद रिक्त नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

127—श्री शिव राम सिंह कुशवाहा—

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

श्री रुद्र नारायण शर्मा, अपर शिक्षा निदेशक, पत्राचार द्वारा सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ० प्र० इलाहाबाद पर अनियमितताओं के कारण कार्यवाही

128—श्री मुक्तिनाथ यादव—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि श्री रुद्र नारायण शर्मा, अपर शिक्षा निदेशक, पत्राचार द्वारा सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ० प्र०, इलाहाबाद पर कार्य करते हुये गम्भीर वित्तीय प्रशासनिक अनियमितताओं के कारण अनुशासनिक कार्यवाही प्रचलित हुई थी। यदि हां, तो वह आरोप क्या थे? आरोपों की गम्भीरता और सत्यता को देखते हुये इन्हें दण्डित न किए जाने के क्या कारण हैं? आरोपों को देखते हुये इन्हें कब तक दण्डित किया जायेगा?

डा० मसूद अहमद—

जी हां।

श्री शर्मा के विरुद्ध प्रशासनिक/वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित 14 आरोप लगाये गये थे।

श्री शर्मा के विरुद्ध प्रशासनिक अनियमितता के 4 आरोप आंशिक रूप से सिद्ध पाये गये थे जिसके परिपेक्ष्य में उन्हें शासकीय आदेश दिनांक 29-9-92 द्वारा कठोर चेतावनी दे दी गयी है।

आपराधिक मुकदमों को वापस लेने की सरकार की नीति एवं मुकदमा वापस लिये गये व्यक्तियों का अपराध सम्बन्धी विवरण

129—श्री ओम प्रकाश सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अपराधिक मुकदमों को वापस लेने की सरकार की क्या नीति है? 1 दिसम्बर, 1993 से 31 जनवरी, 1994 तक सरकार ने किन-किन जिलों से कितने मुकदमा वापस लेने का निर्णय लिया है? जिन व्यक्तियों पर से मुकदमा वापस लेने का निर्णय लिया गया है उन पर किन-किन धाराओं के अन्तर्गत कब से मुकदमा चल रहा था? कौन-कौन मुकदमा हत्या, डकैती या अपहरण अपराध से आरोपित है?

श्री मुलायम सिंह यादव—

सूचना संलग्न है।

(संलग्नक 1 व 2)

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 265 पर)

उ० प्र० सैनिक स्कूल, लखनऊ में अध्यापकों के कुल स्वीकृत पद, रिक्त पदों पर एवं पिछड़े वर्गों का कोटा, पूर्ण करने की मांग

130—श्री राकेश सचान—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० सैनिक स्कूल, लखनऊ में अध्यापकों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं ? क्या सभी स्वीकृत पदों पर अध्यापक नियुक्त हैं? यदि नहीं, तो रिक्त पदों की संख्या क्या है और अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है। इन पदों पर कब तक नियुक्तियां कर दी जायेंगी। क्या यह भी बतायेंगे कि अध्यापक के पदों पर पिछड़े वर्गों का निर्धारित कोटा पूरा है? यदि नहीं, तो इसे कब तक पूरा कर दिया जायेगा ?

डा० मसूद अहमद—

जी हां, कुल 20 पद स्वीकृत हैं।

जी नहीं।

4 पद रिक्त हैं। पहले रिक्त हुये अंग्रेजी एवं गणित विषयों के पदों को भरने के लिये विज्ञापन द्वारा आवेदन-पत्र प्राप्त कर किये गये हैं। चयन समिति के गठन की कार्यवाही की जा रही है। बाद में रिक्त हुये दो पदों को भरने की कार्यवाही इसके बाद की जायेगी।

जी नहीं।

जैसे-जैसे स्थान रिक्त होगें कोटा पूरा करने की कार्यवाही की जायेगी।

जनपद लखनऊ के सरोजनी नगर क्षेत्र में ऐन से घुरघुरी तालाब वाया ईंटगांव मार्ग व नगवा नाला पर पुल का निर्माण कार्य कराये जाने की मांग

131—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद लखनऊ के सरोजनी नगर क्षेत्र में, ग्राम / न्याय पंचायत ऐन से घुरघुरी तालाब वाया ईंटगाव मार्ग, जो कि लखनऊ-फर्रुखाबाद वाया बांगरमऊ मार्ग से जुड़ता है, का निर्माण कार्य एवं बीच में पड़ने वाले नगवा नाला के पुल का निर्माण कार्य शासन से कराया जाना प्रस्तावित है? यदि हां, तो ग्राम ऐन तथा ईंटगांव के बीच उक्त नगवा नाला पर पुल व उक्त मार्ग का निर्माण सरकार कब तक करा देगी। यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

जी नहीं।

कार्य स्वीकृत नहीं है अतः निर्माण कराये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

जनपद बुलन्दशहर में काली नदी पर प्रस्तावित एवं स्वीकृत दो पुलों का निर्माण कार्य कराये जाने की मांग

132—श्री डी० पी० यादव—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर में काली नदी पर प्रस्तावित एवं स्वीकृत दो पुलों के निर्माण के सम्बन्ध में सरकार क्या व्यवस्था कर रही है? कब तक निर्माण पूर्ण हो जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

जनपद बुलन्दशहर में काली नदी पर निम्न दो सेतु निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत हैं।

न० 1 औरंगाबाद सिकन्दराबाद मार्ग पर काली नदी सेतु एवं पहुँच मार्ग का निर्माण (स्वीकृत वर्ष 1985-86, स्वीकृत लागत 36.20 लाख)।

नं० 2 बुलन्दशहर कस्बे में ऊपर कोट के निकट काली नदी पर पुल का निर्माण (स्वीकृत वर्ष 1993-94, स्वीकृत लागत 139.00 लाख)।

उक्त दोनों सेतुओं में से सेतु नं०-1 के पहुँच मार्ग का कार्य शुरू है तथा सेतु नं० 2 के पहुँच मार्ग का निर्माण संरेखग निश्चित होने के बाद प्रारम्भ होना प्रस्तावित है। इस प्रकार उक्त दोनों सेतुओं का निर्माण का पूर्ण होना पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

बुलन्दशहर में राष्ट्रपति शासन में स्वीकृत कन्या महाविद्यालय खोलने की मांग

133—श्री डी० पी० यादव—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बुलन्दशहर में कन्या महाविद्यालय का प्रस्ताव राष्ट्रपति शासन में स्वीकृत हुआ था? यदि हां, तो उक्त विद्यालय को कब से प्रारम्भ कराने जा रहे हैं?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरिद्वार में सोलानी नदी, भगवानपुर में शासन द्वारा शिलान्यास कराये गये पुल का निर्माण कराये जाने की मांग

134—पृथ्वी सिंह विकसित—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सोलानी नदी, भगवानपुर, जनपद हरिद्वार में पुल बनाने हेतु शासन ने शिलान्यास कराया था? यदि हां, तो क्या उक्त पुल का निर्माण कराया गया है? यदि नहीं तो पुल निर्माण न कराये जाने के क्या कारण हैं? क्या मंत्री जी शीघ्र ही पुल निर्माण का कार्य करायेंगे?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

जी हां।

सेतु निर्माण स्थल विवादित होने के कारण निर्माण कार्य स्वीकृति की तिथि से 5 वर्ष तक प्रारम्भ नहीं हो सका तथा शासनादेश दिनांक 30-5-92 द्वारा इसकी स्वीकृति निरस्त कर दी गई है।

सम्प्रति ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

जनपद हरिद्वार में ब्लाक बहादुराबाद के ग्रामों के कतिपय सम्पर्क मार्गों को लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण कराये जाने की समय सीमा की जानकारी

135—श्री पृथ्वी सिंह विकसित—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक–बहादुराबाद, जनपद हरिद्वार के ग्रामों के सम्पर्क मार्ग, ग्राम तेलीवाला से औरंगाबाद होकर रोशनाबाद तक तथा ग्राम आनेकी से ग्राम कुतुबपुर तक एवं बड़ेरी से ग्राम पीतपुर तक एवं लालवाला से ग्राम गड़ तक जिला योजना द्वारा स्वीकृत मार्ग लोक निर्माण विभाग बना रहा है? यदि हां, तो ये मार्ग कब तक पूरे करा दिये जायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

प्रश्न में वर्णित मार्गों पर कुछ अंशो में लोक निर्माण विभाग को दिया गया कार्य या तो पूरा हो चुका है या निर्माणाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

आगे निर्माण कार्य की स्वीकृति नहीं है।

जनपद शाहजहांपुर के सहकारी समिति पुवायां में नवनिर्मित गन्ना समिति कार्यालय के भवन निर्माण हेतु व्यय धनराशि एवं भवन की छत चिटक जाने की जांच की मांग

136—श्री चेतराम—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना सहकारी समिति, पुवायां, जनपद शाहजहांपुर में नवनिर्मित गन्ना समिति कार्यालय भवन निर्माण हेतु शासन स्तर से कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी तथा समिति का भवन बनाये जाने में कितनी धनराशि व्यय हुई? क्या यह भी सही है कि भवन बने अभी मात्र कुछ माह ही हुए हैं और भवन की छत चिटक गयी है जिसके कारण वर्षा का पानी कमरे के अन्दर टपकता है? यदि हां तो क्या मंत्री जी शासन स्तर से निष्पक्ष जांच कराने के आदेश देंगे? क्या दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रश्नगत भवन के निर्माण हेतु शासन द्वारा कोई धनराशि स्वीकृत नहीं कि गयी है। भवन का निर्माण गन्ना समिति द्वारा कराया जा रहा है तथा अब तक 15.07 लाख रुपये व्यय हुआ है।

जी नहीं।

उपर्युक्तानुसार शेष का प्रश्न ही नहीं उठता।

137—श्री सुरेश कुमार खन्ना–

[6 ठे बुद्धवार में अता० प्र० सं०–136 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद वाराणसी के काशी सहकारी चीनी मिल, औराई, के घाटे में चलने के कारणों की जानकारी एवं डिस्टलरी प्लांट लगाये जाने की मांग

138—श्री रंगनाथ–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि काशी सहकारी चीनी मिल, औराई, जनपद वाराणसी घाटे में चल रही है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार उक्त घाटे को पूरा करने के लिए डिस्टलरी प्लांट लगायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां।

घाटे का मुख्य कारण गन्ने की वांछित मात्रा में उपलब्ध नहीं होना है।

औराई चीनी मिल में आसवनी लगाये जाने के संबंध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

जनपद वाराणसी के औराई विधान सभा क्षेत्र के प्राथमिक पाठशाला में अध्यापकों की कमी को पूरा किये जाने की मांग

139—श्री रंगनाथ–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद वाराणसी के औराई विधान सभा क्षेत्र के प्राथमिक पाठशाला में विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए अध्यापकों की कमी हैं? यदि हां, तो कब तक पर्याप्त शिक्षक वहां पर सरकार उपलब्ध करा देगी।

डा० मसूद अहमद–

जी हाँ।

आगामी शैक्षिक–सत्र में शिक्षकों की व्यवस्था कर दी जायेगी।

परीक्षा काल में बाहर से नकल सामग्री पहुंचाने वालों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने की मांग

140—श्री महेन्द्र प्रताप नारायण सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरकार परीक्षा काल में बाहर से नकल सामग्री पहुंचाने वालों के विरुद्ध भी दण्डात्मक कार्यवाही करने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो क्या और कब से? यदि नहीं, तो क्यों?

डा० मसूद अहमद–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

परीक्षा केन्द्र के बाहर वाह्य व्यक्तियों को एकत्र न होने देने हेतु समुचित व्यवस्था की गई है और इसके लिए जिला प्रशासन को उत्तरदायी बनाया गया है।

जनपद सोनभद्र स्थित हिंडालको, रेनूकूट से लगातार फैल रहा प्रदूषण एवं इस सन्दर्भ में शासन द्वारा की गई कार्यवाही

141—डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद सोनभद्र स्थित हिंडालको, रेनूकूट के प्र्यावरण को लगातार प्रदूषण फैल रहा है? यदि हां, तो इस सन्दर्भ द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हाँ।

उद्योग द्वारा जल प्रदूषण नियंत्रण हेतु उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र के रूप में मुख्यतया इक्वलाइजेशन टैंक, रियेक्शन टैंक, कलैरीफायर तथा स्लज ड्राइंग बेड्स स्थापित किया गया है। उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र के संचालन व उचित रख-रखाव न होने के कारण उद्योग से जल प्रदूषण की समस्या है। अतः उत्प्रवाह निस्तारण सहमति जल बोर्ड द्वारा वर्ष 1993 हेतु अस्वीकृत की गयी है। उद्योग में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु दो बड़े ब्यालर्स तथा कैल्साईनर में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर (ई० एस० पी०) लगे है। इसके अतिरिक्त उद्योग में स्थापित 6 पाट लाइनों में से मात्र एक पाटलाइन में ड्राई स्क्रबिंग सिस्टम स्थापित है तथा पाट लाइन संख्या 1, 2, 3, 5, तथा 6 में ड्राईस्कबिंग सिस्टम की स्थापना का कार्य प्रगति पर है तथा लगभग 60 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया गया है। उद्योग द्वारा समस्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित न होने के कारण तथा उद्योग से हो रहे वायु प्रदूषण के कारण वर्ष 1993 हेतु सहमति (वायु) बोर्ड द्वारा अस्वीकृत की गई है।

उक्त उद्योग भारत सरकार द्वारा पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम—1986 के अन्तर्गत "कार्ययोजना" में चिन्हित 17 प्रकार के अधिक प्रदूषणकारी उद्योग में से है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देश दिनांक 27-1-94 के अनुसार प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित करने हेतु अधिकतम 6 माह का समय दिया जा सकता है। भारत सरकार के स्तर से "कार्ययोजना" के अन्तर्गत जारी निर्देशों के अनुसार बोर्ड द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

लागू नहीं।

142—श्री ओम प्रकाश सिंह—

(विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त)

ग्राम भेड़िया एवं ग्राम–मेड़िया जिला मिर्जापुर में भवन जीर्णोद्धार एवं नया विद्यालय स्थापना किये जाने सम्बंधी प्रश्नकर्ता का पत्र एवं कार्यवाही

143—श्री ओम प्रकाश सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि नये प्राथमिक विद्यालयों को खोलने एवं पुराने विद्यालय भवनों के जीर्णोद्धार की शासन की नीति क्या है? क्या ग्राम मेड़िया एवं ग्राम–मेड़िया, जिला–मिर्जापुर (सीखड़ ब्लाक) में भवन जीर्णोद्धार एवं नया विद्यालय स्थापना के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र 28-29 जनवरी, 94 को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पत्र पर क्या कार्यवाही हुई? उक्त मढ़िया ग्राम में, प्राथमिक विद्यालय कब तक स्थापित हो जायेगा।

डा० मसूद अहमद–

वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुये प्रत्येक गांव सभा में प्राइमरी विद्यालय की स्थापना करने तथा जीर्णशीर्ण भवनों की मरम्मत/पुनर्निर्माण करने की शासन की नीति है।

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद देवरिया में भटनी तुलसी बारा मार्ग पर श्री जे०बी० अग्रवाल अधिशासी अभियन्ता के कार्यकाल में सी० सी० ट्रेक तोड़कर लेपित किया जाने एवं भागलपुर शिवघाट आदि पीपे के पुल के स्लीपर के भुगतान में दोषी अधिकारी/कर्मचारी को दण्डित किये जाने की मांग

144—श्री कामेश्वर उपाध्याय–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद देवरिया में भटनी तुलसी बारा मार्ग पर सी० सी० ट्रेक तोड़ कर श्री जे० बी० अग्रवाल, अधिशासी अभियन्ता के कार्यकाल में लेपित किया गया था? यदि हां, तो क्या इसका क्रस्ट सही है? यदि नहीं, तो शासन दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही करेगा?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा

जी हाँ।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

145—श्री कामेश्वर उपाध्याय–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया में श्री जे० वी० अग्रवाल, अधिशासी अभियन्ता के कार्य काल में भागलपुर, खेराट घाट, शिवघाट आदि पीपे के पुल के लिये लाखों रुपये का जामुन का स्लीपर लेकर साखू के स्लीपर का भुगतान किया गया है? क्या इसकी दरें वन निगम से ज्यादा थी? यदि हाँ, तो क्यों?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा

यह कहना सही नहीं है कि भागलपुर, खैराट घाट, शिवघाट आदि के लिए जामुन के स्लीपर के स्थान पर साल के स्लीपर का भुगतान किया गया। वास्तविकता यह है कि साल के स्लीपर ही क्रय किये गये थे और उसी का भुगतान भी। वन निगम द्वारा स्लीपरों की आपूर्ति करने में असमर्थता व्यक्त करने पर साल के स्लीपर की आपूर्ति कार्यस्थल पर ठेकेदार से कार्य हित में ली गई। वन निगम से उपलब्ध स्लीपरों पर वन निगम की दरें डिपो पर देय होती हैं। ढुलाई पर खर्च अलग से करना होता है।

जनपद देवरिया में विदुमन ड्रम बिकने के प्रकरण में हुई कार्यवाही की जानकारी

146—श्री कामेश्वर उपाध्याय–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया में वर्ष 1993 में विटुमन ड्रम बिकने का मामला शासन के समक्ष प्रकाश में आया था? यदि हां, तो क्या इस मामले में पुलिस हस्तक्षेप भी हुआ था? यदि हां, तो उक्त प्रकरण पर क्या कार्यवाही अब तक की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

गाजियाबाद हिण्डन नदी पर सुराना गांव पर शिलान्यास हुए पुल का निर्माण किये जाने की मांग

147—श्री डी० पी० यादव–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि गाजियाबाद हिण्डन नदी पर पूर्व में सुराना गांव पर पुल बनाने हेतु शिलान्यास हुआ है? यदि हां, तो अब तक उक्त कार्य प्रारम्भ न होने का क्या कारण है? क्या सरकार उक्त कार्य को प्रारम्भ कराने जा रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हाँ।

प्रश्नगत पुल का निर्माण कार्य यद्यपि उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम द्वारा माह फरवरी, 1991 में प्रारम्भ किया गया था किन्तु धनाभाव के कारण कार्य को रोक देना पड़ा। सीमित संसाधनों के अन्तर्गत वर्ष 1993 में सेतु का निर्माण कार्य पुनः प्रारम्भ कर दिया गया है, जो प्रगति पर है तथा कार्य की भौतिक प्रगति 25% है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

शाहजहांपुर पुवायां, खुटार, मैलानी मार्ग को चौड़ा किये जाने की मांग

148—श्री चेतराम–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि शाहजहांपुर पुवायां, खुटार, मैलानी मार्ग संख्या–25 पर ट्रैफिक बढ़ जाने के कारण मार्ग काफी खराब हो गया है तथा ट्रैफिक की अधिकता को देखते हुए उक्त मार्ग को चौड़ा किये जाने की आवश्यकता है? यदि हां, तो उक्त मार्ग कब तक चौड़ा कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हाँ।

राज्य सेक्टर में धनाभाव के कारण वर्तमान में इस मार्ग पर चौड़ीकरण का कार्य सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

मुन्सिफ न्यायालय को तहसील केन्द्र पर स्थानान्तरित करने की शासन की नीति एवं चुनार तहसील–मिर्जापुर पर मुन्सिफ न्यायालय स्थानान्तरित किये जाने की जानकारी

149—श्री ओम प्रकाश सिंह–

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुन्सिफ न्यायालय को तहसील केन्द्र पर स्थानान्तरित करने की शासन की नीति क्या है? अभी तक कितने तहसील केन्द्रों पर मुन्सिफ न्यायालय स्थानान्तरित किये जा चुके हैं? क्या सरकार बतायेगी कि चुनार तहसील–मिर्जापुर पर मुन्सिफ न्यायालय कब तक स्थानान्तरित हो जायेगा?

श्री मुलायम सिंह यादव–

तहसील मुख्यालय पर आवासिक/अनावासिक भवनों के उपलब्ध हो जाने तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं मा० उच्च न्यायालय की सहमति प्राप्त हो जाने पर मुन्सिफ न्यायालय स्थानान्तरित किये जाने की शासन की विकेन्द्रीकरण की नीति है।

अभी तक प्रदेश के कुल 67 तहसील केन्द्रों पर मुन्सिफ न्यायालय स्थानान्तरित किये जा चुके हैं।

जनपद मिर्जापुर की तहसील चुनार में आवासिक/अनावासिक भवनों की उपलब्धता तथा वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर एवं मा० उच्च न्यायालय की संस्तुति प्राप्त होने के उपरान्त मुन्सिफ न्यायालय स्थानान्तरित किये जाने पर विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

जनपद गाजियाबाद में तहसील दादरी से जारचा, समाना मुख्य मार्ग पर ग्राम खटाना में नहर पर बने पुल के धंस जाने के कारण आवागमन की व्यवस्था

150—श्री समीर भाटी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद तहसील दादरी से जारचा, समाना का मुख्य मार्ग लोक निर्माण विभाग का है? यदि हां, तो क्या यह सही है कि इस मुख्य मार्ग पर ग्राम खटाना में नहर पर बने पुल के धंस जाने के कारण मुख्य मार्ग का आवागमन बन्द है? यदि हां, तो क्या सरकार आवागमन शीघ्र चालू करने हेतु कोई व्यवस्था कर रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हाँ।

जी, हाँ। कथित पुल के क्षतिग्रस्त होने के कारण आवागमन अवरुद्ध है। यह पुल सिंचाई विभाग का है।

जी, हाँ। दादरी-नरौली एन० टी० पी० सी० मार्ग के बीच नहर पर स्थित दूसरे पुल को वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में प्रयोग किया जा रहा है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद की तहसील दादरी में मुन्सिफी न्यायालय स्थापित किये जाने की मांग

151—श्री समीर भाटी–

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद कि तहसील दादरी वर्ष 1977 में घोषित की गयी थी और वहां कार्य हो रहा है? यदि हां, तो क्या यह सही है कि तहसील मुख्यालय पर मुन्सिफी न्यायालय बनाने के लिये वहां के नागरिकों द्वारा सरकार से मांग की जा रही है? यदि हां, तो क्या सरकार तहसील दादरी में मुन्सिफी न्यायालय की स्थापना करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हाँ।

मा० उच्च न्यायालय की संस्तुति प्राप्त होने पर विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद सुल्तानपुर में दि किसान सहकारी मिल के सिविल कार्यों हेतु टेन्डर किया जाना एवं सम्पादित कार्यों की टेक्निकल सेल से जांच कराये जाने की मांग

152—श्री सफदर रजा खान–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद–सुल्तानपुर में दि किसान सहकारी चीनी मिल लि० सुल्तानपुर के सिविल कार्यों का टेण्डर माह अगस्त, 1993 में किया गया था? यदि हां, तो 6 माह व्यतीत होने के उपरान्त आज तक टेण्डर के समस्त कार्य सम्पादित नहीं कराये गये? इसके क्या कारण हैं? क्या ठेकेदारों की धरोहर धनराशि जब्त की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सम्पादित कार्यों की टेक्निकल सेल से जांच करायी जायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हाँ।

दि किसान सहकारी चीनी मिल लि० सुल्तानपुर में कार्यों के टेन्डर माह सितम्बर दिनांक 2–9–1993 को आमंत्रित किये गये थे।

जी नहीं, चूँकि संबंधित चीनी मिल की रिपोर्ट के अनुसार सभी कार्य निर्धारित समय अवधि के अन्दर दिसम्बर, 1993 तक पूर्ण हो गये थे।

किसी भी ठेकेदार की धरोहर धनराशि जब्त नहीं की गयी है। क्योंकि ठेकेदारों द्वारा कार्य अनुबन्ध की धाराओं के अनुरूप पूर्ण किये गये थे।

इन कार्यों के अनुबन्ध में टेक्निकल सेल से जांच कराये जाने का कोई प्राविधान नहीं है तथा यह सम्भव भी नहीं है कि प्रत्येक कार्य को टेक्निकल सेल से जांच कराई जाये।

जनपद सुल्तानपुर के विकास खण्ड लम्भुआ के अन्तर्गत ग्राम सभा बरुआ में नवनिर्मित बेसिक प्राइमरी पाठशाला के भवन के गिरने के कारण एवं दोषी के विरुद्ध कार्यवाही

153—श्री सफदर रजा खान–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद सुल्तानपुर के विकास खण्ड लम्भुआ के अन्तर्गत ग्राम सभा बरुआ में स्थित बेसिक प्राइमरी पाठशाला का भवन निर्माण के एक वर्ष बाद ही गिर गया? क्या सरकार ने उक्त भवन के गिरने की जांच करायी तथा दोषी

अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि उक्त भवन गिरने से विद्यालय के छात्र खुले आसमान के नीचे बैठते हैं? इस संबंध में क्या विद्यालय हेतु नया भवन निर्माण करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

डा० मसूद अहमद–

जी हाँ।

भवन गिराने वालों के विरुद्ध अवर अभियन्ता ग्रामीण अभियन्ता सेवा ब्लाक लम्भुआ द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना लम्भुआ में दर्ज करायी गयी है।

जी हाँ।

जी हाँ।

वित्तीय वर्ष 1993–94 के जवाहर योजनान्तर्गत।

प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बिल क्लर्क के पदों का विवरण एवं बिल क्लर्क की वैज्ञानिक सहायक वायु के पद पर अस्थायी नियुक्ति

154—श्री अक्षैयवर भारती–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में टंकक/बिल क्लर्क के कितने पद सृजित हैं? क्या इन पदों पर नियमानुसार नियुक्ति की गयी हैं? यदि हां, तो इनकी संख्या क्या है? क्या किसी बिल क्लर्क को अपने मूल कार्य के अतिरिक्त उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रयोगशाला में सम्बद्ध किया गया है? यदि हां, तो इसका नियमानुसार आधार क्या है? क्या किसी एक बिल क्लर्क को सम्बद्ध करने की तिथि से प्रयोगशाला में वैज्ञानिक सहायक वायु के पद पर नियुक्त किया गया है? यदि हां, तो अन्य कार्यरत बिल क्लर्क को इस पद पर नियुक्ति हेतु सम्मिलित न करने का आधार क्या है? क्या नियुक्त वैज्ञानिक सहायक वायु की नियुक्ति अनियमित है? यदि हां, तो अन्य कर्मी को नियुक्त/अवसर न देने के लिये जिम्मेदार कौन है? क्या संबंधित बिल क्लर्क को प्रयोगशाला में तैनात करने की तिथि से वैज्ञानिक सहायक का वेतन दिया गया है? यदि हां, तो क्यों? क्या दोषी नियुक्त प्राधिकारी के विरुद्ध जांच करायी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव–

उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में टंकक/लिपिक के 58 पद सृजित हैं जिसमें तीन पद शासन द्वारा तथा 55 पद बोर्ड द्वारा सृजित किये गये हैं। पूर्व में नैत्यिक लिपिक (बिल क्लर्क/क्लर्क कम टाईपिस्ट/संदर्भ लिपिक/डिस्पैचर) के पद सृजित थे जिसे बाद में बोर्ड ने पद नाम बदल कर टंकक लिपिक कर दिया।

अभी तक बोर्ड कार्मिकों की सेवा नियमावली नहीं बनी है। समय-समय पर बोर्ड द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार चयन प्रक्रिया अपनाते हुए नियुक्तियां की गयीं।

कुल कार्यरत टंकक लिपिकों की संख्या 50 है।

जी हां। दिनांक 7-8-82 को नैत्यिक लिपिक (बिल क्लर्क/क्लर्क कम टाईपिस्ट/संदर्भ लिपिक/डिस्पैचर) के संवर्ग में से नियुक्त एक कर्मचारी को प्रयोगशाला में सम्बद्ध किया गया।

संबंधित कार्मिक एम०एस०सी० थे तथा वैज्ञानिक सहायक के पद की अर्हता रखते थे इन्हें अगले आदेशों तक उनके वर्तमान पद के वेतनमान में देय वेतन पर तथा अन्य किसी भी कर्मचारी की वरिष्ठता पर प्रभाव डाले बिना प्रयोगशाला में कार्य करने की अनुमति दी गयी।

जी नहीं। नैत्यिक लिपिक (बिल क्लर्क/क्लर्क कम टाईपिस्ट/संदर्भ क्लर्क/डिस्पैचर) में नियुक्त एक कर्मचारी को जो वैज्ञानिक सहायक के पद की अर्हता रखते थे को 7-8-1981 से प्रयोगशाला में कार्य करने की अनुमति प्रदान की गयी। 1984 में अग्रिम आदेशों तक वायु प्रदूषण नियंत्रण कार्यों हेतु वैज्ञानिक सहायक के रिक्त पद के विरुद्ध तदर्थ रूप से तैनात किया गया। वर्ष 1988 में चयन समिति की संस्तुति के आधार पर वैज्ञानिक सहायक वायु के अस्थाई पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया।

नैत्यिक लिपिक (बिल क्लर्क/क्लर्क कम टाईपिस्ट संदर्भ लिपिक/डिस्पैचर) में से वैज्ञानिक सहायक के पद पर नियुक्त करने की कोई प्रक्रिया नहीं थी न ही इस पद पर पदोन्नति करने की प्रक्रिया थी। दोनों शाखायें भिन्न थी। अन्य कार्यरत नैत्यिक लिपिक (बिल क्लर्क/क्लर्क कम टाइपिस्ट/संदर्भ क्लर्क/डिस्पैचर) में कार्यरत कार्मिक निर्धारित अर्हता नहीं रखते थे।

जी नहीं। संबंधित बिल क्लर्क 1984 से वैज्ञानिक सहायक (वायु) के रिक्त पद पर तदर्थ रूप से तैनात थे वर्ष 1988 में गठित चयन समिति द्वारा उनके प्रकरण पर पृथक रूप से विचार करते हुए इनकी नियुक्ति की संस्तुति की, तथा इनको नियमित नियुक्ति की गयी।

लागू नहीं।

जी हां।

क्योंकि इनको 1984 में वैज्ञानिक सहायक के रिक्त पद के विरुद्ध तदर्थ रूप से तैनात किया गया था तथा वैज्ञानिक सहायक के पद का कार्य लिया जा रहा था, इसलिये इन्हें 1984 तैनाती की तिथि से वेतन दिया गया।

लागू नहीं।

लागू नहीं।

क्षेत्रीय अभियन्ता की सहमति से जी०टी० रोड की पटरी पर अनधिकृत निर्माण व कब्जा विषयक श्री कैलाश चन्द्र कटियार का प्रश्नकर्ता द्वारा अग्रसारित पत्र एवं कार्यवाही

155—श्री शिव कुमार बेरिया–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्षेत्रीय अभियन्ता की सहमित से जी० टी० रोड की पटरी पर अनधिकृत निर्माण व अवैध कब्जों के विरोध में श्री कैलाश चन्द्र कटियार निवासी ग्राम गांगूपुर, तहसील बिल्हौर, जिला-कानपुर देहात द्वारा हस्ताक्षरित एवं प्रश्नकर्ता द्वारा अग्रसारित पंजीकृत पत्र दिनांक 22-2-91 प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हां।

अतिक्रमण से संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध पी०पी०ऐक्ट के अंतर्गत मुकदमें दायर करने का निर्णय लिया गया है।

156—श्री शिव कुमार बेरिया–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

जनपद व तहसील जालौन में बेसिक शिक्षा परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक/शिक्षिकाओं की संख्या एवं उनकी शासन की नीति के विरुद्ध नियुक्ति की जानकारी

157—श्री शिव राम सिंह कुशवाहा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेगे कि तहसील जालौन में बेसिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत संचालित विभिन्न विद्यालयों में कितने शिक्षक/शिक्षिकायें कार्यरत हैं? ये सभी कहां के मूल निवासी हैं? क्या कुछ शिक्षक/शिक्षिकायें शासन की नीति के विरुद्ध भी कार्यरत हैं? यदि हां, तो कितने तथा क्यों?

डा० मसूद अहमद–

तहसील जालौन में 1005 व जिला जालौन में 2444 शिक्षक/शिक्षिकायें कार्यरत हैं। 2386 जनपद जालौन के मूल निवासी हैं। शेष 50 शिक्षक विभिन्न जनपदों के मूल निवासी हैं?

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

158—श्री शिव राम सिंह कुशवाहा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील जालौन में बेसिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत किस-किस गांव में प्राइमरी, जू० हाई स्कूल, कन्या प्राइमरी तथा क्रमोत्तर कन्या पाठशाला संचालित हैं उनमें दिनांक 15-12-93 तक कुल कितनी छात्र संख्या एवं अध्यापक/अध्यापिकायें हैं? क्या यहां के प्रत्येक विद्यालयों में मानक के अनुसार अध्यापक/अध्यापिकायें कार्यरत हैं? यदि नहीं, तो क्यों? मानक के अनुसार अध्यापकों की व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी?

डा० मसूद अहमद–

सूंची संलग्न है, †

विवरण निम्नवत् है :–

विद्यालय का प्रकार	छात्रसंख्या	अध्यापक	अध्यापिका	योग
प्राथमिक	20797	652	64	716
उच्च प्रा० विद्यालय	282	33	...	33
क्रमोत्तर	213	...	9	9

जी, नहीं।

वर्ष 1993 में अध्यापकों के स्थानान्तरण/समायोजन न होने के कारण वर्ष 1994 के वार्षिक प्रबन्ध के समय मानक के अनुसार अध्यापकों की व्यवस्था कर दी जायेगी।

जनपद सुल्तानपुर की अमेठी तहसील में मुन्सिफ कोर्ट स्थापित किये जाने की जानकारी

159—श्री जमुना प्रसाद मिश्र–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद सुल्तानपुर की अमेठी तहसील में मुंसिफ कोर्ट की स्थापना करने का निर्णय पूर्व में विकेन्द्रीकरण की नीति के आधार पर हुआ था। वहां पर अभी तक मुंसिफ कोर्ट की स्थापना न किए जाने का क्या कारण हैं?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं।

मा० उच्च न्यायालय का अभिमत प्रतीक्षित है।

---

† छापी नहीं गई हैं।

उ० प्र० राजकीय निर्माण निगम लि० के प्रबन्ध तंत्र द्वारा बनायी गयी जनशक्ति नियोजन के सम्बन्ध में मस्टररोल डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ उ०प्र०रा० निर्माण निगम लखनऊ द्वारा शासन को प्रेषित पत्र पर कृत कार्यवाही

160—श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राजकीय निर्माण निगम लि० के प्रबन्ध तंत्र द्वारा बनायी गयी जनशक्ति नियोजन के सम्बन्ध में मस्टररोल डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ उ० प्र० रा० निर्माण निगम, लखनऊ द्वारा मई, 93 एवं अक्तूबर, 93 में शासन को अनेक पत्र प्राप्त हुए? यदि हां, तो उनमें उल्लिखित मूल बिन्दु क्या-क्या थे तथा उन पर क्रमशः क्या-क्या कार्यवाही अब तक की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हां।

संदर्भित पत्रों में मुख्य मूल बिन्दु निम्नवत् थे :–

1–जन शक्ति नियोजन के प्रस्ताव में कर्मचारियों की संख्या संबंधी मैनुअल के नियमों एवं प्राविधानों पर ध्यान नहीं दिया गया।

2–श्रमिक पक्ष को अनदेखा करते हुए 1217 कर्मियों की छटनी का प्रस्ताव किया गया है।

3–उच्च अधिकारियों की संख्या में वृद्धि तथा निचले संवर्गों के कर्मचारियों की संख्या में कमी का निर्णय जनहित में नहीं है।

4–प्रस्ताव पूर्व स्वीकृत पदों को भरे जाने के स्थान पर बिना किसी माप दंड व विधि को अपनाये पारित कर दिया गया।

5–विधि सचिव की संस्तुतियों के विपरीत निगम ने विभिन्न संवर्गों के पदों पर प्रतिनियुक्ति पर भर्ती की है।

6–उप अभियंताओं के नियमितीकरण संबंधी अनुबन्ध के केवल प्रथम बिंदु का अनुपालन किया गया एवं उसके उपरान्त कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

मामले में अभी शासन का निर्णय होना बाकी है।

उपरोक्तानुसार।

सचिवालय विद्युत अनुरक्षण खण्ड नं०–2 लोक निर्माण विभाग में कार्यरत एयर कण्डीशन आपरेटरों की संख्या एवं अधिक समय से कार्यरत वर्क जार्च व मस्टर रोल कर्मचारियों को नियमित किये जाने की मांग

161—श्री मीर मजहर अली–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि सचिवालय विद्युत अनुरक्षण खण्ड नं०–2, लोक निर्माण विभाग में कार्यरत एयर कण्डीशन आपरेटरों की संख्या क्या है? इनमें कितने स्थाई हैं?

कितने आपरेटर वर्कचार्ज में तथा कितने मस्टर रोल में हैं और कब से? क्या यह सही है कि इनमें से अधिकतर आपरेटर 10 साल व इससे अधिक समय से वर्कचार्ज व मस्टर रोल में कार्यरत हैं? इनको शासन कब तक नियमित कर देगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

प्रश्नगत खण्ड में कार्यरत एयर कन्डीशन आपरेटरों की संख्या 22 है।

इनमें चार आपरेटर स्थायी हैं। वर्कचार्ज में तेरह, स्थायी मस्टर रोल में दो तथा अस्थायी मस्टर रोल में तीन आपरेटर वर्ष 1982 से वर्ष 1991 तक विभिन्न तिथियों से तैनात हैं।

केवल चार को छोड़कर अन्य कोई आपरेटर वर्कचार्ज मस्टर रोल में 10 वर्ष व इससे अधिक अवधि से कार्यरत नहीं है।

नियमित पदों के सृजन के पश्चात् ही नियमितीकरण होता है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर के कस्बा खुटार में स्वीकृत राजकीय कन्या इण्टर कालेज के भवन निर्माण की मांग

162— श्री चेतराम एडवोकेट–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कस्बा खुटार जनपद शाहजहांपुर में राजकीय कन्या इण्टर कालेज खोलने हेतु विगत वर्षों में स्वीकृति मिल चुकी है? यदि हां, तो अब तक स्कूल का भवन न बनने के क्या कारण है? कब तक स्कूल भवन बन जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

डा० मसूद अहमद–

जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता। क्यों कि कस्बा खुटार में राजकीय कन्या इण्टर कालेज संचालित नहीं है। अतः भवन बनाने का प्रश्न नहीं उठता।

163— श्री राम सरन वर्मा–

[विभिन्न विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

उ० प्र० के समस्त चीनी मिलों में अस्थाई व आकस्मिक कर्मचारियों को स्थायी करने की मांग

164— श्री राम सरन वर्मा–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उ० प्र० की समस्त सहकारी चीनी मिलों में तृतीय वेतन आयोग (शक्कर) के वीसलपुर कि० स० चीनी मिल लि०, वीसलपुर ज० पीलीभीत द्वारा

वर्ष 1992-93 में पूर्व में मिल रहे वेतन को कम करके मात्र रु० 20 तथा वर्ष 93-94 में मात्र रु० 22 वेतन अस्थाई एवं आकस्मिक कर्मचारियों को दिया गया है? यदि हां, तो क्यों? उ० प्र० की सहकारी चीनी मिलों में कितने अस्थाई व आकस्मिक कर्मचारी कितने-कितने वर्षों से कार्यरत हैं? क्या उनके स्थायी किये जाने की कोई योजना विचाराधीन है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री शिरोमणि पाठक, भूतपूर्व प्रधानाचार्य, विद्याधर्म वर्धनी संस्कृत पाठशाला, बभनान, जिला बस्ती के पेंशन आदि की सुविधा के सम्बन्ध में

165— श्री चेतराम, श्री उमाशंकर तथा श्री राम सिंह

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि श्री शिरोमणि पाठक, भूतपूर्व प्रधानाचार्य, विद्याधर्म वर्धनी संस्कृत पाठशाला, बभनान, जनपद बस्ती के वर्ष 1985 में सेवानिवृत्ति होने के बावजूद भी आज तक इनकी पेंशन आदि का मामला, संबंधित संस्था के प्रधानाचार्य एवं संबंधित उप निदेशक, सप्तम् मण्डल, गोरखपुर के कार्यालय के कर्मचारियों की शिथिलता के कारण निस्तारित नहीं हो पाया है? यदि हां, तो क्या सरकार तत्काल श्री पाठक के पेंशन का मामला निस्तारित कराने एवं विलम्ब के लिये जिम्मेदार अधिकारियों को दण्डित करने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

डा० मसूद अहमद–

श्री शिरोमणि पाठक की पेंशन के आगणन के प्रयोजनार्थ अनुमन्य सेवायें 10 वर्ष से कम होने के कारण उन्हें नियमानुसार पेंशन की सुविधा अनुमन्य नहीं है। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

गन्ना विकास परिषद, सिसवा बाजार जनपद (महराजगंज) के ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक के विरुद्ध भू० पूर्व विधायक द्वारा प्रेषित शिकायती-पत्र की जांच रिपोर्ट

166—श्री शारदा प्रसाद जायसवाल तथा श्री शिवेन्द्र सिंह–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना विकास परिषद, सिसवा बाजार (महराजगंज) के ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक के विरुद्ध दिनांक 18-12-90, 7-1-91 मार्च, 91 में भूतपूर्व विधायक द्वारा अनुसूचित जाति के गन्ना ग्राम सेवकों को उत्पीड़ित करने तथा अनुपस्थित कर्मचारी की उपस्थिति दिखाकर वेतन फर्जी ड्रा करने तथा भ्रष्टाचार करने की शिकायत शासन में प्राप्त हुयी है? यदि हां, तो उक्त शिकायती-पत्र की जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर मंत्री जी कब तक रखेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलाय सिंह यादव–

जी नहीं।

शेष का प्रश्न ही नहीं उठता है।

प्रदेश के दीवानी फौजदारी एवं उच्च न्यायालयों में वादों की संख्या एवं कमजोर व्यक्तियों को निःशुल्क न्याय प्रदान करने की मांग

167— श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 15 दिसम्बर, 1993 तक प्रदेश के विभिन्न न्यायालयों दीवानी, फौजदारी एवं उच्च न्यायालय में कितने मुकदमें लम्बित पड़े हैं? लम्बित मुकदमों के निस्तारण के लिये कौन से उपाय किये जा रहे हैं? क्या समाज के कमजोर, निर्धन असहाय व्यक्तियों को निःशुल्क न्याय प्रदान करने की भी व्यवस्था है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रदेश के विभिन्न न्यायालयों दीवानी एवं फौजदारी न्यायालयों में 15 दिसम्बर, 1993 तक लम्बित वादों की संख्या निम्नलिखित थी।

दीवानी	फौजदारी
7,89,908	19,01,655

उच्च न्यायालय में 31-12-1993 तक लम्बित वादों की संख्या निम्नलिखित थी

दीवानी	फौजदारी
618989	116337

अधीनस्थ न्यायालयों में अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है।

जी हां। उत्तर प्रदेश कानूनी सहायता एवं परामर्श बोर्ड द्वारा सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र चायल में गांवों को सम्पर्क मार्गों से जोड़े जाने की मांग

168— श्री शिवदानी–

क्या लोक निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि विधान सभा क्षेत्र चायल जनपद इलाहाबाद में आजादी के 46 वर्षों बाद भी आज तक 25 प्रतिशत गांवों में सम्पर्क मार्ग नहीं बने हैं? क्या यह

भी सही है कि क्षेत्र के जिन-जिन मार्गों पर बीसों वर्ष से मात्र बोल्डर फैलाकर छोड़ दिया गया है, उन्हें कब तक पूरा कर लिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र चायल में 25 प्रतिशत से अधिक गांवों को सम्पर्क मार्गों से जोड़ा जा चुका है।

प्रश्नगत कार्य जिला योजना के अन्तर्गत है, जिनको पूर्ण कराया जाना जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन तथा धन की उपलब्धता पर निर्भर रहता है।

उपरोक्तानुसार।

आंख का अस्पताल ट्रस्ट सीतापुर की नियमावली एवं ट्रस्ट के पदाधिकारियों के रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण के विषय में जानकारी

169 श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि आंख का अस्पताल, ट्रस्ट सीतापुर की नियमावली के रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट के अधीन नियमावली/यथासमय हो चुका है? यदि हां, तो क्या ट्रस्ट के पदाधिकारियों के रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण हुआ है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां।

जी नहीं।

संस्था से निर्वाचन कार्यवाही यथा विधि प्राप्त न होने के कारण पदाधिकारियों की सूची अभी फाइल नहीं की गयी है।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 11 अप्रैल, 1994 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 20 सूचनायें प्राप्त हुईं। प्राप्त सूचनाओं में से श्लाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुये निम्नलिखित 7 सूचनायें स्वीकार की गयीं।

पहली श्री मातवर सिंह कण्डारी, हैं नहीं, दूसरी श्री लक्ष्मीनारायण पाण्डेय हैं नहीं, तीसरी श्री सुरेश कुमार खन्ना की शाहजहांपुर नगरपालिका के कर्मचारियों को गत 6 माह से वेतन न मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है।

चौथी श्री विश्राम सिंह यादव की हरदोई जनपद के हजारों भूमिहीन पट्टेदारों को भौतिक कब्जा दिलाने के संबंध में है।

पांचवी सूचना श्री शिवदानी जी की इलाहाबाद में थाना सराय अखिल के इंचार्ज द्वारा की जा रही मनमानी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है।

छठीं सूचना श्री सुरेश चन्द्र तितोरिया उपस्थित नहीं है। सातवीं सूचना श्री रमेश पोखरियाल ''निशंक'' की जनपद चमोली में कर्ण प्रयाग के निकट अलखनंदा द्वारा किये जा रहे कटाव से पुजारी गांव का अस्तित्व खतरे में पड़ने के संबंध में है।

प्रतीक्षा सूची में जिनको लिया जा रहा है उसमें श्री बालेश्वर त्यागी की गाजियाबाद हथकरघा परियोजना द्वारा वर्ष 1993 में बुनकरों का तैयार माल न खरीदने के कारण लगभग 150 बुनकर परिवारों के समक्ष उत्पन्न भुखमरी की समस्या के संबंध में है।

दूसरी श्री सुंदर लाल दीक्षित की बाराबंकी के हैदरगढ़ क्षेत्रांतर्गत लघु डाल पम्प कैनाल भिटोरा, बिबियापुर, दनौली द्वारा कई गांव के किसानों को पानी न मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है।

तीन जो सूचनायें अग्राह्य की गयी हैं क्योंकि उनसे सम्बन्धित तीनों माननीय सदस्य अनुपस्थित हैं दो सूचनायें प्रतीक्षा सूची की ले ली गयीं, एक और उसके बाद की ले लेगें। वह श्री रमेश कांत लवानियां जी की है, विषय उसके संबंध में जोड़ देंगे।

श्री रमेश कान्त लवानियां की सूचना आगरा में हाल के सर्वे के अनुसार यमुना नदी के पानी में गैमैक्सीन व डी० डी० टी० होने तथा घुलनशील आक्सीजन की मात्रा घटने से पानी की खतरनाक स्थिति के संबंध में है।

जिनकी सूचनायें अस्वीकृत हुई उनके नाम इस प्रकार है श्री राजकुमार शिवहरे, श्री सुन्दर लाल लोधी, श्री अमरनाथ यादव, श्री राम सरन वर्मा, श्री धनराज यादव, श्री बची सिंह रावत, श्री हरेन्द्र सिंह (मुज्जफरनगर), श्री अजय कुमार पोइया, श्री ब्रहम दत्त द्विवेदी तथा श्री मित्रसेन यादव।

(सदन की सहमति से स्वीकृत 7 सूचनायें पढ़ी हुई मानी गयी।)

शाहजहांपुर नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों को विगत छः माह से वेतन न मिलने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

[महोदय, शाहजहांपुर नगर पालिका के कर्मचारियों को पिछले छः माह से अधिक समय का वेतन न मिलने के कारण समस्त कर्मचारी 28 दिनों से हड़ताल पर हैं पिछले 28 दिनों से नगर की सफाई नहीं हुई, नालियों का कीचड़ था, कीचड़ व पानी सड़कों पर बह रहा है। कई मुख्य मार्ग तालाब बन गये हैं स्थान–स्थान पर कूड़े के ढेर दिखाई पड़ते हैं। आवागमन बुरी तरह अवरुद्ध हो चुका है पूरा नगर नरक बन गया है। होली व ईद जैसे महत्वपूर्ण त्योहार भयंकर गन्दगी में मनाये गये। नगर में गन्दगी के कारण संक्रामक रोग फैलने लगा है। पालिका कार्यालय में ताले लगें है सम्पूर्ण जनजीवन इससे प्रभावित है। कर्मचारी व प्रशासन की वार्ता विफल हो गई कर्मचारी विगत् पूर्ण वेतन पाये काम पर आने को तैयार नहीं है।

पालिका कर्मचारियों के सामने भी भुखमरी की स्थिति है। कई बीमार कर्मचारियों को इलाज कराने की भयंकर समस्या है।

एक वर्ष पूर्व गन्दगी के कारण शाहजहांपुर में डेगू व वायरल बुखार फैला हुआ था जिससे 200 लोगों की मृत्यु हो गई थी। पुनः वैसी स्थिति दिखाई पड़ती है यदि अविलम्ब कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त न कराई गई तो पूरा नगर संक्रामक रोग की चपेट में हो जायेगा। सैकड़ों लोगों के जीवन को खतरा होगा। मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि अविलम्ब नगरपालिका शाहजहांपुर के कर्मचारियों का वेतन देकर हड़ताल समाप्त कराई जावे। ताकि सैकड़ों लोग संक्रामक रोग के प्रभाव से बच सकें।]

हरदोई जनपद के हजारों भूमिहीन पट्टेदारों को भौतिक कब्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विश्राम सिंह यादव–

[महोदय, हरदोई जनपद में हजारों भूमिहीन पट्टेदारों को भौतिक कब्जा अभी तक नहीं मिला है जबकि सरकारी अभिलेखों में पट्टेदारों के नाम अंकित हैं और कोई विवाद भी न्यायालय आदि में नहीं है। इन पट्टेदारों की पट्टेवाली भूमि को जबरदस्त लोग जबरिया जोते हैं जिससे गरीब जनता में काफी आक्रोश है।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय को आदरणीय सदन के संज्ञान में लाकर आवश्यक कार्यवाही करने की माँग करता हूँ।]

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

इलाहाबाद में थाना सराय अकिल के इन्चार्ज द्वारा की जा रही मनमानी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शिवदानी–

[मान्यवर, मैं सदस्य विधान सभा श्री शिवदानी मान्यवर के माध्यम से सदन में लोक महत्व का प्रकरण पर इस सदन की कार्यवाही को रोक कर चर्चा कराने का अनुरोध करता हूँ ।

2— जनहित का प्रकरण संक्षेप में निम्नवत् है । जनपद इलाहाबाद में थाना सराय अकिल के थाना इंचार्ज श्री धनपाल सिंह के मनमानी असंवैधानिक एवं तानाशाही पूर्ण कार्य से फर्जी मुकदमें दर्ज करने के कार्यों की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ । दिनाँक 13/14-9-93 को ग्राम पूरे हजारी तहसील चायल, जिला इलाहाबाद में श्री अशोक कुमार सिंह, पुत्र श्री राम बालक सिंह की हत्या किन्हीं अज्ञात हत्यारों ने की थी । इस हत्या का मुकदमा अपराध संख्या– 206/93 में धारा– 302/201 आई० पी०सी० के अन्तर्गत उक्त थानें में दर्ज कराया गया था । थानाध्यक्ष ने उक्त मुकदमें की विवेचना की तथा ऐसे आदमी के बयान पर जो दिनाँक 23-4-92 को ही मर चुके थे और जिसका नाम स्व० श्री राम लखन सिंह, ग्राम जवाहरगंज को थाना सराय अकिल, जनपद इलाहाबाद, के श्री संगम लाल पुत्र श्री मेडी लाल तथा रामबाबू पुत्र श्रीपाल पासी, निवासी पूरे हजारी, जनपद इलाहाबाद को उक्त हत्या के मुकदमें में अभियुक्त बनाया गया है ।

3— उक्त प्रकरण से यह स्पष्ट है कि थानाध्यक्ष, सराय अकिल श्री धनपाल सिंह अपने कर्त्तव्यों के प्रति कितने जागरूक हैं कि एक ऐसे आदमी के बयान पर जो दिनाँक 23-4-92 को ही मर चुका है; जिसकी सूचना थाना सराय अकिल में मुकदमा अपराध सं०– 85/92 धारा- 302 आई०पी०सी० के अन्तर्गत दर्ज है, ऐसे बेगुनाहों को उनके द्वारा उक्त हत्या के मुकदमें में अभियुक्त बनाया गया है । इसी प्रकार इनके अनेक कारनामें हैं ।

4— अतः मान्यवर से अनुरोध है कि उक्त थानाध्यक्ष को निलम्बित कर उक्त पूरे प्रकरण की जाँच संसदीय समिति से करवाने की कृपा करें ।]

जनपद चमोली में अलकनन्दा के कटान से पुजारी गांव को खतरा उत्पन्न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

[महोदय, जनपद चमोली में कर्णप्रयाग के समीप अलकनन्दा के भारी कटाव से पुजारी गाँव का अस्तित्व भारी खतरे में आ गया है । अलकनन्दा गाँव की ओर कटाव करते हुए तेजी से बढ़ रही है । अनेक मकान क्षतिग्रस्त भी हो गये हैं । अलकनन्दा के बढ़ने पर कभी भी यह बहुत बड़ी त्रासदी का विषय बन सकता है ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

पुजारी गाँव के लोग विगत अनेक वर्षों से गाँव के बचाव की गुहार करते आ रहे हैं। किन्तु अभी तक भी इस दिशा में सरकार द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।

महोदय, जन एवं धन दोनों को भारी क्षति की सम्भावनाओं को देखते हुए तत्काल ही सरकार को अलकनंदा से पुजारी गाँव की सुरक्षा प्रदान करने के निर्देश निर्गत करने का कष्ट करेगें।]

गाजियाबाद हथकरघा परियोजना द्वारा बुनकरों का माल न क्रय करने से बुनकर परिवारों में भुखमरी उत्पन्न होने से नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बालेश्वर त्यागी–

[महोदय, आपके माध्यम से अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ :–

वर्तमान समय में बुनकरों के सामने जीविका का भारी संकट खड़ा हो गया है। बुनकरों के कल्याण के लिये चलने वाली यूपिका और सघन हथकरघा विकास परियोजना भ्रष्टाचार के केन्द्र बन गये हैं। अधिकारियों की मिली भगत से गाजियाबाद में फर्जी सहकारी समितियाँ कार्यरत हैं। जिनका बुनकरों से कोई सम्बन्ध नहीं है तथा उन समितियों से हथकरघा के नाम पर पावरलूम द्वारा तैयार माल खरीदा जा रहा है।

गाजियाबाद हथकरघा परियोजना द्वारा वर्ष 93 में बुनकरों को सूत सप्लाई करके नियमित उत्पादन करा लिया जिसमें बुनकरों ने अपनी सारी पूंजी लगाकर गरीब 10-12 लाख रुपये का माल तैयार कर लिया। परियोजना अधिकारी ने केवल 40-50 हजार रुपये का माल खरीदा है। शेष बुनकरों का गाजियाबाद में माल खरीदने से इन्कार कर दिया है। दूसरी ओर बड़ी-बड़ी कम्पनियों से खरीद जारी है।

करीब 150 बुनकरों परिवारों के आर्थिक संकट खड़ा हो गया है, लाखों रुपयों का माल कर्जा लेकर तथा पूँजी लगाकर तैयार किया लेकिन हथकरघा विकास परियोजना ने खरीदने से इन्कार कर दिया। हथकरघा निगम के नये प्रबन्ध निदेशक ने सुधारों के नाम पर गरीब बुनकरों को बरबाद करने का फैसला लिया है। इन बुनकर परिवारों के सामने रोजी-रोटी का गम्भीर संकट खड़ा हो गया है। यदि हथकरघा परियोजना ने गाजियाबाद के बुनकरों का तैयार माल नहीं खरीदा तो गाजियाबाद का बुनकर व हथकरघा उद्योग सदैव के लिये समाप्त हो जायगा।

आपके माध्यम से सरकार से माँग करता हूँ कि तैयार माल को तत्काल खरीदा जाय।]

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बाराबंकी के हैदरगढ़ क्षेत्रान्तर्गत लघु डाल पम्प कैनाल भिटौरा, बिबियापुर (दुनौली) द्वारा कतिपय गांवों के किसानों को पानी न मिलने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

[मान्यवर, बाराबंकी जिले हैदरगढ़ क्षेत्र के अन्तर्गत लघु डाल पम्प कैनाल भिटौरा, बिबियापुर, दुनौली उक्त परियोजना से गोमती नदी से किसानों के खेतों में पानी पहुँचाया जाता है। उक्त माइनरों अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उदासीनता, लापरवाही से नहर की नालियाँ टूटी-फूटी होने के कारण किसानों के खेतों तक पानी न पहुँचने से भिटौरा लोहगंपुर, सन्तोषपुर, मल्हन पुरवा, बाजपुरा, भेड़िया, बबुरिहा, भोनहुआ, पलौली, बिबियापुर आदि ग्रामों के किसानों को पानी न दिये जाने के कारण किसानों की बोई हुई हजारों एकड़ फसल सूख गयी है । उक्त ग्रामों के किसानों के सामने भुखमरी की गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गयी है ।

इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूँ ।]

आगरा में यमुना नदी के पानी में घुलनशील आक्सीजन की मात्रा घटने से जन स्वास्थ्य को खतरा उत्पन्न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रमेशकांत लवानियाँ–

[महोदय, यमुना के पानी का प्रदूषण चरम तक पहुँच गया है । प्रदूषण विभाग उदासीन है । 9 अप्रैल, 1994 को सोलकूसेडर्स संस्था के विशेषज्ञों ने यमुना के जल का परीक्षण किया और यह पाया कि ताजमहल के पीछे यमुना के जल में 1 मि०ग्रा० प्रति लीटर घुलनशील आक्सीजन थी और अन्य जगह घुलनशील आक्सीजन की मात्रा दो मि० ग्रा० प्रति लीटर पाई गयी । मानकों के अनुसार मनुष्यों के पीने के पानी में घुलनशील आक्सीजन की मात्रा 7 मि०ग्रा० प्रति लीटर से कम नहीं होनी चाहिये । पानी में रेडवर्म जैसे कीड़े व वैक्टेरिया हैं । इनसे हैजा व अन्य बीमारियाँ फैलती हैं । राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान की रिपोर्ट के अनुसार आगरा में यमुना में गैमेक्सीन और डी०डी०टी० पाई जाती है । पानी की इस खतरनाक स्थिति से जन स्वास्थ्य पर घातक प्रभाव पड़ेगा । इस कारण सदन में उठाने की आवश्यकता है ।

अतः अवलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय को सदन में उठाने की अनुज्ञा देने की कृपा करें ।]

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

अब औचित्य के प्रश्न में 3 सूचनायें निमय 300 के अन्तर्गत प्राप्त हुई जो किसी प्रकार भी औचित्य के विषय को नहीं छूती हैं, इसलिये अग्राह्य की गयी । अब मद संख्या 4 ले रहा हूँ ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

बजट साहित्य समय से उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है –

बार-बार इस पीठ से निर्देश दिये गये, बजट सत्र चल रहा है संबंधित विभाग का साहित्य 4 दिन पहले आ जाना चाहिये लेकिन इस सरकार में कोई सुनवाई नहीं हो रही है चाहे माननीय मुख्यमंत्री हों, चाहे संसदीय कार्य मंत्री हों । कल सिंचाई विभाग का बजट है अभी तक साहित्य की कोई व्यवस्था नहीं हुई है ।

श्री अध्यक्ष–

मैं सरकार को पुनः निर्देशित करता हूँ, जितना भी साहित्य हो माननीय सदस्यों को नियमानुसार उपलब्ध करा दिया जाय ।

श्री नरेश अग्रवाल–

कितने दिन पहले ?

श्री अध्यक्ष–

नियमानुसार मैंने कहा ।

जनपद लखनऊ के आलमबाग क्षेत्र के मोहल्ला प्रेम नगर में गन्दे पानी की निकासी हेतु सीवर की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में श्री रामलोटन तिवारी आदि की याचिका को अगले दिन लिए जाने की सूचना

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या-4 में श्री राम आसरे वर्मा को याचिका प्रस्तुत करना था लेकिन आज वह अपना प्रार्थना पत्र दे गये हैं कि अगले दिन रख दी जाए, इसलिये इसकी मैंने अनुमति दे दिया है।

विशेषाधिकार अवहेलना की सूचनाओं के सम्बन्ध में सूचना .

श्री अध्यक्ष–

अब विशेषाधिकार अवहेलना के बारे में कोई सूचना है नहीं । लेकिन विशेषाधिकार के संबंध में पिछले दिनों कुछ रूलिंग रिजर्व रखा था, अतः सूचना आती है तो ठीक है अन्यथा आगे किसी दिन ले लेंगे ।

मद संख्या 6 और 7 में कुछ है नहीं ।

नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (जारी)

श्री अध्यक्ष–

कार्य स्थगन के संबंध में कुछ सूचनाएं आयी हैं ।

नियम 300 और नियम 311 के संबंध में कार्य मंत्रणा समिति में तय हुआ था कि जब तक बजट प्रस्तुत हो रहे हैं तब तक उसको नियम 56 में परिवर्तित करके सुना जाएगा। इसलिए जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं उनको अपने विवेक से चुन लिया है और निमय 51 में भी जो सूचनायें दी गयी हैं उनको भी नियम 56 में ही अपने विवेक से सुनने के लिए कह रहा हूँ।

आज दिनांक 11 अप्रैल, 1994 को नियम 311 में प्राप्त सभी सूचनाओं को नियम 56 में परिवर्तित कर दिया गया है। इस प्रकार नियम 56 के अंतर्गत कुल 23 सूचनायें प्राप्त हुई जिनमें शलाका के आधार पर चयनित सूचनाओं में 5 सूचनाओं पर ग्राह्यता पर सुना जाएगा और शेष 5 सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाएगा।

पहली सूचना जो मैंने अपने विवेक से चुना है वह श्री रमेश कान्त लवानियां की है जिसका विषय है– जनपद आगरा में बढ़ती हत्या की वारदातों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। इसी संबंध में श्री सत्य प्रकाश विकल ने भी नियम 51 में सूचना दिया है, इसलिए उसको भी कार्य स्थगन में जोड़ दिया गया है।

दूसरी सूचना है श्री मोहर सिंह की, तीसरी सूचना है श्री धनराज यादव की, चौथी सूचना है श्री घनश्याम शुक्ल की और पांचवीं सूचना है श्री राम प्रकाश की तो इनके संबंध में मैं सुनूंगा।

नियम 311 में जो सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री सत्य प्रकाश विकल और श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी ने दिया है उसको नियम 56 में परिवर्तित कर दिया है। श्री प्रमोद तिवारी, श्री जगदम्बिका पाल और श्री नरेश अग्रवाल की सूचना को मैंने निमय 56 में परिवर्तित किया और यह सूचना उन 5 सूचनाओं में से है जिनमें शासन का ध्यान आकर्षित करता हूं।

(घोर व्यवधान)

श्री नरेश अग्रवाल–

इतना बड़ा दवाओं की खरीद में घोटाला किया गया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग मेरी बात सुन लें।

मैंने श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री विकल, श्री द्विवेदी और श्री प्रमोद तिवारी, श्री जगदम्बिका पाल एवं श्री नरेश अग्रवाल की सूचना जिसका विषय उत्तर प्रदेश के आयुर्वेद निदेशालय में आयुर्वेद दवाओं की खरीद में की गयी धांधली के संबंध में है। इसमें सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए कहा था और इसके पहले भी इसी विषय पर 31-3-94 को सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जा चुका है और कार्यवाही शीघ्र की जाएगी।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अब मैं गुप्त जी को सुनूंगा ।

(घोर व्यवधान चलता रहा)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

आप किसी का नाम ले लें, वही बोले ।

अभी मान्यवर, आपने जो व्यवस्था दे दी, इस आयुर्वेद निदेशालय के घोटाले का जो मामला है, उस पर आपने सरकार का ध्यान आकर्षित किया । पहले भी आपने उसकी ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है । यदि उस ध्यान आकर्षण के बाद उसपर प्रभावी कार्यवाही हो गई होती तो मुझे या अन्य माननीय सदस्यों को इसे नियम 311 में लाने की आवश्यकता ही न पड़ती ।

श्री अध्यक्ष–

यह तो मैं भी कहना चाहता था ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

हमारे नियमों में व्यवस्था है कि अगर एक विषय पर चर्चा हो भी गई हो, किन्तु कोई नया सन्दर्भ हो तो आप दुबारा उसमें सुन सकेंगे । मेरी जो सूचना है, उसमें मैंने नया सन्दर्भ देने की चेष्टा की है । सरकार का ध्यान आकर्षित करने के बाद तत्सम्बन्धी पेमेन्ट के भुगतान ट्रेजरी से रोके जाने की बात थी, किन्तु मुझे बड़े दुखः के साथ कहना पड़ता है कि उक्त पेमेन्ट अभी भी ट्रेजरी द्वारा किये जा रहे हैं । यह पेमेन्ट ऐसी कम्पनियों को गोलमाल ढंग से किया जा रहा है, जो अभी कल की हैं और जिनके अभी तक दवा भी नहीं आई हैं, किन्तु उनका भुगतान हो गया । इस प्रकार की घपलेबाजी करके ट्रेजरी द्वारा भुगतान करना, यह राज्य सरकार द्वारा वित्तीय अनुशासन न कायम करने की सबसे गम्भीर बात है । इससे अधिक वित्तीय अनियमितता और कोई हो नहीं सकती है । वित्तीय नियम यह है कि अगर कोई ग्रान्ट का पैसा जाएगा तो ट्रेजरी में उसका मिलान होना चाहिए, किन्तु यह बिना मिलान के भुगतान कर दिया गया । तो यह घोर अनियमितता है और घोटाला है ।

(घोर-व्यवधान)

श्री उदय भान सिंह–

आगरा की बात आपको सुननी [x x x] वहां पर पुलिस ने हत्या की है ।

(व्यवधान)

नोट :– [x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री सत्यप्रकाश विकल–

मान्यवर, मेरा भी सूचना पर नाम है, हमें भी आप सुन लीजिए ।

श्री अध्यक्ष–

हमें अपनी बात कह लेने दीजिए ।

[श्री सत्यप्रकाश विकल और श्री अध्यक्ष साथ-साथ बोलते रहे तथा अन्य कुछ सदस्य भी खड़े रहे।]

श्री अध्यक्ष–

आप कुछ भी कहिये, मैं सुन नहीं रहा हूं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

गुप्त जी ने जो कहा है, उसके अतिरिक्त अगर कोई बात हो तो उसे दो मिनट में कह दीजिए ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ यह कहना चाहता हूं, यह सदन नियमों से चलता है– विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली से चलता है, यह सदन परम्पराओं से चलता है और यह सदन समय-समय पर उस पीठ से लिये गये निर्णयों से भी चलता है और इस सदन का संचालन आपके विवेक से भी होता है । इसलिए इस सदन में जब कोई बात उठती है, किसी विषय पर उसकी ग्राह्यता के बाद में आपका निर्णय हो जाता है तो हम उसको शिरोधार्य करते हैं। इस सदन में ऐसे अवसर आते हैं कि नियमों और परम्पराओं के उन पर भी आपका विवेक चलता है । आज जिस विषय पर भारतीय जनता पार्टी "व्यवधान" की तरफ से जो प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है, उसमें किसी दिन उस विषय से सम्बन्धित विषय आया था, जिस पर आपने सरकार का ध्यान आकर्षित किया था । हम उसके लिए आपके आभारी हैं । किन्तु आज जो सवाल आया है, वह आजादी के बाद उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सवाल है । इस वर्ष और पिछले वर्ष को मिलाकर 100 करोड़ रुपये का घोटाला इस आयुर्वेद निदेशालय में हुआ । उस निदेशक को पहले निलम्बित किया गया था और उसका अधिकार छीनने की बात, वित्तीय अनियमितता के कारण शासन के सचिव ने अपना कर्तव्य पालन करते हुए, करनी चाही तो उस निदेशक के तो अधिकार नहीं छीने गये, बल्कि.....

मान्यवर, उस सचिव से शासन ने वह विभाग छीन लिया। मैं विधान परिषद् में उस समय था और मैंने दो सवाल भी किये थे। मान्यवर, मैं उसका उल्लेख नहीं करना चाहता था परन्तु यहां पर कहना पड़ रहा है। कल्याण सिंह थे उन्होंने उस व्यक्ति को तुरन्त निलम्बन के आदेश दे दिये थे परन्तु वह स्टे ले आया था। शासन के सचिव के अधिकार छीन लिये गये। सरकार की तरफ से नौकरियों पर प्रतिबन्ध लगे होने के बावजूद भी दो हजार नियुक्तियां की गई। मैं समझता हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको प्राथमिकता के आधार पर लेना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर)–

मान्यवर, आज इस सम्मानित सदन में 100 करोड़ से ज्यादा के घोटाले के सम्बन्ध में चर्चा हो रही है। आपने कार्य मंत्रणा के समय कहा था कि नियम-311 की सूचना नहीं ली जायेगी। आपका निर्णय शिरोधार्य है। आपने उसे नियम-56 में परिवर्तित कर दिया। मान्यवर, 100 करोड़ रुपये के घोटाले की बात है, इस सम्बन्ध में सभी सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की और आपने शासन का ध्यान आर्कषण के लिये निर्देश दिये परन्तु उसके बाद भी उस पर कोई कार्यवाही न हो तो यह गम्भीर विषय है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस पर चर्चा करवाकर कार्यवाही करायें।

श्री नरेश अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, एक ऐसे व्यक्ति द्वारा घोटाला किया जाना जो 200 लोगों की हत्या का जिम्मेदार हो। पिछली विधान सभा के सत्र में इस बात को उठाया गया था। उस व्यक्ति को पुनः उस पर पूरे अधिकारों के साथ बैठाया जाना उन गरीबों के साथ खिलवाड़ नहीं तो और क्या है जो अपने जीवन रक्षा के लिये दवाइयां नहीं खरीद सकते हैं। आज हम लोगों ने जो बात उठाई है वह किसी द्वेष की भावना से नहीं उठाई है। शासन का जितना बजट है उससे ज्यादा 10 गुना खर्च इसलिये कर लिया जाय कि उनको कमीशन मिलता है। अभी पिछले वर्ष की 23 करोड़ की दवाई का सत्यापन आज तक नहीं हुआ है। यह मेरी निश्चित जानकारी है कि वह दवाइयां प्रदेश के आयुर्वेदिक विभाग को नहीं सप्लाई की गई हैं। प्रदेश में फैक्ट्री लगी है, केन्द्र सरकार की भी फैक्ट्री लगी है वहां से दवाइयां न खरीद करके दवाइयां 6-10 दिन पहले रजिस्टर्ड हुई कम्पनियां जिनकी कोई प्रमाणिकता न हो, वहां से लेने का क्या औचित्य है? इतना बड़ा घोटाला किया गया। मान्यवर, यहां पर हम आप सब बैठे हैं, शासन का ध्यान आकृष्ट करने के बाद भी इस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। मान्यवर, हम यहां पर जनप्रतिनिधि चुन कर आते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस सम्बन्ध में कोई स्पष्ट निर्देश दें ताकि जनता तक यह सन्देश जा सके। ट्रेजरी से भुगतान होने पर रोक के बावजूद भुगतान कर दिया गया और इस तरह से 100 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है। मान्यवर, इसकी गम्भीरता को लेकर चर्चा करवाई जाय।

*नेता विरोधी दल (श्री कल्याण सिंह)–

अध्यक्ष जी, यह मामला बहुत गम्भीर है और यही आशा करता हूं कि सरकार भी इस मामले को उसी गम्भीरता से लेगी। कितनी वित्तीय अनियमितता है और कितना बड़ा घोटाला है यह तीन-चार बातों से स्पष्ट हो गया है। वर्ष 1993-94 में इस आयुर्वेदिक निदेशालय को केवल दो करोड़ रुपये की दवायें खरीदने के लिए वित्तीय स्वीकृति थी परन्तु इसके विपरीत 25 करोड़ की ग्रान्ट जारी कर दी गई। 23 करोड़ रुपये की अतिरिक्त ग्रान्ट जारी हुई है। यह निश्चित रूप से बजट के प्राविधानों से, दो करोड़ का प्राविधान था, इससे 23 करोड़ ज्यादा है। जानकारी यह मिली है कि 70 करोड़ की दवा की खरीद के आदेश दे दिए गए। ऐसी-ऐसी फर्म को आदेश दिए गए हैं जो तत्काल-तत्काल निर्मित हुई है। कुछ फर्म ऐसी हैं जो दवायें नहीं बनाती हैं बीच में से किसी और से लेकर आपूर्ति करेंगी। इसमें ट्रेजरी पर, भुगतान करने पर रोक लगाने के लिए शासन से कदाचित कोई आदेश निर्गत हुए थे लेकिन निश्चित रूप से ट्रेजरी से भुगतान होने पर, रोक लगने के बाद भी ट्रेजरी से भुगतान हो रहा है वह आदेश वापस ले लिए गए। मैं समझता हूं कि जिस अधिकारी के संबंध में जांच हो रही थी, आयुर्वेदिक सचिव।***। मैं नाम नहीं लेना चाहता लेकिन दंडित किया जाना चाहिए था, जो भ्रष्टाचार में लिप्त है लेकिन दंडित उसे कर दिया गया जिसने भ्रष्टाचारी के विरुद्ध जांच बैठाई। श्रीमन् 70 करोड़ रुपये के आदेश दिए गए हैं ऐसी फर्मों को आदेश दिए जा रहे हैं जो तत्काल बनी हैं। या जो दवा नहीं बनाती हैं। मुझे याद है जगदम्बिका पाल जी मुझसे मिले थे इन्होंने निदेशक के विरुद्ध अनियमित नियुक्ति की शिकायत की थी मैंने जांच कराई, क्या नियुक्तियां अनियमित हुई हैं? हमने उनको बुलाकर वहीं निलम्बन के आदेश थमाकर कह दिया था कि घर जाओ। हाई कोर्ट से वह स्टे ले आया। हमने आधकारियों से कह दिया हाईकोर्ट के आदेशों का हमें पालन करना है इस व्यक्ति को दफ्तर के छोटे से कमरे में कुर्सी दे दी जाए लेकिन मेज न दी जाए। किसी प्रकार की एक्जीक्यूटिव पावर इनको नहीं दी जानी चाहिए। मैं नहीं समझता हूं कि राष्ट्रपति शासन के दौरान कौन सी गोट उसने बिठाई। वर्तमान शासन में कौन सी गोट बिठाई। इतने सनसनीखेज मामले में कोई कार्यवाही नहीं हुई है। ईमानदार सचिव के विरुद्ध कार्यवाही हो गई है। भ्रष्टाचार वाले के विरुद्ध कार्यवाही नहीं हुई है। यह प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई के दुरुपयोग का गम्भीर प्रश्न है। मैं चाहता हूं जितनी बातें यहां कही गई हैं उन सबके संदर्भ में सरकार एक-एक बिन्दु का स्पष्टीकरण देते हुए, एक दिन में, दो दिन में, तीन दिन में, जो समय देना चाहे, एक लिखित वक्तव्य सदन में प्रस्तुत करे और यह बताये कि इस तरह के घपले को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है? मेरा आरोप है कि ट्रेजरी से भुगतान पर, रोक लगाने के आदेश वापस

---

* नोट–* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

।***। यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

लिये गए हैं यह सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। यह कार्य आसानी से नहीं हो सकता है यह लाख दो लाख का मामला नहीं है। यह 70 करोड़ का मामला है। यह सही है कि पहले शासन ने निर्णय लिया कि ट्रेजरी से भुगतान न कराया जाए ऐसे आदेश दिए लेकिन वह कौन सी सिफारिशें थी जिनकी वजह से इसको वापस लिया गया?

इस प्रश्न पर सरकार नंगी खड़ी है, उत्तर प्रदेश की जनता के सामने मैं चाहता हूँ कि यहां पर जो इस संबंध में प्रश्न उठाए गए हैं, उस पर विस्तार से बिन्दुवार लिखित वक्तव्य प्रस्तुत करें। फिर यहां पर सवाल करने का मौका मिले। सत्ता पक्ष के भी कई लोग इस पर सहमत होंगे। किन-किन फर्मों को आदेश दिए गए हैं, उनके नाम आने चाहिए। कितनी-कितनी धनराशि के आदेश दिए हैं, उनके नाम आने चाहिए। ट्रेजरी से भुगतान पर रोक लगाने के आदेश वापस क्यों लिए गए हैं इसकी जानकारी आनी चाहिए। किस-किस फर्म को कितना-कितना पैसा दिया गया है? यह मामला बहुत गम्भीर है। इस पर मैं आपसे अनुरोध करुंगा कि आप इसकी पूरी जानकारी दिला दें। आप लिखित वक्तव्य दिला दें, जिससे माननीय सदस्यों को इस पर प्रश्न पूछने का मौका मिले।

(कई सदस्यों के साथ खड़े होकर बोलने पर व्यवधान।)

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्यमंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

नेता विरोधी दल ने जो अपना भाषण दिया। इन्होंने इस संबंध में बहुत काल्पनिक आरोप सरकार के ऊपर लगाए। मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार भ्रष्टाचार करने वाले व्यक्ति को सजा देने में कोई कोताही नहीं बरतेगी। चाहे व्यक्ति कितनी ही पहुंच वाला क्यों न हो? भ्रष्टाचार में आप लोग खुद डूबे हुए हैं। इस संबंध में सरकार शीघ्र ही वक्तव्य देगी।

श्री अध्यक्ष–

मैं विषय की गम्भीरता को देखते हुए सरकार को निर्देशित करता हूं कि इस विषय पर वक्तव्य सदन में प्रस्तुत करे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, अभी संसदीय कार्यमंत्री जी ने कहा था कि इस पर स्वास्थ्य मंत्री जी जानकारी देंगे। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री जी, कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। अभी संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा भी था कि हमारे बाद स्वास्थ्य मंत्री जी इस संबंध में जानकारी देंगे।

श्री अध्यक्ष–

मैंने वक्तव्य के लिए निर्देशित कर दिया है अब कोई प्रश्न नहीं रह गया है।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर व्यवधान)

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, पूरे प्रदेश में पानी की समस्या बनी हुई है।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठ जाइए। कल इस प्रश्न को दीजिए। आज मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री बालेश्वर त्यागी–

मान्यवर, मेरी बात सुन लें बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, बड़ी भयंकर समस्या है।

श्री अध्यक्ष–

आपकी दो सूचनायें थीं। एक मैंने ली। दूसरी पानी वाली को मैंने निरस्त कर दिया है।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, 311 में दी है।

डा० सरजीत सिंह डंग–

अगले दो महीनें में पूरे प्रदेश में पीने के पानी के लाले पड़ जायेंगें।

श्री नरेश अग्रवाल–|***|

श्री अध्यक्ष–

यह लिखा नहीं जायगा। आप बोलते रहिये।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, पीने के पानी की समस्या भयंकर हो रही है। आप मान्यवर, समय दे दें।

श्री जगदंबिका पाल–

मान्यवर, हम चाहेंगे कि आपका विवेक उद्वेलित हो।

श्री अध्यक्ष–

यह संसदीय परंपरा नहीं है। आप नियम 52 में दीजियेगा मैं देखूंगा।

श्री बालेश्वर त्यागी–

मान्यवर, कारखानों को बेचने की साजिश की जा रही है, बड़ा महत्वपूर्ण मामला है।

श्री अध्यक्ष–

आप कृपा करके बैठिये।

श्री रमेश कान्त लवानियां–

मान्यवर, वैसे तो पूरे प्रदेश में अपराधों की बाढ़ आ गयी है लेकिन उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों के मुकाबले आगरा जो शांत जिला था उसमें अपराधों का ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है।

नोट- |***| श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वहां के वरिष्ठे पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता में स्वयं स्वीकार किया है कि 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक, तीन महीनों में वहां पर 33 हत्यायें हुयी हैं जबकि पिछले वर्ष 23 हत्यायें हुयीं थी।

श्री अध्यक्ष–

आप विषय से हटकर बोल रहे हैं।

श्री रमेश कान्त लवानियां–

मान्यवर, आगरा जिले में 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल, 1994 तक, 10 दिनों के अंदर 13 हत्यायें हुयीं हैं। इसमें से 6 हत्यायें आगरा नगर के अंदर हुयी हैं और 7 हत्यायें आगरे जिले में हुयी हैं। 9/10 अप्रैल, 1994 की रात्रि को बेलनगंज के तिकोनिया बाजार में नाहटा भवन में एक पति पत्नी श्री हेमंतकुमार और प्रेमलता की हत्या करके 25 लाख रुपये की लूट हुयी है। 1 बजे रात्रि तक यह पति पत्नी टी०वी० देख रहे थे, 4 बजे जब उनके बच्चे जगे तो उन्होंने देखा कि उनके माता पिता की लाश पड़ी हुयी है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का कहना है कि निरोधात्मक कार्यवाही न होने के कारण अपराध बढ़ते जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि निरोधात्मक कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है? क्यों गुंडा ऐक्ट का अमल रोक दिया गया है? अन्य निरोधात्मक कार्यवाही अपराधों को रोकने के संबंध में क्यों नहीं की जा रही है? सत्ता पक्ष का भी अनुचित हस्तक्षेप होता है, जो शासन की नीति है उसके कारण आगरा में भयंकर रूप से अपराध बढ़ रहे हैं।

मान्यवर, 1 अप्रैल से 10 अप्रैल, 1994 तक केवल 10 दिन में 13 हत्यायें हुई हैं। पुलिस के कथनानुसार भी जनवरी से 31 मार्च, 1994 तक 33 हत्यायें हुई हैं, जबकि पिछले वर्ष इस अवधि में 23 कत्ल हुए थे। अप्रैल, 1994 से तो कत्लों की बाढ़ आ गयी है। 1 अप्रैल को थाना सैंया अन्तर्गत भूपेन्द्र शर्मा व खन्दोली थानान्तर्गत गांव खड़िया में फूल सिंह की पुत्री सर्वेश की हत्या हुई। 2 अप्रैल को मलपुरा थानान्तर्गत गांव टपरा में बाबूलाल व 3 अप्रैल को इरादतनगर थानान्तर्गत गांव अहीरपुरा में वेदीराम की हत्या हुई, 4 अप्रैल को जैतपुर थानान्तर्गत कस्बा जैतपुर में श्रीमती सविता और उसकी पुत्री नीलू की हत्या हुई। 6 अप्रैल को नगर में हरीपर्वत थानान्तर्गत अशोक कुमार की हत्या कर दी गयी, 7 अप्रैल को नगर के गन्टोला थानान्तर्गत देशराज की हत्या हुई व 8 अप्रैल को एत्माददोला थानान्तर्गत राजेन्द्र सिंह, बाह थानान्तर्गत गांव मंगतपुर में रनवीर सिंह जाटव की हत्या कर दी गयी, 9 अप्रैल को न्यु आगरा थानान्तर्गत मोहल्ला अदनबाग में छात्र आदेश कुमार की गोली मार कर हत्या हुई व 10 अप्रैल को छत्ता थानान्तर्गत आगरा की घनी आबादी बेलनगंज तिकोनियां में 25 लाख की लूट कर नाहटा भवन में हेमकुमार नहाटा व उनकी पत्नी प्रेमलता की हत्या हुई। हत्या के अतिरिक्त लूट, डकैती, बलात्कार की घटनायें भी बेसुमार बढ़ रही है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी बढ़ते हुए अपराधों से चिन्तित हैं और उनका कथन है कि गत वर्षों की अपेक्षा निरोधात्मक कार्यवाही बहुत कम संख्या में होने के कारण अपराधों पर

अंकुश नहीं लग पा रहा है। निरोधात्मक कार्यवाही करने के लिए शासन की नीति आड़े आ रही है। बढ़ते हुए अपराधों के लिए मुख्य रूप से शासन की नीति जिम्मेदार है। मान्यवर, जनता में भय व आतंक व्याप्त है और वह अपने को असुरक्षित महसूस कर रही है। स्थिति कभी भी विस्फोटक हो सकती है। मैं मान्यवर, इस अवलम्बनीय लोक महत्व के निश्चित विषय पर सदन के कार्य को स्थगित करते हुए विस्तृत चर्चा कराने की मांग करता हूं, जिससे कि अपराधों पर नियंत्रण पाया जा सके और आगरा की जनता अपने को सुरक्षित महसूस कर सके।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, जिस घटना का जिक्र अभी लवानियां जी ने किया था, वह मेरे ही निर्वाचन क्षेत्र में आता है। माननीय मुख्य मंत्री जी अगर यहां पर इस समय होते, तो मैं उनको याद दिलाता। मान्यवर, 1977 में जब वह सहकारिता मंत्री के रूप में वहां पर गये थे, तो इन्हीं सज्जन के भवन में वह मेहमान थे और उन्होंने यहां सहकारिता पर कार्यक्रम की सभा को सम्बोधित किया था। ये बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। सर्वाधिक दुःखद स्थिति यह है कि श्री हेम कुमार नाहटा व उनकी पत्नी प्रेम लता नाहटा की रात में डेढ़ बजे के बाद बड़ी निर्ममता के साथ, क्रूरता पूर्वक से हत्या कर दी गयी और 25 लाख रु० की नकदी, जेवर व मृतका की, उनकी नाक से हीरे की लौंग, गले का हार जेवर सब उतार करके ले गये। 4 बजे उसका पुत्र उठा, तो देखा कि उसके माता-पिता खून में लतपत पड़े हुए थे। यह वह इलाका है जहां पर यह कल्पना नहीं की जा सकती थी कि इस प्रकार की घटना होगी। यह मामला आपके संज्ञान में लाने की कोशिश हमने इसलिए की है कि यह सामान्य मामला न समझकर, जैसा श्री लवानियां जी ने कहा कि 10 दिन में आगरा में 13 हत्यायें हुई है और अपराधों का निरंतर बढ़ना यह साबित करता है कि यह सरकार अपराधों को रोकने में पूरी तरह से नाकामयाब हो रही है और अपराधी बेधड़क होकर अपराध कर रहें हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप सदन की कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा करा दें और सरकार का उत्तर दिलवा दें।

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

श्रीमन् माननीय लवानियां जी ने जो नियम 56 की सूचना आपको दिया, मै आपका ध्यान नियम 56 की ग्राह्यता पर सुनने के लिए जो प्रतिबन्ध हैं, उनकी तरफ दिलाना चाहता हूं। एक ही विषय पर नियम 56 पर किसी घटना का उल्लेख किया जायगा और उसी पर सुना जायगा और लवानियां जी ने कई घटनाओं का जिक्र किया है, उस पर तो हम उत्तर देना भी उचित नहीं समझते हैं और न वह नियम 56 के अन्तर्गत किसी तरह से आता है। ऐसा नहीं है कि नियम 56 में तमाम घटनाओं को जोड़कर कानून व्यवस्था पर चर्चा की जाये। मैं माननीय विकल जी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस मामले पर गम्भीरता से कार्यवाही करने के आदेश दे दिये जायेंगे और अगर वह कहेंगे तो मुख्यालय से किसी अधिकारी को भेजकर जांच भी करा ली जायेगी।

श्री अध्यक्ष–

इस तरह की घटनायें भविष्य में न हों, इसके लिए सरकार आवश्यक कार्यवाही करे।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो अभी कहा, वह पीठ पर आक्षेप है। उन्होंने कहा कि लवानियां जी के प्रश्न का जवाब देना उचित नहीं समझता हूं क्योंकि वह नियम 56 की परिधि में नहीं आता है।

श्री अध्यक्ष–

लवानियां जी की घटना को सुनने के लिए उसे चयनित किया है क्योंकि लूट भी हुई है और हत्या भी हुई है। इसलिये मैंने चयनित किया है और उसी पर सरकार को कार्यवाही करने के लिये भी निर्देश दिये हैं।

नेता, विरोधी दल (श्री कल्याण सिंह)

श्रीमन् अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा है कि लवानियां जी ने कई घटनाओं का उल्लेख किया है, इसलिये वह नियम 56 में लिया जाना उचित नहीं है। यह ठीक है कि घटनायें कई हैं, लेकिन वह सभी घटनायें एक ही नगर से सम्बन्धित हैं और निरन्तर बढ़ती जा रही हैं, इस कारण वहां के लोगों में एक असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो गयी है, और उसका उत्पन्न होना स्वभाविक भी है। हो सकता है कि इसके सम्बन्ध में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के पास आज सूचना न हो तो सरकार, जिन बिन्दुओं पर लवानियां जी ने विकल जी ने प्रश्न उठाया है, उन बिन्दुओं पर सरकार की ओर से एक वक्तव्य आ जाये और सरकार यह बता दे कि इस प्रकार की हत्याओं और लूट पर नियंत्रण पाने के लिए सरकार क्या कर रही है? इस सरकार की कानून व्यवस्था पूरी तरह से विफल हो गयी है। आप सरकार को निर्देशित करें कि इस पर स्पष्ट वक्तव्य दे।

श्री अध्यक्ष–

चूंकि मैंने सरकार को पहले ही निर्देशित कर दिया है, कि इस तरह की घटनायें भविष्य में नहीं हों, इसके लिये व्यवस्था करें, इसलिये मैं समझता हूं कि इस पर वक्तव्य की आवश्यकता नहीं है। अब हम अगली सूचना ले रहे हैं।

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है,.....

श्री अध्यक्ष–

अब मैं नहीं सुनूंगा नहीं, नहीं। आपको आगे अवसर मिलेगा तब कह लें।

श्री बदन सिंह–

मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं.....

श्री अध्यक्ष–

आप व्यर्थ में समय नष्ट कर रहे हैं। आपकी बात लिखी नहीं जायेगी। नियमों के विपरीत कोई काम नहीं होगा।

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, मैं तो व्यवस्था उठा रहा हूं।

श्री अध्यक्ष–

उस विषय को नहीं।

श्री बदन सिंह–

कार्य स्थगन को जो मामला चल रहा है उस पर मान्यवर, मैं एक व्यवस्था का सवाल उठा रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष–

जिसमें मैंने सरकार को निर्देशित कर दिया है उस पर नहीं दूसरा विषय उठायें।

श्री बदन सिंह–

आप जिस विषय पर निर्देशित कर दिया है मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष–

आप वक्तव्य आने दीजिए।

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, मैं उस विषय को नहीं रख रहा हूं, मेरा दूसरा विषय है।

श्री अध्यक्ष–

अच्छा बताइये।

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, 7 तारीख को आगरा की पुलिस द्वारा.....

श्री अध्यक्ष–

यह वही विषय है।

श्री उदय भान सिंह–

मान्यवर, पुलिस हत्यारी है, पुलिस की गोली से ही किसान की हत्या हुई है और अब उसे छिपाने का प्रयास किया जा रहा है और किसान पर फिर से गोली मारी जा रही है ताकि पुलिस बच सके। पुलिस को मान्यवर, बचाने का प्रयास जा रहा है आप इस विषय को सुन लीजिये।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री बदन सिंह–

आप बात नहीं सुनना चाहते हैं, यह दूसरा विषय है इस विषय को आज तक सदन में नहीं रखा गया है इसे मैं आज सदन में रख रहा हूं।

श्री उदय भान सिंह–

मान्यवर, अपने को निर्दोष साबित करने के लिए पुलिस द्वारा यह साक्ष्य मिटाने का काम किया जा रहा है। किसानों को झूठा फँसाया जा रहा है और पुलिस को बचाया जा रहा है।

श्री बदन सिंह–

† |* * *|

श्री अध्यक्ष–

कुछ लिखा नहीं जायेगा, आप कहते रहिये।

श्री उदय भान सिंह–

|* * *|

(व्यवधान)

श्री बदन सिंह | *** |–

श्री उदय भान सिंह | *** |

श्री बदन सिंह–| *** |

(व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के अनेक माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने से व्यवधान)

(व्यवधान के मध्य)

श्री बदन सिंह |*** |

श्री अध्यक्ष–

आप जो इच्छा हो कहते रहिये। मैं कुछ नहीं सुन रहा हूँ।

श्री उदय भान सिंह–

मान्यवर, इतने अमूल्य समय को नष्ट मत करिये। हम लोगों को बोलने का मौका दें।

---

† नोट : यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

नोट *** यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

नोट*** यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अध्यक्ष–

आप दूसरे सदस्यों के कहने के अधिकार को छीन रहे हैं। आप लोग मनमाने ढंग से बोल रहे हैं।

श्री उदय भान सिंह–

जब तक आप हमारी बात नहीं सुनेंगे तब तक हम कहते रहेंगे। हम लोग जनता की आवाज को, उनके दुख दर्द को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और आप सुन नहीं रहे हैं। हम जब तक नहीं बैठेंगे जब तक कि आप हमें सुन नहीं लेंगे।

श्री अध्यक्ष–

मैं अनुमति नहीं दे रहा हूँ।

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, आप तो बड़े दयावान हैं, उदार हैं। यह किसानों से संबंधित मामला है। आप कृपया हमें सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

आप हमारी उदारता का नाजायज फायदा उठा रहे हैं जो हम उठाने नहीं देंगे।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, अनुशासित सदस्यों को तो सुन लीजिये। हम लोग तो अनुशासित हैं।

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, अपनी हत्या को छिपाने के लिए, दोष को छिपाने के लिए, मरे मराये किसान पर इन्होंने उस पर छर्रे चलाये।

श्री अध्यक्ष–

जब वक्तव्य आ जाये तब आप दो प्रश्न पूछ लीजियेगा। आप परेशान मत होइये। ऐसे नहीं सुनूंगा।

श्री उदय भान सिंह–

आप हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। इतनी सी बात के लिए आपने इतना समय बरबाद कर दिया।

श्री अध्यक्ष–

आप स्वयं समय बरबाद कर रहे हैं। मैं अनुमति नहीं दूँगा।

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, किसानों को अगर इसी तरह से मरवाया जायेगा तो यह सदन नहीं चल पायेगा।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अध्यक्ष–

आप सदन को चलने से रोक नहीं पायेंगे। आपकी मनमानी नहीं चलेगी।

श्री उदय भान सिंह–

मान्यवर, हम अपनी बात कहेंगे और आपको सुनना पड़ेगा। आप हमारी बात सुनने के लिए बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष–

मैं नियम विरुद्ध कोई बात नहीं सुनूंगा। आप कहते रहिये।

श्री उदय भान सिंह–

आप तो शिक्षक हैं, दयावान हैं। आपको तो दया आनी चाहिए। हमारा तो गला भर आया है कहते कहते। हमको तो अपने गले का इलाज कराना पड़ेगा। कुछ तो दया करिये, इतने कठोर न बनिये।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

आपकी व्यवस्था कैसी सुनी जाये ?

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं नियमों के अन्तर्गत नियमानुकूल एक प्रस्ताव लाना चाहता हूँ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अनियमित रूप से सदस्य बोल रहे हैं, इनका माइक आन मत करिये।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, नियमावली का नियम 299 देख लीजिये।

श्री बदन सिंह–

अब तक तो मान्यवर, बात कह दी जाती।

श्री अध्यक्ष–

आपको अनियमित तरीके से कहने दें, तो सदन कैसे चलेगा ?

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री बदन सिंह–[***]।

(कई सदस्यों द्वारा बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कुछ लिखा नहीं जायेगा। जांच कैसे हुई, आपको इसकी भी जानकारी नहीं है।

(व्यवधान)

श्री उदय भान सिंह–

मान्यवर, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि यह किसानों से सम्बन्धित अति महत्वपूर्ण मामला है। वैसे तो मान्यवर, आपने मेरी बात सुन ली है, केवल वैधानिकता देनी है। मैंने आपकी बात सुन ली है और आपने मेरी बात सुन ली है।

[समय 1 बज कर 20 मिनट]

श्री अध्यक्ष–

जैसे ही कहा है, वैसे ही मैंने सुनी है।

श्री उदय भान सिंह–

मान्यवर, आप इतने निष्ठुर कैसे हो गये, आप तो शिक्षक हैं और शिक्षक कभी इतना निष्ठुर नहीं होता है। मान्यवर, ओलावृष्टि से किसानों की फसल बिल्कुल बरबाद हो गयी और घर में जो बचा है वह पुलिस उठा कर ले जा रही है।

श्री बदन सिंह–

किसानों को पुलिस ने मारा अब मरे हुये किसान के ऊपर 12 बोर के कट्टे से मारा जा रहा है और यह कहा जा रहा कि ये पुलिस की गोली से नहीं मरे हैं, यह सरासर झूठ है।

श्री उदय भान सिंह–

मान्यवर, अपराधी निर्दोष को सजा दे रहे हैं। पुलिस अपराधी है और वही पुलिस किसानों को जेल भेज रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। इस पर आप चर्चा के लिए अनुमति दें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मेरी एक बात सुन लें। मैं इस बात को दोहराना नहीं चाहता हूँ। शोर-शराबे के कारण मैं भी माननीय सदस्यों की पूरी बात को समझ नहीं पाया हूँ। वहां पर एक नई स्थित पैदा हो गयी है। पुलिस यह कह रही है कि किसान की मृत्यु किसानों के गोली से हुई है और किसानों की अन्धाधुन्ध गिरफ्तारियाँ शुरू हो गयी हैं, जबकि अभी जांच हो रही है। आप शासन को यह निर्देशित कर दें कि जब तक जांच पूरी न हो जाये, गिरफ्तारियां न की जायें।

नोट*** यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष–

मैं शासन को निर्देश देता हूं कि जब तक जांच पूरी न हो जाये, गिरफ्तारियां न की जायें। बदन सिंह जी आप बैठ जायें। आप हमेशा गलत बात कहते हैं, इस तरह मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। जो बात जायज है उसको सुनूंगा।

आगरा पुलिस द्वारा एक किसान की हत्या किये जाने विषयक सूचना को नियम 103 या नियम 109 के अन्तर्गत परिवर्तित करके सुने जाने की मांग

(श्री नरेश अग्रवाल-एवं श्री जगदम्बिका पाल द्वारा व्यवस्था का प्रश्न उठाये जाने पर)

श्री अध्यक्ष–

एक ही आदमी व्यवस्था का प्रश्न उठाये।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, यह तो राम लक्ष्मण की जोड़ी है, अलग कैसे रह सकते हैं?

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यह सदन नियमों से चलता है और जो कार्य संचालन नियमावली है उसके नियम 311 में यह दिया हुआ है कि ऐसा कोई प्रश्न जो तत्कालीन हो, जिसकी आवश्यकता हो, उसको हम सदन के समक्ष रख सकेंगे। आपको यह अधिकार है कि आप उसको मानें या न माने। आज मैंने 311 में पीने के पानी के ऊपर जो प्रश्न रखा था उसको आपने नियम 56 में बदल दिया गया और वह शलाका में नहीं आया यदि 311 की ग्राह्यता का कोई प्रश्न है तो उसको अध्यक्ष जी स्वीकार करके किसी भी दिन विनिश्चित करके उस पर एक घण्टे या आधे घण्टे की चर्चा करा सकते हैं।.....

श्रीमन् नियम–110 के प्रतिबन्ध को देख लीजिये। बिना सूचना का प्रस्ताव दिया गया है। मेरे प्रस्ताव पर प्रतिबन्ध नहीं है। जो मैंने नियम–311 में सूचना दी है उसको नियम–103 में परिवर्तित कर दें। यह आपके अधिकार क्षेत्र में है आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप ग्रामीण अंचल में नहीं गये हैं, वहाँ की समस्या से संभवतः आप अवगत नहीं हैं, वहां पर पीने के पानी की समस्या है यह आपके यहां भी होगी, इसको नियम–103 में स्वीकार कर लीजिये। या फिर नियम–109 में।

श्री अध्यक्ष–

आप कह रहे हैं कि नियम–103 में आपकी चर्चा होनी चाहिए। आपने नियम–103 के तहत दिया है, 103 के तहत हवाला दिया है। यह नियम–103 में संभव नहीं है। बिना लिखित सूचना के देते हुये यह संभव नहीं है।

श्री जगदम्बिका पाल–

यह बात सदन के संज्ञान में आई है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

नियम–103 के अन्तर्गत लिखित सूचना आपकी नहीं आई है, लिखित सूचना आयेगी तभी इस संबंध में चर्चा होगी उसके पहले नहीं। आप भी नियमों के तहत ही बोलिये, नियम भी बने हैं।

श्री नरेश अग्रवाल–

नियम–103 लोक हित के प्रस्ताव के संबंध में लागू होता है। नियम–109 में अध्यक्ष, यदि वे ठीक समझें भाषणों के लिये समय–सीमा विहित कर सकेंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि इस नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्ताव को स्वीकार कर लीजिये।

श्री अध्यक्ष–

भाषणों की समय सीमा है, नियम–103 में समय सीमा स्वीकार नहीं हैं, इसे कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा।

(व्यवधान)

आप नियम–52 में दे दीजिये। मैं चर्चा करवाऊँगा। नियमों के विरुद्ध जवाब मत करिये। आप माननीय सदस्यों को अपने विचार रखने के लिये आगे कार्यवाही बढ़ाने दीजिये, तभी माननीय सदस्य चर्चा में भाग ले सकेंगे। सदन में इस तरह की चर्चा कर रहे हैं यह उचित नहीं है, और यह स्वाभाविक भी नहीं है।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, इसे नियम-56 में परिवर्तित कर सकते हैं। आप अन्य नियमों में भी परिवर्तित करने को तैयार नहीं हैं। प्रदेश के सभी स्थानों में हैण्ड पाइप और ट्यूबेल खराब पड़े हुये हैं, पीने के पानी की सभी जगह किल्लत है, इसको परिवर्तित करके.....(व्यवधान)

(माननीय श्री जगदम्बिका पाल, श्री नरेश अग्रवाल एवं अन्य माननीय सदस्य सदन का वहिगर्मन कर सदन त्याग कर चले गये।)

नियम–311 की नियम 56 में परिवर्तित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (क्रमागत)

श्री मोहर सिंह–

मान्यवर, 14–4–94 जो दिन है, पूज्यनीय एवं श्रद्धेय बाबा साहेब डा० भीमराव अम्बेडकर जी की जयन्ती का दिन है। इस दिन भारत के देशवासी जगह–जगह शोभा यात्रा एवं सभायें

आयोजित करते तथा इस दिन भी, जुलूस निकालते हैं, और गोष्ठियां भी करते हैं। इस दिन जुलूस निकालने पर जनपद सहारनपुर के जिला प्रशासन ने इस पर रोक लगा दी है। जिसके कारण वहां की जनता में क्षोभ व्याप्त हो गया है। मान्यवर, इसी जनपद के रामपुर मनिहर कस्बे में जहाँ पर अनुसूचित जाति और जनजाति तथा अन्य पिछड़ी जाति के बहुत से लोग तो इस तरह की रोक लगाये जाने से बहुत उत्तेजित हैं। उनमें बहुत आक्रोश है। मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि इस रोक को तुरन्त हटवाया जाये तथा मेरा निवेदन मान्यवर अध्यक्ष महोदय से है कि इस महत्वपूर्ण लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रकरण पर सदन की सभी कार्यवाही को रोककर इसमें चर्चा करायी जाय।

श्री अध्यक्ष–

मैं इस संबंध में सरकार का ध्यान इस तरफ आकृष्ट करता हूँ कि सरकार यह व्यवस्था करे कि जुलूस शान्तिपूर्वक निकले।

नेता विरोधी दल (श्री कल्याण सिंह)–

श्रीमन् आपने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि सरकार को निर्देशित कर रहा हूँ। जुलूस तो निकले परन्तु जुलूस को शान्तिपूर्वक निकालने पर सरकार विचार करे।

श्री अध्यक्ष—

हाँ, यही कहा है।

*श्री धनराज यादव—

मान्यवर, कार्यस्थगन के रूप में जो मामला मैंने यहाँ पर उपस्थित किया है, वह बहुत ही अहम् सवाल है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने कुछ दिन पूर्व से यात्रियों को साथ में सामान ले जाने से मना कर दिया है, जिसके कारण 20 हजार के आस-पास कुलियों के सामने रोजी-रोटी का सवाल पैदा हो गया है। ये कुली लाइसेन्सधारी हैं। इनका पूरा परिवार कुलीगिरी पर आश्रित था परन्तु इस सरकार ने उनकी रोजी मार दी है। दूसरी तरफ यात्री लोग जो अपना सामान ले जाते थे, अब चूँकि सामान ले जाना मना कर दिया है, इसलिए यात्री इनकी बसों को छोड़ने के लिए मजबूर हो गये हैं। एक ओर तो गरीब कुलियों की मजदूरी व रोजी-रोटी समाप्त हो गयी है तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश परिवहन निगम जो पहले से ही घाटे पर चल रहा था, उसमें और घाटा करने का काम सरकार ने किया है। इसलिए मैं आपसे विनम्रतापूर्वक अपील करता हूँ कि आप सरकार को निर्देशित करें कि उस आदेश को वापस लिया जाय और यात्रियों को सामान ले जाने तथा कुलियों के रोजगार की व्यवस्था की जाय।

नोट–*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

परिवहन मंत्री (श्री आर० के० चौधरी)—

मान्यवर, जो यह सवाल सामने आया है, मैंने गहराई से इसका अध्ययन किया है। ऐसा कोई आदेश हमारे सरकार की ओर से अलग से नहीं हुआ है। पहले से जो आदेश चल रहे थे, उसमें एक लिमिट है सामान को बस पर ले जाने की, परन्तु उसको व्यवसाय बना दिया जाय और बस का इस्तेमाल ट्रक की तरह किया जाय, इस पर हमने रोक लगा रखी है। हम बस को ट्रक नहीं बनने देंगे।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी की तरफ से स्पष्ट उत्तर आ गया है। मैं इस सूचना को निरस्त करता हूँ।

(श्री घनश्याम शुक्ल जी का नाम पुकारे जाने पर वह सदन में उपस्थित नहीं थे)।

श्री राम प्रकाश—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पहली बार बोलने के लिए मौका दिया है, इसके लिए आपको धन्यवाद। बस्ती जनपद में पुरानी बस्ती के अन्तर्गत पाण्डे बाजार में श्री विजय कुमार अग्रवाल के यहाँ 8/9 अप्रैल की रात में भीषण डकैती पड़ी। जिसमें 7 लाख रुपये के जेवरात, सोना-चाँदी को लूट कर डकैत ले गये। उनके परिवार वालों को बाँध दिया गया, टेलीफोन कनेक्शन काट दिये गये और उनके चौकीदारों को बाँध दिया गया। पूरे मुहल्ले में बंदूक के नोंक पर आतंक मचा दिया गया, जिसके कारण कोई घर से नहीं निकला। इसी के 10 कदम दूरी पर पुलिस चौकी बनी हुई है। यह कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी 15-3-1994 को श्री आर० के० बी० के० फर्म से 8 लाख रुपए बैंक में जमा करने जा रहे थे कि उन्हें भी लूट लिया गया। इस प्रकार 30-30 घटनायें वहाँ पर हो चुकी हैं. एक माह पूर्व श्री प्रह्लाद अग्रवाल, खलीलाबाद निवासी अपना रुपया बैंक में जमा करने जा रहे थे जो लाख था लूट लिया गया। इस संबंध में सरकार क्या कदम उठा रही है, इसे बताने की सरकार कृपा करे । आपसे भी माँग करता हूँ कि इस पर चर्चा करवाई जाय ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे ?

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)—

श्रीमन्, जो माननीय राम प्रकाश जी ने बस्ती जनपद में पाण्डे बाजार में डकैती का यहां उल्लेख किया है उसमें मुकदमा दर्ज हो गया है और सामान बरामदगी तथा अपराधियों को पकड़ने के लिये पूरा प्रयास किया जा रहा है। अलग से आज ही निर्देश दे देंगे कि प्रभावी कार्यवाही इस संबंध में की जाय।

श्री अध्यक्ष—

सूचना निरस्त की जाती है परन्तु सरकार को इसे गंभीरतापूर्वक लेना चाहिये।

अगली सूचना श्री श्यामदेव राय चौधरी 'दादा' की प्रदेश के कतिपय जनपदों में नेपाली छात्रों को भारतीय बनाकर हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा दिलाये जाने के संबंध में है, इस पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

अगली सूचना श्री सुरेश जी संगल की है—वह हैं नहीं।

इस तरह से शेष सूचनायें जो शलाका में नहीं आईं और न विवेक से ली गयी हैं निरस्त की जाती हैं।

अब अगली मद ले रहा हूँ। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आप कृपया प्रश्न उपस्थित करें।

वर्ष 1994-95 के लिए विधान सभा की 30 स्थायी समितियों में कार्य करने हेतु विधान सभा सदस्यों के नाम निर्देशन हेतु, श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)—

श्रीमन् यह सदन प्रस्ताव करता है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की वर्ष 1994-95 को लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों तथा विमुक्त जातियों संबंधी संयुक्त समिति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति और मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों में सदस्यता के लिये संबंधित नियमों एवं संकल्पों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुये जहां तक वे उक्त समितियों को निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित हैं, यह सदन श्री अध्यक्ष को उक्त सभी समितियों में वर्ष 1994-95 के लिये अपेक्षित संख्या में विधान सभा के सदस्यों को नाम निर्देशित करने हेतु इस अनुरोध के साथ प्राधिकृत करता है कि वे कृपया उक्त समितियों में नाम निर्देशन कर दें तथा उसके बाद उक्त वर्ष में उक्त समितियों में आकस्मिक रिक्तियों को, यदि कोई हो, पूर्ति के लिये यथा समय सदस्यों को नाम-निर्देशित करने के लिये भी प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्य उक्त समितियों में सम्बन्धित नियमों एवं संकल्पों की अपेक्षानुसार विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे।

नेता विरोधी दल (श्री कल्याण सिंह)—

श्रीमन्, जो प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने रखा है उस पर हम सहमत हैं, हमने सहमति लिखित भी आपको दे दिया है यह सदन आपको अधिकृत करता है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि वर्ष 1994-95 के लिये सदन की निर्वाचित समितियों तथा 30 स्थाई समितियों के निर्वाचन के संबंध में माननीय सदस्यों के नामांकन हेतु माननीय अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने के संबंध में जो प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्तुत किया है उससे यह सदन सहमत है?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में पर्यटन विभाग एवं पर्यावरण विभाग के लिए मांगों को प्रस्तुत करने हेतु संबंधित मंत्री के अनुपस्थित होने पर आपत्ति

(माननीय मुख्य मंत्री का नाम पुकारने पर)

डा० सरजीत सिंह डंग—

मान्यवर, यह सरकार की गम्भीरता है, संबंधित विभाग के मंत्री ही नहीं हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, चूंकि संबंधित मंत्री नहीं हैं, इससे सरकार की गम्भीरता का पता लगता है, उचित होगा इसे आप आज स्थगित कर दें।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी को उपस्थित रहना चाहिये, इसमें जरा सी भी ढील नहीं करनी चाहिये।

डा० सरजीत सिंह डंग—

इस विभाग को अनुदान देकर क्या करेंगे जिस विभाग के मंत्री जी ही गंभीर नहीं हैं?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, अगर संबंधित मंत्री किसी कारण से अपने विभाग की मद पेश नहीं करना चाहते हैं तो आपको लिखित भेजेंगे ज्वाइंट रिसपोंसिबिलिटी होते हुये आपको सूचित करेंगे और आपकी अनुमति से दूसरे मंत्री पेश करेंगे। माननीय मुख्य मंत्री अवगत हैं उन्होंने लिख कर भेज दिया होगा संसदीय कार्य मंत्री जी खड़े हो रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी मैं समझता हूँ कि बजट का अध्ययन कितना होगा यह आप समझ सकते हैं। मंत्री जी नहीं आयेंगे तो यह बजट दो लाईन में पढ़ देंगे और विषय की मात्र औपचारिकता रह जायेगी। इसलिए हमको बजट के संबंध में पूरी जानकारी नहीं मिल पायेगी और हमारे अधिकारों का हनन होगा। इसलिए आप इस मद को आज स्थगित कर दें।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)—

मान्यवर, वन मंत्री जी विधान परिषद् में थे इसलिए उन्हें आने में शायद विलम्ब हुआ। चूंकि ढाई बजे से बजट पर चर्चा का निर्णय हुआ था इसलिए उन्हें आने में विलम्ब हो गया है।

श्री अध्यक्ष—

मंत्री जी आ गये हैं।

श्री भगवती सिंह—

अध्यक्ष महोदय, आने में थोड़ा विलम्ब हुआ इसलिए मुझे खेद है।

वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में अनुदान के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या–44 पर्यटन विभाग तथा अनुदान संख्या–45 पर्यावरण विभाग (जारी)।

वन मंत्री (श्री भगवती सिंह)—

अध्यक्ष महोदय आप की आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 44–पर्यटन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखा अनुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 22,65,36,000 रुपये अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(मंत्री जी के बैठ जाने पर—व्यवधान)।

मान्यवर, आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 45–पर्यावरण विभाग (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मंत्री जी क्या 2 विभागों के बजट पर एक साथ ही विचार रखेंगे?

(व्यवधान)

श्री भगवती सिंह—

जी हां।

पर्यटन विभाग तथा पर्यावरण विभाग की मांगों को प्रस्तुत करने हेतु संबंधित मंत्री के अनुपस्थित होने पर संसदीय कार्य मंत्री द्वारा भ्रामक सूचना देने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवार, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, वस्तु स्थिति यह है कि कभी-कभी आदमी घबड़ा जाता है और उसके अन्दर का पाप बोलने लगता है। मैं जानकारी देना चाहता हूं कि मा० संसदीय कार्य मंत्री जी वन मंत्री को डिफेन्ड करने के लिए कहा कि वह विधान परिषद् में हैं जबकि आज विधान परिषद् है ही नहीं। इसलिए आप को गुमराह करने वाली बात यहां कहना ठीक नहीं है। मान्यवर, उचित होगा इस मद पर बहस न करने देकर आप सरकार को इस बात की शिक्षा दे दें कि कम से कम मिथ्या आप को गुमराह न किया जाये! संसदीय कार्य मंत्री जी मंत्रियों का क्लास ले लें और शिक्षा दें और इस मद पर आप बहस करने से रोक दें।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)—

मान्यवर, गुप्त जी सतर्क सदस्यों में से हैं। मेरा कहने का मतलब यह था कि अधिकांश समय वह विधान परिषद् में देते हैं, इसलिए वह शायद वहां हों, इसलिए उन्हें यहां आने में बिलम्ब हो गया है।

इसलिये मैंने शायद वहां हों, कहा था।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

एक गलती को छिपाने के लिए 50 गलतियां की जाती हैं और आपने यह कह कर कि वन मंत्री जी विधान परिषद् में है जबकि विधान परिषद् आज है ही नहीं। यह कहकर आपने अपने अल्पज्ञान की घोषणा यहां कर दी।

विभिन्न विभागों के अनुदानों की मांगों को अलग-अलग प्रस्तुत करने की मांग

वन मंत्री (श्री भगवती सिंह)—

मान्यवर, मैं पर्यावरण का बजट पेश करना चाहता हूं।

श्री नरेश अग्रवाल—

मान्यवर, कटौती अलग-अलग आई हैं, तो यह एक-एक करके आएं तो अच्छा रहे। आप से निवेदन है कि चूंकि पर्यटन अलग है, पर्यावरण अलग है और वन अलग है, इसलिए तीनों को अलग-अलग करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष—

ऐसा है कि पर्यटन एवं पर्यावरण पर अलग से कटौती आ रही है और बन पर अलग से। तो पहले कृपा करके पर्यटन और पर्यावरण पर अपना पक्ष रखियेगा और उसके बाद वन वाले पर।

वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान अनुदान संख्या 44 पर्यटन विभाग तथा अनुदान संख्या 45 पर्यावरण विभाग (क्रमागत)

वन मंत्री (श्री भगवती सिंह)—

मान्यवर, मैं पर्यावरण पर आ रहा हूं।

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 45—पर्यावरण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,39,51,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान प्रस्तुत करने के बाद मंत्री जी के बैठ जाने पर।)

श्री अध्यक्ष—

क्या आप अपने बजट के संबंध में कुछ विचार भी रखना चाहेंगे?

श्री भगवती सिंह—

मान्यवर, सबसे पहले.....

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, आज आप बहुत उदार दिखाई दे रहे हैं। जैसे हमको डांटते हैं, उधर भी कुछ कर दें, तो बड़ी कृपा होगी।

श्री भगवती सिंह—

मान्यवर, इस सदन के समक्ष मैं पर्यटन, पर्यावरण विभाग का बजट प्रस्तुत करते हुए यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह सौभाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश पर्यटन के मामले में बड़ा ही समृद्धिशाली है और इस दृष्टि से हमारा उत्तर प्रदेश पूरे देश में पर्यटन के मामले में सबसे आगे हैं। इस दृष्टिकोण से हम पूरे पर्यटन को चार भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला, पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा बौद्ध परिपथ, तीसरा ताजमहल और उसका निकटवर्ती क्षेत्र तथा चौथा बुन्देलखण्ड क्षेत्र। मान्यवर, पर्यटन विभाग का जो उद्देश्य है, वह यह है कि ये जो उपरोक्त पर्यटक स्थल हैं, उनका इस तरह से व्यापक प्रचार करना, जिससे कि देश और विदेशों से बड़े पैमाने पर पर्यटक इन स्थानों पर पहुंच सकें और यहां के ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के पर्यटन स्थलों का प्रचार और संरक्षण हो सके। मान्यवर, इन स्थानों पर जो पर्यटक आते हैं, इस विभाग द्वारा उनके आवास, परिवहन और भोजन आदि की व्यवस्था की जाती है, यह इस विभाग का मुख्य उद्देश्य और दायित्व है। उनके मार्गदर्शन हेतु पर्यटन साहित्य उपलब्ध कराना भी इस पर्यटन विभाग का काम है, ताकि उनको इस प्रदेश के पर्यटन स्थानों की सही और समुचित जानकारी हो सके। वित्तीय वर्ष 1994-95 में इसके लिए उपरोक्त कार्यों के लिये 30 करोड़, 20 लाख 49 हजार रुपये का प्राविधान किया गया है, जिसमें आयोजनागत पक्ष में 27 करोड़ 30 लाख, 30 हजार रुपया और आयोजनेतर पक्ष में 2 करोड़, 90 लाख 19 हजार रुपये।

(इस समय 1 बजकर 50 मिनट पर अधिष्ठाता श्री नरेश अग्रवाल पीठासीन हुए।)

मान्यवर, इस तरह से 30 करोड़, 20 लाख, 49 हजार रुपये का प्राविधान था। पर्यटन विभाग के अन्तर्गत जो मुख्य काम हैं, उनमें सबसे बड़ा काम यह है कि जापान सरकार की सहायता से और ओ०ई०एफ०सी० योजना के अन्तर्गत बौद्ध परिपथ परियोजना। इस परियोजना के अन्तर्गत बौध धर्म से संबंधित जो स्थान हैं उनका विकास और दूसरा राज्य सरकार से प्राप्त धनराशि, केन्द्र सहायता से जो विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध की जाती हैं उनसे पर्यटक आवास गृह, टूरिस्ट लॉज, यात्री निवास आदि का विकास। तीसरा काम है प्रचार साहित्य और विज्ञापन जिससे स्थानों का महत्व आम लोगों को मालूम हो। जहां तक बौद्ध परिपथ परियोजना का संबंध है, यह योजना बड़ी है इसके अन्तर्गत उन तमाम स्थानों का विकास किया जा रहा है जिनका संबंध बौद्ध

धर्म से रहा है। इस योजना के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण, विद्युतीकरण गाजीपुर दोहरीघाट में मार्ग सुविधाएं और लैण्ड स्केपिंग का कार्य है। इस परियोजना में सारनाथ, कुशीनगर, पिपरहवा, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती आदि स्थानों का विकास होना है।

इस परियोजना में कुल 67 करोड़, 4 लाख, 80 हजार रुपये प्राविधानित है और इस वर्ष योजना में सड़क के निर्माण के लिये 20 करोड़, कुशीनगर में विद्युतीकरण के लिये 1 करोड़ 17 लाख, गाजीपुर दोहरीघाट में मार्ग सुविधाओं के लिये 1 करोड़, 83 लाख, 72 हजार रुपये और सारनाथ, कुशीनगर में उद्यानीकरण के लिये 56 लाख रुपये का प्राविधान है। मान्यवर, केन्द्रीय सहायता से जो निर्मित मार्गीय सुविधाएं हैं उसके लिये पर्यटक आवास गृह 1994-95 में बनने हैं। यात्री निवास, टूरिस्ट लॉज इन सब के लिये मान्यवर, 1 करोड़, 69 लाख 72 हजार रुपये का प्राविधान है। और प्रदेश के 30 स्थानों पर यह निर्माण होगा। मान्यवर, पर्यटन विभाग प्रचार, मेले, त्योहार और प्रदर्शनी को आयोजित करके पर्यटन का प्रचार और प्रसार का काम भी करता है और उसमें पर्यटन स्थलों का प्रचार राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय समाचार पत्रों, फोल्डरों, पोस्टरों और होल्डिंग्स के द्वारा किया जाता है। मान्यवर, इस वर्ष इस पर 99 लाख 50 हजार रुपये का प्राविधान किया गया है। जो नई योजनाएं हैं फर्रुखाबाद, बहराइच में इन स्थानों के लिये मार्गीय सुविधा हेतु 79 लाख, 69 हजार का प्राविधान किया गया है। चालू योजनाओं को पूरा करने के लिये 21 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है जिसमें भूमि अध्यात्म, जल क्रीड़ा तुरकपुर, रामचौराहा, व्यासपुर, फैजाबाद में होना है। पर्यटन निदेशालय, लखनऊ, महानिदेशक कार्यालय देहरादून तथा क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों का जो वेतन व्यय होता है।

मान्यवर, 2 करोड़ 90 लाख 19 हजार रुपये का प्राविधान है। मान्यवर, पर्यटन विभाग की जो उपलब्धियां रही हैं उन पर हमको गर्व है। इस वर्ष सबसे ज्यादा पर्यटन पर पिछले साल की अपेक्षा प्राविधानिक मद है। पर्यटकों के द्वारा आरक्षण व्यवस्था के लिए सुविधा सुलभ कराने के लिए आवासीय इकाईयों को कम्प्यूटराइज्ड किया जा रहा है। जितने स्थान हैं करीब–करीब जिनमें आगरा, झांसी, सारनाथ कुशीनगर हवाई पट्टी से जुड़े हैं पिथौरागढ़ गत वर्ष हवाई पट्टी से जुड़ चुका है। श्रावस्ती प्रस्तावित है। जितने प्रमुख स्थान हैं वह हवाई पट्टी से जोड़े जायेंगे। हवाई पट्टी से जुड़ने के बाद इनके महत्व को और पर्यटन को विशेष बल मिलेगा। मान्यवर, प्रचार और प्रसार के लिए दिल्ली, वाराणसी, झांसी, पिथौरागढ़, औली में सेमिनार की व्यवस्था की गई मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि एक बड़ी अच्छी व्यवस्था पर्यटन विभाग की ओर से चल रही है, जिससे काफी–प्रचार और प्रसार हुआ है। वह है श्रीमन् ताज महोत्सव जो 1992 से प्रारम्भ हुआ था। इस वर्ष तीसरी बार आयोजित हुआ है। जिसमें देश–विदेश के 165 शिल्पियों ने भाग लिया। 32 लाख की बिक्री हुई। 10 हजार विदेशी पर्यटक इसमें शामिल हुए। आगरा में ध्वनि एवं प्रकाश कार्यक्रम चलाया गया जिसकी काफी प्रशंसा हुई है। सबसे अच्छा काम रहा है। श्रीमन् उत्तर प्रदेश को पहली बार बर्लिन से आमंत्रण मिला है। इस प्रकार पर्यटन विभाग की जो उपलब्धियां रही हैं वह विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

मान्यवर, अगर हमारे प्रदेश में पर्यटन विभाग विकसित हो जाएगा तो एक प्रकार से हमारे प्रदेश को एक उद्योग मिल जाएगा। यह बड़ी उपलब्धि होगी, जिसमें तमाम लोगों को रोजगार मिल सकता है और हमारा प्रदेश समृद्ध हो सकता है। मैं इस बजट को प्रस्तुत करके माननीय सदस्यों की बहुमूल्य राय चाहूंगा जिससे पर्यटन को बल मिले और उनकी राय के अनुरूप हम इस विभाग में अच्छे काम कर सकें। मुझे पूरा विश्वास है कि अपनी अमूल्य राय माननीय सदस्य देने की कृपा करेंगे।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–44 पर्यटन विभाग, सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–45, पर्यावरण विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने पर्यटन के बारे में चर्चा की मुझे लगता है कि पर्यावरण के बारे में उनको रुचि नहीं है उन्होंने दोनों अनुदानों को एक साथ रख दिया और कटौती भी एक साथ की गई यह कहते हुए मुझे प्रसन्नता नही हो रही है कि उत्तर प्रदेश जैसे एक बड़े प्रदेश जहां पर पर्यटन के विकास की अनन्त सम्भावनाएं हैं। उसके विषय में सरकार की रुचि नहीं के बराबर है। एक ओर हिमालय की श्रृंखलाएं फैली हुई हैं गढ़वाल कुमाऊँ मण्डल में, दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के हर जिले में दो-चार पर्यटक स्थल हैं। तीर्थ यात्रा की दृष्टि से वाराणसी, प्रयाग, पर्वतीय क्षेत्र में केदारनाथ बद्रीनाथ आदि तीर्थ स्थल हैं। चित्रकूट, मिर्जापुर, में विन्ध्याचल आदि अनेकानेक स्थान हैं। केवल बौद्ध परिपथ की चर्चा करके मंत्री जी ने अपने कर्तव्य की इति श्री समझ ली। पर्वतीय क्षेत्र में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। आज पूरे विश्व में विशेषकर स्विटजरलैण्ड, स्वीडन आदि रिच कन्ट्रीज के पर्यटन साहसिक पर्यटन स्थल माने जाते हैं। स्केटिंग, रिवर रेफ्टिंग आदि खेलों को पर्वतीय क्षेत्र में बढ़ावा दिया जाना चाहिए। आज अगर पूरी निष्ठा के साथ, काम किया जाए, तो आज जो पर्यटन से प्रदेश को लाभ हो रहा है, उससे 25 गुना ज्यादा लाभ होगा। कठिनाई यह है कि इसको महत्व ही नहीं दिया जा रहा है। जहाँ उद्योगों को कठिनाई हो वहाँ उनको दूर करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर पर्यटन उद्योग के सम्बन्ध में कितनी सब्सिडी दे रहे हैं, कितनी सुविधायें दे रहे हैं, क्या इन्फ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, इसका सरकार के पास कोई जवाब नहीं हैं? 47.5 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है इसमें, मगर इस रुपये का इस्तेमाल सही नहीं हो सकेगा। ऐसे ऐसे प्रतिबन्ध लग जाते हैं, जिसमें वह रुपया गलत कामो में बँट जाएगा। जहाँ पर धनराशि खर्च होनी चाहिए, वहाँ पर खर्च नहीं होगी। जब तक मूलभूत सुविधायें नहीं देंगे। सडकें नहीं देंगे, विद्युत नहीं देंगे, होटल, पर्यटक

आवास नहीं बनाएंगे तब तक काम नहीं चलेगा। मेरा निवेदन है मंत्री जी से कि पर्यटन विभाग, लोक निर्माण विभाग, ऊर्जा विभाग के साथ आप उच्चस्तरीय बैठक करें और तय करें कि कहां कहां मूल भूत अवस्थपना सुविधायें हम दे सकते हैं या देनी चाहिए। जब कोई पर्यटक पर्यटन के बाद लौटकर आता है तो वह वहाँ की जानकारी देता है और कहता है कि वहाँ कोई सुविधा नहीं है। तो दुबारा वह वहाँ पर नहीं जाएगा। गढ़वाल का एक बहुत बड़ा हिस्सा वायोस्फियर क्षेत्र घोषित है, इसलिए वहाँ पर्यटक नहीं जा सकता है। पिछली सरकार ने पहली बार प्रयत्न करके केन्द्र सरकार के साथ इस पर वार्ता की थी। केन्द्र सरकार सैद्धान्तिक रूप से इस पर सहमत हो गई थी। आप इस प्वाइंट को नोट कर लें कि पूरी दृढ़ता के साथ प्रदेश सरकार प्रयत्न करके इस प्रतिबन्ध को समाप्त कराए, जिससे बेरोजगारों को काम मिलेगा। और पर्वतारोहण के लिए विदेशी पर्यटक वहाँ आयेंगे। आगरा, वाराणसी, इनमें सबसे अधिक पर्यटक आते हैं। लखनऊ में भी पर्यटक आते हैं। आगरा और वाराणसी इस दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं।

आगरा में आज भी सिविल एयर पोर्ट नाम की चीज नहीं है। सिविल एयरपोर्ट होने से वहां पर हवाई जहाजों के आने की संख्या में बढ़ोत्तरी होगी। मैं यह भी चाहूंगा कि विशेषकर दिल्ली, लखनऊ, आगरा, वाराणसी को अधिक हवाई सुविधाओं से जोड़ा जाय तो अधिक से अधिक विदेशी पर्यटक आगरे को आयेंगे और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा जिसकी देश को बहुत, जरूरत है प्राप्त हो सकेगी। आज आवश्यकता है कि यह सरकार हवाई यात्रा सेवा का एक जाल बिछाये क्योंकि विदेशी लोगों के पास पैसा है और वह हवाई जहाज से यात्रा करना पसंद करते हैं। आज गोरखपुर और वाराणसी दोनों के बीच में 80 प्रतिशत बौद्ध तीर्थ पड़ते हैं। अगर यहां पर हवाई यात्रा सुविधा प्रदान की जाय और हवाई मार्ग से जोड़ दिया जाय तो अधिक से अधिक पर्यटक यहां पर आयेंगे और बहुत लाभ होगा।

मैंने अभी इस बजट में देखा, 15 लाख रुपया इस विधान सभा के आलोकन पर खर्च किया गया है। मैं नहीं जानता, यहां पर सभी सदस्य बैठे हैं, यह 15 लाख रुपया कहां खर्च किया गया है। मैं आग्रह करुंगा कि सरकार इस मामले में जांच कराये कि वास्तव में यह कहां खर्च हुआ है। इसके एक एक पैसे का हिसाब होना चाहिये। बंगलौर की विधान सभा देखने के लिए पर्यटक आते हैं। मैंने वहां की विधान सभा देखी है। मैं तीसरी बार सदस्य चुनकर आया हूँ और पहले भी यहां आने का मौका मिला है। यह विधान सभा बंगलौर की विधान सभा से कहीं ज्यादा सुन्दर है, चाहे वह स्थापत्य की दृष्टि से हो, चाहे बनावट की दृष्टि से हो। अगर गम्भीरता से पर्यटन को सुधारने की चेष्टा की गयी होती तो कोई कारण नहीं है कि पर्यटन में वृद्धि न हुई होती। लखनऊ में विधान सभा, छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा, भूलभुलैया आदि आकर्षण के केन्द्र हैं। छोटा इमामबाड़ा और भूलभुलैया की स्थिति खराब है। भूलभुलैया में तो गाइड भी कहता है कि अन्दर न जांय खतरा है। मैं चाहूंगा कि इस ओर ध्यान दिया जाय। पर्यटक जब आते हैं तो केवल महत्वपूर्ण स्थानों का दर्शन करने ही नहीं आते हैं पर्यटक कुछ खरीदते भी हैं। अब खरीदने की चीजें क्या हैं, दस्तकारी, हस्तकला, ऐंटीक पेंटिंग की चीजें खरीदते हैं। पर्यटन

विभाग द्वारा हस्तकला, दस्तकारी के कारीगरों को प्रोत्साहन देने के लिए कोई प्राविधान किया गया होता तो अच्छा होता। बीड, मालायें और दस्तकारी का सामान, आगरे में संगमरमर, तथा अन्य कमजोर पत्थर जैसे सैंड स्टोन का सामान, फिरोजाबाद की चूड़ियां, फिरोजाबाद की चूड़ियों का आकर्षण विदेशी महिलाओं में भी बढ़ रहा है, तो इन चीजों के कारीगरों को अगर प्रोत्साहन दिया जाय तो करोड़ों रुपयों का निर्यात हम सहज ही पर्यटकों के माध्यम से कर सकते हैं।

इसलिए मेरा निवेदन है कि हस्तकला, को बढ़ावा पर्यटन विभाग द्वारा दिया जाना चाहिए। पर्यटन में जो उद्यमी लगे हैं उनकी तथा अधिकारियों तथा हस्तकला में लगे जो कारीगर, कामगार हैं उनकी बैठक बुलानी चाहिये, हम लोगों को याद करेंगे तो हम भी पहुंच जायेंगे बैठक करके जो कमियां हैं उनको दूर करने की सोचें। होटल चलाने वाले की क्या कठिनाइयां हैं, बस सर्विस वाले की क्या कठिनाइयां है, हस्तकला के जो कामगार हैं उनकी क्या कठिनाइयां हैं उनको समझें और दूर करें। जो लोक गायक हैं, बिरहा, कजरी, पतंग उड़ाने वाले यह भी किसी न किसी रूप से पर्यटन से कहीं न कहीं जुड़े हैं। एक कमरे में आप और अधिकारी बैठकर सक्षम नहीं हैं कि इनकी कठिनाइयों को दूर कर सकें। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस संबंध में एक बृहत्तर बैठक बुलायी जाय। जिसमें सभी पक्ष हों और उसके बाद कोई योजना बनायी जाय तब हम गर्व से कह सकेंगे कि उत्तर प्रदेश में हमने पर्यटन को विकसित कर लिया है।

मान्यवर, एक बात और कहना चाहूँगा। माननीय मंत्री जी का ध्यान भी इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगा। मेरी समझ में नहीं आता है कि जहां-जहां सरकार के हाथ लगते हैं, मामला कुछ गड़बड़ हो जाता हैं।

मान्यवर, जो मोटर प्राइवेट चल रही है, निजी क्षेत्र में चल रही है, वहां की सेवायें देख लीजिए, वहां का भोजन देख लीजिए वहां की नम्रता देख लीजिए और जो सरकारी क्षेत्र में चल रही हैं, उनको देख लीजिए। पर्यटक आवास यहीं लखनऊ स्थित जो गोमती होटल के नाम से पर्यटक आवास है, गर्मी के दिनों में मुझे एक लुंगी पहनकर एक गिलास पानी के लिए जाना पड़ा। मान्यवर, पर्यटक की सुविधा का ध्यान नहीं रखा जायगा, तो वह क्यों आयेगा? निजी क्षेत्र में होटलों में 80 से 100 प्रतिशत सरकारी जो अकूपैसी है। 25, 30, 35 परसेंट है। अगर कोई अनुशासनहीनता है, तो उसकी रोकना पड़ेगा। मान्यवर, अगर उद्योग का दर्जा दिया है, तो गम्भीरता से उद्योग का दर्जा देकर उद्योग के क्षेत्र के–मूलभूत सिद्धान्त और अब स्थापना की बात होनी चाहिए। उनका क्रियान्वयन पूरे मन-मस्तिष्क को लगाकर पूरी इच्छा से करनी पड़ेगी। जब हम इतनी छोटी धनराशि पर्यटन के लिए रखेंगे, तो इससे अच्छा है कि एक रुपया ही कर दिया जाय। मान्यवर, यह हमारा वह विभाग है, जो हमें कुछ कमा करके देता है। हमारी सांस्कृतिक विरासत, हमारी धार्मिक विरासत, हमारी आध्यात्मिक विरासत, देश-विदेश वह पहुंचाता है। यही नहीं, दक्षिण भारत का आदमी काशी विश्वनाथ, प्रयाग और हरिद्वार आता है, इसलिए इसको और गम्भीरता से लिया जाना चाहिए। एक बात मैं अपने क्षेत्र की रखना चाहता हूं। मैं आशा

और अपेक्षा के साथ कह रहा हूँ। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में विन्ध्याचल मैयूया जी का धाम है, शायद इस देश के अधिकांश सदस्यों में से अपने बच्चों का मुण्डन वहां पर ही कराते होंगे। नवरात्रि चल रही है। मेरे यहां तो मुण्डन की परम्परा नहीं है, हम तो जो लेकर पैदा हुए हैं, वही लेकर मर जाते हैं। इस समय नवरात्रि चल रही है, यह नवरात्रि का पर्व साल में दो बार चलता है। यहां पर साप्ताहिक दो लाख पर्यटक आते हैं। मान्यवर, नवरात्रि के दिनों का अगर प्रान्तीयकरण हो जाय, तो उससे यात्रियों को सुविधा होगी। वहां पर आने वाले तीर्थ यत्रियों की घोर कष्ट होता है। मैं आपसे अनुरोध करुंगा कि इस मेले का अगर प्रान्तीयकरण कर दिया जाय, तो सम्भवतः जो लाखों यात्री वहां पर आते हैं, उनके लिए सुविधा पहुंचने में सहूलियत हो जायगी। मान्यवर, अब मैं पर्यावरण पर आता हूं।

श्री भगवती सिंह–

पर्यावरण मान्यवर, अलग से मद है।

श्री अधिष्ठाता–

दोनों एक ही साथ हैं।

श्री भगवती सिंह–

मान्यवर, मैंने तो पर्यावरण का बजट नहीं रखा है, पर्यटन का रखा है।

श्री अधिष्ठाता–

आपने दोनों ही रखे हैं।

डा० सरजीत सिंह डंग–

तो मान्यवर मैं कह रहा था कि पर्यावरण को बड़े साधारण ढंग से लिया जा रहा है। कभी-कभी प्रश्न उठता है कि पर्यावरण का क्या अर्थ है। मैं कहना चाहता हूं। कि पर्यावरण का प्रभाव केवल व्यक्ति के शरीर पर ही नहीं पड़ता है, प्राणियों के शरीर पर ही नहीं पड़ता है, पर्यावरण का प्रभाव शरीर से जो इतर चीजें हैं, उन पर भी पड़ता हैं। पर्यावरण का प्रभाव आंतरिक और वाह्य भी होता है। वाह्य और आंतरिक पर्यावरण एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इसमें मोटे तौर पर जल, वायु और ध्वनि प्रदूषण आते हैं। शहरों में जो औद्योगिक प्रतिष्ठान होते हैं उनका जो उपसर्जन निकलता है, उससे भी जल का प्रदूषण होता है।

इस प्रकार से पर्यावरण का बहुत क्षरण हुआ है। यह एक बड़ी भयावह समस्या है और मैं कहना चाहता हूं कि भविष्य में बड़ी भयावह स्थिति उत्पन्न हो जायेगी, अगर इस पर गम्भीरता से विचार न किया गया। बहुत सी ऐसी चीजें हैं, जो पर्यावरण को प्रभावित करती हैं और उनका विषय हमारी सरकार की परिधि मे नहीं आता है, उनके लिये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो चीजें हमारी सरकार पर्यावरण को ठीक करने के लिए कर सकती है, उनको तो जरूर करना

चाहिए, और विचार करना चाहिए। इस ओर सरकार ने अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि लखनऊ में गोमती के पानी के निरीक्षण के लिए ब्रिटेन की एक टीम आयी थी और जब उसने यहां पर गोमती के पानी को देखा तो कहा कि इसके पानी में आक्सीजन की बहुत कमी है और यह भी कहा कि हमारे यहां आदमियों को कौन कहे, इस पानी को जानवर भी नहीं पी सकते हैं। मान्यवर, गंगा और जमुना नदियों पर बड़े-बड़े बांध बन गये हैं और उन का बहुत थोड़ा पानी नीचे आ पाता है। अगर उसमे शहरों के गन्दे नाले न गिरें तो उनका पानी अपने गंतव्य तक भी नहीं पहुंच सकता है। आये दिन यहां पर प्रश्न उठता रहता है कि आगरा में पानी की कमी है, जमुना में पानी न होने से लोगों को दिल्ली के नालों का पानी पीने के लिये मजबूर होना पड़ता है। मान्यवर, जल में प्रदूषण बढ़ा है और आक्सीजन की कमी हुई है।

मान्यवर, यहां पर मोहन मीकिन्स है, उसने एक बार जब फैक्ट्री का उपर्सजन गोमती नदी में बहा दिया था, तो गोमती की सारी मछलियां मर गयीं थीं। इस प्रकार से कानपुर में और उन्नाव में चमड़े के कारखाने हैं, उनका पानी निकलता है, उससे भीषण बदबू फैलती है, और वह प्रदूषण को बुरी तरह से प्रभावित करता हैं। फैक्टरियों में ट्रीटमेंट प्लान्ट लगाने की व्यवस्था है, लेकिन उस प्लान्ट को लगाने के लिए सरकार के अधिकारियों द्वारा समय से सब्सीडी ही नहीं दी जाती है और इसी कारण वह प्लान्ट लग नहीं पाते हैं। मैं कहना चहता हूं कि अधिकारी और कर्मचारी सुविधा शुल्क लेकर ही क्लियरेंस देते हैं और फिर चाहे कोई लगाये या न लगाये और चलाये या न चलाये, मान्यवर मेरा कहना है कि इस पर कठोरता के साथ नियंत्रण करना चाहिये और जब सैम्पिल लेने की बात आती है तो प्लान्ट चला दिया जाता है और जैसे ही अधिकारी वहां से चले जाते हैं, उसे बन्द कर दिया जाता है। यही नहीं अगर कोई अधिकारी उसकी चेकिंग करना चाहता है, तो पहले उसकी चला दिया जाता है, तब वह अधिकारी उस संस्थान में घुस पाता है और जब तक वह चला नहीं दिया जाता है, वह संस्थान में घुस नहीं सकता है।....

आप संस्थान में प्रवेश नहीं कर पायेंगे जब ट्रीटमेन्ट प्लांट चल जायेगा, एक संस्थान के बारे में मेरी जानकारी है कि दूर से बैठकर ट्रीटमेन्ट प्लांट का बटन दबा दिया जाता है जब आप पहुंचेगे तो वह चलने लगेगा और जब बाहर निकलेंगे तो वह बन्द हो जायेगा। मैं तो कहूंगा कि एक विद्युत मीटर इस पर लगा दिया जाय तो यह पता लग जायेगा कि यह ट्रीटमेन्ट प्लांट चल रहा है कि नहीं इसमें रीडिंग आयेगी जिससे प्रत्येक मास यह पता चल जायेगा कि ट्रीटमेन्ट प्लांट चला था या नहीं।

मान्यवर, मेरे अपने बगल के जिले से सोनभद्र जिले में कजरहट सीमेन्ट की पैकिंग होती है, बनती नहीं है लेकिन उससे आस-पास का वातावरण किस प्रकार से प्रदूषित हो रहा है यह शायद वहां के रहने वालों को न लग रहा हो क्योंकि वे इसके आदी हो गये हैं लेकिन वहां पर इससे रोगियों की संख्या बढ़ रही है लोगों को ट्यबरक्लोसिस, न्यूमोकोनिओसिस, सिलिमोसिस हो रहा है

तो इसका समूचे रूप से अध्ययन करा करके कि कौन से क्षेत्र में किस प्रकार का प्रदूषण फैल रहा है, इस पर समुचित कार्यवाही की जानी चाहिए नहीं तो आने वाले वर्षों में बहुत बड़े संकट का सामना करना पड़ेगा। एक बात और है प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या बढ़ रही है और बढ़नी भी चाहिए प्रसन्नता की बात है। मान्यवर, मैं गैर सरकारी मिलों की बात नहीं कर रहा हूं, सरकारी मिलों की बात कर रहा हूं फेडरेशन की मिले हैं, कोआपरेटिव की मिले हैं, यह सरकार और अर्द्धसरकारी जो चीनी मिलें हैं इनमें ट्रीटमेन्ट प्लांट नहीं लगा हुआ है, अपवादस्वरूप ही कहीं लगा होगा और उसका खामियाजा कौन भुगत रहा है, सस्ते दाम पर गन्ने देने वाला किसान। उस चीनी मिल से जो उत्सर्जन निकलता है उससे किसान के पशु मरते हैं खेती बरबाद होती है और जो खेती से लगी हुई भूमि है वह ऊसर होती जा रही है और मजे की बात क्या है कि वहां पर्यावरण की दृष्टि से नियंत्रण के लिए उसमें जो कमेटी बनी है उसको चीनी विभाग का काम देखने वाला सचिव स्तर का अधिकारी बैठता है और पर्यावरण विभाग का छोटा अधिकारी वहां बोल भी नहीं पाता है। मेरा सुझाव है कि कम से कम सरकारी संस्थानों, चीनी मिलों, सरकारी चीनी मिलों में भी हम ठीक-ठीक ढंग से ट्रीटमेन्ट प्लांट लगाकर प्रदूषण को नियंत्रित रखें तो शायद गैर सरकारी क्षेत्रों में भी और निजी क्षेत्रों में काम करने वालों के लिये यह एक उदारहण होगा। चैरिटी बिगिन्स फ्राम होम, पहले सरकार अपने संस्थानों में तो करे। मान्यवर, आप उन्नाव से निकलकर कानपुर होकर जाते हैं, आप तो बिल्कुल निकट के हैं, आप दिल्ली जाते समय गजरौला के पास से निकलते हैं तो मीलों उसकी बदबू आती है वहां के रहने वालों को तो इसकी आदत पड़ गयी है लेकिन वह बीमारी से बच नहीं सकते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की जो चीनी मिलें हैं, जो सरकारी और गैर सरकारी मिलें हैं जो उद्योग हैं तो इसमें देखना पड़ेगा कि वह प्रदूषण न फैलायें।

प्रयोगशालाओं की स्थिति क्या है, मैं प्रदेश की अन्य प्रयोगशालाओं की बात नहीं करता, लखनऊ में जो प्रयोगशाला में है उसके इक्यूपमेन्ट ऐसे हैं जिनका उपयोग ही नहीं हुआ है। मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जरा जाकर देखें कि किस प्रकार से संयत्रों का दुरूपयोग हो रहा है, काम करने वाले नहीं हैं। 8-8 महीने फाइले पड़ी रहती हैं लेकिन परीक्षण तक नहीं होता है जब एक-एक साल तक प्रयोग नहीं होगा तो जांच क्या आयेगी? मेरा निवेदन है कि इसका 15 दिन के अन्दर परीक्षण हो जाना चाहिए और रिपोर्ट आ जानी चाहिए। हो क्या रहा है जिनका सैम्पल गड़बड़ होता है वह सुविधाशुल्क देकर के कहते हैं कि बाद में इसे देखना तो वह रुका पड़ा रहता है और इसका खामियाजा सामान्य जनता भुगत रही है इस तरह से पर्यावरण विभाग एक प्रकार से भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है।

[समय 2 बजकर 20 मिनट]

निजी क्षेत्रों में टेस्ट लैबोरेटरी को रिकगनीशन दी जाये। जो प्रमाणिक हैं ऐसे लोगों को प्रयोगशाला खोलने की अनुमति देनी चाहिए। मान्यवर, वाटर सेस की अदायगी नहीं होती है। माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि वर्षों से करोड़ों रुपयों का शुल्क आज भी औद्योगिक संस्थानों पर बकाया पड़ा है और पर्यावरण विभाग, चाहे तो पानी काट दे मगर काटते नहीं क्योंकि वहां के अधिकारियों को मिलाकर काम किया जाता है। माहवारी शुल्क लेते रहो और सप्लाई मत काटो और कहीं-कहीं जो सशक्त हैं वे उसमें सर्वोच्च न्यायालय से स्टे ले आते हैं। मगर सर्वोच्च न्यायालय ने इधर कुछ दिनों से अच्छा काम किया है और बड़ी जागरूकता दिखायी है। उन्होंने 17 उद्योगों के बारे में टिप्पणी दी है। मैं चाहूंगा कि जो-जो शुल्क हैं उसकी वसूली कठोरता से की जाये तभी पर्यावरण विभाग के संसाधन आगे बढ़ेंगे और वह सक्षम तरीके से प्रदेश की जनता की सेवा कर सकेगा। मान्यवर, अक्सर इस सदन में चिंता की जाती है और माननीय सदस्य भी सहमत होगें कि प्रदेश के महानगरों में वाहनों के कारण प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। विधान सभा के सामने वाली सड़क आज सांस लेने लायक नहीं रह गये हैं, हजरतगंज भी आज सांस लेने लायक नहीं रह गया है।

मान्यवर, आज अगर इस प्रवृत्ति पर रोक नहीं लगेगी तो जान लीजिये कानपुर में 80 प्रतिशत लोग आज क्षय रोग से पीड़ित होंगे उसी प्रकार से लखनऊ में भी 65 प्रतिशत लोग क्षय रोग एवं वक्ष रोग से पीड़ित होंगे। मैं नहीं जानता कि कारण क्या है। पिछली सरकार में कार्य योजना बनी मगर काम करने का समय बहुत कम था। प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की चैकिंग की जाये और उन वाहनों को सड़क से अलग कर दिया जाये जो ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं। आज स्थिति क्या है चाहे बस हो, टैम्पो हो, कार हो, मोटरसाईकिल हो, ट्रक हो प्रदूषण फैला रहे हैं। मैं सुझाव देना चाहूंगा आने वाले दिनों में, स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए, इन सारे वाहनों को, जो प्रदूषण फैलाते हैं, नियंत्रित करने के लिए एक ऐसी कार्य योजना बनायी जाये जो शीघ्र ही हमारे सामने कार्य रूप में आ जाये। माननीय पर्यावरण मंत्री जी, माननीय मुख्य मंत्री जी मा० स्वास्थ्य मंत्री जी, मा० परिवहन मंत्री जी एवं माननीय वन मंत्री जी एक साथ बैठ सकते हैं और इसमें विचार-विमर्श कर सकते हैं। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जो प्रयोगशाला के संयंत्र हैं प्रदूषण के, वह खराब पड़े हुए हैं। आप जांच करके देख लें तो आप पायेंगे कि लखनऊ प्रयोगशाला में 80 प्रतिशत संयंत्र खराब पड़े हुए हैं, और उनमें जंग लगा हुआ है। इसमें किसकी जिम्मेदारी है, क्या आफ्टर से बस सर्विस की शर्त थे, उनको क्यों नहीं ठीक किया जा रहा है, क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनको जानबूझकर ठीक नहीं किया जा रहा है इन पर गौर से विचार किया जाना चाहिए। अंत में मैं माननीय वन मंत्री जी, जिन्होंने पर्यावरण और पर्यटन दोनों पर अपने विचार रखे हैं,कहना चाहूंगा कि पर्यावरण का सीधा सम्बन्ध वनों से हैं और वनों को ठीक-ठाक रखना चाहिए क्योंकि वैज्ञानिक शोध यह कहती है कि.....

एक तिहाई क्षेत्र वनाच्छादित होना चाहिये, लेकिन हम उससे बहुत दूर हैं। अगर हम ठीक प्रकार से वृक्षारोपण के लिये जनता को अपना सहभागी बना सकें और साथ ही यह भी हो जाय

कि 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद अपने पेड़ को स्वयं काट सकें क्योंकि जलाने की लकड़ी चाहिये, चारा चाहिये, इसके अलावा स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग हो, इस तरह की कार्य योजना यदि वन मंत्री जी बनायेगें तो पर्यावरण के सुधार तथा प्रदूषण को रोकने में बड़ी मदद मिलेगी। इन शब्दों के साथ मैं पुनः पर्यावरण तथा पर्यटन के अपने कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी जब उत्तर देगें तो मेरे सुझावों और आलोचना का गम्भीरता से उत्तर देगें तथा इसको हल्के ढंग से नहीं लेगें क्योंकि यह दोनों ही विभाग अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। फिर मैं अपने प्रश्नों को पूछने का अधिकार आपकी सहमति से सुरक्षित रखता हूं।

श्री बी० आर० वर्मा–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट के समर्थन में बोलने का आपने मुझे अवसर दिया है, इसके लिये धन्यवाद। मान्यवर, मैं बड़े ध्यान से माननीय डंग साहब का भाषण सुन रहा था। डंग साहब को बधाई देनी चाहिये थी, इस सरकार को, कि इस सरकार ने, जिसकी वजह से भारत पूरी दुनिया में जाना जाता है, जिसके कृतित्व और दर्शन की वजह से भारत का सिर दुनिया में ऊंचा उठता है, ऐसे महापुरुष के जो तीर्थस्थल, बौद्ध धर्म के जो सेन्टर हैं, उनको विकसित करने का पूरे मन से निर्णय लिया है और उसके लिये गोरखपुर, देवरिया, सारनाथ आदि जो बौद्ध तीर्थस्थल हैं, उनको विकसित करने का काम सरकार ने किया है, इसके लिये माननीय डा० डंग साहब को इस सरकार की भूरि-भूरि प्रशंसा करना चाहिये था।

मान्यवर, इसी के साथ-साथ मैं कहना चाहूंगा कि जो पर्यटक हमारे यहां आते हैं, उसमें बड़ी संख्या बुद्धिष्ट पर्यटकों की होती है। इस दिशा में सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, कौशाम्बी आदि जो भगवान बुद्ध का कार्यक्षेत्र, कर्मक्षेत्र तथा जन्म क्षेत्र रहा है, दुनिया के बुद्धिष्ट कन्ट्री के लोग उसे देखना चाहते हैं और बड़ी श्रद्धा और भावनाओं से इससे वह जुड़े हुये हैं, इसी का परिणाम है कि जापान सरकार ने परिपथ के निर्माण के लिये सहायता दी है। आज यदि प्रयास किया जाय तो इस दिशा में बहुत सारी विदेशी पूंजी हमारे देश में लग सकती है, और मिल सकती है, जिससे इन बौद्ध तीर्थस्थलों का विकास होगा। इस दिशा में हम जैसे ताज महोत्सव करते हैं, वैसे ही बौद्ध महोत्सव करें और दुनिया भर के बुद्धिष्ट लोगों को आमंत्रित करें और ऐसी जगहों पर उनका साहित्य, पुरातत्व अवशेष तथा दूसरे इन्सान और इन्सानियत को फैलाने वाले धर्म हैं, से संबंधित मानवतावादी पक्ष को चित्रों, प्रदर्शनियों के माध्यम से लगाया जाय, सम्मेलन कराये जायें, तो इस दिशा में हम बाहर के बौद्धिष्ट पर्यटकों को आर्कषित करने में सफल होगें.....

उसी तरह से मान्यवर, बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर, संत कबीर, संत रविदास, नारायना गुरू और इस क्रांति के अग्रदूत ज्योतिबा राव फुले की प्रदर्शनियां लगा करके ऐसे मानवतावादी साहित्य और विचारों को प्रदर्शित किया जाये। अम्बेडकर मेला लगाया जाये जिससे अम्बेडकर के विचारों को जन-जन तक पहुंचाया जा सके। इससे बड़े पैमाने पर लोग आकर्षित होगें और इसके साथ आयेगें। मान्यवर, डंग साहब ने जो कहा कि आने वाले पर्यटकों को मूलभूत

नागरिक सुविधायें उपलब्ध करानी चाहिए, मैं उनके इस विचार से सहमत हूं कि बड़े पैमाने पर पर्यटक तभी आयेगें जब उनको सुविधायें मिलेंगी। परन्तु बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इस देश और प्रदेश में कुछ समय पहले एक ऐसा माहौल बना था कि बाहर से विदेशी पर्यटकों के आने की बात तो दूर रही, जो विदेशी इस देश में रहते थे उनको इस बात का आभास हो गया था कि जल्दी से जल्दी तुम भारत छोड़कर अपने देश में आ जाओ, पता नहीं भारत कब जलने लगे, इसलिये सकुशल अपने देश लौट चलो। वह कौन सी आग थी? वह साम्प्रदायिकता की आग थी, दिलों के अन्दर नफरत पैदा करने की आग थी, जिससे प्रदेश ही नहीं पूरा देश जल उठा। कहां से पर्यटक आयेंगे? जब शांति का माहौल होगा, उनकी जानमाल महफूज होगा तभी वह आयेंगे।

मैं बधाई देना चाहता हूं इस सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने पूर्ण निष्ठा और दृढ़ता के साथ उस माहौल को बदला है, और माहौल को बदल रहे हैं। मान्यवर, लालबत्ती जल रही है लेकिन थोड़ा सा पर्यावरण के बारे में कहना चाहता हूं। आज वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण से इंकार नहीं किया जा सकता है, ये दिन-प्रति-दिन बढ़ता जा रहा है। इस प्रदूषणों से जो विकसित देश हैं वह भी काफी चिन्तित हैं। आज समाचारों में ओजोन परत के बारे में आ रहा है।

श्री अधिष्ठाता–

वर्मा जी आपका समय पूरा हो गया है।

श्री बी० आर० वर्मा–

एक मिनट में सुझाव देकर अपनी बात खत्म करूंगा। आज चाहे गाड़ियों से निकलने वाले धुयें हों, औद्योगिक स्थानों से निकलने वाला प्रदूषित पदार्थ हो या ध्वनि प्रदूषण हो, अगर इन पर नियंत्रण रख करके कठोर अनुशासन बना करके इस प्रदेश की जनता को मुक्ति नहीं दिलायेंगे तो सांस लेना दूभर हो जायेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री लाज कृष्ण गांधी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे पर्यावरण और पर्यटन विभाग के बजट के कटौती प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। आज के इस वैज्ञानिक युग में जहां होड़ लगी है कि किस प्रकार से पैसा कमाया जाये मानसिक तनाव और जहां दुनिया के 1/3 लोग रात को नींद की गोली लेकर सोते हैं। भारत वर्ष जिसकी ओर दुनिया की निगाहें लगी रहती हैं, लोग यहां पर आते हैं। हिन्दुस्तान का मस्तक हिमालय पर्वत है और उत्तर प्रदेश के शिवालिक पहाड़ियों से सटा हुआ है। जब से आतंकवादियों ने जम्मू-कश्मीर मे अपने खूनी पंजे जमाये तबसे विदेशी पर्यटकों का जम्मू-कश्मीर में आना बन्द हो गया है। अब उत्तर प्रदेश आकर्षण का केन्द्र बना है। उत्तर प्रदेश में पर्यटकों को अच्छी सुविधायें न होने की वजह से

काफी हानि हो रही है। वास्तव में उत्तर प्रदेश के अन्दर जितनी प्राकृतिक सौन्दर्यता है लोगों को मानसिक शान्ति मिलती है नयनाभिराम मनोरम दृश्य है।

जहां आने वालों को राहत देने वाली, मन को शान्ति देने वाली पहाड़ियां हैं। इन क्षेत्रों का विकास किया जाय तो काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित हो सकती है। मैं सहारनपुर जनपद से विधायक हूं। वहां पर एक प्रसिद्ध मां शाकुम्भरी देवी का मंदिर है, सिद्धपीठ है जहां पर प्रतिवर्ष लाखों लोग उनके दर्शन के लिये जाते हैं और वहां पर ठहरते हैं। दर्शन करने आये यात्री वहां पर श्रद्धा से माथा टेकते हैं। लेकिन वहां पर उन लोगों को कभी-कभी पानी की एक बूंद तक नहीं मिलती है। वहां पर ठहरने की व्यवस्था न होने के कारण हजारों लागों पेड़ की ओट में बैठे रहते हैं। उन लोगों के लिये वहां पर न कोई शौंचालय की व्यवस्था है और न ही विश्रामालय की। वहां पर श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की व्यवस्था प्रदान नहीं की गयी है।

मेरा सरकार से निवेदन है कि मां शाकुम्भरी देवी के स्थान को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित किया जाय। काफी ज्यादा तादात में जो लोग वहां पर जाते हैं वर्ष में दो बड़े मेले लगते हैं। उससे उन लोगों को बल मिल जायगा और वहां जाने वाले लोग मन की शान्ति प्राप्त कर सकेंगे। यहां पर इतने बड़े-बड़े पर्यटक केन्द्र हैं, सरकार की तरफ से जितने भी जो होटल हैं वह काफी महंगे हैं जिससे कोई साधारण व्यक्ति वहां नहीं जा सकता है, ऐसी व्यवस्था की जाय, सस्ते होटल बनवायें जायं जिससे कि कोई भी व्यक्ति वहां जा सके। वहां पर लोग मन की शान्ति के लिये जाते हैं लेकिन अव्यवस्था के कारण उनका मन अशान्त हो जाता है। उसका काफी रुपया खर्च होता है। मेरा सुझाव है इस सरकार को कि अपने पर्यटक केन्द्रों पर जो लोग आते हैं उनके लिये सस्ते होटल, जनता होटल के नाम से, जनता भोजनालय के नाम से इस तरह के होटल बनवायें, काफी कम पैसे में रहने की सुविधा हो, कम पैसे में भोजन मिल सके ताकि लोग अधिक से अधिक मात्रा में जा सके और कुछ फुर्सत के क्षण वहां पर व्यतीत कर सकते हैं। पर्यावरण की बात चली है वास्तव में डंग साहब ने ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के बारे में कहा है, महानगरों और बड़े-बड़े नगरों में हो इसे लागू किया जाना चाहिए। प्रदूषण के संबंध में रोक लागायी जानी चाहिए, लेकिन बजट में इस पर कुछ नहीं किया गया है। महानगरों के अन्दर, और बड़े-बड़े नगरों के अन्दर वाहन चलते हैं, उन वाहनों का जो धुंआ निकलता है, इस संबंध में एक यंत्र आता है, उस यंत्र से इन वाहनों को चेक करना चाहिए। बड़े-बड़े चौराहा पर इस यंत्र से पुलिस द्वारा या अन्य किसी एजेन्सी द्वारा चेक किया जाना चाहिए, अगर वाहन तादात से ज्यादा धुंआ छोड़ रहा है तो उसका चालान किया जाना चाहिए। मान्यवर, सहारनपुर में एक पांवधोई नदी है, इसकी एक बड़ी कथा है। सहारनपुर में हिन्दू-मुस्लिम दोनों सम्प्रदाय के लोग रहते हैं। वहां पर बाबा लाल दयाल रहते थे, वह बारहो महीने आंधी, तूफान, बरसात में प्रतिदिन गंगा स्नान के लिये हरिद्वार जाते थे, कई वर्षों के बाद गंगा मैय्या प्रकट हुई। उन्होंने उनसे कहा कि क्या आप पैदल रोजाना यहां पर स्नान करने के लिये आते हैं, उन्होंने कहा कि हां, इस पर गंगा जी बोलीं कि आप जहां के रहने वाले हैं, मैं स्वयं वहीं आ जाती हूं। उन्होंने कहा कि मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम ही आई हो? उन्होंने कहा कि अपनी टोपी और छड़ी धरते जावो, तो मैं पहुंच जाऊंगी। जब

तुम्हें वहां पर अपनी टोपी और छड़ी दिखे तो समझ लेना कि मैं आ गयी हूं यही पांवधाई नदी कहलाई है। बड़े शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि वहां पर उस पवित्र नदी में पूरे का पूरा जनता का मैला, कुचैला उसी में फैला है और वहां कूड़ाघर की तरह वहां पर सारा कूड़ा जमा हो गया है। कुछ समय पूर्व कल माननीय मुख्य मंत्री जी वहां नगर पर गये थे. सफाई के लिये पच्चीस लाख रुपये की घोषणा कर आये थे। अभी वहां पर पच्चीस लाख तो क्या पच्चीस पैसे भी नही पहुंचे हैं। यह माननीय मुख्य मंत्री जी की घोषणा है कोई टुटपुंजिये की नहीं है, पैसा तो पहुंचेगा ही। पर्यावरण की दिशा में सफाई के लिये सभी बातों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये डा० डंग साहब द्वारा रखे कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुये पुनः धन्यवाद देता हूं।

* श्री छोटे लाल–

मान्यवर, आपने पर्यटन व पर्यावरण विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये धन्यावाद। अभी पर्यटन व पर्यावरण पर चर्चा चल रही थी। सम्मानित सदस्य गण कह रहे थे कि पर्वतीय क्षेत्र में इस ओर कोई विकास नहीं हुआ है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि अल्मोड़ा और नैनीताल जनपद में एक-एक जगह पर 8-8 व 10-10 पर्यटक गृह बनाये गये हैं और जिन पर समुचित धन लगाया जा रहा है। बाहरी पर्यटकों में जो असुरक्षा की भावना थी, अब वह नहीं है। अब विदेशी पर्यटक अधिक संख्या में आयेंगे। साथ ही एक बात कहना चाहता हूं कि हरदोई में एक झील है। जो दहर नाम से जानी जाती है। कई वर्षों से वहां पर पर्यटक गृह बनाने का कार्य चल रहा था, परन्तु पिछली सरकार ने उसे बंद कर दिया। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस अधूरे कार्य को पूरा किया जाय और उस पर्यटक गृह को बनाया जाय ताकि पर्यटक आकर्षित हो सकें। पर्यावरण को शुद्ध बनाने के लिए वृक्षारोपण की योजना बनाई गई है। ऐसे वृक्षों को लगाने की योजना है, जिनसे पर्यावरण अधिक शुद्ध होता है। नदियों में जो गन्दे नाले पड़ते हैं, वहां पर भी शुद्धीकरण हेतु योजनायें बनाई गई हैं। पिछली सरकारों ने जो गलतियां की हैं, उन्हें हम दोहरायेंगे नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जयहिन्द।

श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, माननीय श्री डंग जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उस पर मैं बल देता हूं। आश्चर्य की बात तो यह है कि अभी माननीय मंत्री जी ने जो आंकड़े दिये, उसमें वह किसी भी प्रकार की व्यवस्थित एवं ठोस कार्य योजना सामने नहीं ला पाये हैं। सम्पूर्ण उत्तरांचल का क्षेत्र/हिमालयी क्षेत्र सारी दुनिया को दिशा निर्देश ही नहीं देता अपितु शान्ति के लिये भी विख्यात रहा है। जब दुनिया का मानस छटपटाता है तो वह हिमालय की गोद में आता है। यहां पर पर्यटन की असीम संभावनाओं को देखते हुए पिछली सरकारों ने महानिदेशक पर्यटन की व्यवस्था की थी। जिसकी स्थापना देहरादून में की गई परन्तु आज वह मात्र महानिदेशक पर्यटन खानापूर्ति

* वक्ता ने भाषण का पुर्नवीक्षण नहीं किया।

बन कर रह गया है। व्यवस्थित तरीके से जो ठोस योजना बन सकती थी पर्यटन के लिये, वह आज तक नहीं बन पायी है। महानिदेशक, पर्यटन तो बना दिया गया परन्तु न तो कोई स्टाफ दिया गया और न ही धनराशि आवंटित की गई। महानिदेशक को अधिकार विहीन बना रखा है। पर्वतीय क्षेत्र में कई ऐसे पर्यटक स्थल हैं, जो स्विटजरलैण्ड बन सकते हैं। आज स्विटरलैण्ड पर्यटन के क्षेत्र में सारी दुनिया के नक्शे पर है। इसके आलावा इसके पास कुछ नहीं, आज हमारे यहां पर भी फूलों की घाटी, पंच बदरी, पंचकेदारी, तुंगनाथ, मदमहेश्वर, ताल, बुग्याल, दूधातोली बिन्देश्वर, लैन्स डाऊन आदि कई ऐसे अनेक स्थान हैं, जो स्विटजरलैण्ड को मात दे सकते हैं। दसियों किलोमीटर में फैले फूलों की घाटी, आज विश्व में चर्चा का विषय है। परन्तु आज तक इन स्थनों को सरकार विकसित नहीं कर सकी है। यदि इनको विकसित नहीं किया गया तो पर्यटकों को आकर्षित नहीं किया जा सकता है। मान्यवर,

"इनकी कथनी करनी एक नहीं है,
मंशा जिनकी नेक नहीं है।
बात बड़ी बस करते हैं,
काम व्यवस्थित एक नहीं।।"

इनके पास न एक योजना है और न इन्होंने कोई एक काम ही किया है। यदि ये केवल बद्री-केदार व फूलों की घाटी को ही विकसित कर दें तो हम समझेंगे कि सरकार पर्यटन को बढ़ावा देना चाहती है। यदि इनको विकसित कर दिया जाता है तो हम समझेंगे कि इसकी सार्थकता है और आर्थिक व पर्यटन की दृष्टि से भी यह सफल होगा। मान्यवर, बेरोजगारों को पर्यटन से जोड़कर रोजगार देने के लिये भी सरकार ने अपने बजट में कोई प्राविधान नहीं किया है। यदि वहां पर रोजगार की व्यवस्था नहीं की गयी तो वहां का नौवजवान बाहर निकलने को मजबूर हो जायेगा। मान्यवर, यह एक बहुत ही संवेदनशील इलाका है, इसलिये आपसे निवेदन करता हूं कि वहां पर नौजवानों को रोजगार देने की व्यवस्था आप करें। सरकार को यह विषय गम्भीरता से लेना चाहिए।

आज गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ में पर्यावरण का प्रकोप हो गया है। क्या सरकार द्वारा यात्री मार्ग में सुलभ शौचालय बनाये गये हैं। आज सारे यात्री गंगा में जाते हैं, जिससे गंगा प्रदूषित होती है। यात्री तीर्थ स्थल के रूप में यहां आता है यहां पर पर्यटक नहीं है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि

"बदरी और केदार जहां हैं,
जहां है फूलों की घाटी।
स्वर्ग जमीं पर है उत्तरांचल,
मधुबन पावनमय माटी।।"

यदि सरकार इस मधुबन पावनमय पार्टी को ही क्रियान्वित कर लेती तो हम इसकी सार्थकता समझते। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी ने शीतला खेत व पौड़ी को पर्वतीय पर्यटक नगर बनाने की घोषणा की थी, परन्तु वर्तमान सरकार ने उसे भी नकार दिया है। इसलिए मेरी मांग है कि वहां पर जो तमाम अविकसित पर्यटन स्थान हैं, उनको विकसित किया जाय। वीरचन्द्र सिंह गढ़वाली के स्मारक को दियावगड़ का योजनाबद्ध तरीके से विकास किया जाय। सिवाल में एक ही गांव में 12 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, इसलिये नेता जी सुभाष चन्द्र बोस की मूर्ति की स्थापना की जाय। सड़कों का निर्माण कराया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अखिलेश–

मान्यवर, आपने मुझे प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने के लिये अवसर दिया, इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। गौतम बुद्ध के नाम से ही डंग साहब को डंक लग गया, यह स्वाभाविक है। क्योंकि जिस साम्प्रदायिकता की आग को भारतीय जनता पार्टी हवा देना चाहती है, गौतम बुद्ध के विचारों को आत्मसात करने पर, उसमें साम्प्रदायिकता की कोई गंजाइश ही नहीं रह जाती है। बद्धिष्ट मार्ग के संदर्भ में श्री डंग साहब को कहीं न कहीं पीड़ा का एहसास हुआ है। गौतम बुद्ध (सिद्धार्थ) ने लुम्बनी नामक स्थान पर जन्म लिया परन्तु आध्यात्मिक गौतम बुद्ध जी का वास्तविक रूप से कपिलवस्तु उर्फ पिपरहवा में जन्म हुआ। गौतम बुद्ध जी के समस्त तीर्थ स्थलों को हम सही ढंग से विकसित करने का प्रयास करें। मैं आलोचना के रूप में नहीं कहना चाहता हूं लेकिन यह जरूर कहना चाहता हूं कि पर्यटन विभाग के लोगों द्वारा गौतम बुद्ध के तीर्थ स्थलों को क्रमबद्ध रूप से विकसित करने हेतु कोई ठोस योजना तैयार नहीं की है। इस दिशा में मैं सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि गौतमबुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी आध्यात्मिक जन्मस्थली कपिलवस्तु और निर्वाण स्थली कुशीनगर लुम्बनी खनुआं नौतनवां, टेढ़ीबारी, कुशीनगर मार्ग से जोड़ दिया जाय तो पर्यटकों के लिये जन्मस्थली से निर्वाण स्थली तक के सीधे दर्शन के लिये एक मार्ग हो जायेगा।

मैं यह भी अवगत कराना चाहता हूं कि इंडो-नैपाल वार्डर पर उत्तर प्रदेश में गोरखपुर सोनौली मार्ग द्वारा ही नैपाल से विदेशी पर्यटकों को भारत आने की सुविधा प्राप्त है। नौतनवां ठूँठीबारी कप्तानगंज मार्ग से कुशीनगर जोड़ दिया जाय तो यह मात्र 103 कि०मी० है, लुम्बिनी से गौतमबुद्ध की ननिहाल बनरसिंहा उर्फ देवढ़हा, एकसड़वा मार्ग से जोड़ दिया जाय तो जन्मस्थली से ननिहाल स्थली की दूरी मात्र 33 कि०मी० रह जाती है इसी तरह से नौतनवां कोल्हुई मार्ग होकर अध्यात्मिक जन्म स्थली कपिलवस्तु उर्फ पिपरहवा से लुम्बिनी मात्र 45 कि०मी० दूरी होती है। इसी तरह से गौतमबुद्ध की निर्वाण स्थली कुशीनगर से कबीर की निर्वाण स्थली मगहर को जोड़ दिया जाय और कबीर की जन्म स्थली लहरतारा से गौतमबुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी से

जोड़ दिया जाय तो दुनिया में एक नया संदेश जायेगा और विदेशी पर्यटक इन तीर्थस्थलों के दर्शन एक साथ कर सकेंगे।

महराजगंज जनपद के अन्तर्गत चीनी यात्री ह्वैनसांग ने फरेंदा तहसील के अदरौना नामक स्थान को आद्रिवन के रूप में वर्णित किया था जहां महाभारत काल में पाण्डवों ने एक वर्ष का अज्ञातवास किया था। यदि उपरोक्त स्थल को बौद्ध परिपथों से जोड़ दिया जाय तो विदेशी पर्यटक एक को केन्द्र बिन्दु मानकर इन सब के दर्शन कर सकेंगे और अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा हमें प्राप्त होगी। इन बौद्ध तीर्थ स्थलों के विकास हेतु ठोस योजना बनाई जाय।

माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुये मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि पर्यटन विभाग द्वारा वर्ष 1993-94 के कार्यकलापों की पुस्तिका जो दी है उसमें आधुनिक स्वागत केन्द्र निरंजना सुनौली को गोरखपुर में दर्शाया है जब कि यह महाराजगंज में आता है और महाराजगंज का निर्माण हुये 5 साल हो गये हैं। अतः इसे ठीक किया जाय।

*श्री रवीन्द्र शुक्ल–

मान्यवर, सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे पर्यटन विभाग के कटौती प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। मान्यवर, आदरणीय डंग द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव तथा उनके द्वारा जो विचार व्यक्त किये गये हैं उनसे मैं अपने को संबद्ध करता हूं और एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे जो मित्र सामने बैठे हैं जिनके द्वारा आज यह बजट प्रस्तुत किया गया है वह वास्तव में मात्र आंकड़ों की कलाबाजी है जिसके माध्यम से उन्होंने यह प्रस्तुत करने की कोशिश की है कि हमने पर्यटन पर बहुत ध्यान दिया है। मेरा सीधा-सीधा आरोप है कि न तो पर्यटन के विकास पर ध्यान दिया गया और न ही पर्यावरण पर ध्यान दिया गया है।

मान्यवर, अभी श्री अखिलेश जी ने कहा था कि गौतम बुद्ध की बात अंगीकार कर डाक्टर सरजीत सिंह डंग को डंक लग गया। लेकिन मान्यवर, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि पिछली बार पर्यटन विभाग के बजट पर कटौती के प्रस्ताव में जो भाषण दिया था उसको निकालकर देख लिया जाय तो एक-एक शब्द जो आज बजट के समर्थन में भाषण दिया है वही है। इसलिये मैं कह सकता हूं कि आज जो उन्होंने सपा की नीतियों के रूप में प्रस्तुत किया है और जो पिछली बार कटौती में कहा था उसका एक-एक शब्द वही है, तो नैतिकता यह है कि जब उनकी नीतियों की पूर्ति नहीं हो रही है इसलिये उन्हें त्यागपत्र देकर हमारे साथ आ जाना चाहिए था।

मान्यवर, महात्मा गौतम बुद्ध के जितने तीर्थ स्थल हैं, जितने बौद्ध परिपथ हैं उनके संबंध में सरकार ने कोई ठोस योजना नहीं बनायी है। मान्यवर, यह स्वीकार किया गया है कि बौद्ध परिपथ के लिये सरकार पूरा ध्यान देगी ताकि, देश विदेश के अंदर जो उत्तर प्रदेश बौद्ध परिपथ के लिये विख्यात है, यहां विदेशी पर्यटक आकर भगवान बुद्ध के स्थलों को देखें और लाभ प्राप्त करें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, पर्यटन हिन्दुस्तान का एक महत्वपूर्ण अंग है। आज से ही नहीं युग-युगान्तर से यहां की आध्यात्मिक शक्ति, आध्यात्मिक चेतना और आध्यात्मिक पृष्ठ भूमि, यहां की प्राकृतिक धरोहर के बारे में जो विदेशी यहां आये उन्होंने यहां की भूरि-भूरि प्रसंशा की है और मैक्समूलर ने कहा है–

"इफ वी वर टु लुक ओवर दि होल वर्ल्ड फाइन्ड आऊट दि कन्ट्री मोस्ट रिचली इन्डाउन्ड विद आल दि वेल्थ पावर एंड ब्यूटी दैट नेचर कैन वेस्टो इन सम पार्टस ए वेरी पैराडाइज आन अर्थ आई शुड प्वाइंट टू इंडिया।"

इसका हिन्दी में अनुवाद इस प्रकार है–

यदि पूरे विश्व में ऐसा देश खोजना है जो हर प्रकार की सम्पदा शक्ति एवं सौंदर्य जो प्रकृति प्रदान कर सकती है से परिपूर्ण है तो किसी सीमा पर इस पृथ्वी पर स्वर्ग के लिये मुझे भारतवर्ष को इंगित करना चाहिए।

मान्यवर, हमारे मनीषियों ने इसकी प्रसंशा करते हुए कहा है–

गायन्ति देवा किलगीत कानि धन्यास्तु में भारतभूमि भागे स्वर्गापवगस्पिर हेतु भूते भवन्ति भूयः पुरुषा सुरत्वात।

दूसरी प्रसंशा की है कवि रवीन्द्र नाथ टैगोर ने–

देवि भुवन मनमोहिनी, नीलसिन्धु जल धौत चरणतत्र।

वंकिम चन्द्र ने प्रसंशा बन्दे मातरम् कहकर किया है।

श्री अधिष्ठाता–

अब आपका समय समाप्त हुआ।

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

मान्यवर, दो मिनट का समय और दे दें। लेकिन आप नहीं समय दे रहे हैं तो मैं संक्षेप में एक बात यह कहना चाहता हूं कि इस देश में सरकार में ऐसे लोग आ गये हैं जिन्होंने देश में अराजकता की स्थिति पैदा कर दिया है और पूरे सामाजिक पर्यावरण को गंदा कर दिया है तथा जातिवाद का ऐसा जहर घोल दिया है जिससे राजनीतिक और वैचारिक पर्यावरण प्रदूषित हो गया है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठ जाएं।

श्री रवीन्द्र कुमार शुक्ल–

मान्यवर, मैं केवल अपने क्षेत्र के बारे में दो शब्द कहने की अनुमति आपसे मांग रहा हूं। मुझे लगता है कि आपके .....

श्री अधिष्ठाता–

अब ज्ञानी हरेन्द्र सिंह, शुक्ल जी बहुत हो चुका है, अब आप बैठिये....व्यवधान.....आपका समय पूरा हो चुका है। आप सीनियर सदस्य हैं, अब आप बैठिये।

श्री हरेन्द्र सिंह (रामपुर)–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने प्रस्तुत बजट के समर्थन में मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, बहुत ध्यान से मैंने माननीय विधायक डा० सरजीत सिंह डंग का भाषण सुना और साथ ही अन्य साथियों को भी सुना, जिसे सुनकर मुझे बोलने के लिये मजबूर होना पड़ा। साम्प्रदायिकता का इतना असर हो जाता है और उस साम्प्रदायिकता से आदमी कितना डर जाता है और कितने कट्टरपन में चला जाता है, यह मैंने आज जाना। और यह देखकर मुझे बड़ी हैरानी हुई। अभी कहा गया कि इस देश में बौद्ध तीर्थ स्थलों, बौद्ध धर्म के मन्दिरों को विकसित करने के लिये पर्यटन विभाग ने कुछ नहीं किया, इससे मुझे बड़ी ही हैरानी हुई है। पर्यटन विभाग ने और इस सरकार ने महात्मा बुद्ध जी के जो तीर्थ स्थान हैं उनको विकसित करने के लिये बहुत बड़ी योजना बनाई है, जो बहुत ही प्रसंशनीय इस सरकार का काम है। जो-जो यह धार्मिक स्थल हैं, उनको आपस में एक साथ जोड़ा जाये और उसके बाद उस मार्ग का नाम बौद्ध-मार्ग रखा जाये। उससे दुनियां को पता चलेगा कि इस देश के लोग महात्मा बुद्ध का कितना सम्मान करते हैं और उनके आदर्शों पर चलते हैं। डंग साहब ने इस प्रदेश के दूसरे महापुरुषों के नाम ही नहीं लिये, उनके नाम के तीर्थों के नाम नहीं लिये, इस डर से कि कहीं उन पर साम्प्रदायिकता का इल्जाम न लग जाये। महात्मा बुद्ध इस धरती पर ऐसे महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने इस देश को एक नया दर्शन दिया, एक नया विचार दिया, किन्तु उनके विचारों को ढकने के लिये उन पर आक्रमण हुए मनुवादियों द्वारा [XXXX] ने अद्वेतवाद को लेकर नागाओं की फौज बनाकर बौद्ध धर्म पर हमला किया था और इसमें एक-एक बौद्ध को मारा गया और इस तरह उनका बीज नाश किया गया। जिसके फलस्वरूप आज भगवान बुद्ध की प्रतिमा ही कहीं देश में नजर नहीं आती है। जो कहीं केवल देश में है, वह राष्ट्रपति भवन में विदेशियों को दिखाने के लिये रखी हुई है। लेकिन बुद्ध प्रतिमा देश में कोई नजर नहीं आती, जिसे दूर से पहचाना जा सके। यह जिस तरह से बौद्ध धर्म के साथ यहां ज्यादती हुई है, उन पर अत्याचार हुए हैं, उसकी अपनी अलग ही दास्तान है और यह सब इनकी फिरकापरस्ती की देन है। इसलिये जैसा कि मैंने

नोट–[XXXX] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

पहले कहा है समस्त बौद्ध के स्थलों को जोड़ने के बाद जो मार्ग बनाया जाये, उसका नाम बौद्ध-मार्ग रखा जाये। इसी उत्तर प्रदेश में दूसरों के साथ महापुरुष गुरू नानकदेव जी हमारे हुए हैं, जिन्होंने संसार में एक नया दर्शन दिया है, विचार दिया है निवृत्ति मार्ग को छोड़कर प्रवृत्ति मार्ग में लाना और सर्वत्र का भला सोचना, भाईचारे और प्रेम का मार्ग उन्होने दर्शाया है। उन्होंने हाथ से काम करके कमाने और फिर उसको बांटने और बांटकर खाने और परमात्मा की याद करने और सबका भला सोचने का उपदेश हमको दिया है और इस मार्ग पर आगे चलने की हमें शिक्षा दी है। डंग साहब ने उनका नाम लेना उचित नहीं समझा, क्योंकि उनके ऊपर भी फिरकापरस्ती का बहुत ज्यादा असर मालूम पड़ता है। डंग साहब की जगह उन फिरकापरस्तों में नहीं, बल्कि यधर है। गुरू नानकदेव जी के स्थान गुरूद्वारा नानकमता की थोड़ी सी सड़क केवल बनाने में पिछली सरकार ने बाधा डाली, जो सड़क केवल 1 किलोमीटर की थी। फिर भी उसे दूसरे लागों ने श्रमदान कार सेवा से बनाया है। इतना ही नहीं गुरूद्वारा नानकमता को उग्रवादियों का केन्द्रस्थल कहकर प्रचारित किया गया और वहां पर सैकड़ों बार छापे मारे गये। लेकिन पुलिस को वहां कोई आपत्तिजनक चीज नहीं मिली और न वहां किसी किस्म की आपत्तिजनक कोई गतिविधि ही पाई गई है। फिर भी उलटे इन लोगों ने सिखों को गोलियों से मारा और बसों से उतार-उतार कर सिखों को गोलियों से मारा। तो इस प्रकार इन लोगों के हाथ सिखों के खून से सने हुए हैं। इसलिये डंग साहब इन तीर्थों का नाम कैसे लें हमारे तीसरे महापुरुष हैं गुरू तेगबहादुर जी, जिनके सम्मान में माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है, लेकिन अफसोस यह है कि इन मनुवादी फिरकापरस्तों ने ऐसे बलिदानी के ऐतिहासिक गुरूद्वारा जगतगंज, वाराणसी में मूर्तियां रखकर कब्जा किया हुआ है। यह अनोखी मिसाल है चौथा स्थान गुरू गोविन्द सिंह जी का हेमकुण्ड है, जो उनकी तपोभूमि है। जो सरवंश दानी हुए हैं, जिसके बारे में उन्होंने स्वयं कहा है–

हैमकुण्ड पर्वत है जहां, सप्तश्रंग सोवत है जहां,

सप्तश्रंग तिह नाम कहावा, पान्डवराज जहां जोग कमावा।

इनको विकसित करने के लिये भी पिछली सरकार ने कोई कार्यक्रम नहीं बनाया था बल्कि रोड़े अटकाये थे.....

श्री अधिष्ठाता–

समय आपका पूरा हो गया है। अब उदयभान सिंह जी।

ज्ञानी जी आप बैठें।

श्री ज्ञानी हरेन्द्र सिंह (रामपुर)–

इस क्षेत्र की ओर कोई विकास का नाम नहीं लिया गया है। मैं माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट की प्रशंसा करता हूँ कि यह बजट बहुत अच्छा है।

* श्री उदयभान सिंह–

मान्यवर, आपने मुझे पर्यावरण और पर्यटन विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूँ। माननीय डंग जी के विचारों से मैं सहमत हूँ और कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। मैं जिस क्षेत्र से चुनकर आता हूँ आगरा वह संसार में पर्यटन के मामले में सर्वोकृष्ट स्थान रखता है। उसी आगरा में ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, सिकन्दरा और दयालबाग जैसे महत्वपूर्ण स्थान हैं। मुझे सौभाग्य मिला है कि यह चारों महत्वपूर्ण इमारतें मेरे क्षेत्र में हैं। इनकी दुर्दशा आज जिस तरह से हो रही है, उस ओर सरकार का ध्यान नहीं है। आंकड़ों के आधार पर किताबों के आधार पर विकास के तथ्य बताते हैं। ताजमहल से लेकर पश्चिमी गेट और पश्चिमी गेट से लगा हुआ बिल्कुल मेरा जन्म स्थान धान्धुपुरा है। धान्धुपुरा और ताजमहल दोनों की स्थितियाँ काफी एक सी हैं दोनों की ऐतिहासिक कहानियां हैं। ताजमहल से इस देश का राजस्व लिया जाता है वह धान्धुपुरा की जमीन पर ही बसा हुआ है। आज तक किसी सरकार ने यह नहीं सोचा कि धान्धुपुरा की राजस्व भूमि पर यह ताजमहल खड़ा है, वहाँ सैकड़ों पर्यटक आते हैं उनकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। धान्धुपुरा गांव का कोई विकास कार्य नहीं किया है। मैं जन्म से आज तक यही देखता आ रहा हूँ कि इस गाँव का कोई विकास नहीं हुआ है, आने-जाने के मार्ग का कोई विकास नहीं है। नालियों की कोई व्यवस्था नहीं है। ताजमहल के लिये यात्री यहीं से जाता है। जब वह अपने देश जाता होगा तो वह बताता होगा कि वहाँ ताजमहल के पास एक गाँव है जिसका नाम धान्धुपुरा है और वह उसके प्रति हीनता का दृश्य लेकर जाता होगा। कहता होगा मैंने एक गाँव देखा था जिसमें कोई व्यवस्था नहीं है, जिसकी हीनता है। जिसमें खेतों, खलिहानों, गलियों और मकानों में कहीं कोई नालियों की व्यवस्था नहीं है। कोई किसी तरह की सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। जब वह गांव से लौटकर जाता है तो कई बार लुट चुका है क्योंकि वहाँ सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। इसी प्रकार से मेरे क्षेत्र से लगा हुआ एक किला है। किले की अपनी एक ऐतिहासिक कहानी है। अमर सिंह राठौर की कहानी कौन नहीं जानता? इसी किले पर से अमर सिंह राठौर अपने घोड़े पर बैठकर कूदे थे। उनके घोड़े ने उन्हें सुरक्षित बचा लिया था। आज मैं इस सदन में बताना चाहूँगा कि वहाँ पर उस वीरगाथा में घोड़े का कहीं कोई पता नहीं है। पर्यटक जब घूमने आता है तो वह पूछते हैं कि वह निशान कहाँ है? मान्यवर, ऐसी स्थिति है पर्यटन विभाग की। गाइड कुछ बता पाने में असमर्थ होता है इधर उधर कोई निशान नहीं मिलता है। हर चीज का ध्यान है लेकिन इस बात का कोई ध्यान नहीं है। इसी प्रकार से दयालबाग है सैकड़ों पर्यटक वहाँ जाते हैं, वहाँ भी सुरक्षा व्यवस्था नहीं है अभी कुछ दिन हुए वहाँ पर एक नवजवान की हत्या हुई है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री उदयभान सिंह–

इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि पर्यटन का विकास सिर्फ आँकड़ों से ही दिखाया जाता है । वास्तविकता से बहुत दूर है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ ।

श्री मुक्तिनाथ यादव–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, यह पहली सरकार है जिसकी कथनी और करनी एक है । पिछली सरकार के समय में पर्यटन को बहुत नुकसान हुआ था । वर्तमान सरकार के बनने के बाद विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ी है इससे पिछली सरकार के चलते ऐसा वातावरण विषाक्त हो गया था कि जो विदेशी पर्यटक आते थे उनके मानस पटल पर ऐसी छवि बन गई थी कि वह भारतवर्ष में आना पसन्द नहीं करते थे । इनकी दुरनीतियों के चलते विदेशी मुद्रा का आना बन्द हुआ था इस सरकार को मैं बधाई देना चाहता हूँ इस सरकार ने इनकी दुरनीतियों का पर्दाफाश करके इन्हें आज उधर बैठने को मजबूर कर दिया और जनता की कृपा से हम इधर बैठ गए । मान्यवर, मैं देवरिया जिले के रुद्रपुर विधान सभा क्षेत्र से चुनकर आया हूँ, जहां पर ऐतिहासिक बौद्ध तीर्थ स्थल हैं । मान्यवर देवरिया जिले में पर्यटन की दृष्टि से, मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा स्थल देवरिया में हैं । नौ नाथों की नगरी है, महेन्द्र नाथ की पूज्य स्थली है । तमाम ऐतिहासिक स्थल हैं। देवरिया का पूर्वांचल में ही नहीं उत्तर प्रदेश में अपना ऐतिहासिक महत्व है। रुद्रपुर में नौ नाथों की नगरी है । मदनपुर में पीर साहब की मजार है । महेन में महेन्द्र नाथ है, रुद्रपुर में शंकर जी का महान मंदिर है । रुद्रपुर में जो ऐतिहासिक स्थल हैं उनको पुरातत्व विभाग की संरक्षण में लिया जाना चाहिए । आजादी के बाद से इसके लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई है । वर्तमान सरकार ने देवरिया जिले को 1 करोड़ 67 लाख रुपया पर्यटन की दृष्टि से दिया है । वहां के पर्यटन स्थलों के लिए सुख-सुविधा मिलनी चाहिए उसमें बाधा नहीं पड़नी चाहिए । मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूँगा देवरिया जिले को ज्यादा धन दिया जाए ।

मान्यवर, पर्यावरण के बारे में कहना चाहूँगा अभी पर्यावरण पर भाषण हो रहा था । प्रदूषण दो तरह का होता है, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण श्रीमन् पर्यावरण को विषाक्त करने का काम उधर बैठे लोगों ने किया है । इन लोगों ने सामाजिक प्रदूषण फैलाने का काम किया है । इन्होंने देश को ही प्रदूषित नहीं किया विदेशों को भी प्रदूषित कर दिया । इस सरकार ने प्रदूषण को नष्ट किया है। प्रदूषण को समूल नष्ट करने को सोचा है और आगे आने वाले दिनों में बाकी प्रदूषण भी समाप्त हो जाएगा ।

श्री सुरेश प्रताप सिंह–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। अपनी जिन्दगी के कुछ अनुभव की बातें प्रदूषण के बारे में, पर्यटन के बारे में बताना चाहता हूँ। यह मेरा दुर्भाग्य है या सौभाग्य कि मुझे पढ़ाई-लिखाई करने के लिए कुछ साल विदेश में रहने का मौका मिला। आप लोगों के समक्ष मैं कुछ सुझाव रख रहा हूँ। अनुदान संख्या 44-45 में कटौती का प्रस्ताव है उसमें 4 करोड़, 5 करोड़ रुपया की मांग है। इसमें तो 50 करोड़ भी थोड़ा है। ...

(समय 3 बजकर 20 मिनट)

हमें सुनियोजित ढंग से कुछ सुझाव रखने चाहिए। इसके लिए सबसे पहला सुझाव मेरा यह है कि एक इन्टर मिनिस्टीरियल क्वारडीनेशन आयोग बनाना चाहिए। जिसमें स्वास्थ्य विभाग, पर्यावरण विभाग, परिवहन विभाग, विज्ञान एवं प्राद्यौगिकी विभाग, वन विभाग, इम्प्लाईमेन्ट डिपार्टमेन्ट शामिल हों। यह एक दूसरे से ताल्लुक रखते हैं। इसके ऊपर एक कमीशन बैठाया जाए तो अच्छे सुझाव हम लोगों के सामने आ सकते हैं। जिससे प्रदेश में पर्यटन में हम बहुत तरक्की कर सकते हैं। मैं विदेश में पाँच-छः बार घूमा हूँ। लेकिन हिमालय जैसा स्थान नहीं देखा। ऐसा रमणीय स्थल कहीं नहीं हैं। हिमालय के समक्ष एलास्का, फ्रांस में माउंट ब्लैंक इटली में एल्पस तथा स्कैण्डीनेवियन देश फिनलैण्ड, डेनमार्क, स्वीडन, नार्वे आदि कुछ भी नहीं है। हमारे हिमालय क्षेत्र में गढ़वाल, पिथौरागढ़ रमणीय स्थान हैं। यहाँ पर पर्यटन में काफी काम किया जा सकता है। 50 करोड़ रुपये देकर हम पर्यटन द्वारा 50 हजार करोड़ कमा सकते हैं। इसके लिए स्कूलों में डाकूमेंट्री फिल्में बनाई जाएं। जिससे छात्रों को व अन्य जनमानस को इसकी जानकारी हो सके और इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। जो विदेशी पर्यटक आते हैं उनको हर तरह की सुविधाएं देनी चाहिए। वनस्पतियों, प्राणियों की जानकारी जनमानस को उपलब्ध करानी चाहिए। सांस्कृतिक केन्द्रों को भी जानकारी देनी चाहिए। शौचालय की व्यवस्था सही होनी चाहिए। जिससे गन्दगी न रह सके।

मुरादाबाद जिले में गजरौला की वैम अर्गेनिक मिल का गन्दा पानी नदी में गिरता है जिससे पानी में गन्दगी फैलती है। इसके लिए प्रदूषण नियंत्रक प्लांट लगाए जाएं जिससे पानी में गंदगी न जा सके। इस पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। कोसी नदी में बाजपुर शुगर मिल का पानी मिलता है। जिससे नदी में गन्दगी फैलती है। पहले मेहमान पक्षी हमारे यहां विदेश से आया करते थे, लेकिन प्रदूषण की वजह से अब वह यहाँ पर नहीं आते जिस कारण इकोलोजिकल सन्तुलन बिगड़ जाता है। मुरादाबाद शहर के नालों के राम गंगा नदी में गिरने से पानी के बहाव से कई गांव कट गए हैं। सैफपुर पल्ला, सिकन्दरपुर पट्टी, हृदयपुर आदि गांव बह गए हैं। कोसी नदी में हिरण खेड़ा जैतपुर, विसाठ, गढ़ई खेड़ा गांव भी कट रहे हैं। ललाटीकर न्याय पंचायत में दोनों नदियाँ आकर मिलती हैं, वह बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। अभी हाल ही

में सितम्बर 1993 में वहाँ पर बाढ़ आई थी, जिसकी वजह से 25 गांवों में बाढ़ की वजह से जनजीवन अस्तव्यस्त हो गया ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप बैठ जाएं आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री सुरेश प्रताप सिंह–

इन शब्दों के साथ मैं डा० सरजीत सिंह डंग द्वारा रखे गए कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ ।

श्री विश्राम सिंह यादव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया । मैं सबसे पहले अपनी सरकार के मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि आपने पर्यटन का इतना अच्छा बजट प्रस्तुत किया । आप सभी जानते हैं कि पिछली सरकार के जमाने में आतंकवादी शक्तियों और साम्प्रदायिक शक्तियों के कारण हमारा पर्यटन उद्योग बरबाद हो गया था अब इस सरकार के आने के बाद वह सुरक्षित हो गया है । इसी के साथ मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि छोटे-छोटे जिलों में ऐसे स्थान हैं जहाँ पर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है । वहाँ पर ऐतिहासिक महत्व के अनेक स्थान हैं । मैं हरदोई की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ । हरदोई जिले में बहुत ही ऐतिहासिक महत्व के स्थान हैं । पर्यटन के दृष्टिकोण से भी ऐसे स्थान हैं जिनका विकास किया जाए तो हरदोई जनपद से पर्यटन में सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा और देश-विदेश के लोग आकर्षित होकर आएंगे ।

इस संबंध में कहना चाहता हूँ कि हरदोई को जैसा कि आप सभी जानते हैं प्रह्लाद पुरी कहा जाता है, वहां पर प्रह्लाद घाट बना हुआ है । लेकिन उसका विकास नहीं किया गया है । मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करूँगा कि हरदोई नगर जिसको प्रह्लाद पुरी कहा जाता है, जहां पर प्रह्लाद भगवान का स्थान है उसका विकास किया जाय । इसी तरीके से वहां पर शंकर भगवान का मंदिर है जहां पर बाहर से हजारों लोग दर्शन करने आते हैं, वहां का विकास किया जाना चाहिये । मंदिर को जाने का रास्ता बहुत खराब है जिससे आने-जाने में परेशानी होती है ।

मैं निवेदन करूंगा कि मंदिर को सड़क से जोड़ा जाय । साथ ही साथ में यह कहना चाहता हूँ कि वहां पर हत्याहरण नाम का महत्वपूर्ण स्थान है उस स्थान का विकास किया जाय । इसी तरह से नीमसार मिश्रिख जो बहुत महत्वपूर्ण स्थान है जहां पर देश और विदेश से यात्री आते हैं,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसकी परिक्रमा 84 कोस में है और यह परिक्रमा सीतापुर तथा हरदोई दोनों जिलों में पड़ती है। इस परिक्रमा के रास्ते का विकास किया जाना चाहिये और 84 कोस का रास्ता पक्का किया जाना चाहिये तथा किनारे-किनारे छायादार पेड़ लगाये जाने चाहिये। एक बात की ओर मैं और कहना चाहता हूँ कि पर्यटन में नदियों का बहुत योगदान रहा है। नदियों को पर्यटन के साथ में जोड़कर, नदियों के किनारे घाट बनाकर विकास किया जाय तो पर्यटन को लाभ पहुँचेगा। हरदोई में 5-6 नदियां हैं जिनको पर्यटन के दायरे में लेना चाहिये। वहां पर गंगा नदी है, रामगंगा है, गर्रा आदि जो नदियां हैं उनको पर्यटन के क्षेत्र में लिया जाय तो मैं समझता हूँ कि बहुत से लोगों का आकर्षण बढ़ेगा और बहुत से लोग आयेंगे और सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा।

इसके साथ-साथ मैं कहना चाहता हूँ कि हरदोई जिले में सांडी में एक झील है वहां सरकार की तरफ से एक होटल का निर्माण हो रहा है। इसी तरह से जो लहरझील है उसको विकसित किया जाय। वहां पर कमल के फूल और कमल के फल प्राप्त होते हैं। वहां पर पर्यटन का विकास किया जाय। इसके लिये जिले से भी प्रस्ताव आया होगा। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करता हूँ और अच्छा बजट पेश करने के लिये बहुत-बहुत बधाई देता हूँ।

(डा० सरजीत सिंह डंग का नाम पुकारे जाने पर।)

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, मुझे समय दे दें।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, पहले मंत्री जी उत्तर देंगे या मैं बोलूँ।

श्री अधिष्ठाता–

पहले आप बोलें।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मैंने गंभीरता पूर्वक पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों के विचार सुनें। मैं 2-4 सुझाव देना चाहता हूँ। एक तो पर्यटन की दृष्टि से हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में फूलों की घाटी बहुत प्रसिद्ध है। पिछले कुछ दिनों से पर्यावरण के नाम पर ग्रेजिंग बंद करा दी गयी है। पर्यावरण वैज्ञानिकों से मैंने स्वयं चर्चा की है। ग्रेजिंग बंद होने के कारण घास उग आती है जिससे फूल ऊपर नहीं आ पाते हैं। मैं चाहूँगा इस सुझाव पर मंत्री जी विचार करें कि वहां पर ग्रेजिंग पुनः शुरू करायी जाय जिससे फूल ऊपर आ सकें और पर्यटकों को आकर्षित कर सकें। माननीय अखिलेश सिंह जी ने कहा कि मुझे बौद्ध परिपथ के विकास को सुनकर डंक लग गया, मैं समझता हूँ कि शायद शब्दों के मायाजाल में उन्होंने फंसाने की चेष्टा की है। इस प्रदेश में

महापुरुषों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला है । भगवान बुद्ध के वचनों को संसद में भी दोहराया जाता है, बहुत बड़ा वर्ग उनका सम्मान करता है । मैंने कहा था और पुनः दोहराता हूँ कि केवल इतने से काम चलने वाला नहीं है अन्य जो पर्यटन स्थल हैं उन पर भी विचार करना चाहिये । बौद्ध परिपथ के विकास के लिए अधिकांश धन जापान सरकार के सहयोग से आ रहा है और यह सरकार फूली नहीं समा रही है कि उसने बौद्ध तीर्थ स्थलों का विकास कर दिया है ।

सच्चाई यही है कि बहुत छोटा अंश उत्तर प्रदेश की सरकार दे रही है । पिछली सरकार ने भी इसमें काम किया था और हमारी पूरी रुचि इसमें है । बर्मा, कोरिया, इन्डोनेशिया, जापान, मलेशिया, श्री लंका, चीन इत्यादि देशों में स्थित भारतीय दूतावास के माध्यम से भरपूर प्रचार-प्रसार करने की आवश्यकता है, जैसे भगवान बुद्ध के ननिहाल, जन्म स्थान, तपस्या स्थली, निर्वाण स्थल तथा अन्य उनके जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ने के लिए वर्तमान बौद्ध परिपथ योजना पर्याप्त नहीं है । जापान सरकार के सहयोग से इन सभी स्थानों को जोड़ने वाली योजना का निर्माण वांछित है । मान्यवर, माननीय ज्ञानी जी मेरे बड़े भाई हैं और ज्ञानी हैं, किन्तु मैं महत्व की बात प्रभाव की दृष्टि से अन्त में कहना चाहता था । सिक्खों के दशम् गुरू श्री गुरुगोविन्द जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उन्होंने पूर्व जन्म में हेमकुण्ड नामक स्थान पर घोर तपस्या की थी । इस स्थल पर लाखों की संख्या में गुरूभक्त यात्री प्रति वर्ष आते हैं । वहां जाने के लिए दो ही प्रकार के साधन हैं, हेलीकाप्टर द्वारा अथवा सड़क द्वारा । हेलीकाप्टर की कोई व्यवस्था अभी तक नहीं है और सड़क मार्ग की स्थिति यह है कि लगभग 20-22 किलोमीटर तक तीर्थ यात्रियों को कष्ट साध्य यात्रा पैदल करनी पड़ती है । भाजपा सरकार ने केन्द्र सरकार से वार्ता के दौरान नीतिगत रूप से सहमति प्राप्त की थी । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि केन्द्र के वन एवं पर्यावरण विभाग से वार्ता करके जहां तक सम्भव हो मोटर वाहनों के योग्य सड़क हेमकुंड के निकट पहुंचाने का उपक्रम करें । इससे जहां तीर्थ यात्रियों की संख्या में वृद्धि होगी, वहीं सिक्खों को भी लगेगा कि उत्तर प्रदेश सरकार उनके तीर्थस्थलों के प्रति, उनकी आस्थाओं के प्रति सजग है एवं उन्हें महत्व देती है । मान्यवर, आज सत्ता पक्ष में बैठे लोगों की आंखों पर साम्प्रदायिकता का चश्मा चढ़ गया है, जब कि उनकी सरकार साम्प्रदायिकता और जातिवाद के आधार पर चुनकर आई है । एक माननीय विधायक श्री वर्मा तो उत्साह में आकर कह गये कि पिछली सरकार की साम्प्रदायिकता के कारण नये विदेशी पर्यटक आने को कौन कहे जो विदेशी पर्यटक थे, उन्हें भी देश से जाने के लिए कह दिया गया था और मान्यवर, वर्तमान सरकार के ही आंकड़े में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि उ० प्र० के मैदानी क्षेत्र में 1990 में देशी पर्यटक 236.40 लाख एवं विदेशी 3.60 लाख थे । 1991 में यह संख्या क्रमशः 341.85 लाख एवं 4.53 लाख थी और 1992 में मान्यवर, देशी पर्यटक 370.36 लाख तथा विदेशी पर्यटक 5.04 लाख थे । मुझे लगता है कि साम्प्रदायिक कहना उन लोगों के लिए फैशन बन गया है, जो स्वयं जाति और साम्प्रदायिकता की राजनीति करने में विश्वास रखते हैं । मैं एक राय देना चाहता हूँ कि लखनऊ को भी पर्यटक आकर्षक केन्द्र बनाने के लिए प्रचार-प्रसार द्वारा विदेशियों

को यह बताया जाय कि यह वह प्रदेश है जहां का मुख्यमंत्री गांधीवादी, लोहियावादी, अम्बेदकरवादी, मण्डलवादी, साम्प्रदायिकतावादी, जातिवादी सभी शक्तियाँ, शक्तियों से ज्यादा एक दूसरे की आलोचना करते हैं, यहां तक कि गाली भी देते हैं, को मिलाकर सरकार चला रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी को देखने दूर-दूर से पर्यटक लोग आयेंगे, देश-प्रदेश की आमदनी बढ़ेगी और मुख्यमंत्री जी की प्रसिद्धि भी बढ़ेगी।

मैं एक और निवेदन करना चाहता हूँ कि खजुराहो, कालिंजर, भरतपुर, चित्रकूट, सजापुर जो संत तुलसीदास की जन्म स्थली है पर लक्जरी बस चलाई जाय। अगर उचित समझें तो इनको गम्भीरता से लें, यहां पर आने वाले पर्यटकों के लिये कोई सुविधायें नहीं हैं। इन स्थानों को जोड़ने वाली अच्छी सड़कें नहीं हैं और इन मार्गों पर जो बसें चलती हैं उनकी दशा ठीक नहीं रहती है। अगर इन चीजों को सुधार दिया जाये तो यहां पर पर्यटकों की संख्या काफी बढ़ सकती हैं।

मान्यवर, बुन्देलखण्ड में झांसी का किला है। सब लोग झांसी की रानी को आदर से देखते हैं, लेकिन जो झांसी का किला है, वह गिरता चला जा रहा है, जो छत्रसाल का दुर्ग है वह गिरता चला जा रहा है। मान्यवर, हमारी ऐतिहासिक धरोहर नष्ट हो रही है, सरकार का उस पर कोई ध्यान ही नहीं है कि इनको बचाया जाये। इन स्थानों की ओर पर्यटन विभाग की दृष्टि जानी चाहिये।

मान्यवर, हस्तिनापुर कौरवों और पांडवों की राजधानी रही है, वहां पर पर्यटन के लिये कोई सुविधा नहीं है, इसलिये सरकार को उसकी ओर भी ध्यान देना चाहिये।

मान्यवर, एक बात कहकर मैं समाप्त करता हूं–

मूढ़न को कुर्सी मिली, अंधन को श्रृंगार।

लंगड़न को सौंपी गयी, पायल की झंकार।

और खा-खाकर साख पत्तों को, कुछ हाथी कुछ ऊंट हो गये।

यही वजह है कि इस उपवन के सारे तरुवर ठूंठ हो गये।

इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

वनमंत्री (श्री भगवती सिंह)–

मान्यवर, डंग साहब ने और इस सदन के अन्य अनेक माननीय सदस्यों ने पर्यटन और पर्यावरण के सम्बन्ध में अपने-अपने बहुमूल्य सुझाव दिये हैं, उनका मैं आदर करता हूँ। मान्यवर, मुझे प्रसन्नता है कि पर्यावरण और पर्यटन के सम्बन्ध में वह चिंतित हैं और इस दिशा में वह प्रयत्नशील हैं और सजग हैं, लेकिन यह कहना सही नहीं है कि सरकार पर्यटन की दिशा में कोई

काम नहीं कर रही है । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि सरकार उनके विकास के लिये सावधानी से और लगाव के साथ कार्य कर रही है । मान्यवर जो सोता है, उसको जगाना तो आसान है लेकिन जो जागता है, उसको जगाना बहुत ही कठिन है । डंग साहब इस सरकार की उपलब्धियों को स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हैं, यह मेरी मजबूरी है, लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूँ कि जहां तक पर्यटकों का सवाल है, वह हमारी धरोहर हैं उनके लिये सुविधायें और मिलें, इस दिशा में हम आगे बढ़े हैं ।

वर्ष 90 में 440.48, वर्ष 91 में 465.48 और वर्ष 92 में 495.01. देशी-विदेशी पर्यटक हमारे उत्तर प्रदेश के पर्यटन स्थलों का भ्रमण किये हैं और इनसे जो होटलों को जो आमदनी हुई है वह मान्यवर, इससे मालूम हो रहा है कि वह 3.35 लाख रुपये वर्ष 90-91 में, वर्ष 91-92 में 3.54 लाख रुपये और 92-93 में 4.04 लाख रुपये की धनराशि इससे प्राप्त हुई है । मान्यवर, जहाँ तक डंग साहब ने बताया कि जो पर्यटक आते हैं उनको मार्गीय सुविधा, टूरिस्ट काम्पलेक्स आदि का अभाव है उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, मैं बताना चाहता हूँ कि मार्गीय सुविधा के लिए बस्ती, बुलन्दशहर, खागा (फतेहपुर), चुनार (मिर्जापुर), बेबर (मैनपुरी), भोपियामऊ, प्रतापगढ़, पिपरहवा (सिद्धार्थनगर), शिकोहाबाद (फिरोजाबाद), भतृहरि (अलीगढ़), कालिंजर (बांदा), जसवंतनगर (इटावा), सिकन्दरा क्रासिंग (कानपुर देहात), सुल्तानपुर, गोपीगंज (वाराणसी), ललितपुर, सरधना (मेरठ), कान्दला (मुजफ्फरनगर) है । मान्यवर, मार्गीय सुविधाएं हैं उनको बढ़ाया जा रहा है इसी तरह से टूरिस्ट काटेज, बिठूर, कानपुर पर्यटन काम्पलेक्स, देवरिया, पर्यटक आवास गृह, मथुरा, यात्री निवास, इलाहाबाद, पर्यटन काम्पलेक्स, सुरहाताल (बलिया), यात्री निवास माल्देपुर, बलिया, यात्री निवास (चित्रकूट), बांदा, यात्री निवास,, अयोध्या, फैजाबाद, के०सी० घाट (मथुरा), काबिन्दा (मथुरा), पिलग्रिम शेड, हरिद्वार हैं । प्रदेश के 30 स्थानों पर पर्यटकों को मार्गीय सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्राविधान है ।

मान्यवर, इसी प्रकार से प्रदेश के इन स्थलों पर टेन्ट कालोनी, वृन्दावन, मथुरा में मार्गीय सुविधायें और टूरिस्ट कांम्पलेक्स सुविधाएं प्रदान की जा रहीं हैं इससे पूरे विश्व से पर्यटन के क्षेत्र में हम उत्तरोत्तर विकास की ओर जायेंगे । जहां तक मान्यवर, माननीय डंग साहब ने मिर्जापुर के बारे में बताया तो मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि मिर्जापुर में अष्टभुजा से कालीखोह के मार्ग का विद्युतीकरण जिस पर 6 लाख रुपये वर्ष 93-94 में स्वीकृत हुए हैं और उसे विकसित किया जा रहा है । मान्यवर, पर्यटन को महत्व देने के लिए उसे 4 क्षेत्रों में चिन्हित किया गया है । मैंने निवेदन किया था कि बौद्ध परिपथ/बुन्देलखण्ड, आगरा एवं उसके आसपास के क्षेत्र उत्तराखण्ड विशेषरूप से पिथौरागढ़ इन स्थानों को चिन्हित कर पूरे प्रदेश के जो पर्यटन स्थल हैं उनका प्रचार प्रसार और उनको प्रकाश में लाने के लिए प्रयास पर्यटन विभाग की ओर से किया

गया है । मान्यवर, मैंने यह निवेदन किया कि प्रचार और प्रसार के लिए मेला प्रदर्शनी आदि का आयोजन हुआ है । इन मेला प्रदर्शनियों में जैसा डंग साहब ने कहा कि हस्तकला को महत्व दिया जाना चाहिए । जो मेला प्रदर्शनी और जैसे ताज महोत्सव ।

इन सारे स्थानों पर इस तरह के कलाकारों, शिल्पकारों को महत्व दिया जाता है और उनको पूरा मौका मिलता है । मैं डंग साहब को बताना चाहूँगा, उन्होंने जिज्ञासा व्यक्त की थी....

श्री अधिष्ठाता–

'माननीय मंत्री जी, पूरे सदन को बता दीजिये, केवल डंग साहब को न बताइये।

श्री भगवती सिंह–

मान्यवर, विधान भवन को बाहर से आलोकित कराया गया है अंदर से नहीं। माननीय सदस्यों की जानकारी में यह भी लाना चाहूँगा कि जहाँ तक साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने की बात है, उसके लिये पिथौरागढ़, औली आदि स्थानों पर विचार-गोष्ठियां आयोजित करके इन कामों को किया गया है। मैं बहुत गंभीरता के साथ माननीय सदस्यों से विवेदन करना चाहूँगा...

श्री सुधीर कुमार वालियान–

मान्यवर, छोटी सी बात है कि रेलवे स्टेशन, आगरा पर जो स्वागत केन्द्र बना है और कौसानी में जो पर्यटक कार्यालय है वहां दूरभाष की सुविधा उपलब्ध नहीं है, यह सुविधायें अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं, इसलिये इनका समावेश करा दें।

श्री भगवती सिंह–

मान्यवर, हमारे कार्यों में हमारी योजना में खामियां होंगी, मैं उन्हें स्वीकार करता हूँ, लेकिन उन खामियों को, दिक्कतों को, जो पर्यटकों को हो रहीं हैं या पर्यटन को विकसित करने में जिन चीजों की आवश्यकता है, उन पर सरकार का पूरा ध्यान और सरकार उन पर पूरा ध्यान देगी और उन पर विचार करेगी। मान्यवर, मैं बहुत संक्षेप में इतना कहना चाहूँगा कि सरकार यह समझ रही है कि पर्यटन एक महत्वपूर्ण उद्योग के रूप में है, जिसको विकसित करने से हमारे प्रदेश को अपार विदेशी मुद्रा तथा तमाम लोगों को रोजगार मिल सकता है, इसी दृष्टि से इसे देखा जा रहा है। जहाँ तक पर्यावरण की बात है, उस संबंध में भी आपसे कहना चाहूँगा कि पर्यावरण एक ऐसी समस्या हमारे सामने हैं, जिस पर हमारा प्रदेश ही नहीं, पूरा देश चिन्तित है ।

श्री बदन सिंह–

पर्यावरण क्या होता है, मंत्री जी यह समझा दें ?

श्री भगवती सिंह–

मान्यवर, मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य पर्यावरण को अच्छी तरह से जानते हैं। पर्यावरण के संबंध में पूरे विश्व में जो स्थित है, उस पर पूरा विश्व चिन्तित है और हमारा देश, हमारा प्रदेश भी उस पर चिन्तित है। मान्यवर, पर्यावरण को सुधारना केवल एक सरकार, एक विभाग या एक अधिकारी के बस का नहीं, वरन् इस देश के बच्चे-बच्चे का दायित्व है कि पर्यावरण को सुधारने में उससे जो कुछ भी हो सकता है उसे करना चाहिए। मान्यवर, पर्यावरण की स्थिति इस समय अत्यन्त दयनीय है क्योंकि आबादी बढ़ती जा रही है और जो विकास हो रहा है, उसके साथ जो प्रकृति का तालमेल होना चाहिये, उस तालमेल का अभाव है। जिसकी वजह से पर्यावरण एक गम्भीर स्थिति में है और सभी तरह का पर्यावरण, हमारे देश में और प्रदेश में घातक स्थिति में है लेकिन मान्यवर, उस पर सरकार पूरी तौर से सजग है और पर्यावरण न बिगड़ने देने के लिये पूरी तरह से प्रयत्नशील है। मान्यवर, वर्ष 1993-94 में पर्यावरण को सुधारने और उस पर काबू पाने के लिए मैदानी क्षेत्र के लिए रु० 230.46 लाख तथा उत्तरांचल क्षेत्र के लिए रु० 35.36 लाख का प्राविधान था और वर्ष 1994-95 में मैदानी क्षेत्र के लिए रु० 150.01 लाख तथा उत्तराचंल क्षेत्र के लिए रु० 14.89 लाख प्राविधान है। मान्यवर, पर्यावरण शोध एवं क्रियान्वयन कार्यक्रम के अन्तर्गत मैदानी क्षेत्र में शारदा सहायक कमाण्ड क्षेत्र में पर्यावरणीय अपघटन का अध्ययन, प्रदेश के पर्यावरण संरक्षण की रणनीति तैयार कराया जाना, मोटर वाहनों से उत्पन्न धुएं के प्रदूषण का मानव नेत्र एवं फेफड़ों पर पड़ने वाले कुप्रभावों का अध्ययन,चलित प्रयोगशाला का निर्माण, पर्यावरण परिसर का निर्माण, वाराणसी, आगरा एवं कानपुर नगरों में सुलभ शौचालयों का निर्माण, विश्व बैंक द्वारा पोषित औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण योजना हेतु बोर्ड को अनुदान आदि योजनाएं चलायी जा रही हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश के 8 जनपदों आगरा, इलाहाबाद, कानपुर, सुल्तानपुर, सोनभद्र , देहरादून, चमोली तथा नैनीताल में पर्यावरण वाहिनी का गठन कर पर्यावरण सुरक्षा हेतु कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। मान्यवर, पर्यावरणीय शिक्षा, प्रशिक्षण व जनजागरूकता की आज आवश्यकता है जब तक यह नहीं होगी तब तक पर्यावरण में सुधार नहीं हो सकता है और जो चेतना जाग्रत करने का काम है उसको कर पाना मुश्किल होगा। मान्यवर, पर्यावरणीय जनचेतना हेतु देहरादून में विश्व पर्यावरण दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया वर्ष 1994-95 में राज्य एवं जिला सेक्टर के अन्तर्गत पर्यावरण जागरूकता पैदा करने का काम किया जायेगा और चलित प्रयोगशाला का निर्माण पूरा कराया जायेगा और जो योजनायें चल रही थीं उनको भी पूरा किया जायेगा। पिछले वित्तीय वर्ष 1993-94 में पर्वतीय क्षेत्र में पर्यावरण दायित्व की पूर्ति हेतु श्रीनगर में क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना की गयी थी। इसी तरह से इस वित्तीय वर्ष में भी जन चेतना हेतु देहरादून में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जायेगा। परिस्थितिकीय विकास के कार्यों में जनसहभागिता बढ़ाने हेतु कुमायुं गढ़वाल मंडलों में शिविरों की योजना है। वनों पर दबाव कम करने के लिए कृषि वानिकी को प्रोत्साहित किया जायेगा। उत्तर प्रदेश में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी इस दिशा में अहम भूमिका

निभा रहा है। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम, 1974, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण उपकर अधिनियम, 1977, वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम, 1981 तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत निर्धारित कृत्यों का निष्पादन किया जा रहा है।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त कीजिये।

श्री भगवती सिंह–

मान्यवर, अंत में मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि यह सरकार पर्यावरण को सुधारने में पूरी तरह से सजग है और माननीय सदस्य से यह चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि उनकी जिज्ञासा स्वाभाविक है, उनके जो बहुमूल्य सुझाव हैं मैं उनका आदर करता हूँ। मुझे आशा है कि माननीय डंग साहब ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसको वापस लेंगे और इस बजट को पास करने की कृपा करेंगे।

श्री अधिष्ठाता–

क्या आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं?

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में भ्रष्टाचार व्याप्त है।.....

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप इतना बता दें कि वापस ले रहे हैं या नहीं।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मैं कैसे वापस ले लूं, इस बारे में यह सरकार कोई संकल्प भी नहीं ले रही है। यह विभाग भ्रष्टाचार में लिप्त है।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

(व्यवधान के मध्य)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 44 पर्यटन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, आप तो सदस्यों को संरक्षण देते हैं। आपने तो मेरी बात को सुना ही नहीं। हो सकता है मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापस लेने पर विचार करता।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-44 पर्यटन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 22,65,36,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, आपने तो मेरी बात सुनी ही नहीं और पर्यटन विभाग का बजट पास करा दिया। इस समय तो अध्यक्ष जी की भूमिका निभा रहे हैं, कुछ सुन ही नहीं रहे हैं।.....

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलते रहने पर व्यवधान)

(व्यवधान के मध्य)

श्री अधिस्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–45 पर्यावरण विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दिया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिस्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 45 पर्यावरण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 1,39,51,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण चाहता हूँ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय चन्देल जी जब बहस हो रही थी उस समय आप अनुपस्थित थे। आपको उस समय माननीय मंत्री जी से स्पष्टीकरण पूछना चाहिए था।

वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों का मतदान

अनुदान-सं० 60-वन विभाग

वन मंत्री (श्री भगवती सिंह)–

मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-60 वन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 65,37,14,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता–

श्री शुक्ल जी कौन सी ऐसी बात हो गयी है जो व्यवस्था की बात आप उठा रहे हैं।

माननीय वन मंत्री आप कुछ कहना चाहेंगे।

(माननीय वन मंत्री के खड़े होने पर)

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी आप बैठ जायें। श्री शुक्ल जी अपनी बात कहें।

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न यह है कि माननीय डंग जी जब खड़े हुये और आपसे यह कहना चाह रहे थे कि वह कटौती का प्रस्ताव वापस लें या न लें। वह अपनी बात कह भी नहीं पाये कि आपने मतदान करा दिया।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल–

मान्यवर, मैं मंत्री जी से स्पष्टीकरण चाहता था।

श्री अधिष्ठाता–

आप वन विभाग की चर्चा में बोल लीजियेगा।

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

अधिष्ठाता महोदय, ये पर्यावरण क्या ठीक करायेंगे? आज पर्यावरण विभाग से जो भोजन आया था वह सड़ा था, वह वापस भेज दिया गया।

(व्यवधान)

श्री भगवती सिंह–

मान्यवर, वन विभाग के संबंध में आपके माध्यम से जानकारी देना चाहता हूँ। आज वन बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति में है। वनों से ही हमें और जनता को अनेक प्रकार की सुविधायें मुहैया होती हैं। माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि वन और पर्यावरण दोनों का एक दूसरे से अटूट संबंध है। बहुत कुछ पर्यावरण को नियंत्रित करने, पर्यावरण को सुधारने का काम वन करते हैं। इसलिये वनों की उपयोगिता है और वनों का विशेष महत्व है। मान्यवर, जिस तरह से आज जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, मवेशियों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, जिस तरह से विकास और प्रकृति का संतुलन बिगड़ा है, वनों पर कुप्रभाव पड़ रहा है। मान्यवर, जिस तरह से जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है उसी तरह से और उसके अनुरूप आज वनों की स्थिति गम्भीर होती जा रही है। वह संतोषजनक नहीं है। मान्यवर, पर्यावरण को सुधारने के लिये हमारे वनाच्छादित क्षेत्र एक तिहाई होना चाहिए और मान्यवर, इस समय स्थिति यह है कि केवल छठा भाग यानी 17.5 फीसदी भूमि में हमारे प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के अनुसार हमारे वन हैं और यह एक गंभीर बात है, इसी कारण से मान्यवर मौसम भी बिगड़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, बाढ़ और सूखा की स्थिति आ रही है। सबसे बड़ा संकट तो धरती के नीचे का पानी घटता चला जा रहा है। जल स्तर में इतनी ज्यादा गिरावट आ गयी है कि आज देश और प्रदेश पानी के संकट से जूझ रहा है। इसीलिये यह आवश्यक हो गया है कि अब बड़े स्तर पर वृक्षारोपण का काम किया जाय और मान्यवर, आप देख रहे होंगे कि आज मैदानी क्षेत्रों में, सड़कों के किनारे, रेलवे लाइनों के किनारे और नहरों के किनारे वृक्षारोपण का काम हो रहा है। किसानों को वृक्षारोपण के लिये पौध दी जा रही है इससे किसानों की सहभागिता वनों के साथ रहेगी और वन बढ़ेंगे। मान्यवर, यह प्रसन्नता की बात है कि इन प्रयासों से करीब दो प्रतिशत वनों में वृद्धि हुई है। मान्यवर, वन विभाग का मुख्य कार्यक्रम है वनों का संबर्धन और संरक्षण इस संबंध में जैसा कि निवेदन किया कि यह किसी एक विभाग, किसी एक व्यक्ति, किसी एक मंत्री या अधिकारी का दायित्व नहीं है। वल्कि वनों के संरक्षण और संबर्द्धन के लिये आज इस देश और प्रदेश के सभी लोगों का

दायित्व हो गया है। इसलिये इसमें सहभागिता बढ़ाने का प्रयास वन विभाग की ओर किया जा रहा है और प्रयास है मान्यवर, जन आन्दोलन के रूप में खड़ा करने का। मान्यवर, वनों के ऊपर भार न पड़े, ऐसा प्रयास किया जा रहा है, सामाजिक वानिकी योजना चलाकर, जिससे ग्रामीण जनता को ईंधन, इमारती लकड़ी, चारा और तेलीय बीज आदि मिल सकें। वनों पर दबाव कम हो, प्रदूषण को रोका जा सके, सामाजिक वानिकी का कार्य चल रहा है। मान्यवर, 1993-94 में इस सामाजिक वानिकी पर 35.68 करोड़ रुपये का प्राविधान था। इस वर्ष मान्यवर, 22.63 करोड़ रुपये का प्राविधान है। इस योजना को और बढ़ाने के लिए मान्यवर, इस वर्ष जवाहर योजना के अन्तर्गत 15.00 करोड़ रुपये वृक्षारोपण पर खर्च करने का प्राविधान है। यह प्रयास है कि सड़क, नहर, रेल की पटरी के किनारे सामुदायिक भूमि और ग्राम समाज की भूमि पर वृक्षारोपण करके जिसका स्वामित्व तीन साल बाद ग्राम सभा को दे दिया जायगा ताकि उसका इस्तेमाल गाँव के ही लोग कर सकें। यह प्रयास मान्यवर, वन विभाग की ओर से हो रहा है।

(इस समय 4 बजकर 4 मिनट पर अधिष्ठाता श्री अखिलेश पीठासीन हुए।)

वन विभाग जहाँ वृक्षों को संरक्षित व संवर्द्धित करने का काम कर रहा है वहीं पर भूमि को भी संरक्षित करने का काम कर रहा है ताकि भूमि कटाव से जो कुप्रभाव हमारे सामने आ रहे हैं, उसे रोका जा सके और समय-समय पर जो बाढ़ की विभीषिका हमको झेलनी पड़ती है, उसका सामना किया जा सके। पर्वतीय क्षेत्र में जलगम प्रबन्ध के द्वारा पानी की सुविधा व सिंचाई की सुविधा के कार्य भी वन विभाग द्वारा चलाये जा रहे हैं। शहरों में अत्यधिक प्रदूषण व यहां के कोलाहल से लोग ऊब चुके हैं, इसलिए वातावरण को प्रदूषित होने से रोकने के लिए वन मनोरंजन केन्द्र बनाये गये हैं। इनकी स्थापना भी हो रही है। अधिकांश शहरों में ये स्थापित किये जा चुके हैं और इस वर्ष भी किये जायेंगे। विश्व खाद्य कार्यक्रम के अन्तर्गत 8 पर्वतीय जिलों व 16 मैदानी जिलों को लिया गया है। इसमें मजदूरों को 8 रुपये, रियायती दर पर दो किलो गेहूँ, 200 ग्राम तेल व 200 ग्राम दाल प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाता है।....

श्री रणजीत सिंह जूदेव–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी पढ़ रहें हैं। इनको तो वैसे ही बोलना चाहिये था। आप इस पर व्यवस्था दें।

श्री भगवती सिंह–

1993-94 में 10,500 मीट्रिक टन गेहूँ, 1050 टन दाल व 1050 टन तेल वितरित किया गया था। इस वर्ष 11000 मीट्रिक टन गेहूँ, 1100 टन दाल व 1100 टन तेल वितरित किये जाने का प्राविधान है। इसी तरह से 45 सामुदायिक विकास केन्द्र, 96 श्रमिक आवास व 64 विद्यालय भवन बनाये जाने का प्राविधान रखा गया है। जलागम योजना के तहत पर्वतीय क्षेत्र में 17 योजनायें चलाई जा रही है। श्रमिक आश्रितों, व्यवसायिक प्रशिक्षण देना, पेयजल की योजना और इस वर्ष 50 हजार वानिकी श्रमिकों को दुर्घटना बीमा का लक्ष्य रखा गया है। इसी तरह से

विश्व खाद्य योजना के अन्तर्गत कई कार्यक्रम और भी चलाये जा रहे हैं। नगरों में प्रदूषण की सबसे बड़ी समस्या है, इसलिये वन विभाग द्वारा नगर वन योजना का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ताकि प्रदूषण को रोका जा सके और पर्यावरण को संतुलित रखा जा सके। मान्यवर, एक लाख से अधिक आबादी के जो शहर हैं उनमें नगर वन की स्थापना हो चुकी है और इसको और आगे बढ़ाने की योजना है। वन कैसे ज्यादा से ज्यादा फैलें कैसे ज्यादा से ज्यादा वनों के साथ लोग जुड़े उसके लिये भी प्रयास वन विभाग के लोग कर रहे हैं। अगर आम सहभागिता वन विभाग के साथ नहीं होगी तो हम अपने लक्ष्यों की पूर्ति नहीं कर सकते हैं। यह सोच कर कि मनुष्य वनों के साथ जुड़े उनकी भावना वनों के साथ जुड़े जिससे इस दिशा में ज्यादा सफलता मिलेगी। इसलिये स्मृति वनों की स्थापना की गयी है। अभी तक 272 स्मृति वन स्थापित किये जा चुके हैं। जिसमें यह व्यवस्था है कि जो स्मृतिवन में वृक्षारोपण करता है उस पर्वतीय क्षेत्र में 50 रु० जमा करना पड़ता है और मैदानी क्षेत्र में 100 रु० जमा करना पड़ता है और उससे वन विभाग की ओर से उसके रख-रखाव और संरक्षण संवर्धन के लिये काम किया जाता है।

जनसहयोग कैसे ज्यादा वनों के साथ जुड़े इसके लिये विकेन्द्रित प्रयोगशाला चलाई है जिनमें आम लोग पौधशाला स्थापित करके आमदनी कर सकते हैं। पौधशालाओं की जगह-जगह स्थापना हो और लोग वृक्षारोपण में रूचि लें इसके लिये अब तक 2167 किसान पौधशाला की स्थापना की जा चुकी है।

मान्यवर, वानिकी योजना से ग्रामीणों को सुविधा देने के लिये उनको लकड़ी, जलौनी लकड़ी आदि की सुविधा मिल सके इसके लिये वन विभाग प्रयास कर रहा है। हमारा प्रयास है कि ग्रामीण वन समितियां बना कर हम गांव के लोगों को वनों के साथ जोड़े इसके लिये अभी तक 18, 184 वन समितियां गठित की जा चुकी हैं।

वन संबंधी शोध कार्य भी हो रहा है ताकि वनों का विकास हो हमारे वन ठीक तरह से फलफूल सकें। इसके लिये वन विभाग की ओर से 1918 में एक अनुसंधान प्रकोष्ठ की स्थापना कानपुर में की गयी जिसे अब अनुसंधान संस्थान का स्थान दे दिया गया है। जिसमें परिस्थिति की अनुवांशिकी और वन विशेषज्ञ नियुक्त हैं जो इस दिशा में विशेष खोजबीन कर रहे हैं। अधिक से अधिक वनों को लाभ हो उसके लिये शीशम, सागौन, चीड़, पापुलर आदि पर शोध कार्य चल रहा है। ऊसर, बीहड़, खारे पानी के क्षेत्र में, शुष्क क्षेत्रों में वृक्षारोपण कैसे हो इस पर शोध हो रहा है। इसी तरह से कृषि वानिकी, चारा वानिकी के विकास के लिये भी शोध हो रहा है, देशी विदेशी प्रजातियों के रोपण पर शोध हो रहा है।

मान्यवर, हमारा यह प्रयास है कि हम वृक्ष संरक्षण अधिनियम को सरल करें और उसे किया भी है। उसके साथ ही साथ यह भी प्रयास है कि वृक्षों का पातन रुके, इसलिए वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 लागू है। इस समय 38 जिलों में 19 प्रजातियों के संबंध में पातन और निकासी पर छूट दे रखा है। मान्यवर फल पट्टी में व्यवस्था है कि वृक्ष पातन में अधिकार वन प्रभारी अधिकारी तथा जिला उद्यान अधिकारी को दे दिया गया है।

मान्यवर वन संरक्षण की समस्याएं गम्भीर हैं। मैं माननीय सदस्यों से पत्र द्वारा यह निवेदन कर चुका हूँ कि इस संबंध में वे हमें मूल्यवान सुझाव दें ताकि इस समस्या को हम हल कर सके। इस समय जो बड़े पैमाने पर हमारे सामने समस्या है वह एक तो बढ़ती हुई जनसंख्या और दूसरी बढ़ते हुए मवेशियों की संख्या है। मान्यवर, इसके साथ ही साथ दुःख की बात है कि वन माफिया अवैध रूप से वनों को काटने का काम कर रहे हैं। उनका सामना करते हुए हमारे 99 वन कर्मियों की जाने गई हैं और 69 कर्मचारी गम्भीर रूप से घायल हुए हैं। मान्यवर, जो वन कटान हो रहा है उसमें मैं माननीय सदस्यों का सहयोग चाहूंगा कि वे हमारी सहायता करें और इसको रोकने के लिए वन विभाग पूरी तरह से सक्रीय है जिसके चलते इसमें सफलता मिली है। वर्ष 1989-90 में 14,075 मामले कटान के प्रकाश में आयें और 119.34 लाख मूल्य रुपये की लकड़ी कटी। वर्ष 1990-91 में 12337 मामले प्रकाश में आये जिसमें 138.85 लाख रुपये की छति हुई। वर्ष 91-92 में 15352 मामले प्रकाश में आये और 270.78 लाख रुपये की छति हुई। वर्ष 1992-93 में 16399 मामले प्रकाश में आये और 339 लाख रुपये लकड़ी का नुकसान हुआ।

मान्यवर, तीसरी समस्या यह है कि अतिक्रमण बढ़ते जा रहे हैं और इस समय 60 हजार हेक्टेयर भूमि अतिक्रमित हो चुकी है जिस पर नाजायज कब्जा हो गये हैं और यह तराई और विन्ध्य क्षेत्र में हुये हैं। मान्यवर, समस्या के समाधान हेतु वन विभाग की ओर से 31 शस्त्र पुलिस बल जिसमें 3 सिपाही और एक हेडकांस्टेबिल होते हैं इसकी व्यवस्था की गई है। 17 संवेदनशील क्षेत्र हैं वहां 234 वन सुरक्षा दल काम करते हैं और इस दल में भूतपूर्व सैनिक रखे गये हैं जो क्षेत्रों में घूमते हैं और वनों के कटान को रोकने का काम करते हैं। यह व्यवस्था भी की गई है कि हम अपने कर्मचारियों को शस्त्रों से लैस करें और इसके लिए 276 शस्त्र खरीदने का प्राविधान किया गया है। इस तरह से अवैध कटान को नियंत्रित करने का प्रयास वन विभाग की ओर से किया जा रहा है।

(समय 4 बजकर 20 मिनट)

मान्यवर, भारतीय, वन अधिनियम, 1927 है, उसको भी संशोधित करने का प्रयास हमारी ओर से किया जा रहा है। और जिस दिन यह संशोधन हो जाएगा, मुझे विश्वास है हम कटान पर और अच्छा काबू पा सकेंगे। जहां तक वन्य जन्तुओं के संरक्षण की बात है, उसमें भी हमारा पूरा प्रयास है कि वन्य जन्तुओं का संरक्षण हो और इस दृष्टि से ही 7 राष्ट्रीय उद्यान, 17 वन्य जन्तु अभ्यारण्य और 12 पक्षी बिहार स्थापित है। नन्दादेवी रिजर्व फारेस्ट सन् 1988 में घोषित हुआ और उस क्षेत्र में शोध और वैज्ञानिक अध्ययन के अतिरिक्त सभी कार्यों का निशेष कर दिया गया है। ये जो वन्य जीवन हैं, यह पर्वतीय क्षेत्र में बढ़े हैं और वहां इनका संकट भी है। कहीं कहीं से इन वन्य जीवों के द्वारा हिंसा से लोगों के मारे जाने की भी सूचनाएं हमारे पास हैं और क्षेत्रों में भी वन्य जीवों की हिंसक घटनाएं बढ़ी हैं। और इसके सम्बन्ध में सबसे बड़ी गम्भीर समस्या हमारे सामने वनरोज की है। और वे इतने बड़े पैमाने पर खेतों को नुकसान कर रहे हैं,

उसकी भी सूचना हमको है यह प्रयास किया जा रहा है कि उन पर नियन्त्रण पाया जा सके। इसलिए यह किया गया है कि उनको मारने के सम्बन्ध में जो अधिकार अब तक मुश्किल से मिल पाता था, उसके सम्बन्ध में अब यह व्यवस्था कर दी गई है कि जिलाधिकारी जो वन्य संरक्षक है, उनको अधिकार दे दिया गया है, उनके द्वारा परमिट लेकर उनको मारने का काम किया जाए। लेकिन मुश्किल यह है कि इस काम के लिए कोई तैयार नहीं होता है। क्योंकि नीलगाय को भावनाओं के साथ जोड़ा गया है। इसे एक प्रकार से नीलघोड़ कहा जाना चाहिए, यह घोड़े की एक प्रजाति है, गाय की प्रजाति नहीं है। इसका एक ही रास्ता है कि सही रूप से इनका शिकार करके इनको खत्म किया जाए। इसमें भाजपा के जो माननीय सदस्य हैं, उनका सहयोग हमको अपेक्षित है और हम तभी उन पर नियंत्रण पा सकेंगे जब वह हमारी इस दिशा में मदद करेंगे। मान्यवर, सबसे महत्वपूर्ण मांग रही है वानिकी विकास परियोजना पर विशेष बल देने की। हमारा यह प्रयास है कि जो वृक्षारोपण का काम है, वह बड़े पैमाने पर हो सके। इसके लिए जो हमारे विश्व बैंक द्वारा पोषित सामाजिक वानिकी का दूसरा चरण है वह समाप्त हो गया है पिछले मार्च माह में और अब हमारा प्रयास यह है कि विश्व बैंक की सहायता से 500 करोड़ रुपये की एक छः वर्षीय समेकित परियोजना का निरुपण किया जाए, जिसको विश्व बैंक ने अपना अनुमोदन भी दे दिया है।

वन निगम द्वारा वनों के संरक्षण और संवर्धन में भूमिका निभाई गई है, और अब तक जो ठेकेदारों के द्वारा वनों का कटान होता था, उसे अब ठेकेदारों से न कराकर वन निगम द्वारा कराया जाता है, जिससे वनों को अपूर्व लाभ हुआ है।

मान्यवर, वन निगम की स्थापना 1976 में हुई और उसके कामों से बड़ा लाभ भी हुआ। तेन्दू पत्ते का दोहन और निस्तारण, आरक्षित वनों का पातन, पातन क्षेत्रों में कृषि कार्य, आरक्षित वनों का नदियों और नालों में चुगान का काम वन विभाग ने किया है 1992-93 में वन विभाग द्वारा जो काम किया गया है उसमें अभूतपूर्व सफलता मिली है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि 1993-94 में निगम को शुद्ध लाभ 2167 लाख रुपये का हुआ है। यह प्रसन्नता की बात है। मैंने संक्षेप में वन विभाग का बजट आपके समक्ष प्रस्तुत किया है और माननीय सदस्यों से मेरा यह निवेदन है कि उन्हें वनों की उपयोगिता के सम्बन्ध में बताने की आवश्यकता नहीं है, वह खुद इस दिशा में सचेत हैं। उनका पूरा सहयोग और उनके द्वारा पूरी जनता का सहयोग वन और वृक्षों के सम्वर्धन और संरक्षण के लिये चाहता हूँ और मेरा पूरा विश्वास है कि इस सम्बन्ध में आपनी अमूल्य राय देकर मुझे और प्रदेश को लाभान्वित करेगें।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवयर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 60 वन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

श्रीमन् माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत आय-व्ययक पर जो उनके विभाग की योजनाएं हैं और जो कार्यक्रम हैं और अपने विभाग के सम्बन्ध में जो उन्होंने अपनी चिन्ता व्यक्त की है तथा भविष्य के सम्बन्ध में इस सदन के माननीय सदस्यों से सुझाव की अपेक्षा की है और इस सदन के बाहर प्रदेश की जनता से सहभागिता की अपेक्षा की है और वृक्षारोपण का जनादेश दिया है, मैंने उनके सारे विचारों को बड़े ध्यान से सुना। मान्यवर, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं होगा कि पिछले कई वर्षों में वन विभाग के बजट पर रखे गये विचार जो हैं उनसे इस वर्ष का ज्यादा निराशाजनक रहा। माननीय मंत्री जी के विचार निराशाजनक रहे। पूरे सदन ने माननीय मंत्री जी से उम्मीद की थी, अपेक्षा की थी कि माननीय मंत्री जी अपने विभाग के सम्बन्ध में किसी न किसी एक नई योजना की घोषणा तो करेगें लेकिन यह कदाचित् पहला अवसर है कि माननीय मंत्री जी इस सदन से अगले वर्ष के आय-व्ययक पर हम लोगों से सहमति चाहते हैं, अपने बजट को पारित करवाना चाहते हैं प्रदेश के लिये लेकिन इस में प्रदेश के लिये कोई योजना का उल्लेख नहीं किया गया है। मान्यवर, चिन्ता बहुत व्यक्त की गई है कि पर्यावरण और वन का अटूट सम्बन्ध है। पर्यावरण और वन के सम्बन्ध में आज पूरा देश चिन्तित है। आज प्रदेश की राजधानी से लेकर प्रदेश के सुदूर अंचलों में जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं, जो कठिनाइयाँ, दुश्वारियाँ, दिक्कतें पैदा हो रही हैं उन कठिनाइयों, दुश्वारियों, दिक्कतों के सम्बन्ध में, उनके निराकरण के सम्बन्ध में, मैं समझता हूँ कि किसी भी योजना के सम्बन्ध में कोई प्रकाश नहीं डाला है।

मान्यवर, यह भी इन्होंने चिन्ता व्यक्त की है कि एक तरफ जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है वहीं मैं कहना चाहता हूँ जिस तरह से जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है उस जनसंख्या को एक स्वच्छ वातावरण में, एक अच्छे पर्यावरण के लिए, उनके जीवन के लिए जो आवश्यक चीजें हैं, आक्सीजन की आवश्यकता होती है जो पेड़ के माध्यम से मिल सकती है लेकित आज पेड़ों के किस तेजी से कटान हो रहे हैं बहुत अन्त में इन्होंने अवैध कटान के बारे में कहा। स्वयं भी इन्होंने चिन्ता व्यक्त की कि राष्ट्रीय वन नीति है यह समस्त पर्यावरण के लिए मनुष्य से हटकर जीव-जन्तुओं के लिए उनके जीवन के लिए आवश्यक चीजें हैं उसके हिसाब से वनों को एक बटा तीन होना चाहिए। इन्होंने स्वयं कहा जहां प्रदेश का क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल में प्रदेश में 33 प्रतिशत वनों का आच्छादन होना चाहिए। और यह एक बटा छः है जिसका उल्लेख 17.6 किया है। इन्होंने स्वयं कहा है ऋतुओं में परिवर्तन हो रहा है मौसम बदल रहे हैं। धरती के नीचे का जो वाटर लेविल है वह नीचे जा रहा है। इसमें आप जनता की सहायता लें लोगों को सहभागी बनायें। इसमें योजनाओं का उल्लेख होना चाहिए, कार्यक्रमों की घोषणा होनी चाहिए। क्या प्रदेश के सभी विद्यालय को वृक्षारोपण के लिए अनिवार्य करेंगे? प्रदेश के विभागों के लिए वृक्षारोपण अनिवार्य करेंगे? एक वृक्ष एक व्यक्ति लगाए क्या यह प्रदेश की संस्थाओं के लिए अनिवार्य करेंगे? इस तरह की कोई ठोस योजना नहीं है।

पिछली बार 17.6 था आगे यह प्रतिशत 17.3, 17.4 इस तरह से रह जाएगा। सामाजिक वानिकी के बारे में इन्होंने कहा। विश्व बैंक की सहायता से योजना प्रारम्भ करने जा रहे हैं जिसमें

विश्व बैंक ने सहमति दी है। प्रदेश के किसानों की नर्सरी के बारे में कहा प्रदेश के किसानों की वृक्षारोपण की बात कही? इन्होंने इसको बहुत हल्केपन से लिया है। नर्सरी कितने प्रकार की चल रही है? किसानों की नर्सरी का उल्लेख किया। स्कूलों की नर्सरी की क्या स्थिति है? स्कूल नर्सरी स्कूलों में लगायेंगे? और जो पौध की बिक्री होगी उस बिक्री की आय से विद्यालय में पेयजल की व्यवस्था करेंगे? विद्यालय के भवन निर्माण के लिए उसका व्यय करेंगे। आज स्कूलों में संसाधनों की कमी के कारण, शिक्षा मंत्री जाते होंगे, तो देखते होंगे जूनियर हाई स्कूल, हाई स्कूल की बाउंड्री बाल नहीं है, पैसा नहीं मिला है तो सरकार ने कोई योजना बनाई है कि स्कूल नर्सरी के माध्यम से उन विद्यालयों की आय का स्रोत हो? इस संबंध में उन्होंने कोई उल्लेख नहीं किया है। विभाग में नर्सरी का उल्लेख नहीं है। प्रदेश के गरीब किसानों को निःशुल्क पौध देंगे इसी तरह से निःशुल्क पौध कितनी देंगे इसके लिए कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

केवल इस साल बता दिया कि हम वृक्षारोपण पर 22 करोड़ 63 लाख रुपये वृक्षारोपण के लिए खर्च करेंगे। जबकि एक साल पहले इन्होंने स्वयं बताया था कि इस पर 22 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं। इसके पूर्व 35 करोड़ 6 लाख रुपए खर्च हुए थे इस प्रकार पिछले साल की तुलना में 13 करोड़ की कमी की गई है एक तरफ मान्यवर, बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए वृक्षों को लगाने की आवश्यकता पर प्रभावी ढ़ंग से बल दे रहे हैं, बढ़ते हुए प्रदूषण पर चिन्ता व्यक्त कर रहे हैं। वृक्षों के अवैध कटान पर चिन्ता व्यक्त कर रहे हैं। दूसरी तरफ पिछले साल की तुलना में 13 करोड़ रुपये की कमी की जा रही है। अगर यह वृक्षों का प्रतिशत बढ़ाना चाहते है और इसे जन आन्दोलन का रूप देना चाहते है तो निश्चित तौर पर 22 करोड़ से बढ़ाकर 122 करोड़ कर देना चाहिए। दूसरे किसी मद में आप कटौती कर सकते हैं। वृक्षारोपण के लिए अधिक धन देने की आवश्यकता है।

आज भी हम इस सम्बन्ध में विश्व बैंक पर आश्रित हैं। सामाजिक वानिकी के लिए जो प्रस्ताव यहां से गया है, अगर वह पास होकर न आए पैसा न आए तो आपको वन विभाग बन्द कर देना पड़ेगा। आज जो इस प्रदेश के प्रत्येक जिले में वृक्षारोपण कार्यक्रम चलता है। इसमें पिछले 10-10 सालों से जो काम कर रहे हैं वह कर्मचारी धरना दे रहे हैं, उन्हें वेतन नहीं मिल रहा है। उन्हें निकाला जा रहा है। एक तरफ इस विभाग का विस्तार करना चाहते हैं, प्रदेश में वृक्षारोपण को जन आन्दोलन का रूप बनाना चाहते हैं, दूसरी तरफ वन विभाग के कर्मचारियों को निकाला जा रहा है या उन्हें वेतन नहीं मिल रहा है। एक तरफ दावा किए जा रहे हैं कि आपका सहयोग चाहते हैं, लोगों का सहयोग चाहते हैं। लेकिन इसके बावजूद इस दिशा में कोई प्रयास नहीं हो रहा है। आज हर जिले में वन विभाग के कर्मचारियों की संख्या में कटौती हो रही है। इस सम्बंध में आप अपने उत्तर में बताएं कि अद्यतन स्थिति क्या है। जे० आर० वाई० योजना भारत सरकार के सहयोग से चल रही है लेकिन उसमें कटौती हो रही है। इस पर 15 करोड़ रुपये का उल्लेख किया। भूमि संरक्षण के कार्य में क्या हो रहा है? जलागम समस्या, भूमि संरक्षण का कार्य सामाजिक वानिकी यह तमाम योजनाएं कई वर्षों से इस प्रदेश में चल रहीं हैं।

उसमें जिस तरह से कटौती हो रही है उसका उल्लेख मंत्री जी ने नहीं किया। और कोई नई बात नहीं कही। आपने मनोरंजन केन्द्र का उल्लेख इसी सामाजिक वानिकी के अन्तर्गत किया है। चेतना केन्द्र व मनोरंजन केन्द्र की स्थापना आप करना चाहते हैं। प्रदेश के अधिकांश शहरों में आपने मनोरंजन केन्द्र स्थापित कर दिए हैं। लेकिन मैं खेद के साथ कहना चाहता हूँ कि जिन केन्द्रों की आपने स्थापना की है, यह पिछले कई वर्षों से हैं। तमाम जिला मुख्यालय, उनके पास बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए, शहरों में बढ़ते हुए दबाव को देखते हुए, मोहल्लों में खेल के मैदान नहीं रहे हैं। ...

वन चेतना केन्द्रों का जो उद्देश्य था वह आज निष्प्रभावी हो रहा है। इसका मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। अभी पिछले दिनों महामहिम राज्यपाल महोदय बस्ती गये थे और वहां पर उन्होंने घोषणा की वन चेतना केन्द्र के लिये 20 लाख रुपये दिये जायेंगें। प्रदेश सरकार के जो मुखिया हैं इस सरकार द्वारा उनकी घोषणा का आदर नहीं किया गया है। यह वन चेतना केन्द्र 1989 में स्थापित किया गया। महामहिम राज्यपाल महोदय की घोषणा के बाद शासनादेश हुआ लेकिन बदकिस्मती के साथ कहना पड़ता है कि माननीय मुख्य मंत्री, माननीय संसदीय कार्य मंत्री, और अन्य मंत्रियों के द्वारा इस बाद की बचनबद्धता को दोहराया गया है लेकिन बस्ती के उस वन चेतना केन्द्र के लिये 20 लाख रुपये का कोई इंतजाम नहीं किया गया है। माननीय मंत्री जी इसके बारे में बतायेगें कि इस संबंध में क्या स्थिति है। माननीय राज्यपाल की घोषणा को पूरा करेंगे या रद्दी की टोकरी में आपने डाल दिया है।

मान्यवर, नगर वन योजना की बात कही गयी है। इस ओर मैं आपके माध्यम से ध्यान दिलाना चाहूँगा। आज शहरों में प्रदूषण बढ़ रहा है। चाहे जल प्रदूषण हो, चाहे वायु प्रदूषण हो,चाहे ध्वनि प्रदूषण हो, शहरों में यह प्रदूषण दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। अगर इससे शहरों की जनता को बचाना है तो इस ओर ध्यान देना होगा। प्रदूषण से तत्काल कोई खतरा नहीं होता है लेकिन प्रदूषण अगर इसी तरह से बढ़ता रहा तो यह मानव की जिंदगी के लिये स्लो प्वाइजनिंग का कार्य करेगा। नगर वन योजना से काम चलने वाला नहीं है। इसके लिये आपको ग्रीन सिटी, हरीतिमा शहर जैसी योजना बनानी पड़ेगी। प्रदेश के जो केवाल टाउन्स हैं आप इन 5 केवाल टाउन्स को ले लीजिये और पहले साल यहां पर वृहद तरीके से काम करें। सड़कों के किनारे, कालोनियों में वृहद वृक्षारोपण करें ताकि यदि ऊपर से देखा जाए तो सारा शहर हराभरा दिखाई दे। इससे जहां प्रदूषण कम होगा वहीं पर इकोलोजिकल वैलेंस ठीक रहेगा। इस साल इस योजना को केवाल टाउन्स में लागू करिये और अगले साल यह योजना दूसरी नगर महापालिकाओं में लागू कीजिये। इस प्रकार की योजना बनाकर शहरों में बढ़ते प्रदूषण को कम करने का काम करें। इस योजना को चरणबद्ध तरीके से पूरा करें। मान्यवर, इसी तरह से स्मृति वन योजना की बात कही गयी है। 272 स्मृति वन बनाने की बात कही गयी है। यह योजना 1989 से प्रारम्भ की गयी थी और इसका प्रारम्भ विंध्याचल की अष्टभुजा की पहाड़ियों से हुआ था। शुरु में वहां पर

3 सौ पौधे लगाये गये थे। यह योजना तुलसीपुर में भी शुरू की गयी थी। 50 रुपये योजना में दे दीजिये और प्रियजन की स्मृति में पेड़ लगा दीजिये, वहां पट्टिका आपके नाम की लगा दी जायगी, इस प्रकार की यह योजना चलायी गयी है। जिन लोगों ने पेड़ लगाये हैं। उनका नाम रजिस्टर में भी लिखा जाता है। इस योजना में यह भी देखने की जरूरत है कि जो पेड़ लगाये गये हैं और जो नाम की पट्टिकायें लगायी गयी है वह सुरक्षित हैं या नहीं। अगर इस तरह से वृक्षारोपण होता तो आज उत्तर प्रदेश में एक इंच जमीन नहीं बचती जिस पर वृक्षारोपण न हो गया होता।

लेकिन मान्यवर, एक तरफ वृक्षारोपण करते है, हम यह नहीं कह सकते हैं कि वृक्षारोपण कागजों पर हो रहा है। आज वृक्षारोपण से तो ज्यादा उचित उसे गेजिंग से बचाया जा सके, उसकी सुरक्षा की जा सके, इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। अगर प्रति हेक्टेयर दो हजार पेड़ लगाते हैं, तो इसके संबंध में कोई मानीटरिंग है? रिसर्च और शोध की तो बात इन्होंने की, अगर पांच हेक्टेयर में जितने पौध पिछले साल लगाये, तो वह आज एक साल बाद कितने सुरक्षित रह गये हैं या कितने नष्ट हो गये हैं और वे किस कारण से नष्ट हो गये है? यह माननीय मंत्री जी अपने उत्तर भाषण में बता दें।

मान्यवर, जो वन अधिनियम है 1976 का, उसको हम सरल करना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उसकी समृद्धि के लिए हम इस कानून को रखना भी चाहते हैं, लेकिन शायद वह समाप्त न हो जाय, यह जो अधिनियम है, उसको समाप्त कर रखा है, लेकिन किसान अगर अन्य वृक्ष जैसे इमली, बबूल है, अगर उसको भी काट कर ले जा रहा है, तो पुलिस वाले उसको रोक लेते हैं और बिना पैसा लिये हुए उसको नहीं जाने देंगे। अगर कोई पेड़ उस किसान के पूर्वजों ने लगाया है, तो बिना पैसा दिये हुए वह उसको काट नहीं सकते हैं। आज हर थानों में यह स्थायी आमदनी हो गयी है। जैसे श्री आर० के० चौधरी साहब ने बसों की चेकिंग का अधिकार पुलिस वालों से ले लिया, तो उससे बस मालिकों को काफी राहत मिली है। जो बसें बिना परमिट के चल रही थी, पुलिस वाले बस मालिकों, से वसूली करते थे, उनकी जो इस तरह से अवैध कमाई हो रही थी, वह समाप्त हो गयी। तो क्या माननीय मंत्री जी इन पेड़ों की कटिंग की जिम्मेदारी वन विभाग को देंगे। आज यह अधिकार पुलिस को दे दिया गया है और वे मनमाने ढंग से पेड़ों की कटिंग करा रहे हैं। वन विभाग के डी०एफ० ओ० के पास कोई भी नहीं आता है, उन्हें कोई परमिट लेने की आवश्यकता नहीं है, केवल उनको पुलिस स्टेशन जाकर दरोगा को पैसा देने की आवश्यकता है, और जितना पेड़ चाहें वह काट लें। आज वन विभाग को इसका पता भी नहीं चल रहा है और पुलिस पेड़ों को अंधाधुंध तरीके से कटवा रही है। माननीय मंत्री जी अपने उत्तर भाषण में इस बात को भी बता दें। जो बहुत ज्यादा कटान हो रही है, इसमें रोक लगाने की आवश्यकता है, अन्यथा ये पेड़ कटते ही रहेंगे।

मान्यवर, अतिक्रमण की बात कही गयी। यह जो 60 हजार हेक्टेयर का अतिक्रमण है कितना बड़ा क्षेत्रफल वन विभाग का है, आज अवैध रूप से लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। बिन्दु खत्ता ऐसे तमाम जो स्थल है जहां पर लोगों ने वन विभाग की भूमि को अधिग्रहीत कर लिया है या अपना मकान बनवा लिया है या वहां पर कालोनियां बन गयी हैं;

बल्कि उन इलाकों में जो वन विभाग के खैर, शीशम आदि के बहुमूल्य पेड़ हैं, उन पर भी कब्जा कर लिया है और अभी भी करते जा रहे हैं। आपने कोई योजना नहीं बनायी है, तो अतिक्रमण को किस प्रकार से रोकेगें? लोग वन भूमि पर रहने लगे हैं और वन भूमि पर अवैध कब्जा कर रहे हैं और उसके साथ ही साथ मान्यवर वन की जो लकड़ी वगैरह है उसको भी नुकसान पहुंचाते हैं, अवैध तरीके से लकड़ी की कटान होती है। अगर आप कोई योजना नहीं बनायेंगे, तो इसी प्रकार से दिन प्रतिदिन वन भूमि पर अवैध कब्जा होता चला जायेगा और वन सम्पदा भी नष्ट होती चली जायेगी। माननीय मंत्री जी जब उत्तर दें तो इस सम्बन्ध में भी बता दें कि वह इसको रोकने के लिये कौन सी योजना बनाने पर विचार कर रहे हैं।

मान्यवर, सदन में जब भी वन विभाग का कोई प्रश्न आता है, तो उसमें यह प्रश्न अवश्य उठ जाता है कि वनरोज और नीलगायें किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रही हैं। इनकी संख्या बहुत अधिक है और यह झुंड के झुन्ड आते हैं और किसानों की फसलों को चर जाते हैं। जिस फसल को किसान गरमी की दोपहरी में और जाड़े की सर्दी में तैयार करता है, उसको यह कुछ ही क्षणों में नष्ट कर जाती हैं और वह देखता रह जाता है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जितनी क्षति इनके द्वारा फसलों की होती है, अगर उसको बचा लिया जाये तो जो हमारी अन्न की आवश्यकता है, कम से कम वह पूरी हो सकती है और दूसरों को देने की स्थिति में भी आ जायेगें। अगर इनको मारना होता है, तो किसान को जिलाधिकारी से परमिट लेना पड़ता है, लेकिन कोई जिलाधिकारी परमिट देता नहीं है। अगर किसी दूसरे समुदाय के व्यक्ति ने मार दिया तो साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न हो जाता है और प्रदेश के लिये कानून व्यवस्था का सवाल उत्पन्न हो जाता है।

मान्यवर, आप जानते हैं कि यह मामला संवेदनशील हैं। जनता ने अगर उसको मारा तो साम्प्रदायिकता की स्थिति पैदा हो सकती है और उसके कारण कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिह्न पैदा हो सकता है। जो प्रशासन के लिए कठिन परिस्थिति का निर्माण करेगा तो ऐसी स्थिति में शासन को पूरा सदन उसकी सहमति देता है। इस बात पर मैं समझता हूं कि शायद ही कोई विसंगति होगी, पूरा सदन ध्वनिमत से इसकी सहमति देता है। आज ही आप इसका उल्लेख करें, पूरे प्रशासन को डी०एफ०ओ० वन विभाग को, कि अभियान चलाकर इन वनरोजों को मारने का काम करे। जब सरकार ऐसा शुरु कर देगी तो न तो साम्प्रदायिकता का प्रश्न बनेगा और न ही कानून व्यवस्था का प्रश्न बनेगा। तब लोगों के मन में यह होगा कि किसानों के उत्पादन को उनकी गाढ़ी कमाई की चीज को बचाने के लिए शासन सरकार ऐसा अभियान चला सकती है तो

सभी लोग उसके साथ हो जायेगें तो जिसका नुकसान होगा वह सब स्वयं यह सोचेगें और एक होकर के उनको मारने का प्रयास करेंगे। तो इस सम्बन्ध में भी कुछ कहेंगे।

मान्यवर, जो इन्होंने विश्व बैंक की परियोजना बताई है। जो समेकित परियोजना है उसे विश्व बैंक ने स्वीकृत कर दी तो वह 500 करोड़ रुपये अभी आये नहीं हैं उसका भी उल्लेख करने की कोशिश करेंगे। वन निगम की बात जहां तक इन्होंने कही कि वन निगम में लाभ तो होगा ही वन निगम का गठन अच्छे उद्देश्य से हुआ था, बड़े अच्छे परियोजना से हुआ, वन निगम उत्तर प्रदेश जो वन विभाग का उत्पाद है उसको पेड़ो की कटान के लिए जो विगत दिनों ठेकेदार रहते थे उनसे बचाने के लिए 1976 में इसकी स्थापना की गयी थी वन निगम की लेकिन आज वह वृक्षों के पातन का काम करता है, काटता है बेचता है और उसके साथ तेंदू पत्ते का भी काम देखता है जो उसकी प्रकृति का काम नहीं है।

मान्यवर, पूरे प्रदेश में वह वनों से लकड़ी को काटकर और उस काटी लकड़ी के विपणन की व्यवस्था करें यही वन निगम का सबसे बड़ा काम है। यह अगर सुचारु रूप से काम करें तो अच्छी आय का श्रोत बन सकता है। और लाभ अर्जित कर सकता है लेकिन मान्यवर, पिछले दिनों सत्य प्रकाश विकल जी की सरकार ने एक फैसला ले लिया कि जो प्लांटेशन जितना होता है जहां होता है वृक्षारोपण जहां होता है तो उसके कार्य को जो समितियां करती थीं, व्यक्तिगत लोग करते थे और वृक्षारोपण के दौरान वन विभाग उसका वृक्षारोपण करता था और जब तक पेड़ बड़े नहीं होते थे तब तक लोगों को लीज प्लाट दिया जाता था और उससे सरकार को लगभग 4 करोड़, 5 करोड़ की आय होती थी और यह ओपेन आक्शन द्वारा होता था और आज भी लोग कहते हैं कि ओपेन आक्शन करायें ताकि आपके वन विभाग की उससे आमदनी हो लेकिन पिछली सरकार ने यह फैसला ले लिया कि किसी समिति को देने के बजाय वन निगम से कराया जाय लेकिन उससे जो प्लान्टेशन हो रहा है लीज प्लाट दिया जा रहा है उससे अब परिस्थितियां क्या है मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब से वन निगम को लीज प्लाट दिया है तो जो यह आय 4-5 करोड़ की होती थी तो वह वन निगम को देने की बात क्या उन्होंने एक पैसा भी जो दिया है, वन निगम उसको घाटे की स्थिति बता रहा है लेकिन फिर भी आप उसे वन निगम से करा रहे हैं। तो एक तरफ तो आप संसाधनों की बात कर रहे हैं और आज आप कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं और वहीं दूसरी ओर आप घाटा उठा रहे हैं। अगर आप उस काम को वैसे ही कराये तो यह आमदनी 5 करोड़ से बढ़ सकती है और 6 करोड़ 7 करोड़ तक हो सकती है तो जो कर्मचारी डी०एफ०ओ० के यहां धरना दे रहे हैं आन्दोलन कर रहे हैं उनको तनख्वाह दे सकते हैं तो इस सम्बन्ध में भी माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे?

मान्यवर, वन विभाग की महत्ता के सम्बन्ध में सभी लोग जानते होंगे। मान्यवर, जहां तक वन विभाग की बात है आज उसकी महत्ता घट रही है।सन् 1800 से अंग्रेजों ने जंगल और

जंगलों में पाये जाने वाले जन्तुओं की रक्षा के लिए ध्यान दिया और 1878 में जंगलों की सुरक्षा के लिए कानून बना, 1889 में वाइल्ड लाइफ प्रीजरवेशन एक्ट बनाया और फारेस्ट प्रीज़रवेशन एक्ट बनाया था। उससे हम जंगलों की और वानकीय जन्तुओं को बचा सके लेकिन आज जिस तरीके से जंगलों का पातन, अवैध कटान हो रहा है आज परिस्थितियां यह है कि मैदानी क्षेत्र में इन्होंने ओवर आल बताया 17.6 है पूरे प्रदेश में लेकिन यह पहाड़ी क्षेत्र में सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश में लगभग 17.4 प्रतिशत ही वन भूमि है और वह भी 2 लाख चौरानवे हजार ग्यारह वर्ग किलोमीटर में। उ० प्र० में 51 हजार 636 वनों का कुल क्षेत्रफल है और इस 51 हजार 663 में से हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में 24 हजार दो सौ 48 वर्ग किलोमीटर, तराई क्षेत्र में 6 हजार 560 वर्ग किलोमीटर, तथा गंगा के मैदानी क्षेत्र में तीन हजार तीन सौ पांच वर्ग कि०मी० वृक्षारोपण है जो राष्ट्रीय वन नीति है वह कुल क्षेत्रफल का 33 प्रतिशत है और जो माननीय वन मंत्री जी ने कहा है वह 14.61 है उसके अनुसार पांच प्रतिशत वन आच्छादित है। उसके बाद हम यह कह रहे हैं कि वन निगम से करा रहे हैं वन विभाग भी कर रहा है। आज हमें दो चीजों पर ध्यान देना होगा। हमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना होगा और उसकी सुरक्षा करनी होगी। अवैध कटान को भी रोकना होगा। अवैध कटान को रोकने के सम्बन्ध में अवैध माफियाओं का दुःख व्यक्त किया गया। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं प्रदेश के एक वरिष्ठ अधिकारी से मेरी बात हुई उनसे मैंने कहा कि अवैध कटान हो रही है तो उस उच्च अधिकारी ने कहा कि वन माफिया क्या हैं जब तक जंगल के अधिकारी उनसे नहीं मिलेंगे तब तक अवैध कटान कैसे हो सकती है? यह सही बात है। आज इसमें केवल वन माफिया ही दोषी नहीं हैं बल्कि वे भी दोषी हैं जो इसको कटवानें में सहायता कर रहें हैं। वन विभाग के वे अधिकारी दोषी है जो इसको कटवा रहे हैं। आपने अपने भाषण में यह कहीं उल्लेख नहीं किया कि आपने अवैध कटान में कितने अधिकारियों को दोषी पाया और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की? जब तक कुमायूं के पहाड़, तराई और भावर में तेजी से कटान चलती रहेगी तब तक कुछ होने वाला नहीं है। आज सरकार इनके कटान को देख रही है। अगर इसी तरह से यह कटान चलती रही तो कुछ दिनों बाद हम जंगल को देख भी नहीं पायेंगे और हमारे जो उत्तराधिकारी हैं उनके लिए तो जंगल दुर्लभ हो जायेगा जिसे वह सिर्फ किताबों में पढ़ा करेंगे। तो आज यदि जंगलों को बचाना है तो यह कटान को रोकना होगा। अगर इसी तरह से कटान चलती रही तो 10 वर्षों बाद यह पूरा भावर हो जायेगा। आज पहाड़ों में पानी का संकट उत्पन्न हो गया है और इसे स्वयं माननीय वन मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि जमीन के बहुत नीचे पानी का स्तर चला गया है और उसके कारण कठिन परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। आज तराई और भावर से 100 ट्रक प्रति दिन अवैध कटान हो रही है। माननीय मंत्री जी दौरा करते हैं, फैजाबाद, बरेली, पीलीभीत और नैनीताल का। यदि आप चैक करे, तो हर 10 ट्रक के बाद अवैध लकड़ी मिल जायेगी। माननीय मंत्री जी निदेशित करें, तो देखेंगे कि हर 10 ट्रक के बाद अवैध लकड़ी मिलेगी। आज शीशम की लकड़ी, सागोन की लकड़ी बम्बई के बाजारों में आ गयी है। बम्बई में वहां के फर्नीचर के लिए जो

आपूर्ति है वह पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाके से होती है। जो परिस्थिति उत्पन्न हो गयी हैं उससे कठिनाई हो रही है। चार महीने का शासन हो गया है। लखनऊ की आरा मशीनों में छापा मार लें तो कई आरा मशीनें ऐसी हैं जहां पर अवैध लकड़ी मिल जायेगी। किसी दिन सुबह चार बजे चले जायें।

क्योंकि दिन में जायेगें, तो रात में 100-50 ट्रक लकड़ियां जो आती हैं, उसके पटरे बन जाते हैं, वह तब तक पेड़ की शक्ल में नहीं रह जायेगें। काली लकड़ी सफेद हो जायेगी।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय पाल साहब, समाप्त करें, अभी एक विभाग का और बजट प्रस्तुत होना है।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं समझता हूं कि एक दिन 3 बजे, 4 बजे जो लखनऊ की आरा मशीनें हैं, उन पर थोड़ा सा मंत्री जी प्रयास कर लें तो एक दिन में ही एहसास हो जायेगा कि कितनी अवैध लकड़ियां जंगल से, जिलों से आ रही है। मान्यवर, वन माफियाओं से जो अवैध कटान में लिप्त हैं, से मौजूदा कानून में मंत्री जी किस तरह निपटेगें। आज तामिलनाडु, केरल, गोवा, हिमांचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर की सरकारों ने अपने यहां जंगल बचाने के लिये, अवैध कटान को रोकने के लिये इतने प्रभावी और सख्त कानून बनाये हैं कि इस तरह के लोगों को जंगल काटने का साहस ही नहीं होता है। आप कर्नाटक में देखिये। वीरप्पन को कौन नहीं जानता, पूरा देश जानता है और वीरप्पन से कर्नाटक सरकार उसी तरह निपट रही है, जैसे आतंकवादियों से निपटा जाता है। पंजाब, जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश के तराई के इलाके में जिस तरह आतंकवादियों से निपटा जाता है, उसी तरह से वनों को बचाने के लिये, वन माफियाओं से निपटना होगा। क्या माननीय मंत्री जी अपने कानूनों में इस तरह का परिवर्तन करेंगे और वन माफियाओं से निपटेगें?

मान्यवर, आतंकवादी तो एक-दो या दस-बीस व्यक्तियों की हत्या करते हैं, लेकिन अवैध कटान करने वाले यह वन माफिया पूरे वनों का भयादोहन कर रहे हैं, उससे वह पूरी की पूरी पीढ़ी समाप्त कर रहे हैं, इसके लिये आज आवश्यक हो गया है कि आतंकवाद से भी कड़ा कानून बनाया जाय। मान्यवर, एक सुझाव और देना चाहूंगा कि जिन वाहनों पर अवैध लकड़ियां मिलती हैं, क्या उनके लिये अपने कानून में परिवर्तन करेगें क्योंकि लकड़ी तो जब्त कर ली जाती है, लेकिन वाहन का कुछ नहीं होता है इसलिये अवैध लकड़ी लादने वाले वाहन को भी सदा के लिये जब्त कर लेना चाहिये, इससे भी इस पर रोक लग सकेगी।

मान्यवर, आज डी०एफ०ओ० को कोई मजिस्टेरियल पावर नहीं है। सारी पावर पुलिस वालों को है, अगर डी०एफ०ओ० कहीं अवैध लकड़ी पकड़ भी ले तो उसे पुलिस स्टेशन पर लिखाना पड़ेगा। माननीय मंत्री जी मैं यह जानना चाहूंगा कि अवैध कटान को यदि आप रोकना

चाहते हैं तो जो लोग इसमें पकड़े जाते हैं, उसको आप गैरजमानती अपराध घोषित करें। मैं समझता हूं कि गैर जमानती अपराध घोषित करने से लोगों को इसका डर होगा और दहशत भी। पिछले दिनों नैनीताल जनपद में वन विभाग से संबंधित 10 लाख की लकड़ी पकड़ी गयी, लेकिन उसके बाद इस मामले को रफा दफा कर दिया गया। आज वन विभाग के अधिकारियों के मकानों को आप देखें, आप पायेंगे कि वह लोग अपने मकानों के लिये लकड़ी नहीं खरीदते, उनके यहां सारी वन विभाग की लकड़ी इस्तेमाल होती है। नैनीताल जनपद में ही वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के जो प्राइवेट घर बने हैं, वहां आपको जंगल की जो बेशकीमती लकड़ी है, मूल्यवान लकड़ी है, जैसे टीकम, शीशम, सागौन लगी मिल जायेगी। अगर कोई अधिकारी बदायूं में पोस्टेड है और इलाहाबाद में उसका घर है तो बदायूं से इलाहाबाद वह लकड़ी भेजेगा। आज इस तरह से हजारों-हजार कर्मचारी हैं, जो जंगल की लकड़ियों को अवैध तरीके से अपने घर ले जा रहे हैं, उसके लिये मंत्री जी किस तरह से कठोर कानून बनायेंगे। आज खैर कट रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता–

45 मिनट हो चुका है, अब आप समाप्त करें।

श्री जगदम्बिका पाल–

मैं तो सुझाव दे रहा हूं, जो आपके लिये बहुमूल्य होंगे।

मान्यवर, इन्होंने फारेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स बनाने की बात कही है। सड़क पर मेन्टीनेंस का जो पैसा वन विभाग को मिलता है, उसे खर्च नहीं किया जाता है।

श्री अधिष्ठाता–

कई अन्य माननीय सदस्यों के सुझाव आने हैं, अब आप समाप्त करें।

श्री जगदम्बिका पाल–

फारेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के बारे में कहना चाहता हूं। वर्ष 1989 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो उसने फैसला लिया था वह फारेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स बनायेगी, लेकिन उसी बीच चुनाव हुये और सरकार बदल गयी। तब से पांच वर्ष हो गया लेकिन फारेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स का गठन अब तक नहीं हुआ क्योंकि वन माफियाओं का इतना प्रभाव है कि वह इस फोर्स का गठन होने नहीं दे रहे हैं। इस फोर्स के गठन की बात तो हर साल की जाती है मंत्री परिषद् की बात की जाती है लेकिन नहीं किया जाता है। आज उनके पास न तो आर्म्स हैं, न वायरलेस हैं और न गाड़ियां हैं। वन माफियाओं के पास आज जिस तरह से गाड़ियां हैं, उनके पास आधुनिक हथियार हैं, अगर वास्तविक रूप से सरकार की इच्छा शक्ति है, उसकी मंशा है, वह इसमें कुछ करना चाहती है तो उसको सारी व्यवस्था करनी चाहिए। आज आपके 99 वन कर्मी मारे गये और 69 घायल हैं।

आपने दफ्तरों में काम करने वाले अधिकारियों को गाड़ियां दे रखी हैं लेकिन जो फील्ड में काम कर रहे हैं उनके पास गाड़ियां नहीं हैं। रेंजर, डी० एफ ओ० इनके पास गाड़ियां नहीं हैं। हमारे पास सारे आंकड़े हैं। आप बार-बार बत्ती जला रहे हैं। लेकिन मान्यवर, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव दे रहा हूं, यह इनके काम आयेंगे। आज वन विभाग को 900 वाहन की आवश्यकता है जबकि उसके पास 309 वाहन हैं।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय पाल साहब, अब समाप्त करें। आप अपना भाषण लिख करके माननीय मंत्री जी को दे दें।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, फारेस्ट कंजरवेटिव ऐक्ट की बात आपने की है लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। मैं अपनी बात समाप्त करते हुये यह चाहूंगा कि जब माननीय मंत्री जी जवाब दें, सारी बातों का उत्तर दें।

श्री राम कृष्ण वर्मा–

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे वन विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया उसके लिये धन्यवाद देता हूं। मैं यह बताना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्र में वनों का अवैध कटान बुरी तरह से हो रहा है और वहां से जो लकड़ी निकल रही है वह सुविधा शुल्क की वजह से निकल रही हैं। अभी माननीय पाल साहब ने इसका विस्तृत वर्णन किया है। मैं उसी से अपने को जोड़ता हूं और एक सबसे बड़ी बात यह है कि वन अधिनियम के अन्तर्गत पहाड़ों और मैदानों पर बनने वाली सड़कें रुकी पड़ी हैं जब तक ये सड़कें नहीं बनेंगी, वनों के अन्दर तक हम नहीं पहुंच सकेंगे और वहां पर्यटन का विकास नहीं हो सकेगा, यदि सड़कें बनेंगी तो वहां पर्यटक भी आकर्षित होंगे। तराई के आठ जिलों की तराई में एक घुमक्कड़ मुस्लिम गूजर जाति के लोग रहते हैं, जिनके सैकड़ों परिवार हैं। राजा जी पार्क के माध्यम से उनको उजाड़ने की योजना बनायी जा रही है। ये लोग इसके खिलाफ तमाम राजनैतिक लोगों से मिल चुके हैं और जगह-जगह अपने प्रत्यावेदन भी दिये हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये अपने साथ भैंसों और गायों को रखते हैं। जाड़ों में ये नीचे (मैदान में) आ जातें हैं और गर्मियों में ये सड़कों के किनारे-किनारे बद्रीनाथ केदार नाथ तक चले जाते हैं। राजा जी पार्क योजना बनने के कारण इन लोगों को वहां रहना मुश्किल हो गया है। पिछले दिनों मैं हरिद्वार गया था तो उन्होंने अपने प्रत्यावेदन के माध्यम से हम लोगों को अवगत कराया कि हम लोगों को यहां से उजाड़ा जा रहा है। मान्यवर, ये लोग जानवर पालने का काम करते हैं, और काफी मात्रा में ये दूध-घी के उत्पादन में सहयोग दे रहे हैं और काफी सस्ते रेट पर यह दूध-घी को उपलब्ध करा रहे हैं। इस तरह इनका शोषण हो रहा है।

दूध, दही तथा घी के उचित मूल्य दिलाने की कोई योजना वन विभाग के पास नहीं है, इन लोगों के यहां दूध, दही और घी के उत्पादन की प्रचुरता का प्राविधान है, मान्यवर, इन लोगों के लिये कोई स्थायी सुविधा प्रदान करें। मान्यवर, जनपद मेरठ में गंगा खादर एक विस्तृत क्षेत्र है वहां पर वन विभाग की भूमि है। उस पर लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे हैं जिससे आये दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। इन अवैध कब्जों को हटाये जाने के संबंध में माननीय मंत्री जी इसका निराकरण करने का प्रयास करेंगे।. दूसरी समस्या मेरठ जनपद में वन्य जन्तु की है, मेरठ विकासशील जिला है, वहां पर अच्छी खेती होती है और जो भूमि वन सीमा से लगी हुयी है, उसमें किसानों की फसल को वहां के वन्य जन्तु नुकसान पहुंचाते हैं, इस संबंध में शिकायत की गयी है, परन्तु सुनवाई नहीं की जाती है। आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि इस तरह का संरक्षण प्रदान किया जाय कि वहां के किसानों की फसलों को बर्बाद होने से बचाया जाय, या उन्हें मुवावजा दिया जाय। यही वहां की सबसे बड़ी समस्या है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुये आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि इस ओर ध्यान दिया जाय।

इजी० राम लोटन पटेल–

मान्यवर, आपने मुझे वन विभाग के कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। माननीय वन मंत्री जी ने अपना जो प्रस्ताव रखा है और वन संरक्षण के लिये जो भी आय-व्ययक पेश किया है उसका समर्थन करते हुये आपके माध्यम से माननीय मंत्री का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। क्षेत्र रायगढ़ जो जनपद मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में पड़ता है। मान्यवर, हमारे क्षेत्र में दो तरह के किसान रहते हैं। एक वह किसान हैं जिसके पास हजारों एकड़ जमीन है जैसे लोकपति त्रिपाठी जी, उनको खेती करना नहीं आता है लेकिन उनके पास भूमि है, दूसरे वह किसान हैं जिनको खेती करना आता है लेकिन उनके पास जमीन नहीं है। इन लोगों को वह भूमि इफरात में मिली है, इसमें गांव का प्रधान भी है। कुछ समय पहले ग्राम सभा के पट्टे किये गये थे, कालान्तर में उस जमीन को वन विभाग को दे दिया गया है। अब वन विभाग के लोग हैं और वहीं पर गरीब किसान है, इनके पास जमीन नहीं थी, पट्टे की जमीन दे दी गयी थी, अपने परिश्रम से उस जमीन को उपजाऊ भूमि बना दिया है अब वन विभाग के लोग उस जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं, तरह-तरह के विवाद आ रहे हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि वह जो जमीन है वह पट्टे की जमीन है, गरीब किसानों को पुनः वापस किया जावे। जिस तरह से केन्द्रीय मंत्री, श्री कमलनाथ जी ने कहा है कि जो खेती योग्य भूमि वन विभाग में होगी उसके भी पट्टे भूमिहीन किसानों को दे दिये जायेंगे। मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर भी ले जाना चाहूंगा कि जो वन रोजों की समस्या है और अभी भी चल रही है, इस संबंध में तरह-

तरह के निवेदन किये जा चुके हैं, वन विभाग इस समस्या को सुलझाने के लिये अपनी कोई व्यवस्था करें। इनसे जमीन और फसलों को अत्यधिक नुकसान पहुंच रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिये आभार प्रकट करता हूं।

श्री वीरेन्द्र मोहन सिंह-

मान्यवर, आपने वन विभाग के कटौती के प्रस्ताव पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जैसा कि पाल जी ने कहा कि जितने भी कटान होते हैं अन्दर से वन अधिकारी शामिल होते हैं, यह बहुत ही अहम बात है। माननीय मंत्री जी का इस ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि किस तरह से आगे वन बचेंगे? पीलीभीत जिला नैनीताल से लगा हुआ है, यह पूरा वन का इलाका है। वन पर अवैध कटान रेंजर, फारेस्टर करा रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे हैं। पीलीभीत की भूमि है, 60 हजार हेक्टेयर को अतिक्रमण करने के लिये बैठे हुये हैं, पीलीभीत की 12 हजार हेक्टेयर है, तीस वर्षों में खाली नहीं हो पायेगी और न ही चालीस वर्षों से उसे खाली करा पायेंगे, इस संबंध में कोई कारगर योजना नहीं निकाल रहे हैं। वह पूरा तराई का इलाका है। सोने का अण्डा देने वाली मुर्गी बना रखी है इस विभाग के अधिकारियों ने

[समय 5 बजकर 20 मिनट]

जितने लोग अवैध रूप से खेती कर रहे हैं, उनसे हजार रुपए प्रति एकड़ लिया जा रहा है, इस प्रकार लाखों रुपए उनसे लिये जा रहे हैं। मैंने इस संबंध में सितम्बर के महीने में अधिकारियों से इसकी कम्पलेन्ट की थी, परन्तु आज 5 महीने बीत जाने के बाद भी कोई अधिकारी जांच के लिए वहां नहीं गया। एक कन्जरवेटर फारेस्ट गये भी थे तो मालूम पड़ा कि वह अपने बीबी, बच्चों के साथ दुधवा नेशनल पार्क में घूम-फिरकर वापस चले गये हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह 60 हजार एकड़ जमीन आपके पास आने वाली नहीं है, इसलिए आप जिस प्रकार श्री कमलनाथ जी ने सेन्ट्रल में एक योजना बना रखी है, उसी प्रकार, कुछ संशोधन करते हुए आप एक योजना यहां बनायें। आप यह कह सकते हैं कि जिसके पास ऐसी जमीन है वह एक एकड़ में ढाई सौ पेड़ लगायेगा। इस प्रकार लाखों पेड़ आप लगवा सकते हैं। आज वन विभाग में चाहे फारेस्टर हो या रेंजर हो, हर चीज में पैसा लेते हैं। खैर से जो कत्था बनता है, वह प्रति ट्रक 8 लाख का बिकता है। मंत्री जी हमारे यहां का यह एक मुख्य व्यापार है। आज यह व्यापार खुलेआम हो रहा है। डिपार्टमेंट के लोग इसमें शामिल हैं। 2-3 ट्रक प्रति सप्ताह वहां से निकलते हैं। आज तक इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। 17 परसेन्ट जो कवर एरिया की बात कही गई है, मैं कहना चाहता हूं कि वह इतना नहीं है, इसके अंदर जो 60 हजार हेक्टेयर जमीन गयी है, वह भी शामिल है। आप जब तक अधिकारियों को दण्डित नहीं करेंगे, तब तक इसमें कोई सुधार होने वाला नहीं है। आप अधिकारियों/कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करें।

फारेस्टर को लाईसेन्सी आर्मड दिये जायं, रेंजर को दिये जायं। नीचे के तबके के कर्मचारी की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। जिसकी वजह से सारा डिपार्टमेंट खाली हो गया है। धन्यवाद।

श्री मुक्तिनाथ यादव –

मान्यवर, आपने मुझे वन विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। बजट में दो चीजें स्पष्ट रूप से झलक रही हैं। पहला वन का संरक्षण, दूसरा वन्य जन्तुओं का संरक्षण। वन्य जन्तु संरक्षण अधिनियम जो कानून बना है, उसके तहत आज किसानों का बहुत शोषण हो रहा है। कोई भी ऐसा जिला नहीं है, क्षेत्र नहीं है, जहां पर वन गायों एवं नील गायों से किसानों की फसल नष्ट न हो रही हो। हर जगह इनकी वजह से फसल नष्ट हो रही है।

और सरकार भी निःसहाय और प्रशासन भी निःसहाय हो जाता है। किसान रोज धरना और प्रदर्शन करके अपनी आवाज बुलंद करते हैं परन्तु उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। मेरा आग्रह है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर विचार किया जाना चाहिये। इस प्रदेश का किसान नील गाय वन गायों से परेशान है उन्होंने तबाही मचाई है। मेरे इलाके में लगभग सैकड़ों गांव ऐसे हैं जो हर साल वन गायों से प्रभावित हैं जिनकी फसलें वह चर जाती है और वह निःसहाय होकर देखता रहता है। मेरे अगल बगल के क्षेत्र में भी यही समस्या है।

सामाजिक वानकी विभाग जो पौधे उत्पादन करता है उसका एक तरफ लक्ष्य रहता है वह कीमती लकड़ी की तरफ ही ध्यान देता है। मेरा अनुरोध है कि फलदार वृक्षों की ओर भी ध्यान दिया जाय जैसे उद्यान विभाग नर्सरी विकसित करता है उसी तरह से वन विभाग भी नर्सरी बनाये। मैंने पिछली सरकारों के समय देखा कि जो सामाजिक वानकी विभाग द्वारा उत्पादन पर खर्च किया जाता है उसमें से 80 प्रतिशत पौधे सूख जाते हैं केवल 20 प्रतिशत पौधे ही बचते हैं तो उनकी सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाय।

मान्यवर, देवरिया में मैंने देखा कि जंगलों का अवैध कटान होता है। रोज अखबारों में आता है और उसकी प्रशासन को भी जानकारी है वहां पर माफिया सरगना अवैध कटान करते हैं मुख्य रूप से खैर जैसी कीमती लकड़ी की तस्करी हो रही है उस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये। वन विभाग सड़कों के किनारे लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर पौध लगाता है लेकिन उसे तैयार होने से पूर्व ही काट दिया जाता है। उसके रख-रखाव की कोई व्यवस्था होनी चाहिये। हमारी सरकार को इस पर विशेष ध्यान रखना होगा। इसका कुपरिणाम यह होता है कि आने वाले दिनों में जलवायु भी प्रभावित होगी जिससे देश और समाज को नुकसान होगा।

हमारे यहां सैकड़ों एकड़ जमीन ऐसी है जहां पर वन विभाग नर्सरी लगा सकता है। मेरे क्षेत्र में एक मठ है जहां सैकड़ों एकड़ जमीन उपलब्ध है जिसमें वन विभाग कोई रिसर्च सेंटर खोल सकता है, वहां पर वन विभाग की नर्सरी बनाई जाय वह जमीन जिलाधिकारी के नियंत्रण में है उस पर बराबर लिखा-पढ़ी हो रही है लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

मेरा क्षेत्र कटान से भी पीड़ित है वन विभाग द्वारा उन गांवों की सुरक्षा होनी चाहिए। रुद्रपुर क्षेत्र में 52 गांव हर साल कटान से प्रभावित होते हैं। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी उस ओर ध्यान दें और जब वह उत्तर भाषण दें उस पर विशेष ध्यान देंगे।

श्री अक्षयवर लाल–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने वन विभाग के कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए जो आपने समय दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

मान्यवर, बहराइच जिले के पश्चिम वन प्रभाग के कतरनियां घाट रैन्ज के भरतापुर गांव की सीमा और लखीमपुर की सीमा पर वन विभाग की हजारों एकड़ जमीन पड़ी हुई है जिसके संबंध में वन विभाग कहता है कि यह मेरी जमीन नहीं है और राजस्व विभाग कहता है कि हमारी जमीन नहीं है। इसलिए वहां के बड़े-बड़े लोग जो भू-माफिया हैं वह किसानों से पैसा लेकर उन्हें पट्टा कराने का आश्वासन देते हैं इसलिए इसको रोका जाये और वन विभाग अपनी जमीन पर अपना कब्जा करे।

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा है कि वन विभाग का जितना क्षेत्रफल अच्छादित होना चाहिए वह नहीं है इसलिए इसकी ओर ध्यान दिया जाये साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि बहराइच जनपद में एक गांव भरतापुर है वहां सत्ता पक्ष के लोग नारा दे रहे है कि जो जमीन सरकारी है वह जमीन हमारी है। उस रैन्ज के हजारों एकड़ जमीन पर सत्ता पक्ष के लोग कब्जा कर रहे हैं जिसके संबंध में वन विभाग के अधिकारियों ने रिपोर्ट भी दे दिया है लेकिन उन लोगों से जमीन खाली नहीं कराई जा रही है इसलिए इस पर ध्यान देकर उनसे जमीन खाली कराई जाये। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जब सत्ता पक्ष के लोग इस तरह का नारा देते हैं जिसे यदि जनता भी स्वीकार कर लेगी तो अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जायेगी अतः इसे रोका जाये।

मान्यवर, पूर्वी वन प्रभाग बहराइच के विकास खण्ड प्रयागपुर में वघेल तालाब के पास 10 एकड़ जमीन पर अराजक तत्वों ने बाउन्ड्री वाल खींच कर कब्जा कर लिया था लेकिन जिलाधिकारी ने उसे गिरवा दिया था किन्तु पुनः उस पर निर्माण कार्य कराया जा रहा है चूंकि जिलाधिकारी का ट्रान्सफर हो गया है, इसलिए इस कार्य को रोका जाये।

मान्यवर, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि यदि वन विभाग की सीमा को बढ़ाना है तो अवैध कब्जों को रोका जाना चाहिए। बहराइच के पूर्वी और पश्चिमी वन प्रभागों में दोनों तरफ जंगलों का अवैध कटान हो रहा है इसका कारण है कि बहराइच की सीमा नेपाल से लगी है इस लिए नेपाल में लोग लकड़ी काट कर ले जाते हैं। यहां के कुछ कर्मचारी जो लकड़ी काटते हैं उनसे मिले हैं और कुछ कर्मचारी ईमानदार हैं जो लकड़ी काटने को रोकते हैं जिससे उनकी हत्या की जाती है। नतीजा वहां के लोग डरे हैं इसलिए मेरा निवेदन है कि उन्हें संरक्षण दिया जाये और उनको शस्त्र उपलब्ध कराये जाये। वहां जो वन माफिया सक्रिय है जिनसे वन विभाग के

अधिकारी मिले हैं इसलिए वह अपने कर्मचारियों को प्रताड़ित करते हैं और ट्रान्सफर कर देते हैं इसलिए इसको रोका जाये।

मान्यवर, आपने बैरियर समाप्त कर दिया है, इसलिए अनुरोध है कि अवैध रूप से कटान को रोकने हेतु उचित व्यवस्था की जाये वरना वनों का सत्यानाश हो जायेगा। इसके साथ ही जो पैसा वनों के संबंध में दिया जा रहा है उसका पूरी तरह से सदुपयोग होना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा (महूभाई)–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का समय दिया। परन्तु खेद है कि इसमें पहाड़ों का हित नहीं देखा गया है। आज पहाड़ के लोग महसूस करते हैं कि जो विकास में गतिरोध पैदा हुआ है उसका कारण है कि वन अधिनियम पूरे प्रदेश में लागू किया गया है इससे पहाड़ का जितना विकास था और जितने कार्यक्रम थे वे सब अवरुद्ध हो गये हैं जिसके संबंध में बजट में कोई बात नहीं कही गई है। इसके साथ ही जो विकास कार्यक्रम की योजनाएं थी चाहे वह वानकी की हों या पीने के पानी की लाइन डालने की योजना की बात हो वह सभी लम्बित पड़ी हैं और आज हालत यह है कि सैकड़ों योजनाएं भारत सरकार में उत्तर प्रदेश की योजनाएं लम्बित पड़ी हैं।

जिससे आज न हम विद्युतीकरण कर पा रहे हैं, न पानी की कोई योजना बना पा रहे हैं और न स्कूल भवनों को बना पा रहे हैं यहां पर वनों के अवैध कटान को रोकने की बात आई, मैं इस संबंध में मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आप प्रदेश में या पर्वतीय अंचल में किसी ऐसी आरा मशीन को दिखा दीजिए, जिसमें कोई लकड़ी न हो। सब जगह है और बहुत बहुत है, तो वह कहां से आ रही है? वह चाहे वन निगम के माध्यम से हो या फिर वन माफियाओं के माध्यम से हो, लेकिन लकड़ी अवैध रूप से भारी मात्रा में आ रही है। केवल यह वन अधिनियम वन लोगों के लिए है जो गरीब लोग हैं और जिनका यह पैतृक अधिकार और सुविधा है, उनको जंगलों की जलाने की लकड़ी और जानवरों के लिए पत्ती देने से रोकने के लिए केवल यह अधिनियम लागू है। मैं मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि आपने जो वन अधिनियम लागू कर दिया है, तो उन गरीब मजदूरों के लिए जो दूर अंचल के हैं, जिनका एक घर वहां है और दूसरा घर एक-दो किलोमीटर पर है, क्या उनके लिए आपने खाना पकाने के लिए कुकिंग गैस की कोई बात कही है, क्या उसकी आपने उनके लिए कोई व्यवस्था की है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के नोटिस में यह लाना चाहता हूं कि यह वन अधिनियम पहाड़ों पर लागू है, तो सबसे पहले उनके लिए कुकिंग गैस की व्यवस्था की जाए वहां पर, जिससे हम लोग अपना खाना बनाते हैं। मान्यवर, वनीकरण की बात आई। अब प्रत्येक वर्ष वनीकरण होता है पहाड़ों पर। बरसात शुरू हो गई है और अब पहाड़ों पर वनीकरण का काम बहुत जोरों से होगा, लेकिन वह केवल

कागजों पर है, कागजों पर होगा। मेरे जनपद पिथौरागढ़ में लाखों करोड़ों रुपये की योजनाएं इसमें बनी, लेकिन मंत्री जी आज जानकारी करा लें कि कोई ऐसी योजना वहां नहीं है, कोई पौधे सुरक्षित नहीं हैं, जो 10 साल पहले वनीकरण हुआ। मेरा सुझाव है कि हम वनीकरण तो लगाते हैं, लेकिन उनकी रक्षा के लिए दूसरी बरसात तक भी कोई देखने वाला नहीं है। ऐसी योजनाओं को सुरक्षित रखने के लिए इकोलाजिकल फोर्स बनाई जाए, जंगल विभाग को यह काम न दिया जाए, बल्कि उससे अलग वहां के बेरोजगार लोगों को यह काम दिया जाए, जिनका केवल यही काम वनीकरण की रक्षा का हो। (लालबत्ती होने पर) मान्यवर, मैं नया सदस्य हूं, मुझे थोड़ा ज्यादा आप मौका दीजिए। पर्यावरण की बात कही गई, मेरे जनपद में दो फैक्टरियां है बाक्साईट की, उसमें से, उसकी चिमनियों से सदैव धुवां निकला करता है, जिससे सैकड़ों आदमी परेशान रहते हैं, खेती नहीं हो रही है, जानवर परेशान है, लेकिन आज तक उस धुवें को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है। वहां पानी में पर्यावरण हुआ, वहां से पीलिया रोग फैलने की शिकायत आई और आज जब उसके लिए पैसा मांगा गया तो उसके लिए पैसा नहीं दिया जा रहा है। तीसरा, जो सबसे बड़ा शासन ने वहां प्रदूषण भेजा है, वह है जो पहाड़ी अंचल में हुआ है, सरकार ने जगह जगह पर वहां शराब की दुकानें खोल दी हैं। अभी तक वहां सिर्फ विदेशी शराब बिकती थी, लेकिन अब देशी शराब की दुकानें भी खोल दी गई हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी हमारे जनपद में गये थे, वहां उन्होंने अपने भाषण में कहा कि यह तो पार्वती का मायका है, और आज हमें कष्ट हो रहा है कि उस पार्वती के मायके में शासन ने अपना प्रदूषण शराब के रूप में भेज दिया। मान्यवर, मैं एक निवेदन फिर दोहरा रहा हूं कि वहां पर बेरोजगारी को दूर करने के लिये, प्रदूषण को दूर करने के लिये, वनों की सुरक्षा के लिये ईकोलाजिकल फोर्स बनाई जाय जिसमें बेरोजगार नवयुवकों, भूतपूर्व सैनिकों को इम्प्लायमेंट दिया जाय। सारे कार्य वन विभाग के जैसे वनीकरण कर इन लोगों को दे दिया जाय।

श्री रामलेख–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने बोलने का समय दिया।

लंच पैकेट सड़े और दुर्गन्ध युक्त होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। इस सम्मानित सदन के सदस्यों के लिये जो भोजन की व्यवस्था की गई थी, वह भोजन पूरी तरह से सड़ा हुआ है, वह खाना वापस कर दिया गया है। मटल कार्यालय के बाहर लगा हुआ है। उसमें से दुर्गन्ध आ रही है। उस खाने को वहां से तुरन्त हटवाया जाय। मान्यवर, आज परिवहन विभाग का बजट है और खाना परिवहन विभाग की तरफ से था। इस काम के लिये जो भी दोषी हो उसको दंडित किया जाय। खाना विधान भवन परिसर से बाहर फेंक दिया जाय। इससे हैजा फैलने का डर है। हम विधायक बीमार पड़ सकते हैं अतः इसको हटवाने की व्यवस्था करवायें।

श्री अधिष्ठाता–

शासन इसको दिखवा ले और हटाने की व्यवस्था करे।

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल–

मान्यवर, दोषी व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करने के भी आदेश करने का कष्ट करें।

श्री अधिष्ठाता–

इसको दिखवा लिया जायेगा।

वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान

अनुदान संख्या–60 वन विभाग (क्रमागत)

श्री राम तेज–

मान्यवर, अभी जो बजट आया है उसी के सिलसिले में मैं कहने जा रहा था कि मेरे दोस्त जिन्होंने अभी खाने की बात कही है। खाने की बात कर रहे हैं, जो बजट रखा है उस विषय में नहीं देख रहे हैं। जंगल राज की तरह जंगल की बात नहीं करनी चाहिए। जंगल हिन्दुस्तान और प्रदेश के आम आदमी की जान है और इसके बारे में थोड़ी ही दिन पहले माननीय मंत्री जी ने इस सिलसिले में कार्य करना शुरू किया है जो कि सन्तोषजनक है। मेरे सामने जो लोग बैठे हैं, इससे पहले की सरकार के यह दोहरी नीति चल रहे थे और खुद ही नहीं समझ पाते थे कि कौन सी नीति तय करें? इन्होंने जंगलों को काटना शुरू कर दिया था। बड़े-बड़े माफिया लोग बी०जे०पी० के संरक्षण में थे जंगलों को समाप्त करने की कोशिश कर रहे थे। उत्तर प्रदेश की जनता ने तय किया कि बी०जे०पी० से और इनके लोगों से जंगल की रक्षा करनी है इसलिये उत्तर प्रदेश के लोगों ने काम किया और वक्त बदल गया। उत्तर प्रदेश शासन और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कार्य करना आरम्भ किया है। जहां-जहां खेत नष्ट हो रहे हैं वहां जंगल लगाये जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के और जिले-जिले के अधिकारी देख रहे हैं जहां कहीं भूमि ऊसर होती जा रही है वहां पर वृक्ष लगाये जा रहे हैं जंगल लगाये जा रहे हैं इतना ही नहीं वनीकरण किया जा रहा है अभी बी०जे०पी० के एक सदस्य अक्षयवर भारती कह रहे थे कि बहराइच में जंगल बना रहे हैं भूमि पर कब्जा किया जा रहा है। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि अपनी बात भूल गये। इन्होंने खुद नानपारा में जमीन का अवैध कब्जा कर रखा है। खुद का दृष्टिकोण यहां बताने जा रहे हैं मैं इनसे कहूंगा कि जो आप कब्जा कर रहे हैं वह जमीन छोड़ दें तो बहुत अच्छी बात होगी जहां तक कुशल प्रशासन की बात है, अच्छी सोच पैदा हुई है।

जंगल से प्रदूषण खत्म हो रहा है। पेड़ रहेंगे तो जीवन की रक्षा होगी। कीमती दवाएं जंगलों से मिलती हैं मेरे बहराइच जिले में खासतौर से नानपारा, पाटा इलाका है सड़कों के किनारे पेड़ लगाने की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में की जा रही है जिससे पर्यावरण ठीक होगा। लोगों के जीवन को लाभ मिल सकेगा. जंगल की लकड़ियों की बहुत कीमत होती है। जंगल की तरक्की

के लिए प्रयास हो रहा है। इसके लिए बजट में प्राविधान किया गया है। आप लोग केवल विरोध के लिए, कि दोहन हो रहा है लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छी व्यवस्था के चलते अच्छे काम होंगे। चार महीनों में क्या काम हुए यह कहा गया तो यह तो वक्त बताएगा और बता रहा है। मुलायम सिंह जी की सरकार है। जंगल विभाग के पर्यावरण के अधिकारियों की जो सोच है वह माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सोच में बदल गई है। इसलिए जंगलों की रक्षा होगी। अच्छे जंगल लगाए जायेंगे इससे पैसा मिलेगा और सरकार की ताकत बढ़ेगी।

श्री हरेन्द्र सिंह (मुज्जफरनगर)–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे पाल जी द्वारा रखे गए कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, वन विभाग के बजट पर जो मंत्री जी ने भाषण दिया उसको तो नहीं सुना, लेकिन माननीय पाल जी को सुना है। इस सरकार में दो-चार मंत्री हैं जो तजुर्बेकार हैं उनमें वन मंत्री जी भी हैं। मैं तीन-चार बिन्दुओं की तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मान्यवर, वन विभाग के मामलों में करेप्शन की बात है तो इसमें कोई दो-राय नहीं है। अवैध कटान हैं जो वाजिब नहीं हैं। लेकिन अवैध कटान होते हैं। श्रीमन् यदि किसान को अपने खेत की बीच का यदि एक पेड़ काटना चाहे तो वह नहीं काट सकता है। इसके लिए उसे कई चक्कर लगाने पड़ते हैं जबकि एक पेड़ वह काट सकता है लेकिन सुविधा शुल्क के बिना परमिट जारी नहीं होता है। मेरी जानकारी है जो डी०एफ०ओ० हैं मोर दे फिफ्टी सही नहीं हैं। मंत्री जी वरिष्ठ सदस्य हैं जो सेक्रेट्री हैं वह अच्छे हैं। डी०एफ०ओ० की जांच नहीं हो पाती है। सामाजिक वानिकी की जो व्यवस्था है उसमें किसान नर्सरी की व्यवस्था थी उनको हतोत्साहित किया जाता है। बृजलाल ने मान्यवर, एक नर्सरी बनाई डी०एफ०ओ० ने दो हजार रुपये मांगे कि रास्ता दे दूंगा। इसमें मंत्री जी से भी कहा लेकिन कुछ नहीं हुआ। दरिया सिंह ने ट्रांसफर के लिए 6 चक्कर लगाए तब जाकर ट्रांसफर हुआ। पीलीभीत का मामला सिंह साहब ने बताया खाली जमीन ऊसर जमीन पड़ी थी। किसानों ने दिन-रात एक करके खेती की, और उस खड़ी फसल को जोत दिया गया क्योंकि उसने सुविधा शुल्क नहीं दिया था। बड़े किसानों की जमीन बिकती है तो फायदा होता है। अब 12 सौ रुपये एकड़ के हिसाब से जमीन पट्टे पर दी जाएगी कुछ ऐसा होना चाहिए आप प्रतिवर्ष रिन्यूवल की व्यवस्था कर दें। मैं चाहूंगा सदन में घोषणा कर दें जो फसल बिकने के करीब होती है तो उसको जोत दिया जाता है। डी०एफ०ओ० को यदि शिकायत ही करनी होती है तो जब बुआई होती है तो शिकायत करे लेकिन जब फसल पकती है तो उसे ट्रैक्टर से जोत दिया जाता है।

अवैध कटान की बात है, ऐसा कोई स्थान नहीं है, जहाँ पर अवैध कटान न हो। सागौन की लकड़ी जो 800 रु० स्क्वायर फीट मिलती है वह अवैध तरीके से 200 रु० स्क्वायर फीट के हिसाब से खरीदी जा रही है। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि सभी आपके सीधेपन का

फायदा उठा रहे हैं। दूसरा मान्यवर, वन्य जीवों का मामला है। आज भी अवैध शिकार हो रहा है। जो पैसे वाले लोग हैं, जो बड़े लोग हैं वह शिकार कर वन्य जीवों को समाप्त करने का काम कर रहे हैं। इस बात की आपकी तरफ से सदन में घोषणा हो कि जिस डी० एफ० ओ० के अधीन जिले में अवैध शिकार किया जाएगा, अवैध कटान होगी, उनकी सीधी जवाब देही होगी।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर व्यवधान)

डा० शिव प्रताप यादव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। मान्यवर, पर्यावरण जिस तरीके से प्रदूषित हो रहा है। चाहे कल कारखानों से निकलने वाली गैसे हों, चाहे ओजोन की पर्त की मोटाई कम होने का मामला है यह एक बहुत ही गम्भीर समस्या पैदा हो गई है। आक्सीजन की मात्रा वायुमण्डल में कम हो रही है। इसको हम लोगों को गम्भीरता से लेना चाहिए और हमारी सरकार ने इसको गम्भीरता से लिया है। वनों के संरक्षण के लिए वनों को लगाने का निर्णय लिया है। यह स्वागत योग्य कदम है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र गैसड़ी में वन और वन के अन्दर जो गांव हैं, या उसके पास हैं वहां के रहने वाले लोग वनों को संरक्षण करने का काम करते हैं। इसलिए हमारा यह कर्तव्य हो जाता है कि वनों के आस-पास के जो गांव हैं, जो निवासी हैं, उनको कुछ सुविधायें देनी चाहिए। उनको दो चार साल पहले कुछ सुविधायें दी जाती थी। जो वन क्षेत्र है उसके आस-पास जो ग्रामीण थे उनके लिए धाम, थूनी कोरो, बड़ेर आदि की लकड़ी मिलती थी। खरफूस मिलता था वह होना चाहिए। दूसरे जो गांव वनों में या पास में है और जो वहां 50–50,60–60 साल से वहाँ रह रहे हैं ऐसे गांवों को राजस्व गांव घोषित नहीं किया गया है। वह वनों की रक्षा करने का कार्य करते हैं उसमें तमाम सड़क का निर्माण हो रहा है। उसमें वह काम कर रहे हैं, लेकिन उनको राजस्व गांव नहीं घोषित किया गया है। जिससे उनको सुविधायें नहीं मिल रही हैं। इसलिए मैं मंत्री जी से गुजारिश करता हूँ कि पी० डी० माफी की व्यवस्था पुनः शुरू की जाए।

मान्यवर, भकुरवा, नरिहवा, कंचनपुर, अकल घरवा भवानीपुर कलां, यह जो वन में गांव हैं इनको राजस्व गांव घोषित किया जाय। इस शब्दों के साथ माननीय मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करता हूँ।

श्री राम विशुन आजाद–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो बजट प्रस्तुत किया गया है मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूँ।

हमारे जनपद गोण्डा का एक तिहाई भाग जंगलों से घिरा हुआ है। सभी सरकारें पर्यावरण की बात करती हैं।

श्री कृष्ण कुमार नवमान–

मान्यवर, मुझे भी बोलने के लिये समय दिया जाय। मैं काफी समय से बोलने के लिये खड़ा हो रहा हूँ।

श्री अधिष्ठाता–

आपको समय मिलेगा।

श्री राम विशुन आजाद–

सरकार कोई भी आयी लेकिन जितना वनों की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिएं उतना ध्यान नहीं दिया गया। जब दलितों की सरकार आयी तो तथाकथित दलितों की सरकार में लकड़ी का कटान जारी रहा। पहले लकड़ी की कटाई गोले के रूप में होती थी। इस समय टिकाड़ी, रामगंज, धारीघाट में लकड़ी की कटान हो रही है। अब लकड़ी की कटाई पटरे के रूप में हो रही हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी ने लकड़ी के अवैध कटान को रोकने के लिये इस तरीके की कोई बात नहीं की जिससे कि अवैध कटान को रोका जा सके। हमारे क्षेत्र में वन माफियाओं द्वारा जबरदस्त अवैध कटान हो रही है जिसके कारण सारे जंगल के जंगल साफ होते जा रहे हैं जिससे पर्यावरण का गम्भीर खतरा उत्पन्न हो गया है। माननीय अधिष्ठाता जी, जंगलों में वन टांगिया रहते हैं। वन विभाग के कर्मचारी इनका शोषण करते हैं और इनको पूरी मजदूरी नहीं देते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वन टांगिया लोगों को स्थायी रूप से बसाया जाय और उनको उचित मजदूरी दिलाने की व्यवस्था की जाय। इसी तरीके से मैं कहना चाहता हूँ कि वजीरपुर, मनकापुर, ब्लाक में वह गांव जो जंगल के किनारे हैं वहां जंगली जानवरों से फसलों को बहुत नुकसान पहुंचता है। मैं जंगली जानवरों को मारने की बात नहीं करता हूँ क्योंकि अहिंसा परमो धर्मा, लेकिन यह जरूर कहना चाहता हूँ कि जिन गांवों की फसलों को जंगली जानवरों से नुकसान पहुंचे उन गांवों की फसलों का वन विभाग द्वारा सर्वे कराकर जितनी फसल का नुकसान हुआ हो उसकी क्षतिपूर्ति वन विभाग द्वारा किसानों को मिलनी चाहिए। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं एक सुझाव और देना चाहता हूँ कि टास्कफोर्स की व्यवस्था की जाय जिससे वन कटान को रोका जा सके। अभी माननीय मंत्री जी गोंडा गये थे और उन्होंने लाखों रुपयों की लकड़ी पकड़ी थी और रामगंज टिकारी रेंज के रेंजर का ट्रांसफर किया गया था। लेकिन पता नहीं क्यों यह ट्रांसफर रोक दिया गया है। टिकारी रेंज के सारे जंगलों को रेंजर साफ करा रहा है जिसके लिये उसके खिलाफ कार्यवाही भी की गयी थी लेकिन पता नहीं क्यों उस कार्यवाही को रोक दिया गया है। इन शब्दों के साथ मैं अपना बात समाप्त करता हूँ और बजट का समर्थन करता हूँ।

श्री कृष्ण कुमार नवमान–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने वन विभाग के आय-व्ययक पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, वन विभाग के महत्व को माननीय मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है लेकिन मैं आश्चर्य में हूँ कि पिछले 15 सालों में सबसे कम बजट इस वर्ष वन विभाग के लिये रखा गया है।

यह बड़ा अनौचित्यपूर्ण अनुचितपूर्ण कार्य हैं कि एक तरफ तो इस विभाग को महत्वपूर्ण बताया जा रहा है और दूसरी तरफ इसका बजट पिछले पन्द्रह सालों से सबसे कम रखा गया है। मान्यवर, सभी लोग कहते हैं कि वनों को नहीं काटना चाहिए, लेकिन इसमें मेरा सुझाव है कि वनों को उद्योग का दर्जा दिया जाना चाहिए और वनों के पेड़ों की एक उम्र निर्धारित की जानी चाहिए और जब उसकी ढलान शुरू हो, तो उसे काट लेना चाहिए, लेकिन यह उद्देश्य इसके पीछे होना चाहिए कि अगर एक पेड़ काटते हैं, तो 10 पेड़ लगायेंगे। जिस प्रकार यूकेलिप्टस के पेड़ व्यावसायिक आधार पर लगाये तथा काटे जाते हैं। आज यह जो वनों का क्षेत्रफल भारी मात्रा में खड़ा हुआ है, उससे हमारी आय होनी चाहिए, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है तथा आय के स्थान पर हानि हो रही है हमारे पेड़-पौधे होते हैं, बढ़ते हैं, फिर दीमक लगकर गिर जाते हैं, इसका ठीक प्रकार से नियोजित ढंग से समय पर कटान किया जाय और जितने पेड़ काटे जायं, उसके 10 गुना पेड़ लगाये जाये। तो राजस्व भी बढ़ेगा तथा वन भी बढ़ेगा दूसरा मेरा निवेदन है कि हम बार-बार कहते हैं कि हमारे देश का जो नागरिक पैदा होता है, वह 12 हजार रुपये के कर्जे में पैदा होता है। मेरा निवेदन है कि हम अगर जोरदार तरीके से वनों को लगायें, पेड़ों को लगायें, तो हम इस स्थिति में हो सकते हैं और गौरव से कह सकते है कि हमारा जो नागरिक पैदा होगा, वह 200–300 पेड़ों का मालिक होगा, उससे हमारा मनोबल बढ़ेगा, हमारी ख्याति बढ़ेगी। आज कोई भी व्यक्तिगत रूप से पेड़ लगाने में हिचकिचाता है, क्योंकि जब उसको अपनी लड़की की शादी का सामना करना पड़ता है और वह उस समय आर्थिक समस्या के समय में उन पेड़ों को काटना चाहता है तो काट नहीं पाता क्योंकि उसको काटने में उसे वन विभाग और पुलिस वालों को भेंट चढ़ाने में उससे कई गुना खर्च हो जाता है। इससे आम जन मानस की पेड़ लगाने में रुचि भी कम हो जाती है। मान्यवर, जो व्यक्तिगत रूप से पेड़ लगाते हैं, उनको पुराने पेड़ काटने की छूट होनी चाहिए। मान्यवर, अलीगढ़ ऐसा स्थान है, जहां पर वन विभाग और सरकार पेड़ लगाना चाहें, तो आज वहां पर जितने पेड़ हैं, उससे चौगुने पेड़ लग सकते हैं। अगर इसको एक जनांदोलन का रूप लेकर सबका सहयोग लेकर चलने की भावना इस सरकार के अन्दर हो, तो वहां पर असंख्य पेड़ लग सकते हैं। इस शब्दों के साथ मैं माननीय पाल साहब के कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री मोहम्मद अरशद खान–

मैं मान्यवर, मंत्री जी के आज के बजट पर दो-एक बातें रखना चाहता हूँ। मान्यवर, आज बड़े पैमाने पर किसानों की फसलें वन गायों के द्वारा बर्बाद हो रही हैं। मैं माननीय मंत्री जी से

निवेदन करूंगा कि वन गायों को पकड़ने और उनको सस्ते दामों पर बिक्री करने की व्यवस्था करें। इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूँ और अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री विश्राम सिंह यादव–

मान्यवर, एक इंडियन फारेस्ट ऐक्ट है और एक यू० पी० फारेस्ट ऐक्ट है, जब तक ये दोनों अधिनियम रहेंगे, तब तक वृक्षों का कटान जारी रहेगा। इससे पुलिस और वन विभाग के अधिकारियों में लड़ाई होती है।

इसलिये मैं चाहता हूँ कि एक कम्प्रेहेन्सिव ऐक्ट बनाया जाये। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो बबूल के पेड़ लगाये जाते हैं, इनसे न तो छाया मिलती है और न कोई लाभ मिलता है, बल्कि इनके नीचे बदमाश एकत्र होते हैं और जंगली जानवर आकर रुकते हैं और आस-पास की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। इनको यह कहकर लगाया जाता है कि इससे ऊसर का सुधार होगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ऊसर का सुधार भूमि सेना से भी हो सकता है, इसलिए बबूल के पेड़ों को न लगाया जाये। इसी प्रकार से जो युकलिप्टस के पेड़ हैं इनको न लगाया जाये। यह तो ऐसी जमीन में लगाये जाते हैं, जहां पर दलदल होता है।

हमारे यहां लगाने से यह पानी की समस्या को पैदा करते हैं। तीसरा मेरा सुझाव यह है कि नीलगायों और वनरोजों की बात कही गयी है, लेकिन जंगली गायों की बात नहीं कही गयी है। हरदोई जिले में जो जंगल हैं वहां पर जंगली गायें बहुत हैं, वह किसानों की फसल को नुकसान पहुंचाती हैं। इसलिये मेरा सुझाव है कि इनको पकड़वा कर वनों में छोड़ देना चाहिये, जो संरक्षित वन हैं, वहां पर छोड़ देना चाहिये, इससे किसानों की फसल बच जायेगी, चौथा मेरा सुझाव यह है कि गांव सभा की जो बचत की जमीन है, उसको वन विभाग के लोग गांव प्रधानों को मिलाकर अपने विभाग में मिलाने का कार्य कर रहे हैं, जिससे अच्छी किस्म की जमीन वन विभाग में चली जा रही है और गरीब लोगों के लिये पट्टे नहीं हो पा रहे हैं और वह जो अच्छी जमीन है, उसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। इसलिये मेरा निवेदन है कि अच्छी जमीन को अपने विभाग में न सम्मिलित करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूँ जिन्होंने अपने-अपने सुझाव दिये चाहे वह सत्ता पक्ष के रहे हों या विरोधी पक्ष के रहे हों। और मैं आशा करता हूँ कि माननीय मंत्री जी उन पर अवश्य विचार करेंगे। इससे वन विभाग की छवि में बढ़ोत्तरी होगी। मान्यवर, लकड़ी महत्वपूर्ण है, वह मनुष्य का साथ जन्म से लेकर मृत्यु तक देती है। जब बच्चा पैदा होता है, तो बच्चे को खिलौना दिया जाता है और जब वह बूढ़ा होता है तो उसे लकड़ी की आवश्यकता होती है और जब वह मरता है तो भी लकड़ी ही साथ देती है। तो लकड़ी मनुष्य के लिये बड़ी उपयोगी

है। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अभी कहा कि 17 प्रतिशत भूमि वनों से आच्छादित है, लेकिन जो नेशनल सेन्सिंग रिमोट/एजेन्सी हैदराबाद में है, उसके अनुसार 14 प्रतिशत वन हैं। इन शब्दों के साथ मैं दो चार सुझाव देना चाहता हूँ, एक तो यह है कि जो वन महोत्सव किये जायें, वह परम्परागत न हों, यह नहीं होना चाहिये कि जुलाई आई और राज्यपाल से या मुख्य मंत्री से एक पेड़ लगवा लिया और वन विभाग ने अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली।

मान्यवर, जहां भी इन्होंने कोई भी जमीन के लिये निर्धारित की हैं 10 हेक्टेयर वहां इन पेड़ों को लगाया जाना चाहिए। चाहें मुख्य मंत्री हों, मंत्री हो या महामहिम राज्यपाल हों उससे यह एहसास होगा कि 10 हेक्टेयर का वृक्षारोपण करना है और उसे वन विभाग करायें तो वह अवश्य लग जायेंगे। मान्यवर, आज दुनिया के तमाम मुल्कों में आज राजनीतिक पार्टियाँ पर्यावरण पर चुनाव लड़ रही हैं आज लोग इसे चुनाव का मुद्दा बना रहे हैं और संसदों में पहुंच रहे हैं तो आज इन परिस्थितियों में उनके महत्व को देखना है और जहां तक जनान्दोलन की बात की हैं लोगों को सहभागिता की बात की है इसमें तमाम स्कूल हैं कालेज हैं, यूनिवर्सिटियां हैं यह तमाम सरकारी संस्थायें हैं, उनको सबको जोड़ना है यह जो तमाम सरकारी विभाग हैं इन विभागों में विभागाध्यक्षों को जाना चाहिए जैसे पुलिस विभाग हैं इसमें पुलिस विभाग के विभागाध्यक्ष जाकर पुलिस लाइन में वृक्षारोपण करें और अन्य विभागों में भी जो भी हो वह जाकर अपने-अपने यहां वृक्षारोपण करें जितनी भी उनके यहां भूमि उपलब्ध हों वहां जाकर वृक्षारोपण करें एक तो यह चीज सुनिश्चित कर दें, कानून बना दें जो शहरों में कालोनियां बन रही हैं, सीवेज बन रहे हैं और उसी तरह से जो सड़कों के किनारे जो नये मकान विकसित हो रहे हैं उनके किनारे पेड़ लगाना अनिवार्य कर दें तो कम से कम यह स्थिति बनेगी और आपकी चिन्ता दूर होगी।

अगर आप फारेस्टी के प्रति चिन्तित हैं तो इस पर्यावरण को छात्रों के पाठ्यक्रम में समावेश करायें तो इससे कम से कम हर क्षेत्र की आने वाली पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं उसका महत्व समझा सकेंगे। इसके अतिरिक्त आज जो विभागों द्वारा लकड़ियां पकड़ी जाती हैं कटान की वह वन विभाग में पड़ी रहती हैं। इसमें जब उसका मुकदमा समाप्त हो जाता है तो उसके बाद भी वह लकड़ियां पड़ी रहती हैं जिससे लाखों रुपये का नुकसान होता है तो इस लकड़ी को जैसे ही विवाद समाप्त हो न्यायालय का वैसे ही इसे वन निगम को सौंपा जाय जिससे उसका विपणन हो सके और धन अर्जित कर सकें जिससे उसका लाभ हो सके। इसके अतिरिक्त जो वृक्षारोपण के लिए गोड़ाई की जाती है तो उससे ऐसा होता है कि जो गोड़ाई करते हैं उसे फील्ड के लोग 2-3 बार की गोड़ाई दिखा करके पैसा ले लेते हैं तो इस पर वृक्षारोपण के लिए गोड़ाई पर पैसे का दुरुपयोग न हो यह देखा जाना चाहिए और इसमें जो खाद या रासायनिक प्रयोग किया जाता है उसका भी समुचित प्रयोग किया जाना चाहिए ऐसा देखा गया है कि रासायनिक पदार्थों के लिए पैसा निर्गत कर दिया जाता है लेकिन इस्तेमाल नहीं होता है। एक तरफ तो लोग निकाले जा रहे हैं उनको वेतन नहीं मिल रहा है.....

लेकिन आज भी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं जो वन विभाग के अधिकारियों के घरों में निजी कार्य करते हैं उनको निजी कार्य कराने के बजाये वृक्षारोपण के काम में लगाया जाये या अन्य कामों में लगाया जाये। आज जो वन विभाग की सड़कें हैं वह क्षतिग्रस्त हो गयी हैं उनको चुस्त-दुरुस्त करने की आवश्यकता है।

आज जो सड़कें बनी हुई हैं वह अंग्रेजों के जमाने की सड़कें हैं। उनका रख-रखाव ठीक से नहीं हुआ है, उनको ठीक कराया जाये। उसमें खाली ट्रेक्टर से मिट्टी डाल देते हैं उसे पक्का कराया जाये। एक चीज और कहना चाहूँगा कि जो फारेस्ट के रेस्ट हाउस हैं उन्हें पर्यटकों को किराये पर दे दिया जाये जिससे आमदनी भी होगी। बल्कि मैं तो यह कहता हूँ कि इसे टूरिज्म से जोड़ दिया जाये। हमने रूस और जर्मनी में फारेस्ट्री देखी है। वहां पर लोग वीकेन्ड मनाने के लिए आते हैं। लखनऊ में जो कुकरैल में गेस्ट हाउस बना हुआ है उसका विस्तार नहीं हुआ है। आज वहां पर हजारों लोग जाते हैं। आज लखनऊ में बढ़ती हुई जनसंख्या के दबाव से, शहर में हो रहे प्रदूषण से बचने के लिए, कोलाहल से बचने के लिए शहरों से निकलकर लोग कुकरैल में जाते हैं। मैं तो यह कहूंगा कि इसमें लायन सफारी और टाइगर सफारी बनायी जाये। आज हिन्दुस्तान के दूसरे राज्यों में हैदराबाद में नन्दन कानन में लाइन सफारी, टाइगर सफारी है। लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं है। लखनऊ में यह सबसे अधिक उपयुक्त स्थान होगा। पिछली बार इसकी योजना भी बनायी गयी थी। मैं तो यह समझता हूँ कि यह बहुत बड़ा आकर्षण का केन्द्र होगा। लोग कुकरैल में जायेंगे और देखेंगे।

श्री अधिष्ठाता–

पाल साहब अब बहुत हो गया है। अब आप कृपया संक्षिप्त करें। आप तो माननीय मंत्री जी से कह रहे थे कि कागजों से न पढ़ें। आप स्वयं कागज पढ़ने लगे हैं अब समाप्त करें।

श्री जगदम्बिका पाल–

ठीक है, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। माननीय सदस्यों ने बहुत अच्छे सुझाव दिये हैं। जैसा कि माननीय सदस्यों ने, सत्ता पक्ष के लोगों ने भी कहा है कि यूकेलिप्टस के पेड़ लगाये जा रहे हैं उनकी कोई उपयोगिता नहीं है और भौगोलिक दृष्टिकोण से भी इनकी आज कोई सार्थकता नहीं रह गयी है इसलिए फलदार वृक्ष लगाये जाने चाहिए। सड़कों के किनारे आम, जामुन और कटहल के पेड़ लगाये जायें जो फल तो दे ही साथ में छाया भी दें। इसी के साथ दो तीन सुझाव और आये हैं। नील गायों, वन रोजों और पट्टा देने के सम्बन्ध में। यह एक सदस्य के क्षेत्र की चिन्ता की बात नहीं है बल्कि पूरे प्रदेश की चिन्ता का विषय है। उसके सम्बन्ध में भी माननीय मंत्री जी को ध्यान देना होगा। वनों की भूमि ऋषियों और मुनियों की स्थली रही हैं।

रसखान कवि ने कहा भी है–

"कोटिक ये कलधौत के धाम कुरील की कुंजन ऊपर वारो"

इसका मतलब यह हुआ कि लोगों ने माना है कि वनों और कुंजों के आगे महलों और राज प्रासादों को निछावर कर देना चाहिए। राजा रामचन्द्र ने भी अपने चौदह वर्ष वनों में गुजारे थे। तो ऐसे जिस वन की महत्ता है, उस वनों की महत्ता के संबंध में निश्चित तौर से ध्यान देंगे, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

[समय 6 बजकर 20 मिनट]

श्री भगवती सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय सदस्यों का बहुत-बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने वन संरक्षण और वन सम्वर्धन के लिये मूल्यवान सुझाव दिये हैं। माननीय जगदम्बिका पाल जी ने भी अपनी जिज्ञासा व्यक्त की है और वह वनों के संरक्षण और सम्वर्धन के लिये चिन्तित भी हैं, पहले तो मैं उसने यह अनुरोध करूंगा कि उन्होंने जो मूल्यवान सुझाव दिये हैं, उनका मैं आदर करता हूँ, उनके अनुरूप वनों में जो कुछ भी हो सकता है, माननीय सदस्यों के सुझावों के अनुरूप जो कुछ हो सकता है, उसे करने का पूरा प्रयास करूंगा। मैं पाल साहब से अनुरोध करूंगा कि वह अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें और वन विभाग के बजट को पास करने की कृपा करें।

मान्यवर, जहां तक वनों के कटान का संबंध है, सभी माननीय सदस्य इससे चिन्तित हैं। मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वासन देना चाहता हूँ कि यह सरकार वन माफियाओं से सख्ती के साथ निपटेगी और वनों के संरक्षण के लिये कोई कसर बाकी नहीं रखेगी, इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिये गये हैं। इस संबंध में मान्यवर, वन विभाग भी चिन्तित है और इसी उद्देश्य से, जो वन अधिनियम, 1927 है, उसमें संशोधन करने का इरादा है। मान्यवर, जब तक उसमें संशोधन नहीं होगा, तब तक वह प्रभावी नहीं हो पायेगा और यह जो वन माफिया हैं, उनको नियंत्रित करने, उनके साथ सख्ती से व्यवहार करने में मुश्किल पड़ रही है। माननीय पाल जी ने जैसा सुझाव दिया है कि जिन साधनों से यह अवैध लकड़ी आती है या जो गाड़ियां इस्तेमाल की जाती हैं, उनको सीज किया जाय। इस अधिनियम में संशोधन हो जाने से इस तरह के जो भी काम हैं, वह संभव हो पायेंगे। वन अधिनियम में संशोधन हो, उसके लिये वन विभाग सक्रिय है और मैं इस काम को जल्दी ही पूरा कर सकूंगा।

मान्यवर, बहुत जल्दी माननीय सदस्यगण उसमें संशोधन चाहते हैं, वन विभाग भी चाहता है कि उसमें यथाशीघ्र संशोधन हो जाय, क्योंकि उसके चलते हमारे कर्मचारी मारे जा रहे हैं। हमें वन कटान को रोकने में भी कठिनाई पड़ रही है, लेकिन अधिनियम में संशोधन करने की कुछ प्रक्रिया है। फारेस्ट ऐक्ट केन्द्रीय सरकार का है, इसलिये उनसे अनुमति लेनी होती है, इसके लिये हम प्रयास कर रहे हैं, जैसे ही हमको अनुमति मिलेगी, उसे प्रभावी रूप से संशोधन करके लागू किया जायेगा।

मान्यवर, जहां तक भूमि अतिक्रमण का संबंध है, वर्ष 1993-94 में इस संबंध में एक हजार नौ सौ इक्यानवे एकड़ वन भूमि पर अतिक्रमण से खाली कराया गया है और हमारा यह प्रयास है कि जो वन भूमि अतिक्रमण से खाली हो, उस पर तत्काल कब्जा लेकर वृक्षारोपण करके उस जमीन पर वन विभाग का पूरी तरह से दखल बन जाय। मान्यवर, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि अतिक्रमण के मामले में हमारी मदद करें। मान्यवर, जहां तक माननीय जगदम्बिका पाल जी ने और दूसरे माननीय सदस्यों ने यह चिन्ता व्यक्त की, कि वृक्षारोपण तो होता है, लेकिन कितने वृक्ष जीवित रहते हैं। इस पर शायद कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। मैं उनको आश्वासन देना चाहता हूँ कि वन विभाग का पूरा प्रयास है कि जो वृक्षारोपण किया जाय, उसमें सरवाइवल को भी देखा जाय, ताकि अधिक से अधिक वन बच सकें और जो आज हमको आवश्यकता है, उस आवश्यकता की पूर्ति भी हो सके।

मान्यवर, इसके लिये अनुश्रवण कार्य होता है और यह देखा जाता है कि कितने पौधे लगे और उनमें से कितने जीवित हैं और जहां पर लक्ष्य से ज्यादा वृक्ष नष्ट होते हैं वहां के जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी को उसके लिये दंडित किया जाता है। मान्यवर, राजाजी राष्ट्रीय पार्क जहां पर गूजरों की समस्या है । हमारा यह प्रयास है कि उनको पूरी सुविधा देकर उस पार्क से बाहर करें और उनके रहने की पूरी सुविधा, बसाई गयी नगरी, जोकि करीब 3 करोड़ की लागत से उनके लिये बनाई गयी हैं, यह प्रयास है कि उन आवासों में वह गूजर चले जायें। उनके लिये औषधालय, सामुदायिक केन्द्र, स्कूल और सभी तरह की सुविधाओं की व्यवस्था की गयी है। यह प्रयास किया जा रहा है कि वह राष्ट्रीय पार्क छोड़कर, खाली करके उन बने हुये आवासों में चले जायें।

मान्यवर, नगर वन योजना के सम्बन्ध में माननीय जगदम्बिका पाल जी की चिन्ता के सम्बन्ध में बताना चाहूंगा कि जो उनकी इच्छा है कि जो नगर हैं, वह हरे-भरे दिखाई पड़ें वह हमारा लक्ष्य है और यह हमारा प्रयास है कि जो नगर हैं, उनमें बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण का काम हो और इस दृष्टि से सबसे पहली किस्त में आगरा, लखनऊ और कानपुर जो बड़े नगर हैं, जो प्रदूषण से घिरे हुये हैं, उनको बड़े पैमाने पर हरा-भरा करने का कार्यक्रम वन विभाग का है और इसके साथ-साथ जो नये मकान बनेंगे, उन नये मकानों के बनाने वालों को दो पेड़ लगाने की अनिवार्यता पर बल दिया जायेगा, इससे अब जो नगर या आवास बनेंगे, उनमें हरियाली रहे, यह हमारा प्रयास है।

मान्यवर, कुकरैल पिकनिक स्पाट के बारे में कहा गया। अभी तक कुकरैल पिकनिक स्पाट जिस स्थिति में था आज बढ़ती हुई आबादी की दृष्टि से वह छोटा पड़ रहा है। मान्यवर, उसके विकास के लिये आदेश दे दिये गये हैं, विकास के लिये कार्य भी शुरू हो गया है। कुकरैल पिकनिक स्पाट का क्षेत्र बढ़ा दिया गया है और जल्दी ही जगदम्बिका पाल जी को कुकरैल पिकनिक स्पाट का बढ़ा हुआ क्षेत्र मिल जायेगा। मैंने पहले ही कहा कि वन और वृक्षों का

संवर्धन और संरक्षण केवल एक विभाग का दायित्व नहीं है । यह चिन्ता हमारी है, जगदम्बिका पाल जी की है और उतनी ही चिन्ता गांवों और कस्बे में रहने वाले साधारण लोगों की भी है। इसीलिये इस जिम्मेदारी को सभी लोगों पर देते हुये सभी को सहभागी बनाने के इरादे से हमारा यह प्रयास होगा कि वन विभाग के अतिरिक्त जो दूसरे विभाग हैं, अनेक संस्थायें हैं, उन सभी को शामिल करके वृक्षारोपण के इस काम को कर सकें और इस दिशा में सफलता प्राप्त कर सकें। और उसमें उनको अपना सहभागी बना सकें। मान्यवर, यह हमारा प्रयास है। अन्य जन्तुओं के संबंध में चिन्ता व्यक्त की गयी है, वनरोजों के संबंध में निवेदन किया था। इनको मारने एवं रोकने की बात कर रहे हैं, इसके साथ नील गाय शब्द जुड़ा हुआ है, धर्म जुड़ा हुआ है, लोगों को तैयार करना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा, उनके विचार बदलने पड़ेंगे कि नील गाय की प्रजाति घोड़ी प्रजाति की है, खेतों और फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मान्यवर, इसलिये...

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, नील गायों को पकड़ने के संबंध में कुछ सुझाव देना चाहता हूँ कि राजस्थान में बहेलिया और भट्ट जाति के लोग रहते हैं और वह इन्हें पकड़ने का ठेका लेते हैं। नील गाय को मारने के लिये महिलायें भी ऊंट पर चढ़कर शिकार करती हैं। प्रत्येक जनपद में इस प्रकार के ठेका देने के लिये तैयार रहेंगे ?

श्री अधिष्ठाता–

माननीय श्री बदन सिंह जी को ही इसका ठेका दे दिया जाय।

श्री भगवती सिंह–

इसलिये मैं निवेदन कर रहा था कि पहले यह प्राविधान निगम की राय से था कि जिलाधिकारी, प्रभागीय वन अधिकारी, वन संरक्षक परमिट दिया करते थे। मान्यवर, चूंकि लॉ एण्ड आर्डर का संबंध है, शान्ति व्यवस्था का संबंध है, अब यह अधिकार जिलाधिकारी को दे दिया गया है। जिलाधिकारी वन की स्थिति को देखते हुये, आवश्यकता को देखते हुये उनको मारने या शिकार करने की अनुमति प्रदान करेगा। मान्यवर, जो जानकारी प्राप्त हुयी है उसके अनुसार अब तक 100 नील गायों के मारने की सूचना आई है। मान्यवर, मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से लोग पीड़ित हैं अगर वह परमिट चाहेंगे तो उन्हें परमिट दिया जायगा और इस समस्या का निराकरण होगा। जहां तक मान्यवर वन गायों का संबंध है वह छोड़ी हुयी गायें हैं जो वन में चली जाती हैं, जब गायें अनुपयोगी हो जाती हैं तो उन्हें छोड़ दिया जाता है और यह बड़े-बड़े समूह बनाकर यह वन गायों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम जो गाय अनुपयोगी हो जाय, उसे छोड़े नहीं बल्कि उसकी सेवा करें। बजाय इसके कि छोड़ दें जो कि हमारी फसलों को नष्ट करें। मान्यवर, इस प्रकार मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि वन विभाग चूँकि पूरी तौर से चिन्तित है और इस दिशा में प्रयत्नशील है कि वनों और वृक्षों का

संरक्षण और संवर्द्धन हो। पूरा विश्वास है कि यह सदन और इस सदन के माननीय सदस्यगण वन विभाग का बजट पास करेंगे और माननीय जगदम्बिका पाल जी से कटौती के प्रस्ताव के संबंध में निवेदन करता हूँ कि वह हमें अपना पूरा सहयोग दें और अपना कटौती का प्रस्ताव वापस करके इस वन विभाग के बजट को पास करने में अपना सहयोग प्रदान करने का कष्ट करेंगे।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय पाल साहब, क्या आपने अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लिया।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मेरा पूरा सहयोग प्राप्त है, इस सदन का पूरा सहयोग प्राप्त है, आपने जिन बातों का उल्लेख यहां पर किया है उनमें माननीय मंत्री जी ने कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया है। आप पांच करोड़ रुपये की बात कर रहे हैं, पांच करोड़ रुपये हर वर्ष नुकसान हो रहा है, उसके संबंध में आप क्या कर रहे हैं?

श्री अधिष्ठाता–

मै प्रश्न उपस्थित कर रहा हूँ।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–60–वन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–60–वन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 65,37,14,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 1994–95 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान
अनुदान संख्या 43–परिवहन विभाग

परिवहन मंत्री (श्री आर० के० चौधरी)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 43–परिवहन विभाग के अन्तर्गत

होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 9,62,31,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, आज परिवहन विभाग के बजट प्रस्तावों को रखते हुए मैं गौरव का अनुभव कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और उसमें भी परिवहन विभाग सबसे बड़ा विभाग है 1994-95 के परिवहन विभाग के बजट को रखने का आपने मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। 90 प्रतिशत के लगभग लोग साधारण जिन्दगी जीते हैं बल्कि उससे नीचे की जिन्दगी जीते हैं। पहली बार गरीब, लाचार लोगों की कोशिश से माननीय श्री मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया गया है। विभाग के अधिकारियों ने भी इस बात का ध्यान रखा है, इसके लिए मैं आपका भी आभारी हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस पर चर्चा हो। तीन बिन्दुओं पर चर्चा हो। पहला, राज्य सड़क परिवहन निगम पर, दूसरा परिवहन आयुक्त संघ पर और तीसरा जल परिवहन पर यद्यपि समय ज्यादा हो गया है, फिर भी मेरी इच्छा है कि इस पर आप माननीय सदस्यों को मौका दें कि वह अपने रचनात्मक सुझाव दे सकें। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध भी करूंगा कि चर्चा करते समय वह विभाग को ऐसी कसौटी पर कसें, जिससे सही सलाह आ सके। क्या करना है, क्या करना सही है और क्या कमी है? उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग सबसे बड़ा विभाग है। यह यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक उनके गंतव्य स्थानों तक पहुंचाने का काम करता है। निगम का जो काम है, वह नितान्त व्यापारिक दृष्टिकोण का नहीं है बल्कि लोगों को सेवा योजना देने और समाज सेवा का भाव इसमें है।

हमारा संकल्प है कि निगम की ओर से सुविधा, सुरक्षा और समयबद्धता हो और आने वाले दिनों में हम जनता को अच्छी सुविधा उपलब्ध करायें, सुरक्षा की गारंटी दें और बसों का समयबद्ध संचालन किया जाय।

मान्यवर, हमारे उ० प्र० राज्य परिवहन निगम में लगभग 57 हजार काम कर रहे हैं और 40 करोड़ के लगभग यात्री प्रतिवर्ष एक स्थान से दूसरे स्थान तक इस निगम द्वारा ले जाये जाते हैं। यह इतनी बड़ी संख्या है कि पूरे देश की आबादी का आधा और उत्तर प्रदेश की तिगुनी जनसंख्या एक माह में निगम की बसों से एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करती हैं। इतनी आबादी पूरे आस्ट्रेलिया महाद्वीप की है जितना यह निगम एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रियों को ले जाता है।

हमारे पास जो बस बेड़ा है उसमें 8 हजार 23 बसें हैं इसमें 89 परसेंट बसें आन रोड हैं। कुल मिलाकर 2847 मार्गों पर बसों का संचालन हो रहा है जिसमें हम 5.96 लाख कि० मी० की दूरी तय करते हैं।

जहां तक आय–व्यय का प्रश्न है यह बड़ा महत्वपूर्ण है और निगम जब से बना तब से निगम को लगातार घाटे का मुंह देखना पड़ रहा है। मुझे गर्व है यह कहते हुये, आभारी हूं परिवहन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों का जिन्होंने लगन और मेहनत से काम किया और यह जो विलीय वर्ष मार्च में बीता इसमें एक कीर्तिमान स्थापित किया है, माननीय प्रमोद तिवारी जी मौजूद नहीं हैं उनके जमाने में बसों की हालत बहुत खस्ता थी और घाटा 1989–90 में 17 करोड़ 87 लाख था और माननीय विकल जी जो मंत्री इस विभाग के रहे हैं उनका मैं सम्मान करता हूँ तो उनके जमाने में बसों की हालत बदतर थी, पूरा विभाग चौपट नजर आया था। 1991–92 में 33 करोड़ 43 लाख रु० का घाटा था। पिछले वर्ष 1992–93 में 22 करोड़ 51 लाख का घाटा हुआ, यह वर्ष जो मार्च 31 को पूरा हुआ इसमें हमारे विभाग के कर्मचारियों ने और अधिकारियों ने मेहनत से काम किया और कीर्तिमान स्थापित किया और यह घाटा मात्र 3 करोड़ एक लाख का रह गया है। मान्यवर, माननीय विकल जी से कहना चाहूंगा वह बड़ी तैयारी करके आये हैं।

श्री सुधीर कुमार बालियान–

वह तो आये हैं, आप लिखा हुआ पढ़ रहे हैं।

श्री आर० के० चौधरी–

बड़ी किताबें लेकर आये हैं। मान्यवर, पिछले 15 वर्षों से एक साल को छोड़ कर इस वर्ष हमने कीर्तिमान स्थापित किया है तो जो आंकड़े हैं घाटा मात्र 3 करोड़ एक लाख का रह गया है। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि अगर यही हमारे कर्मचारियों और अधिकारियों का रवैय्या रहा और जिस मेहनत और लगन से वह काम कर रहे हैं तो 6 साल के अन्दर हम निगम को उस स्थिति में पहुंचायेंगे जब निगम बना था। मान्यवर, निगम को अभी तक 303 करोड़ रुपये का घाटा था लेकिन 6 साल में सारा घाटा पूरा हो सकता है और लाभ हो सकता है।

मान्यवर, मैं एक खास बात कहना चाहूंगा, मैंने एक नारा आज के मौके पर दिया है, इस प्रस्ताव को पेश करते हुए कि सुविधा, सुरक्षा और समयबद्धता, मैं विकल जी से कहना चाहूंगा कि धर्म, कर्म की बात में आप ज्यादा समय लगाकर जो सही काम था उसको नहीं किया है जिससे निगम को घाटा होता रहा है, हमारा नारा है ईमानदारी, परिश्रम और मानवता दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है।

मान्यवर, ईंधन बचत के संबंध में हमने एक कीर्तिमान बनाया है। पिछले साल के आंकड़ों को देखें तो 1992–93 में ईंधन की खपत 4.5 किलो मीटर प्रति लीटर थी और 1993–94 में 4.56 किलो मीटर हो गयी है इस प्रकार .06 किलो मीटर प्रति लीटर बढ़ी है और बचत हुई है। इस तरह से डीजल और इन्जन आयल में लगभग 2 करोड़ रुपये का लाभ इस वर्ष किया गया है। मैं पुनः परिवहन परिवार के सभी सदस्यों का आभारी हूँ।

मान्यवर, यात्री सुविधा देने में हमने एक रिकार्ड कायम किया है और 21 मार्च, 1994 में हमने पूरे उत्तर प्रदेश के बस अड्डों पर 165 सोडियम लैम्प लगवाये हैं और 248 सोडियम लैम्प इस वित्तीय वर्ष में देने जा रहे हैं। मान्यवर, हमने 773 वेन्चेज 21 मार्च, 1994 तक दिया है और अगले वर्ष इससे अधिक वेन्चेज का प्राविधान किया है। इसी प्रकार 475 पंखे लगवा दिये गये हैं और 500 पंखे इस वित्तीय वर्ष में देने जा रहे हैं। इसी तरह इन्डिया मार्क-2 हैन्ड पाइप 44 दिया है और 100 तुरन्त देने जा रहे हैं। टी० वी० सैट 10 लगाये गये हैं। सुलभ शौचालय 9 बनाये गये हैं और इस बजट में 75 बनवाने जा रहे हैं।

मान्यवर, यात्रियों की सुविधा हेतु एक नया काम यह किया है कि पूरे उत्तर प्रदेश के बस अड्डों पर 17 जनरेटर सेट्स दे रहे हैं।

मान्यवर, परिवहन निगम में 8023 बसों का बेड़ा है उसमें 37 प्रतिशत बसें ओवर ऐज हो चुकी हैं इसलिए यात्रियों की सुविधा को देखते हुए वर्ष 1994-95 में 8 सौ नई बसे लेने जा रहे हैं जिसमें से 86 एक्सप्रेस बसें, 50 डीलक्स बसें और कुछ सेमी डीलक्स बसें लेंगे।

मान्यवर, प्रदेश की जनता महसूस करती है कि इतनी बसों से काम नहीं चलेगा इसलिए पुरानी योजना जो लागू नहीं की गयी थी हमने कोशिश किया है कि प्राईवेट सेक्टर से और बसें अनुबंधित कर रहे हैं, इस प्रकार अनुबन्धन से हमारे बसों के बेड़े से यात्रियों को हम अधिक से अधिक सुविधा दिलायेंगे।

मान्यवर, भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए भी हमने कदम उठाये हैं। पिछले साल ऐसा महसूस हुआ है कि भ्रष्टाचार के कारण घाटा होता है और निगम का समुचित काम नहीं हो रहा है। तो इसके लिए एक अभियान चलाया गया है और उसके अच्छे नतीजे सामने आए हैं, जिसमें कर्मचारी और अधिकारी मिलाकर 20 पदों से हटाए गए, 275 सेवा मुक्त कर दिये गये, 194 हटाए गए यानी रिवर्ट किये गये तथा 3587 लोगों को दूसरे-दूसरे तरीकों का दण्ड दिया गया। साथ ही 897 को निलम्बित किया गया, जिसमें से चार अधिकारी भी हैं। जैसा मैंने पहले बताया, हमारा लक्ष्य है, सुविधा, सुरक्षा और समयबद्धता, उसी के अनुसार हम अपने बस बेड़े में सुधार करेंगे, उसे और सुदृढ़ करेंगे, बसों की सफाई और उनके रख-रखाव पर विशेष बल देंगे और बसों के संचालन की हम समयबद्धता सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित स्टापेज पर ही हमारी बसें रुकें, इस दिशा में भी हम एक अभियान चलायेंगे और समय पर बसें हम चलायेंगे। साथ ही बसें जहां रुकनी हैं, वही रुकेंगी और जहां नहीं रुकनी हैं वहां नहीं रुकेंगी। साथ ही बसों के संचालन में लगे हुए कर्मचारी, चाहे कोई भी हो, यात्रियों के साथ उनका बर्ताव अच्छा हो। सड़क सुरक्षा के लिए हमने कार्यक्रम तैयार किये हैं और उन पर बल देकर उसको हम लागू करेंगे और पत्रकारों को विशेष सुविधायें देने का हमने फैसला लिया है। हम उनको परिचय पत्र देंगे और पत्रकार अब परिचय पत्र दिखाकर यात्रा करेंगे। सांसद, विधायक और स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के लिए

हमने सीटें निर्धारित की हैं और वह निर्धारित रहेंगी। आम यात्रियों के लिए भी बुकिंग विन्डो से टिकट मिले और वहीं से टिकट मिले तथा उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था हो।

हमारा दूसरा संगठन है परिवहन आयुक्त संगठन, जिसके द्वारा हम लोग मोटर वेहिकिल ऐक्ट के प्राविधानों को लागू करते हैं और सरकार द्वारा निर्धारित करों की वसूली करते हैं। साथ ही लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और फिटनेश आदि जारी होने का काम भी इसी के द्वारा सम्पादित होता है। हमने एक नया काम भी शुरू किया है। जैसे पहले आर० टी० ओ० दफ्तरों में दलालों की भरमार हुआ करती थी और अर्से से यह चला आ रहा था। दलाल लोग मार्केट से फार्म आदि छपवाते थे और वही मनमाने ढंग से देकर उन्हें लोगों से भरवाते थे, इस तरह दलालों द्वारा यह भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुए थे। मैंने दलालों को हटाया, प्रोफार्मा निश्चित किये और दो रुपया उनका मूल्य निर्धारित है, दो रुपया देकर जिस किसी का जिस प्रकार का काम है फार्म प्राप्त कर सकता है। लेकिन जिसका काम है उसको स्वयं आना पड़ेगा और सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। इस तरह से अर्से से बिगड़ गया काम-दलालों का जो जमाव था, उसको बलपूर्वक हमने हटाया है और उसके लिए समय-समय पर अभियान चलाए जायेंगे। वाहनो के पंजीकरण के लिए कम्प्यूटर सिस्टम शुरू किया गया है। यह देखा गया कि जैसे पूरे प्रदेश में जनसंख्या बढ़ी है, वाहनों की संख्या बढ़ी है, इन कार्यालयों में लम्बी-लम्बी लाइनें लगती हैं। इसलिये लखनऊ से कम्प्यूटरीकरण को काम का सिलसिला शुरू किया गया है और धीर-धीरे पूरे प्रदेश में इसे लागू किया जाएगा।

मान्यवर, इसी के साथ-साथ इनफोर्समेंट को प्रभावी करने के लिये वायरलेस सिस्टम की भी शुरुआत लखनऊ सम्भाग से की गई है और कोशिश की जा रही है कि आगे आने वाले दिनों में पूरे प्रदेश में इसे लागू किया जाय। वायरलेस सिस्टम को शुरू करने से हमको फायदा होगा हमको पता चल जायेगा कि हमारे अधिकारी कहां पर हैं, कहां काम कर रहे हैं। इस सिस्टम को लागू करने से हमको काम करने में बल मिलेगा। दूसरी बात मान्यवर, प्रदूषण नियंत्रण की है। प्रदूषण की एक बड़ी समस्या है यह पूरे देश के लिये समस्या है धीरे-धीरे यह फैलता जा रहा है और आम नागरिक के स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ रहा है। मैं ऐसा मानता हूं कि इसमें दूसरे विभाग भी लगे हुए हैं लेकिन सबसे बड़ी ड्यूटी, जिम्मेदारी मैं समझता हूं कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की है। बसों का संचालन हम करते हैं धुआं मालिक लोग निकालते हैं। हमारी कोशिश है कि इसको कन्ट्रोल किया जाय। इसके लिये हमारे विभाग में पहले से मशीनें लगी हैं जिनके द्वारा चैकिंग की जाती है। इसके अलावा भी हम प्राइवेट सैक्टर में बढ़ावा दे रहे हैं कि मार्केट में लोग आयें और मशीने लगायें। इस काम में थोड़ा-थोड़ा धीरे-धीरे कन्ट्रोल कर रहे हैं। मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण कार्य है और रोज इस पर चर्चा भी हुई हैं। बजट पेश होने से पहले भी चर्चा हुई।

हमारा ऐसा मानना है कि जब तक सारे लोग सहयोग नहीं देंगे यह इतना सफल नहीं हो सकेगा। हमने इसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। अभियान चलाकर प्रदूषण को पूरी तरह से कन्ट्रोल करना चाहते हैं। हम चाहते हैं आपके जरिये सदन में, और सदन के जरिये पूरे प्रदेश के लोगों से मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें हमको आपके सहयोग की जरूरत है। वाहन मालिकों से अपील करना चाहता हूं कि वह अपनी गाड़ियाँ पोल्यूशन फ्री करा लें जिससे प्रदूषण को रोका जा सके। उन्हें अपने वाहनों की टाइम टू टाइम चैकिंग करानी चाहिए। विभाग में हमारे अधिकारी/कर्मचारी इस विषय में तेजी से काम कर रहे हैं लेकिन विभाग के अलावा हम आम लोगों से व्यावसायिक लोगों से इस सदन के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आगे आयें और प्राइवेट सेक्टर में मशीन लगायें जिससे सरकारी तौर से ही नहीं प्राइवेट तौर से भी पोल्यूशन चौकिंग की जा सके। इसमें हम सहयोग की जरूरत महसूस करते हैं। एक दूसरा बड़ा काम यह हुआ है कि हमने चैक पोस्ट हटाकर प्रदेश के बाहर से आने वाली गाड़ियों को जो असुविधा होती थी उससे बचाया है। बार्डर पर चैक पोस्ट लगाकर कर वसूल करते थे, उसको खत्म कर दिया गया है। अब चैक पोस्ट हटा लिये गये हैं। ऐसा करके पथकर को समाप्त कर दिया गया है।

मान्यवर, अभी माननीय पाल जी ने मेरे नाम का जिक्र किया था। हमने ऐसा महसूस किया है कि आये दिन पुलिस विभाग के कर्मचारी छोटे कर्मचारी, मझले कर्मचारी आये दिन वाहन मालिकों को चैकिंग के बहाने रोक लेते थे। कुछ तो वास्तव में चैक करते थे कुछ ऐसे ही परेशान करते थे, थाने ले जाते थे, इस तरह से अनावश्यक ढंग से परेशान करते थे। तो जो पुलिस को अधिकार था ट्रांसपोर्ट के पेपर चैक करने का वह विदड्रा कर लिया है। पिछले दिनों माननीय सदस्यों ने भी कहा था, मैं इस पर गम्भीर हूँ। अगले वर्ष इसको गम्भीरता से लिया जायेगा जो अधिकार पुलिस से विदड्रा कर लिया गया है उसको हम भलीपूर्वक लेंगे और देखा जायेगा कि पुलिस विभाग का कोई कर्मचारी/अधिकारी ट्रांसपोर्ट के पेपर न चैक करे। रजिस्ट्रेशन, पेपर, लाइसेंस, इन्श्यूरेंस, परमिट इस तरह के पेपर पुलिस चैक नहीं करेगी। इसको हम योजनाबद्ध तरीके से रोकेंगे। मान्यवर, तीसरी है जल परिवहन। मैं खुशी महसूस कर रहा हूँ इस योजना को बनाने में हमारे विभाग के अधिकारियों ने अच्छा रोल अदा किया है। रुचि ली है। उत्तर प्रदेश में पहली बार हमारी चाहत है, विभाग के अधिकारियों की चाहत है, जल परिवहन योजना को अन्तिम रूप दिया जाए। अध्ययन हुआ है यह कैसे लागू होगी? भारतीय अथॉरिटी अन्तर्राष्ट्रीय जल मार्ग प्राधिकरण द्वारा इन्लैंड वाटर ट्रॉसपोर्ट द्वारा हाईड्रोग्राफिक सर्वे हो चुका है। सर्वे में पाजिटिव आया है जल्दी से जल्दी ट्रैफिक स्टार्ट कराया जा रहा है। आने वाले दिनों में ट्रैफिक स्टार्ट हो जाएगा। 15 तारीख को हमारे अधिकारी जा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ यह नयी योजना है कारगर योजना है। यात्रियों को सामान की ढुलाई में एक स्थान से दूसरे स्थान सामान ले जाने में सुविधा होगी। सस्ते में काम होगा। इसको हम कम समय में अन्तिम रूप दे देंगे। मान्यवर, मैं चाहूँगा इन बिन्दुओं पर सलाह के तौर पर विस्तृत रूप से सदन में चर्चा हो ताकि हमारा विभाग और हम अच्छे कदम उठा सकें।

श्री सत्य प्रकाश विकल—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-43 परिवहन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, माननीय परिवहन मंत्री जी ने परिवहन आयुक्त संगठन परिवहन निगम, जल परिवहन के संबंध में अपनी योजनाओं के बारे में और अपने किए गए कार्यों का उल्लेख किया है। मान्यवर आज के समय में परिवहन समाज के लिए बहुत आवश्यक है। आज की दुनिया में जब आदमी का मन वायु की चाल से ज्यादा तेज चल रहा है और वह अपने गन्तव्य पर जल्दी से जल्दी पहुँचना चाहता है चाहे वायुयान हो, चाहे रेल मिले चाहे बस मिले, हर आदमी जल्दी पहुँचना चाहता है। इसलिए यात्रा की दृष्टि से देश और प्रदेश में परिवहन का बहुत बड़ा महत्व है। परिवहन निगम के बारे में मंत्री जी ने कुछ चर्चायें कीं। मैंने उनको बड़े ध्यान से सुना। अच्छा होता वह बताने में कुछ न्याय करते पर वे कर तो कुछ नहीं पाए हैं उन्होंने कह दिया कि आपके विकल जी के कार्य काल में घाटा हुआ। और हमारे कार्यकाल में घटकर कम हो गया मैं उनसे यह कहूँगा कि जिस सरकार को आप लेकर बैठे हैं जब हमसे भी पहले वह सरकार थी 90-91 में तो 41 करोड़ का घाटा था हमारी सरकार में 91-92 में 33 करोड़ हुआ फिर वही घटकर 92-93 में 22 करोड़ हुआ तो यह आपकी मेहनत का नहीं हुआ। हमारे परिश्रम से हुआ था। आप जो श्रेय ले रहे हैं, आपका इसमें क्या है? यह सब हमारा किया हुआ है। फायदा कैसे हो गया और घाटा कैसे कम हो गया? उसे समझना होगा। मान्यवर, 1992 की 11 जून को 30 प्रतिशत किराया बढ़ा। अगर वह नहीं बढ़ा होता तो घाटा कैसे कम होता? आपने अगर इस वर्ष 30 करोड़ का फायदा दिखाया होता तब मैं मानता कि आपने कोई परिश्रम किया है। इसमें आपका कुछ नहीं है। मैं सहमत हूँ कि आपके अधिकारी और आपके कर्मचारी, जिन्होंने हमारे काल में एक नई कार्य संस्कृति सीखी, उसी का यह परिणाम है। निगम का 41 करोड़ का घाटा कम होकर 33 करोड़ पर कैसे आ गया। 90-91 में किराया तो बढ़ा नहीं था। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 1990 में 136 बसें जली थीं। दो हजार 365 बसें टूटी थीं। 41 करोड़ का घाटा था। यह 1990 में था। हम आए थे 1991 में। एक टूटा हुआ निगम हमको मिला था।

मान्यवर, हमने बिना और किराया बढ़ाए उन्हीं टूटी बसों से उन्हीं कर्मचारियों से उनके मन में लगन परिश्रम और यह भावना पैदा करके कि इस उत्तर प्रदेश परिवहन निगम को पुनः सही बनाना है और हिन्दुस्तान का सबसे अच्छा निगम बनाना है। इसी का यह परिणाम था कि यह घाटा घटकर 33 करोड़ हुआ। जिसमें 20 करोड़ रुपये उस साल वेतन विसंगति का देना पड़ा था। वरना घाटा 60 करोड़ होता। मंत्री जी ने यह कहा कि वह चार महीने में घाटा 22 करोड़ से घटाकर 3 करोड़ पर ले आए हैं। मैं आपको हिसाब समझाना चाहता हूँ। हमने 30 प्रतिशत किराया बढ़ाया था आपको पता है 90-91 में कितनी आय थी निगम की? नहीं पता है। उस वर्ष 348 करोड़ रुपया आया था। जब 30 प्रतिशत किराया बढ़ा तो 105 करोड़ होता। हम जानते हैं जब किराया बढ़ता है तो पूरा का पूरा पैसा नहीं आता है। कुछ यात्रियों की संख्या कम हो जाती है। तो 20 प्रतिशत तो आएगा। इस तरह से 70 करोड़ रुपया आय का बढ़ना चाहिए था।

मान्यवर, आप जानते हैं परन्तु आपने कोई जिक्र नहीं किया। महानगर बस सेवा का 10 करोड़ रुपया साल परिवहन निगम को घाटा हुआ करता था। उस समय शहर के नागरिक सड़क पर खड़े होकर दो-दो घंटे इन्तजार करते थे। वह घाटा मिट गया। आज 11 महानगरों में महानगर निगम बस सेवा चल रही है। 1200 से ऊपर बसें चल रही हैं। उनके परमिट की फीस मिलेगी। लाइसेंस फीस मिलेगी। इस तरह परिवहन निगम में 80 करोड़ रुपया आपको मिला। 33 करोड़ घाटे से यह हम 80 करोड़ देखें तो 47 करोड़ मुनाफा होना चाहिए। लेकिन तब भी 3 करोड़ का घाटा आपने दिया है। कुछ हिसाब से लगाकर बताया है। आपने यह कहा कि बिकल जी के जमाने में 22 करोड़ का घाटा हुआ। हमारे में 3 करोड़ रह गया। तो आपका यह भी कब से हो गया। हमने भी जब विभाग सम्हाला तब घाटा 41 करोड़ था। वह घटकर 33 करोड़ 91-92 में आया और 92-93 में घटकर 22 करोड़ हो गया तो लगातार घाटा तभी से कम हुआ जब भाजपा सत्ता में थी। 91-92 में वो घाटा हमने कम किया था जब कोई किराया वृद्धि उस साल नहीं हुयी। आप यह भी जानते हैं कि उस वर्ष 92-93 अक्टूबर में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ उसके बाद 800 बसों को तोड़ा गया था और 18 बसों को जलाया गया था। आपको सच्चाई को स्वीकार करना चाहिये। अब यह समय बतायेगा कि आप कितने दिन रहेंगे, 6 महीने या 6 साल लेकिन अगर आपने परिवहन निगम में सुधार किया तो हमें खुशी होगी। लेकिन आप एक चीज बड़ी सफाई से छिपा गये हैं। एक बार भी आपने जिक्र नहीं किया "किराया बढ़ाने के बारे में।" आप बतायें कि किराया बढ़ाने के बारे में सरकार की नीति क्या है? आप तो बोले ही नहीं अच्छा होता कह देते कि किराया बढ़ा रहे हैं। एक सवाल आया था हमने आपसे पूछा था कि क्या किराया बढ़ाने का प्रस्ताव है लेकिन उस समय कहा गया था कि यह विचाराधीन है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सन् 1983 में किराया बढ़ा था 25 प्रतिशत, उसके बाद 87 में बढ़ा, 20 प्रतिशत उसके बाद 90 में बढ़ा 20 प्रतिशत तथा उसके बाद 92 में 30 प्रतिशत किराया बढ़ा था।

मैं स्वीकार करता हूँ कि सबसे ज्यादा किराया हमने बढ़ाया था लेकिन इतना साहस तो होना चाहिये कि सच को स्वीकार करें। आपको बताना चाहिये कि आप कितना किराया बढ़ा रहे हैं या नहीं बढ़ा रहे हैं? आप मेहनत करना चाहते हैं, अधिकारियों और कर्मचारियों की अच्छी टीम आपको मिली है तो आप परिवहन निगम को लाभ में लाइये। आप परिश्रम करें और कार्य संस्कृति जागृत करें तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि एक पैसा भी किराया न बढ़ायें परिवहन निगम फायदे में चलेगा। आपने बताया कि 37.3 प्रतिशत ओवर एज बसें आपके पास हैं। आपने कहा कि आप 800 नयी बसें लेने जा रहे हैं। आपकी बसें 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख किलोमीटर तक चल चुकी हैं और खटारा हो गयी हैं। सड़क पर इन बसों में धक्के लगाना पड़ता है। यात्रियों को उतर कर बसों को धक्का लगाना पड़ता है यह हालत आज परिवहन निगम की बसों की है। इस हालत में सुधार कैसे होगा। आप यात्रियों को सुविधा देना चाहते हैं। मैंने देखा है कि 1992-97 की जो पंचवर्षीय योजना है उसमें 6 हजार बसों को खरीदने का प्राविधान है। हमने अपने समय में 1075 बसों को लेना तय किया था और उस समय 941 बसें बनीं थीं। आपके समय में यह संख्या घटकर 800 रह गयी है तो कैसे आप यात्रियों को सुविधा देंगे? हमें खुशी होती जब आप यह कहते कि हम 1500 बसें लेने जा रहे हैं और जो ओवर एज बसें हैं उनको हटाने जा रहे हैं।

आपकी ओवर एज बसों की संख्या ज्यादा है और अच्छी बसों की संख्या कम है। हमने पहली बार कोशिश की थी और अच्छी तकनीक से बनी एक्सप्रेस बसें शुरू की थीं। लेकिन आपकी तरफ से इस तरह की एक भी घोषणा नहीं की गयी है कि आप कोई नयी सुविधा शुरू करने जा रहे हैं। हमने घोषणा की थी, अलीगढ़ से देवबंद, गोला से नीमसार बस चलाने की घोषणा की थी लेकिन आपकी तरफ से इस प्रकार की एक भी घोषणा नहीं की गयी। आखिर आप प्रदेश की 13 करोड़ जनता को किस प्रकार सुविधायें देंगे। आपने कहा कि 13 करोड़ की आबादी है और 40 करोड़ यात्री हम इस साल इधर से उधर ले गये हैं यानि एक साल में 3 आदमियों को, तो यह कोई तारीफ की बाद नहीं है। आज से 3-4 साल पहले प्रदेश की आबादी 10 करोड़ थी और यात्री 45–47 करोड़ यात्रा करते थे यात्री एक साल में 4-1/2 या 5 का औसत था जो अब घटकर 3 रह गया है इस प्रकार सुविधा बढ़ी नहीं बल्कि घटी है आपकी सरकार में तो इसमें कुछ सोचने की जरूरत है कि आज आपके परिवहन की बसें जनता की आवश्यकताओं को नहीं पूरा कर पा रही हैं। मुझे दुःख है। मैं आपकी कोई आलोचना नहीं कर रहा हूँ। मैंने शुरू में कहा कि आलोचना भी करना है, समालोचना भी करना है और सुझाव भी देना है। पहले अनुबंधित बसें चला करती थीं, लेकिन उसमें रिट हो गयी और उसमें फैसला हो गया। उस समय 600 से अधिक अनुबंधित बसें थीं, वे हटा दी गयीं। हमारी कैबिनेट ने इसके लिए फैसला किया और अक्टूबर, 1992 में यह तय किया कि आप अनुबंधित बसें कर सकते हैं, लेकिन आप अभी तक तो कर नहीं पाये। हमने महानगरों को बस सेवा दी, मुझे बड़ी तकलीफ होती है, आपने इसके बारे में कुछ कहा होता, तो मुझे खुशी होती।

इस महानगर बस सेवा को 6 जुलाई, 1992 में जब शुरू किया तो वहां कानपुर के एक बड़े आदमी ने मुझे पत्र लिखा कि आई०आई०टी० से जाजमऊ तक जो करीब 30 कि०मी० है जहां पर 10-10 रु० खर्च करके पहुंचते थे, अब 1 रु० से 3 रु० खर्च करके पहुंच रहे हैं। आज वहां पर 400 बसें चल रही हैं, लेकिन आज मुझे दुःख होता है कि इस ओर ध्यान नहीं दिया कि परिवहन निगम से हमने हटाकर यह जो एक अच्छा प्रोजेक्ट शुरू किया था, ताकि ये बसें शहरों में अच्छी तरह से चलें, बसों के रूट्स होने चाहिए, कैसे उनको सुविधा मिले, किस प्रकार से वे अच्छी सुविधायें दे सकती हैं, आपका नुकसान हो गया। आगरा है, मुरादाबाद है, कानपुर है, यहां पर अच्छी सेवायें चल रही हैं, लेकिन कुछ शहरों में अच्छी सेवायें नहीं चल रही हैं। आगरा में एक बस जाती नहीं है कि दूसरी बस आकर खड़ी हो जाती है। यह जो महानगर बस सेवा शुरू की, मुझे आज भी यह सुनने को नहीं मिला, हमने उस समय तय किया था कि अलीगढ़, फैजाबाद, देहरादून आदि नगरों में शुरू करेंगे। 9 शहर तो आप ऐसे चुने जहां पर लोगों को परिवहन की आवश्यकता है। कालोनियां बन रही हैं, उनको जो नौकरी पेशा लोग हैं, उनको रिक्शों में और चीजों में भारी पैसा खर्च करना पड़ता है, उनको एक रुपये में दो रुपये में 5 किलो मीटर बस पहुंचा देगी, तो उन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। यह लोगों की सुविधा के लिए बहुत बड़ा काम किया था। मैंने सुझाव दिया कि आप इस काम को करें। आपने पत्रकारों के लिए कहा, हम भी चाहते हैं, आपने कहा कि परिचय-पत्र के आधार पर, कौन सा परिचय-पत्र, यह आपने जो कहा था कि सीट रिजर्व हो, यह तो हमने अपने समय में कर ही दिया था।

[समय 7 बजकर 20 मिनट]

जिस तरह से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लिखा होता है, उसी प्रकार से पत्रकार सीट लिख दिया जायेगा। जिस तरह से संसद सदस्यों को, विधायकों को सुविधायें मिलती हैं, उसी प्रकार से

आप पत्रकारों को भी सुविधा देंगे। आपने कहा कि परिचय-पत्र के आधार पर सुविधायें दी जायेंगी, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इस घोषणा का कोई अर्थ नहीं है।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा, कि अपनी उपलब्धियों के बारे में कहा। मैं कहना चाहता हूं कि लोड फैक्टर बढ़ा नहीं है। 1990-91 में या 89 था, 1991-92 में 89 था, 1992-93 में 89 और 1993-94 में भी वही 89 है। यह बढ़ा नहीं है, वही 89 है। मेरा कहना है कि आप आफ रोड बसों को कम करें, लेकिन डेढ़ साल में इस ओर कोई प्रगति नहीं हुई है, वह वहीं पर है, 11 प्रतिशत है। आपने बस युटिलाइजेशन के बारे में कहा। यह 1990-91 में 213 था, 1991-92 में 214 था और 1993-94 में 221 है, यह भी जनवरी तक आँकड़े हैं लेकिन लक्ष्य आपका 240 है।

मैं कहना चाहता हूं कि आपको बहुत मंजिल पार करनी है, आप बस युटिलाइजेशन के बारे में बहुत पीछे हैं। लोड फैक्टर के बारे में भी कोई प्रगति नहीं हुई है। आपने घाटा 3 करोड़ का बताया है और यह भी कहा है कि यात्रियों की संख्या घट गयी है, आप किस बात पर कहेंगे कि हमने कमाल कर दिया। मैं यह जानना चाहता हूं कि आप कौन सी चीज करेगें कि 6 साल में परिवहन निगम को फायदे में ले आयेंगे और 3 करोड़ का घाटा पूरा हो जायेगा। मैं कहना चाहता हूं कि अगर ठोस कार्य करना चाहते हैं तो आपको ठोस उपाय करना होगा और जब तक ठोस उपाय नहीं करेंगे आप अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकते हैं, यह मेरा कहना है।

मान्यवर, तेल राष्ट्रीय सम्पत्ति है। यह राष्ट्रीय बचत है और अगर तेल बचता है, तो उससे पैसा भी बचता है। तेल तभी बच सकेगा जब डीजल पर कन्ट्रोल हो, जो बसें आप चलायें वह अच्छी हालत की बसों को चलावें, जिन बसों की अवधि ज्यादा हो गयी हो, उनको हटा दें, इससे डीजल की बचत नहीं हो सकती है, उनमें डीजल अधिक लगता है। अब आय पर आ जायें, आय 308 करोड़ से बढ़कर 400 करोड़ हो गयी है।

यह जो घाटे का कारण है इसमें आपकी योग्यता आपकी क्षमता, आपकी प्रतिभा और आपका योगदान बाकी है, यह सब तो मैंने किया था, हमारी कमाई को आपने खाया और जो हम प्रेरणा देकर के आये थे परिवहन निगम के अधिकारियों, कर्मचारियों को यह सब उसका प्रतिफल है। भगवान करें यह सरकार कुछ दिन और चल जाय वैसे चलती तो नहीं दिख रही है पर आप कुछ करके दिखायें।

अब में दूसरी बाद कहना चाहता हूं कि आपकी दो कार्यशालाएं हैं एक एलेन फारेस्ट हैं और दूसरी केन्द्रीय कार्यशाला है लेकिन इस पर कितने लाख रुपये प्रतिमाह इस पर आप खर्च करते हैं और उसकी प्राप्ति का जरिया सिर्फ एक ही है कि आप वहां पर अपनी बसें बनवायें आप इंजिनों की रिकंडीशनिंग करायें ताकि जो लाखों रुपये खर्च कर रहें हैं उसका कुछ रिटर्न आये।

हमारे काल में पहले रिकार्ड कायम हुआ कि 991 बसें वहां पर बनी लेकिन आपने अपने काल में 330 बसे बनवाई हैं तो बाकी बसों पर जो बेकारी खर्चे की हुई अगर आपने वहां पर बसें ज्यादा बनवाई होती तो जो बसे बाहर गयी उसका खर्च बचता और उसका रिटर्न हो जाता। वहां

पर हमारे काल में 4169 इंजन रिकंडीशन हुए और आपके काल में मात्र 3,465 इंजिनों की रिकंडीशनिंग हुई तो इस तरह से दोनों में कमी आई है। आपकी दो-दो कार्यशालयें हैं और उसकी इनवेन्ट्री के बारे में आपने बताया नहीं। हमारे काल में केंन्द्रीय कार्यशाला में 13 करोड़ की इनवेन्ट्री थी उसे एक साल में घटाकर 10 करोड़ पर लाये। मैंने कहा कि जिस जगह पर आवश्यकता हो केन्द्रीय कार्यशाला स्वयं भेजे लेकिन आज आपने नहीं बताया कि इनवेन्ट्री की हालत क्या है, कितने पुर्जे खरीद कर बेकार हो गये बसें खरीद कर बेकार हो गये और पैसा कमाने वालों ने पैसा खा लिया इस ओर भी आपकी ओर से कोई संकेत नहीं मिला है। अभी आठवीं पंचवर्षीय योजना में 6,180 बसें क्रय करने के लिये कहा गया है जो शायद 1236 प्रतिवर्ष होता है और आप खरीदते हैं 800 आप बसें कम खरीदेंगे तो क्या होगा? आपने बस अड्डों के रख-रखाव के लिये बताया कि सोडियम लैम्प लगाये, सुलभ शौचालय बनाये तो इसे मैंने भी किया था आप तो हमारे किये काम को अपना बता रहे हैं। हमने दो करोड़ रुपये का प्राविधान पहली बार किया था उसके पहले इस पर 20-25 लाख रुपये खर्च होते थे। आज आपकी आमदनी 400 करोड़ से ऊपर होती है उसका एक प्रतिशत मात्र 4 करोड़ रुपये होता है। आप अगर केवल 4 करोड़ रुपये ही रख-रखाव पर खर्च करें बस स्टेशनों पर तो यात्रियों को हर प्रकार की सुविधा मिले। आपके यात्रियों को अगर बैठने की सुविधा हो, अच्छी बेन्च हो, कुर्सी हो, साफ-सफाई हो यह सब चीजें उपलब्ध हों तो ज्यादा लोग आयेंगे।

श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर)–

आप मेरी ओर कुछ कह रहें हैं।

(व्यवधान)

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि बसों की हालत क्या है? अब हम सब सवेरे सोकर निकलते हैं यह सोचकर कि बाहर चलना है। सुबह सोकर हाथ मुंह धो लेते हैं ताकि शक्ल अच्छी लगे तभी बाहर निकलते हैं।

आपकी बसें जब बाहर निकलें तो साफ सुथरी, धुली चिकनी हों जिसमें बैठने के लिये आदमी का मन चाहे ऐसी बस होनी चाहिए। लेकिन होती क्या है कि बसों की सफाई नहीं होती है, वह धुलती नहीं हैं, पुछती नहीं हैं। मैं भी बस में जाता हूं, मैंने देखा है इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि आप इसमें चार करोड़ रुपये का प्राविधान करें जिससे बस स्टेशन के रख-रखाव के लिये, यात्रियों की सुविधा के लिये, वहां पर सुलभ शौचालय हो, आराम टेबल हो बैठने के लिए स्थान हो, शेड हों ताकि लोग इस बात का अनुभव कर सकें व उनकी सुविधाओं की ओर भी ध्यान दिया जा रहा है और वह सुविधा प्राप्त कर सकें। अब मैं परिवहन आयुक्त संगठन के बारे में कहना चाहता हूं। आपने उनकी आय के बारे में नहीं बताया। मेरे पास आंकड़े हैं। वर्ष

1988-89 से 1993 तक के आंकड़े मैं बता रहा हूं। 92-93 में 289 करोड़ 41 लाख रुपया आया है, हमारा लक्ष्य 300 करोड़ रुपया था। मगर जब आप आये तो यह घट गया। उससे पहले 91-92 में 264 करोड़ था तब आप पहुंचे, मैं फरवरी, 94 तक के आंकड़े बता रहा हूं आप केवल 267 करोड़ कर सके। अगर बहुत घसीट दिया तो 290 करोड़ कर देंगे तो आपने क्या प्रगति की?

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि परिवहन आयुक्त संगठन में बहुत ज्यादा गुंजाइश है। आप उसमें कम से कम 350 करोड़ रुपये की राजस्व की प्राप्ति आसानी के साथ कर सकते हैं। अगर आपने वसूली वगैरह ठीक की, तो आप इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। मगर यह नहीं हो रहा है और आप 267 करोड़ पर ही टिके हुए हैं। हो सकता है कि 20 करोड़ और आप बढ़ा लें। अब आपने कहा कि हम चैकिंग पर जोर दे रहे हैं ठीक है जोर देना भी चाहिए। आपने कहा कि हम पुलिस के द्वारा नहीं करायेंगे। यह अच्छी बात है और हम इसका स्वागत करते हैं। मगर इससे आपके स्टाफ का काम बढ़ेगा। आप स्टाफ द्वारा चैकिंग करवायेंगे तो आपको स्टाफ भी निश्चित रूप से बढ़ाना होगा। आपने यह भी कहा कि आज परिवहन विभाग को घाटा हो रहा है। मगर आप देखें कि इसका कारण क्या है? आज परिवहन विभाग को सबसे ज्यादा चोट डग्गा मार बसें कर रही हैं। इस पर कोई रोक नहीं हो रही है तो आपको इस तरफ भी ध्यान देना होगा। एक तरफ तो आपने पुलिस के द्वारा चैकिंग कराये जाने को रोका है यह अच्छी बात है लेकिन वहीं दूसरी ओर जो आपके प्रवर्तन दल व सचल दल बने हैं वह ठीक प्रकार से कार्य करे और पूरी मजबूती के साथ अपने दल बल के साथ ठीक प्रकार से चैकिंग करे। उसकी पूरी व्यवस्था होनी चाहिए आज आप देखे वाहनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 25 लाख के करीब वाहन इस समय चल रहे हैं। कुछ साल पहले इनकी संख्या करीब 5 लाख की थी। ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, यात्री कर वसूलना है। लेकिन मुझे देखकर बहुत तकलीफ हुई है कि आपकी आमदनी का ग्राफ बढ़ने की बजाय गिरा है तो कृपया आप इस ओर ध्यान दें। और परिवहन निगम और परिवहन आयुक्त संगठन को चुस्त दुरुस्त बनायें। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आपके जो कार्य हैं वह निराशाजनक हैं और जो कुछ हमने किया उसका ही श्रेय लेकर आप लोगों ने वाह-वाही लूटी है। आपने कुछ भी नहीं किया है।

श्री बी०आर० वर्मा–

मान्यवर, आपने माननीय परिवहन मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मान्यवर, अभी माननीय विकल जी का भाषण मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था। बार-बार माननीय विकल जी यह सिद्ध करने का प्रयास कर रहे थे कि जो कुछ आज नजर आ रहा है, वह हमारे द्वारा किये गये कार्यों का फल है, परन्तु बीच में एक साल का राष्ट्रपति शासन जो है, उससे इनके सारे कथन के ऊपर पानी फिरता नजर आ रहा है। अगर तत्काल यह सरकार होती तो कुछ कहने की गुंजाईश होती, परन्तु बीच में एक साल

माननीय विकल जी का शासन नहीं था और ऐसे समय में भी यह कहना कि सब कुछ हमने किया, हमारे द्वारा हुआ, उसका श्रेय आप ले रहे हैं, तो यह ठीक नहीं है। राष्ट्रपति शासन के समय जो कुछ उपलब्धि हुयी है, वह भी उनके द्वारा किया गया, यह बात समझ में नहीं आती है।

एक चीज माननीय विकल जी और कह रहे थे कि यह सरकार रहेगी या नहीं। मैं तो यह कहूंगा कि इसे कोई नहीं जानता। आप इधर थे तो हम लोग उधर बैठते थे, आज हम लोग इधर हैं, आप उधर हैं, परन्तु इस देश की जनता ने जो निर्णय लिया है, उसके हिसाब से अब आपको इधर बैठने का कभी मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने एक बार के लिये कहा था, एक बार आपको अवसर मिला भी था, अब आप उसे खो चुके हैं।

मान्यवर, घाटे की बात कही गयी, यह कहा गया कि माननीय मुलायम सिंह यादव जिस समय मुख्यमंत्री थे, उस समय से हमने काम किया, तो मैं बताना चाहता हूं कि घाटा क्रमशः कम हो रहा है। कांग्रेस के जमाने में 17 करोड़ रुपये था, आपके जमाने में 33 करोड़ हो गया, इसका आप कौन सा स्पष्टीकरण देंगे? मान्यवर, मैं बधाई देना चाहता हूं, इस दृढ़ प्रतिज्ञ परिवहन मंत्री को, जिसने संकल्प लिया और जिन्होंने कहा था कि मेरे लिये वह दिन खुशी का दिन होगा, जिस दिन इस प्रदेश के परिवहन विभाग को हम लाभ में ले आयेंगे। बिना किराया बढ़ाये लाभ मिलना चाहिये, ऐसे दृढ़ इच्छा के धनी हमारे परिवहन मंत्री जी हैं।

मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि माननीय विकल जी ने जो कहा कि 11 महानगरों में बस सेवायें शुरू की थीं, उसको आपने बढ़ाया नहीं। इस सरकार की, इस परिवहन मंत्री की कतई यह मंशा नहीं है कि प्राइवेट बसें जो हैं, वह ज्यादा चलें। हमारा और हमारी सरकार का लक्ष्य है कि हम अपने बेड़े को, अपनी बसों को, अपनी सुविधाओं को इतना ज्यादा बढ़ायें कि प्राइवेट बसों को चलाने की हिम्मत ही न हो और सारी जगह सरकारी बसें ही चलती नजर आयें, यह इस सरकार की मंशा है। इसलिये हम तो इन्हें समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे नहीं, बल्कि कम्पीटीशन करके, बेहतर सुविधायें देकर समाप्त करना चाहते हैं, उसके लिये योजनायें बनाई गयी हैं, इस सरकार की ऐसी दृढ़ इच्छा है। आपने 11 नगरों में बढ़ाया, किन कारणों से बढ़ाया, क्यों बढ़ाया, इस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता। किसकी बसें चलीं, क्या-क्या नाटक हुआ, आप इसे बेहतर जानते हैं। साथ ही इस प्रदेश की जनता भी जानती है, इसलिये यह सरकार जो है, वह नहीं चाहती, कि यह निजी हाथों में जाये।

मान्यवर, बसों की संख्या बढ़ाने के बारे में आपने कहा। इस सरकार ने एक योजना बनाई है, जो सीमित संसाधन हैं, उसके तहत 800 बसें अपनी क्रय करके और जो अनुबंधित बसें थीं, उन्हें एग्रीमेंट करके मजबूर किया जायेगा कि वह बसें ऐसे मार्गों पर चलें, यह काम होगा,

अनुशासन-बद्धता के तहत, अच्छे मजबूत विल पावर के तहत। अगर यह बसें चलेंगी ही, तो उनके लिये मार्ग तय होंगे, उन्हीं पर वह चल सकेंगी.....

आपने कहा है कि मैंने काफी प्रयास किया था तब यह एग्रीमेंट शुरू हुआ है। खुशी होती यदि आप इसके साथ-साथ यह भी बता दिये होते कि कितनी बसें आपने अपने समय में अनुबंधित करके चलाने में कामयाब रहे, उसका जिक्र आपने नहीं किया। कारण है कि आप अपने समय में एक भी बस अनुबंधित करके रोड पर नहीं उतार पाये। यह सरकार ने एक कार्य योजना बना करके इस काम को करने का निश्चय किया है और लगी हुई है। अच्छी सुविधा देने के लिये, यह सरकार वचनबद्ध है ताकि ज्यादा से ज्यादा यात्री यात्रा कर सकें और परिवहन विभाग का जो घाटा है वह कम हो सके। एक चीज आपने कही है कि हमने कई शहरों को जो कि लम्बी दूरी के हैं, उनको बस सेवा से जोड़ा था। इस सरकार के परिवहन मंत्री ने भी लखनऊ से जितने भी बड़े शहर हैं, लखनऊ से विधान सभा एक्सप्रेस चला करके जोड़ने के लिये एक कार्य योजना बनायी है। जो लोग राजधानी लखनऊ जल्दी पहुंचना चाहते हैं वह सुबह चलें और समय से पहुंच सके, ऐसी योजना इस सरकार ने बनायी है।

ईंधन के बारे में आपका आंकड़ा, स्वयं आपको जवाब देता है। आप कितना ईंधन बचा पाये थे, प्रदेश के परिवहन विभाग का कितना भला कर पाये थे, देश का कितना भला कर पाये थे। इसके लिये तो आपके आंकड़े ही आपके उत्तर के लिये काफी है।

एक चीज मैं माननीय मंत्री जी को सुझाव के तौर पर कहना चाहता हूं कि जो जीपें और बसें चलती हैं, उनको चलाने वाले जो ड्राइवर हैं, वह दलित, शोषित समाज के हैं और जो बसें खरीदी जाती हैं, बसें खरीदने वाले लोग बैंक से फाइनेंस कराते हैं, उन बसों को चलाने वाला उनका मालिक नहीं होता है। मैं चाहूंगा कि इस तरह की व्यवस्था करें कि जो ड्राइवर हैं वह बसों के मालिक बन सकें, वह जीपों के मालिक बन सकें और जब वे उसके मालिक बन जायेंगे तो वे बेहतर सुविधा उपलब्ध करा सकेंगे, इससे दलित, शोषित समाज का भी भला होगा। परिवहन विभाग के जो एफेक्टिव अधिकारी हैं, ए०आर०एम० वगैरा उनके राइट्स कम हैं, न नियुक्ति कर सकते हैं और न सस्पेंड कर सकते हैं। इन इफेक्टिव अधिकारियों को अधिकार दे दिये जायें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सुरेश प्रताप सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिये आपका आभारी हूं। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि इस विधान सभा के माध्यम से संसदीय प्रजातंत्र का जो लाभ एक-दूसरे को मिलना चाहिए वह नहीं मिल पा रहा है, और हम एक-दूसरे की बातों को हंसी में उड़ा देते हैं। हम लोगों को एक-दूसरे से कुछ सीखना चाहिए। सरकारें तो आयेंगी और चली जायेंगी लेकिन हम लोगों को यहीं रहना है। मुरादाबाद देहात क्षेत्र के बारे में कहना चाहूंगा कि वहां ट्रैफिक बहुत अव्यवस्थित है, कोई पुल नहीं है और ट्रैफिक को बाहर बाईपास से जाने का

कोई रास्ता नहीं है, इसलिये ट्रैफिक कन्जेशन रहता है, इस ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मुरादाबाद से रामपुर जाने में स्थानीय पैसेन्जर को बड़ी कठिनाई होती है। रामपुर से मूढ़ा पाण्डेय और दलपनपुर 10-12 किलोमीटर के अन्दर ही है किन्तु बसें नहीं चलती हैं। मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा कि भारतवर्ष में जो पर्यटक स्थल हैं जैसे दिल्ली, आगरा, जयपुर, ग्वालियर, चण्डीगढ़ आदि और पर्वतीय क्षेत्र में जो हमारे पर्यटन केन्द्र व तीर्थस्थल हैं, तक बस सेवा होनी चाहिए।

(इस समय 7 बजकर 46 मिनट पर अधिष्ठाता श्री बी० आर० वर्मा पीठासीन हुए।)

जैसा कि मैं देख रहा हूं कि पर्वतीय क्षेत्र में सिर्फ 520 बसें ही चल रही हैं, उनमें डीलक्स और सेमी डीलक्स बसों की संख्या मात्र चार-पांच ही होगी। इस तरह की और भी बसों को चलाने की व्यवस्था की जाय, जो लम्बी रूट की गाड़ियां है और जो उत्तर प्रदेश के बाहर डायरेक्ट बसें चलवाई जांय विशेषकर दिल्ली, जयपुर, आगरा, चण्डीगढ़, ग्वालियर। आज जिस तरह से हरियाणा और राजस्थान में बसें चल रही हैं, लांग रूट से हमें अपनी बसें कनेक्ट करना चाहिए व पर्वतीय पर्यटक स्थल से जोड़ा जाना चाहिए, इसमें काफी प्रयास किये जाने की आवश्यकता है। बस लाइसेन्स का सरलीकरण व उदारीकरण किया जाये जिससे कम्पटीशन हो। नगर बस सेवा भाजपा सरकार ने चालू किया था। सम्पूर्ण प्रदेश में पक्की सड़कों की लम्बाई 78492 है जिसमें हमारी कुल बसें 8022 चल रही हैं जिससे दस परसेण्ट डिस्टेन्स कवर कर रही हैं। पर्वतीय बसों की संख्या 520 है और नगरीय बसों की संख्या 46 है। मार्गों की संख्या 2847 हैं जो चार प्रतिशत ही डिस्टेन्स कवर कर रही है। मेरा एक सुझाव और भी है भष्टाचार को कम करने की दिशा में सेण्ट्रल वर्कशाप कानपुर से स्पेयर पार्ट्स का वितरण किया जाता था। उत्तर प्रदेश में क्षेत्र में 18 रीजनल मैनेजर हैं 106 डिपो है, पहले तो कम ही भ्रष्टाचार होता था, लेकिन अब तो 18 गुना भ्रष्टाचार फैल गया है। ड्राइवर कहता है कि मेन्टीनेन्स एलाउन्स नहीं मिलता है, इस ड्राइवर को इनसर्टिव दिया जाये व कुछ मेन्टीनेन्स एलाउन्स भी दिया जाये।

प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में यह कहना चाहता हूं कि स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा ही इसे कराया जाय, जो वाहन धुंआ फैलाते हैं, ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं उन पर रोक लगाई जाय, हार्न के अलावा भी सब बजता रहता है, नई बसों को रिप्लेस कराया जाय, चलती हालत की बसों की ही नीलामी की जाय ताकि उससे अच्छा पैसा मिल सके, जो बसें कण्डेम हो जाती हैं, उन पर ज्यादा पैसा नहीं मिल पाता है। मैंने इस संबंध में कई शिकायतें मुरादाबाद के रीजनल मैनेजर को लिखी हैं। माननीय विधायकों के लिये जो बस की सुविधा प्रदान की गयी है वह पर्याप्त नहीं हैं, मैं बहुत गरीब विधायक हूं, अपनी कार नहीं रख सकता हूं, बस से चलता हूं, अगर कहीं सड़क के किनारे खड़े होकर बस रुकवाते हैं तो ड्राइवर बस नहीं रोकते हैं। मेरा यह सुझाव है कि उत्तर प्रदेश से गुजरने वाली सभी राज्यों की बसों में विधायकों को आरक्षण सुविधा प्रदान की जाय। उनके लिये एक सुरक्षित सीट रखी जाय जो वह फोल्डिंग टाइप की हो, जिसे

जरूरत पड़ने पर ही विधायक द्वारा उपयोग में लाया जाय। निजीकरण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, विशेषकर लम्बे रास्तों पर, जैसे बसें दिल्ली-सौनौली रूट पर चलती हैं, दिल्ली-गोरखपुर, आजमगढ़ चलती हैं, ड्राइवर व कण्डक्टर यह बसें कहीं भी रोक लेते हैं उनकी राय पर होटल वाले यात्रियों से बढ़े हुये दाम लेते हैं, मैं इस ओर भी सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। लेबिल क्रासिंग हाइवे पर हमेशा यह रोडवेज वाले कोई न कोई एक्सीडेन्ट बस ओवर टेक करके कर देते हैं अभी हाल ही में दो एक्सीडेन्ट हुये हैं मुद्दा पाण्डे-रामपुर रूट पर जिसमें पहली बार 14 व्यक्ति मारे गये, दूसरी बार 10 व्यक्ति मारे गये, इस ओर भी सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। ट्रेफिक नियमों का उल्लंघन सबसे अधिक सरकारी रोडवेज द्वारा किया जा रहा है, रेड लाइट पार कर लेते हैं, और लेबिल क्रासिंग पर ओवरटेक करते हैं, ट्राफिक इन्सपेक्शन में कमी होने के कारण यह बसों को कहीं भी खड़ी कर देते हैं, इन्हें केवल बस स्टेशन पर ही रोकना चाहिए। मूढ़ा पाण्डे से रामपुर तक मुरादाबाद नगर से बस सेवा का विस्तार किया जाय।

श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर)–

माननीय अधिष्ठाता जी मैं आपका बहुत आभारी हूं, जो आपने इस कटौती के प्रस्ताव पर मुझे बोलने का मौका दिया, यह सभी स्वाभाविक रूप से ही चल रहा है, लगता है कि कोई जादू मन्तर किया है, जिस हिसाब से यह पास हो जाना है, इस संबंध में तीन-चार सुझाव देना चाहता हूं कि आपके माध्यम से पहले ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर के कार्यालय का मामला लें, जो लोग टैक्सी चलाते हैं, उनके लिये टैक्सी का परमिट शुल्क बहुत ज्यादा है, उसको वह लोग वहन नहीं कर पाते हैं, अनुरोध है कि इस पर पुनर्विचार कर लिया जाय, धन्ना सेठ की टैक्सी होती है, यह परमिट की बात है। अन्तर राज्य रूट है, वहां पर परमिट जारी नहीं कर पा रहे हैं जितना दूसरे लोग कर रहे हैं।.....

श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर)–

मैं मुजफ्फरनगर से आता हूं। हरियाणा की जो बसें हैं, वह 20 टाईम चलती है तो हमारी बसें केवल 2 टाईम चलती हैं। हमारी बसें हरियाणा के अंतर्गत कम दूरी पर चलती है तो उनकी बसें उत्तर प्रदेश में बहुत दूरी तक चलती हैं। इसके लिए हमने क्या व्यवस्था की है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। जबकि उस समय यह नियम बना था कि जितनी बसें हमारी चलेंगी उतनी ही बसें दूसरे पड़ोसी प्रांतों की भी चलेंगी। परन्तु किन्हें कारणों से यह नहीं हो पाया। इसी प्रकार मध्य प्रदेश का मामला है। सूबे से लगे हुए चाहे वह जो प्रांत हो, चाहे वह राजस्थान हो, तो हमारी दो बसें वहां जाती हैं तो उनकी 10 बसें आती हैं और ज्यादा दूरी तक चलती हैं परन्तु हमारी बसें कम दूरी तक चलती हैं। इसलिये हमें ज्यादा बसें चलानी चाहिये थी। हो सकता है डग्गामारी बसों के प्रभाव के कारण यह सरकार कुछ नहीं कर पा रही हो। माननीय मंत्री जी जब अपना बजट भाषण पढ़ ही रहे थे तो उन्होंने यह कहा कि हमने पुलिस चेकिंग की व्यवस्था को रोक दिया है। ठीक है, आपने ट्रांसपोर्टरों के हित में यह काम किया है। परन्तु मंत्री जी आप यह

भी दिखवा लें कि जो चोरी के वाहन हैं, उनके बारे में आप क्या करेंगे? इसका अधिकार आप किसको देंगे। जो रैश-ड्राइविंग करते हैं, उसको आप कैसे रोकेंगे? आपके जो आर०टी०ओ० के दफ्तर हैं वह तो पैसे के अड्डे बन गये हैं; ड्राईविंग लाईसेन्स लेने जाओ या रेन्यूवल कराने जाओ तो टैक्स पड़ता है दो रुपये तो रिश्वत देनी पड़ती है पांच रुपये। प्राइवेट बसों के मालिक जब टैक्स जमा करने जाते हैं तो उनसे रिश्वत ली जाती है। वहां पर दलाल बैठे रहते हैं। झांसी से लेकर मुजफ्फरनगर तक आप दिखवा लें। जहां-जहां भी आर०टी०ओ० के दफ्तर हैं, वहां पर दलाल बैठे होते हैं। अगर ये दलाल न हों तो वहां पर काम भी नहीं हो पा रहा है। यह श्री विकल जी के जमाने में भी था तो श्री प्रमोद तिवारी जी के जमाने में भी था। इसलिये आप इस भ्रष्टाचार को कम करें और लोगों को सुविधा मुहैय्या करवायें।

मान्यवर, जहां-जहां जीपें चल रही हैं, वहां-वहां दिन प्रति दिन एक्सीडेन्ट के खतरे बढ़ रहे हैं। इसलिये ऐसे मार्गों पर आप मिनी बस के परमिट दे दीजिए। जो पढ़े-लिखे नौजवान हैं, जाति-पाति की बात नहीं करते, भले ही आप वरीयता गरीब को दे दीजिए चाहे वह किसी भी जाति का हो। आप फाईनेन्शियल सुविधा दे दें। इससे ट्रान्सपोर्ट की सुविधा और एक्सीडेन्ट का खतरा नहीं होगा। साथ ही बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। ये अपहरण भी नहीं हो पायेंगे।

यू०पी०एस०आर०टी०सी० की ओर ध्यान आकर्षित करने से पहले मैं यह अनुरोध करना चाहूंगा कि ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर के विंग में जो परमिट जारी करने का मामला है, मेरी सूचना इसमें अलग है। इसमें कुछ दाल में काला है, इसलिए आप इसे दिखवा लें। पिछले दिनों जेड०ओ०, मेरठ को करोड़ों रुपये के घपले में पाया गया था। कोई मिस्टर जैन थे। ऐसे बहुत से मामले हैं, जिन्हें आप दिखवायें। केवल टी०सी० को दिखवाने से ही काम चलने वाला नहीं है। कभी-कभी लोग जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, दल का नाम लेकर, बड़ी-बड़ी बेईमानी करते हैं, इसलिये आपको इसके प्रति जागरूक होना चाहिये। अब मैं यू०पी०एस०आर०टी०सी० के बारे में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। हमारे पास जितनी बसें हैं.....

जितने रूट हैं और जितनी बसें है उसमें आपकी यू०पी०एस०आर०टी०सी० के बसें मौजमस्ती का साधन मात्र रह गयी हैं आपके ड्राइवर और कंडक्टर चूस रहे हैं और प्राइवेट मालिक हैं यह लाभ पा रहे हैं और आपकी बसें नुकसान में जा रही हैं। आपको इसके लिये प्रबंधतंत्र को ठीक करना होगा। मंडल स्तर पर प्रबंध तंत्र को चुस्त करना होगा। हम एक कमेटी में परिवहन निगम के अध्ययन के लिये कर्नाटक और तमिलनाडू गये थे माननीय कल्याण सिंह जी भी उसमें थे तो वहां बहुत अच्छा काम निगम कर रहे हैं तमिलनाडु में 9 मंडलो में विभाग को बांटा गया है। वहां निगम लाभ पर है।

श्री अधिष्ठाता–

आप समाप्त करें।

श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर)–

उसका कारण है कि उनका प्रबंध तंत्र चुस्त है। आप कर्मचारियों को गड़बड़ी करने से रोकिये आपका सबसे ड्राइवर को ठीक करिये वह गाड़ी को तोड़ डालता है जितनी आपके पास बसें हैं उसी के अनुसार बसों को रूट्स पर चलाईये। फालतू में कर्मचारियों को मत रखिये। प्राइवेट बस वाला एक ड्राइवर से लाभ कमाता है.....

श्री अधिष्ठाता–

आप समाप्त करें।

श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर)–

मैं भ्रष्टाचार की बात बता रहा हूं। आपके यहां दिल्ली से हरिद्वार बिना परमिट के बसें चलती हैं, दिल्ली का एक माफिया है जो रोज 50 बसें चलाता है। मैं मुजफ्फरनगर में देखता हूं वह दो हजार रुपया आर०टी०ओ० दफ्तर में दे देता है और अपनी बसें चलाता है। मैं भ्रष्टाचार की बात कह रहा हूं इसलिये एक मिनट और दे दें। इसी तरह से कानपुर से भोपाल बसें जाती हैं वह भी माफिया गैंग द्वारा चलाई जाती है। दिल्ली का ट्रांसपोर्ट माफिया जो बाबा ट्रांसपोर्ट के नाम से बसें चलाता है आर०के०पुरम् उसमें लिखा होता है उसकी बसें भरी हुई हरिद्वार जाती हैं लेकिन आपकी बसें खाली जाती हैं। इसी तरह से राजस्थान रोडवेज की बसें भरी जाती हैं लेकिन हमारी यू०पी०एस०आर०टी०सी० की बसें नुकसान में जा रही हैं। तो यह माफिया दिल्ली से लेकर हरिद्वार तक ले जाता है और 10 हजार रुपया आर०टी०ओ० को देता है। इस तरह से मेरठ और गाजियाबाद में वह आर०टी०ओ० को पैसा दे देता है। (लाल बत्ती होने पर) कुछ ऐसा लग रहा है कि भ्रष्टाचार की बात सुनने को तैयार नहीं हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि इस ट्रांसपोर्ट निगम को आप सुधारें आर०टी०ओ० इनको रोक नहीं पायेंगे इसके लिये आप डी०एम० और एस०पी० को जिम्मेदारी दीजिये क्योंकि आर०टी०ओ० को वह पीट देते हैं। आप डी०एम० और एस०पी० से कहें कि जिस जिले से इस प्रकार की बसें गुजरेंगी उसके लिये वह जिम्मेदार होंगे।

श्री अधिष्ठाता–

आप समाप्त करें मैंने माननीय परशुराम जी को बुला लिया है।

श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर)–

आखिर में एक बात कह कर समाप्त करता हूं। एक डी०पी० सिंह ए०टी०एल० के छंटनी शुदा कर्मचारी हैं उनको नियुक्त करने के लिये मंत्री जी ने आदेश कर दिये, कार्मिक विभाग से भी मामला होकर आ गया कमिश्नर ने भी नियुक्त करने के लिये कह दिया लेकिन आपके अनुभाग अधिकारी कोई द्विवेदी हैं उन्होंने 25 हजार रुपया ले लिया फिर भी काम नहीं कर रहे हैं। इस बात को हमारे युवा जनता दल के कार्यकर्ता हैं उन्होंने भी कहा उसने पैसा ले

लिया फिर भी काम नहीं कर रहा है तो आप देखें कि किस प्रकार आपके आदेशों की अवहेलना होती है। वह कहता है कि पैसा ऊपर से नीचे तक जाता है।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप बैठें और माननीय सदस्यों को भी सुझाव देने हैं।

श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर)–

आपको देखना चाहिये कि आपके आदेशों का शत प्रतिशत पालन हो रहा है कि नहीं।

श्री परशुराम यादव–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जनपद फैजाबाद के अपने निर्वाचन क्षेत्र की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । पिछली सरकार ने हमारे क्षेत्र में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उसको फैजाबाद मुख्यालय से जोड़ने के लिये बसें चलती थीं उन्हें बंद कर दिया जिसकी वजह से मुख्यालय से शाहगंज काजीसराय जैसे क्षेत्र परिवहन सुविधा से अछूते रह गये। मैं वर्तमान सरकार से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 1973 में जब कोई सड़क नहीं थी उस समय हैदरगंज बीकापुर चौबेबाजार बसें चलाई जा रही थीं लेकिन जब सड़कें हो गयी हैं.....

(इस समय 8 बजकर 1 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

पिछले शासन में उन बसों को बंद कर दिया गया था।

मेरा शासन से पुनः निवेदन है कि फैजाबाद मुख्यालय से हैदरगंज बीकापुर वाया चौबे बाजार होकर बसें चलाई जायें। इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं परिवहन मंत्री जी द्वारा रखे बजट प्रस्ताव के विरोध में श्री विकल जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसके समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश के अंदर बसों के संबंध में परिवहन मंत्री जी ने अपनी उपलब्धियों तथा इस विभाग को चुस्त और दुरुस्त बनाने के लिये जो संकल्प लिया था उसके परिप्रेक्ष्य में कई बार यहां कहा और आर०टी०ओ० को बसों की चेकिंग हेतु कार सौंपी जो अच्छा काम किया लेकिन मैं सदन को बताना चाहता हूं कि हमारे जनपद में पुलिस के लोग आज भी वाहनों को चेक कर रहे हैं और कागजों को देख रहे हैं तथा बसों को बंद कर रहे हैं, इस प्रकार आपके आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है, यह स्थिति हमारे जनपद बाराबंकी में बरकरार है।

मान्यवर, लखनऊ से पूर्वान्चल जाने वाली फैजाबाद रोड पर आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर और बनारस डिपो की बसें मेरे निर्वाचन क्षेत्र हैदरगढ़ से होकर जाती हैं और हैदरगढ़ में बसें भोजन के लिये रुकती हैं लेकिन यात्रियों को नहीं बैठाया जाता है, इसलिये सरकार से अनुरोध है कि इन वाहनों के ठहराव के लिये वहां बस स्टाप बनाया जाये और बस ठहराव के निर्देश दिये

जायें। मान्यवर, पहले बाराबंकी में एक बस डिपो था जिसे वर्तमान सरकार ने समाप्त कर दिया है, इसलिये मैं चाहता हूं कि चूंकि बाराबंकी मुख्यालय है, अतः वहां पहले जैसा ही बस डिपो बनाया जाये क्योंकि बाराबंकी बस डिपो होने से ग्रामीण अंचल में बसें चलाने में सुविधा होती है और जिले के अधिकारियों को ग्रामीण अंचल में बस चलाने के लिये हम लोग बाध्य कर सकते हैं। अब लखनऊ में सारे डिपो हैं, इसलिये आपके आदेश के बावजूद अधिकारीगण नहीं सुनते हैं।

मान्यवर, मैं शासन का ध्यान इस ओर भी आकृष्ट करना चाहता हूं कि हम लोग विधान सभा में आपके वरिष्ठ सहयोगी हैं और आप निर्देश दें कि फलां कर्मचारी को समायोजित कर लिया जाये किन्तु आपके अधीनस्थ कर्मचारी 25 हजार रुपये की घूस मांगे तो इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकती है? इसलिये आप यदि चाहते हैं कि इस सरकार में परिवहन विभाग का काम चुस्त दुरूस्त हो तो इस ओर ध्यान दिया जाये। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि आपके विभाग में कार्यों की कोई प्रगति नहीं है बल्कि कार्यों से लोग क्षुब्ध होकर परेशान हैं और अधीनस्थ कर्मचारी चाहते हैं कि परिवहन मंत्री अपने कार्यों का निर्वहन न कर सकें।

इसमें भी कोई दो राय नहीं है। मैं आपसे जनपद बाराबंकी की तरफ जहां से मैं प्रतिनिधि होकर आता हूं, के बारे में कहना चाहता हूं, यह सौभाग्य है कि अगर आपकी सरकार चल रही है तो वह बाराबंकी जनपद की बदौलत चल रही है, सरकार में सारा दिल और दिमाग बाराबंकी का ही है। इसलिये मैं आपसे कहूंगा कि मान्यवर, जब सन् 77 में मैं विधायक हुआ था तो उस समय हमारे क्षेत्र में बाराबंकी जिला मुख्यालय से हैदरगढ़ होते हुए कमेला, चौबीसी, सुकुलपुर, सरायगेसी, असन्दरा, लाही, पोखरा, खैराकुन और शिवनाम तक परिवहन की बसें चलाई गई थीं, जिनको अब धीरे-धीरे बन्द कर दिया गया है, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि उनको फिर से चलाया जाये। एक निवेदन मेरा यह भी है कि प्रत्येक बस स्टेशन पर यात्रियों के रुकने के लिये प्रतीक्षालय और शौचालयों की व्यवस्था की जाये, बिजली और पानी की व्यवस्था की जाये..... (घोर व्यवधान)।

श्री इरशाद–

आज के बजट का मैं पुरजोर अपनी तरफ से समर्थन करता हूं और प्रदेश की जनता की तरफ से माननीय परिवहन मंत्री जी का धन्यवाद अदा करता हूं। अभी कोई थोड़ी देर पहले हमारे विद्वान साथी, विकल जी बोल रहे थे, तो उन्हें सुनकर मुझे भी बोलने के लिये मजबूर होना पड़ा। एक शेर है–जुनूं का नाम खिरद रख दिया, खिरद का जुनूं, जो चाहे आप हुसने करिशमा साज करें। तो मैं सोच रहा था कि जब इंसान की अक्ल पर पत्थर पड़ जाता है और जब वह तारसुब की ऐनक अपनी आंखों पर लगा लेता है, तो उसको कोई भी चीज साफ नजर नहीं आती है। 6 दिसम्बर को आपने इस प्रदेश और देश में ऐसे विनाश का काम किया, जिसके नतीजे पर ऊपर

वाले ने आपका विनाश कर दिया और अब यह प्रदेश आपके विनाशकारी कार्यों से पूरी तरह बच गया, वरना आप रहे होते तो इस प्रदेश में परिवहन निगम की क्या हालत हुई होती।

(व्यवधान)

हम तो आशावादी हैं और आप पूरे तौर पर निराशावादी हैं। आप का तो सोच सदैव नेगेटिव रहा है और हमारी सोच पाजेटिव है। आप कहते हैं कि घाटा कैसे कम होगा, क्योंकि कोई कर नहीं लगाया गया है; इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि जब चोरों का संगठन होगा, भ्रष्ट लोग होंगे तो घाटा नहीं होगा, क्या फायदा होगा? हमें उन्हीं भ्रष्टाचार करने वालों पर चेक लगाना होगा, जो हमने लगाया है और उससे चोरियां रुक जायेंगी और भ्रष्टाचार के सारे रास्ते बन्द हो जायेंगे। हमारी सरकार उसको रोक लेगी। इस सम्बन्ध में मैं एक मिसाल दूंगा, मैं कोल्ड स्टोरेज की तरफ गया और वहां पूछा कि भाई आलू रखने का धन्धा कैसा होता है, इसमें कितना फायदा होता है। तो कहा गया कि इसमें मालिक द्वारा सफेद चूहे छोड़ दिये जाते हैं, जो बोरे काटकर आलू गिरा देते हैं। सो जो सफेद चूहे आपने पाल रखे हैं, उनको इस सरकार को मार देना है, यही काम हमारी सरकार को करना है। इसके साथ मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि हम उन्नति और तरक्की के रास्ते शिखर पर पहुंचना चाहते हैं तो इस विभाग को भी हम तरक्की के रास्ते पर और शिखर तक पहुंचाने में हमारी सरकार प्रयास करेगी। यह जो चेक-पोस्ट बनाये गये हैं, इनको खत्म कर दिया जाये, क्योंकि इससे जनता को काफी परेशानी होती है और प्रेक्टिकली उसका कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होता है। इसके साथ एक बार फिर मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगा।

श्री अमरजीत सिंह जनसेवक–

मान्यवर,94-95 के परिवहन आय-व्ययक बजट पर बोलने का आपने अवसर दिया, इसके लिये मैं आभारी हूं। विभिन्न पहलुओं पर शुरू से प्रकाश डाला जाय, न तो इतना समय है क्योंकि आपकी लाल बत्ती जल जायेगी और हमको बैठने के लिये कह दिया जायेगा। एक महत्वपूर्ण बिन्दु की ओर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। राष्ट्रीय विकलांग संघ का अध्यक्ष होने की हैसियत से बड़े लम्बे समय से इस प्रयास में रहा कि उत्तर प्रदेश में जो भी ड्राइविंग लाइसेंस बनते हैं इसमें आज भी वही अंग्रेजों के जमाने का नियम आड़े आता है। कोई भी विकलांग लाइसेंस लेने का हकदार नहीं है।

माननीय मंत्री जी ध्यान से सुनें। प्रदेश के किसी भी राजनैतिक, जाति बिरादरी, धर्म से ऊपर हटकर अलग बात कर रहा हूं विकलांग किसी भी जाति, वर्ग, धर्म में हो सकता है। मंत्री जी को जानकारी होगी कि उत्तर प्रदेश में विकलांगों को लाइसेंस नहीं मिल सकता है। मैं आपके सामने यहां पर कहता हूं कि मारुति हो, मोटर हो, बस हो, ट्रैक्टर हो, जीप हो, फिएट हो, एम्बेस्डर हो, जो भी गाड़ी हो आप बाहर खड़ी कर दें मैं सारे सदन के सदस्यों को माननीय मंत्री जी सहित उत्तर प्रदेश के जिस कोने में कहें चलाकर ले जा सकता हूं। लेकिन मुझे लाइसेंस नहीं दिया जा सकता। मेरा लाइसेंस अवैधानिक होगा। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से

निवेदन करना चाहता हूं कि विकलांगों को भी लाइसेंस दिया जाना चाहिए। इसके अलावा भ्रष्टाचार की बात कही जाती है, आज भ्रष्टाचार परिवहन विभाग में ही नहीं सभी विभागों में व्याप्त है। भ्रष्टाचार की बात करने से ऐसा लगता है कि यह आयातित है। आर०टी-ओ० के ऑफिस कहीं भी जायं छोटे-छोटे नम्बू छोटी-छोटी दुकानें लगी मिलेंगी जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि प्रयाग राज का तीर्थ यहां आकर लगा हो। बिना किसी बिचौलिये के माध्यम से अगर कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी को ट्रांसफर करवाना चाहता है तो वह नहीं हो सकती है। एक बहुत बड़ा नमूना आपको बताना चाहता हूं शायद मंत्री जी की जानकारी में न हो। एक कर्मचारी हैं ए०टी०एल० के श्री डी०पी० सिंह। जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने समायोजित करने के आदेश जारी कर दिये उसी के साथ साथ कार्मिक विभाग से भी परिवहन विभाग में समोजित किये जाने के आदेश कर दिये गये उसके बावजूद भी उन्हें समायोजित नहीं किया गया है। वहां सेक्शन आफिसर का कहना है कि मुख्यमंत्री जी ने कर दिये होंगे आदेश। कार्मिक विभाग से भी आदेश हो गये होंगे पर यहां नीचे से ऊपर तक एक सीढ़ी है। डी०पी० सिंह से सेक्शन आफिसर ने 25 हजार रुपये की मांग की। इस तरह से एक तरफ माननीय मुख्य मंत्री जी के आदेश हो जाने व कार्मिक विभाग से भी आदेश हो जाने के बाद उसको समायोजित नहीं किया जा सका है। सारे आदेश रखे के रखे रह गये हैं। डी०पी० सिंह 25 हजार रुपये की व्यवस्था करने में लगे हैं।

मेरा आपसे निवेदन है कि इस सन्दर्भ में विशेष ध्यान देंगे। इसके अलावा एक और और आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि बुकिंग क्लर्क की सीट पर विकलांगों की व्यवस्था की जा सकती है। सीट पर बैठकर टिकट बांटने का काम तो वह कर सकता है। शोषित, पीड़ित और विकलांग सरकार से मेरा निवेदन है कि कम से कम हम जैसे प्रदेश के सारे विकलांगों के प्रति सोचें, यही मुझे कहना है, धन्यवाद।

श्री रतन पाल पवांर–

मान्यवर, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, वैसे मैंने सचिव महोदय से लिखकर प्रार्थना भी की है कि मेरा नाम संशोधित कर दिया जाय। जो भी रिपोर्ट भेजी जाति है उसमें रतन पाल के बजाय रतन लाल लिखा जाता है।

किसी भी राष्ट्र और राज्य की समृद्धि के लिए परिवहन महत्वपूर्ण विधा है। आजादी के इतने लम्बे समय के बाद दिनों-दिन सरकारें आई, गईं। बड़े-बड़े शहरों से परिवहन निगम की बसों को राज्य से जोड़ने की बात कह दी गई लेकिन गाँवों को सड़कों से जोड़ने की बात सुनने को नही मिली। गांवों को सड़कों से जोड़ना चाहिये। मुख्य मार्गों से जोड़ना चाहिये। उन पर बसों को चलना चहिए। मैं आपके माध्यम से माननीय परिवहन मन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा। हमारे राज्य का 70 फीसदी बजट गाँव की उन्नति के लिए है। माननीय मन्त्री जी ने कहा है 80 फीसदी लोग गाँव में रहते हैं। 70 फीसदी परिवहन बजट को गाँव को शहरों से जोड़ने के लिए खर्च किया जाय। माननीय मन्त्री जी ने इसका कोई जिक्र नहीं किया है।

श्री अध्यक्ष–परिवहन विभाग पर बोलें ।

श्री रतन पाल पवार–

मैं गांव से आया हूं मेरा गाँव दिल्ली सहारनपुर मुख्य मार्ग पर स्थित है यहाँ पर बसों के रूट का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है लेकिन आज भी इस रूट पर प्राइवेट बसें, राज्य परिवहन निगम की बसों से अधिक संख्या में चल रहीं हैं । यह गाँव 20 हजार से अधिक की आबादी का गाँव है । इसके चारों ओर 40 हजार आबादी के गाँव हैं । इस गाँव के मध्य से दिल्ली सहारनपुर की बसें गुजरती हैं लेकिन राज्य परिवहन निगम की कोई बस यहाँ पर नहीं रुकती है केवल प्राइवेट बसें रुकती हैं इसका कारण यह है, मैं दोषारोपण नहीं कर रहा हूँ राज्य परिवहन निगम की बसों के जो कर्मचारी हैं उनका सीधा प्राइवेट बसों के कर्मचारियों से ठेका होता है । यहाँ से राज्य परिवहन की बसें खाली जाती हैं और प्राइवेट बसों के लिए स्टैंड पर सवारी छोड़ देती हैं, तो इस स्थान पर परमानेंट बस स्टैंड बनायें जाएं । यहाँ से हजारों यात्री दिल्ली सहारनपुर को निकलते हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक सुझाव देना चाहता हूँ बचत की बात आयी है उस रूट पर सड़क की व्यवस्था बहुत खराब है । 80 किलोमीटर की दूरी पर दिल्ली से, हमारा गाँव है इस रूट पर 10 किलोमीटर सड़क ऐसी है जो बहुत ऊँची-नीची है और सही नहीं है जिससे बस के कल-पुर्जे भी जल्दी खराब होते हैं । तो इस मुख्य मार्ग को प्राथमिकता के आधार पर ठीक कराया जाए। जिन सड़कों की मरम्मत होती है वह नाममात्र को होती है । तारकोल सड़क पर गिरवा दिया जाता है जो बेकार हो जाता है, जो मरम्मत होती है वह सब हवा में उड़ जाती है । मैं निवेदन करना चाहूँगा कि वहां से तारतम्य स्थापित करें । सड़कों को बनवायें ताकि बसें आसानी से चल सकें ।

श्री मोलई–

मान्यवर, आपने जो परिवहन विभाग का बजट है इस पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, परिवहन विभाग बहुत बड़ा विभाग है । जबसे यह परिवहन विभाग प्रारम्भ हुआ आज तक लगभग घाटे में चलता रहा लेकिन थोड़े से शासनकाल में माननीय मंत्री जी ने परिवहन विभाग को उत्तरोत्तर आगे बढ़ाया है और घाटे को पूरा किया है ।

[समय 8 बजकर 20 मिनट]

वृद्धि की ओर ले जा रहे हैं, इसके लिए मैं मन्त्री जी को बधाई देता हूँ । मान्यवर, मैं मंत्री जी को इसलिए भी बधाई देता हूँ कि आपने विभाग के घाटे को पूरा किया है। पूरा करने के साथ जो वृद्धि की है, उससे इस देश और प्रदेश की इस जनता को लाभ मिल रहा है । इसलिए मैं मंत्री जी को बार-बार बधाई देता हूँ । मैं गोरखपुर जनपद से विधायक हूँ । मै आपके माध्यम

से मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूँ।गोरखपुर जनपद के बाँसगांव विधान सभा क्षेत्र में जहाँ पर पाँच-पाँच बसें चलती थीं।

भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में वह बसें चलना बंद कर दी गई। मैं मन्त्री जी से कहना चाहता हूँ कि उन बसों को पुनः चलाया जाय। दूसरे गोरखपुर जनपद के बाँसगांव में खजुरी तहसील है, जहां पर सिटी बसें चला करती थीं। गोरखपुर विकास प्राधिकरण होने से महत्वपूर्ण हो गया है। आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि खजुरी तहसील से बाँसगांव तक सिटी बसें चलाने का निर्देश आप दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री लाजकृष्ण गाँधी–

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ, जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। विकल जी द्वारा रखे गए कटौती प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूँ। अभी मंत्री जी जब बजट रख रहे थे तो बहुत गद्गद् हो रहे थे हमने पुलिस द्वारा जो चेकिंग होती थी वह बन्द कर दी। मेरे एक मित्र की एक हीरो हाण्डा चोरी चली गई, उसकी रिपोर्ट लिखाने थाने में गया। वहाँ उन्होंने कहा कि आप लखनऊ जाइए वहीं पर आपको हाण्डा मिलेगी। क्योंकि हमें वाहन चेक करने का अधिकार ही नहीं है। अब जिसकी मोटर साइकिल, स्कूटर चोरी हो जायेंगे, पुलिस उनको चेक नहीं कर सकती। उसको ढूंढने का प्राविधान इस सरकार ने नहीं रखा है। सहारनपुर नगर हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश को जाने के लिये मुख्य द्वार बना हुआ है। वहां पर अलग-अलग जाने के लिए अलग-अलग बस स्टैण्ड हैं। सहारनपुर की जो 5 लाख की जनसंख्या है, उसको इस व्यवस्था के कारण परेशानी का सामना करना पड़ता है। जो अव्यवस्था है उसको दूर करने के लिए एक ही जगह पर बस स्टेण्ड हो और वहीं से हर जगह जाने के लिए बसें मिल जाएं। यह जो सहारनपुर 5 लाख आबादी वाला शहर है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 11 महानगरों के अन्दर महानगर बस सेवा प्रारम्भ की गई थी, जिसने परिवहन निगम के घाटे को कम किया है। इसी तरह की योजना सहारनपुर में भी लागू होने वाली थी वह सरकार चली गई नहीं हो पायी। उस योजना को लागू करके सहारनपुर के अन्दर स्थानीय बसें चलाई जाएं जिससे वहां की जनता की परेशानी दूर हो सके और निगम को लाभ हो सके। क्योंकि सहारनपुर का क्षेत्रफल बहुत बढ़ गया है। अन्त में मैं श्री सत्य प्रकाश विकल द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री अकबर अली–

मान्यवर, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे इस बजट चर्चा में भाग लेने का मौका दिया। मैं माननीय परिवहन मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात शुरू करता हूँ। मान्यवर, मैं उरई विधान सभा क्षेत्र से चुनकर आया हूँ। उरई से औरय्या सन् 1963

तक परिवहन विभाग के लिए सूचीबद्ध नहीं था और वहां प्राइवेट बसें चला करती थीं । लेकिन 1963 में यह मार्ग सूचीबद्ध हो गया तब से लेकर अभी तक बसें उरई से औरैया तक चल रहीं थीं लेकिन शेरगढ़ घाट का पुल बन जाने से इन बसों में रुकावट आ गयी है । अब बसें शेरगढ़ घाट रुकने लगी हैं । वहां पर कोई आबादी नहीं है और वह दस्यु प्रभावित क्षेत्र है । रात में रुकने की वहां कोई जगह नहीं है । हर समय चोरों और डकैतों का भय बना रहता है । शेरगढ़ घाट से औरैया मात्र 4 किलोमीटर दूर है और वहां एक बाईपास भी बन गया है । अगर वहां से डायरेक्ट इजाजत न मिल पाये तो इस बाई पास से परमीशन दी जाय ताकि यात्रियों को सुविधा हो सके और बसें औरैया जा सकें । मान्यवर, अब जो कटौती का प्रस्ताव विकल साहब ने प्रस्तुत किया है उसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ गंतव्य स्थान तक बसें पहुंचनी चाहिये यह बहुत ही आवश्यक है । एक ओर हमारे मंत्री जी फरमा रहे हैं कि वह ईमानदारी से प्रतिबद्धता के साथ सुरक्षित रखते हुए यात्रियों को गंतव्य स्थान तक पहुंचायेंगें वहीं दूसरी ओर यह कैसे हो सकता है जब सांप्रदायिकता फैल रही हो । सांप्रदायिकता हर घाटे की जननी है । चाहे कोई भी विभाग हो, जहां पर सांप्रदायिकता रहेगी घाटा अवश्य होगा । (मेजों की थपथपाहट) मान्यवर, इनके समय में बसें जलायी गयीं, ड्राइवर और कंडक्टर जिंदा जलाए गए उस समय मुख्यमंत्री कल्याण सिंह थे और परिवहन मंत्री विकल साहब थे । घाटा तो इन्होंने दिया है और कहते हैं कि खटारा बसें चल रही हैं, जली हुयी हैं, दीमक लगी हुई है, जंग लगी हुयी हैं, इनको ठीक कराने के लिए खर्च कहां से आयेगा । मैं ज्यादा न कहकर बजट प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ और एक बात और बताना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा काम तो यह है कि ड्राइवर और कंडक्टर जो होते हैं वह गरीब लोग होते हैं इनके कोई ट्रक या मोटर नहीं हुआ करती है । जब यह चौराहों से निकलते हैं तो वहां पर सिपाही ट्रकों का जाम लगवा देता है और जब इनसे धन लेने की बात करता है तो यह लोग धन कहां से दें इसलिए इनको जेलों में जाना पड़ता है।

यह गरीबों की सरकार बनी है, यह गरीबों और दलितों की सरकार बनी है । इन लोगों को न्याय देने के लिए मंत्री जी ने बहुत बेहतर काम किया है । यह प्रसंशा के पात्र हैं । मैं चाहूंगा कि इस प्रकार से वह अनेक प्रकार के नियम बनाते रहें । इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूँ और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूँ।

श्री सुधीर कुमार बालियान–

मान्यवर, मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। माननीय विकल जी के द्वारा कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए मैं इतना कहना चहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में विगत वर्षों में विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा । मेरठ मंडल के 39 रूटों में से जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों के भी रूट थे व सहारनपुर, दिल्ली जैसा प्रमुखतम रूट भी शामिल है, हमारी सरकार के समय में मंत्रि-मंडल की उपसमिति के द्वारा निर्णय लिया गया था कि ग्रामीण

क्षेत्रों में बसें चलाई जायंगी। रोडवेज की और अगर सम्भव नहीं होगा, तो प्राइवेट बसें चलायी जायंगी। अभी 6–7 महीने पहले उन 39 रूटों में से अधिकांश रूटों पर बसों का रोडवेज द्वारा संचालन नहीं हो रहा है और साथ ही प्राइवेट बसें रूट पर नहीं चल रही हैं, तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्रों के रूट पर चाहे वह पश्चिम के हों या पूर्व के हों, जहां रोडवेज द्वारा बसें चलाना सम्भव हो, (मैं मानता हूँ कि वित्तीय संसाधन की सीमाओं के चलते हुए सभी स्थानों पर बसें नहीं चल सकती हैं) और जहां पर सम्भव न हो, प्राइवेट बसों का परमिट दिया जाय और ग्रामीण क्षेत्रों की परिवहन व्यवस्था को चुस्त बनाया जाय। प्राइवेट बसों के बारे में मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि यू० पी० एस० आर० टी० सी० द्वारा अनुबंधित की जाने वाली बसों के द्वारा भ्रष्टाचार फल रहा है। विभिन्न प्रकार की श्रेणियां हैं, स्थानीय अधिकारियों द्वारा जिला और मण्डल स्तर के अधिकारियों के द्वारा निम्न श्रेणी की बसों को उच्च श्रेणी में पास करके अनुबंधित किया जा रहा है। इस प्रकार से परिवहन निगम को सुनियोजित रूप से चूना लगाया जा रहा है। इस पर ध्यान दें।

मान्यवर, अभी जो उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के द्वारा पुस्तिका हम लोगों को आवंटित की गयी, उसमें आंकड़ों का सिर्फ एक जंजाल बनाया गया है, उदाहरण के रूप में 89-90 में यात्रियों की संख्या 38.91 करोड़ थी और अकूपैंसी थी 66 प्रतिशत। 90-91 में 37.10 करोड़ यात्री थे और परिवहन निगम द्वारा की गयी अकूपैंसी का प्रतिशत था 68। 91-92 में 37.80 करोड़ यात्रियों ने यात्रा की, अंकूपैंसी थी 72 परसेंट। 92-93 में यात्रियों की संख्या 33.82 करोड़ थी और 68 परसेंट अकूपैंसी थी। इस प्रकार से इन वर्षों में यात्रियों की संख्या घटी है। साथ ही यह दिखाया जा रहा है कि अकूपैंसी का प्रतिशत यानी बसों के भरे जाने के स्थान का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है पूरे परिवहन निगम में कहीं आंकड़ों के माध्यम से गलत तथ्य को तो नहीं भरा जा रहा है ? साथ ही अभी सदस्यों ने उल्लेख किया कि विभिन्न रूट पर बगैर परमिट के वाहन, बसें, मेटाडोर, जीप इत्यादि चलाई जा रही हैं, ...

.....मिली भगत के कारण चलाई जाती हैं। आपने पुलिस की चेकिंग को बन्द कर दिया है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आप बसों की संख्या को भी बढ़ायेंगे और नई बसों के लिए परमिट देंगे ? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लम्बे समय से नये परमिट नहीं जारी किये गये हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बसों की संख्या बहुत कम है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को आने जाने में बड़ी कठिनाई होती है। लखनऊ से कई बड़े नगरों के लिये रात्रि डिलक्स सेवा उपलब्ध करायी गयी है, लेकिन लखनऊ से मुजफ्फर नगर और लखनऊ से सहारनपुर के लिए कोई रात्रि डिलक्स बस सेवा नहीं है और इस कारण बड़ी असुविधा उठानी पड़ती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि यहां के लिए डिलक्स बसों की सुविधा उपलब्ध करायी जायें।

मान्यवर, जो हमारी अन्तर्राज्यीय बस सेवा है, उसकी स्थिति बहुत खराब है । अगर हरियाना की बस जा रही है , तो यात्री उसी बस में चढ़ना पसंद करते हैं, हमारी बस में नहीं चढ़ते हैं । इससे हमको आर्थिक हानि भी होती है और यत्रियों को परेशानी भी होती है। इसलिए जिस प्रकार की सेवा हरियाणा उपलब्ध कराता है, उसी तरह की बेहतर सेवा उपलब्ध करायी जाये । बसों की दशा को सुधारें और उनमें जो सुविधायें हैं, उनको बढ़ाया जाये, जिससे यात्री उनकी ओर आकर्षित हो, इस तरह की अपेक्षा मैं करता हूँ । इन शब्दों के साथ मैं माननीय विकल जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ ।

डा० शिवप्रताप यादव–

माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपका बड़ा आभारी हूँ कि आपने मुझे परिवहन बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया । माननीय मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, वह एक प्रगतिशील बजट है । माननीय मंत्री जी ने कहा है भ्रष्टाचार को दूर किया जायेगा और जो घाटा है उसको कम किया जायेगा और यात्रियों को सुविधाएं दी जायेगी । मान्यवर, मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूँ । यह रोजमर्रा सुना जाता है कि प्राइवेट बसों का जो ड्राइवर होता है वह बसों को सावधानी से चलाता है और जो रोड़वेज के ड्राइवर होते हैं वह बसों को बड़ी स्पीड से चलाते हैं । इसका नतीजा यह होता है कि बसें बहुत जल्दी ही खराब हो जाती हैं और उनकी लाइफ कम हो जाती है ।

मान्यवर, मेरा क्षेत्र नैपाल की सीमा से जुड़ा हुआ है । 4-5 साल पहले बढ़नी से वाया पचपेड़वा दिल्ली तक और कानपुर तक बसें चलती थीं, यह बसें बन्द कर दी गयीं हैं, यह बसें बहुत महत्वपूर्ण थीं और यात्रियों को इनसे बहुत सुविधा मिलती थी, मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि इनको चलाने पर पुनः विचार करें । मैं कहना चाहता हूँ कि गोरखपुर और गोंडा के बीच में बलरामपुर होते हुए मीटरगेज की रेल चलती है, और कोई बस नहीं चलती है, इस लिए इस रूट पर बसों को चलाया जाये । पचपेड़वा से लखनऊ के लिए भी बस चलाने की आवश्यकता है । वहां से दिल्ली के लिए भी बस चलाने की आवश्यकता है ।

श्री दल बहादुर कोरी–

माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपको 101 बार बधाई देता हूँ क्योंकि जब से मैं चुनाव जीतकर आया हूँ, पहली बार खुशी मन से आपने मुझे बोलने का मौका प्रदान किया है इसके लिए मैं आपको 101 बार बधाई देता हूँ ।

मान्यवर, मैं माननीय परिवहन मंत्री जी को एक सुझाव देना चाहता हूँ । बसों में पहले जो टिकट जारी होते थे वह पंच टाइप के होते थे और उनमें पैसा लिखा होता था । इससे यात्रियों को और खासकर गांव के अनपढ़ और भोले भाले लोगों को कोई असुविधा नहीं होती थी,

लेकिन अब उनको हटाकर दूसरे प्रकार के टिकट जारी किये जाते हैं जिसमें कंडक्टर स्वयं पेंसिल से पैसा लिखता है और इस प्रकार वह मनमाना किराया वसूल लेता है जिससे जनता का शोषण हो रहा है। मेरा निवेदन है कि वहीं पंचिंग टाइप के टिकट जिन पर दाम लिखा रहता था फिर से चालू किया जाय।

मान्यवर, दूसरी बात यह कहना चाहता हूँ कि रायबरेली जिला विश्व में जाना जाने वाला जिला है और विश्व के अन्दर उसकी अच्छी ख्याति है लेकिन वहाँ पर एक भी परिवहन की सिटी बस नहीं चलती है और आस-पास के गांवों में एक भी परिवहन निगम की बस नहीं जाती हैं। प्राइवेट बसें ही चलती हैं वह मनमाने ढंग से चलती हैं सवारियों को बैठालती हैं और साथ ही साथ मनमाना किराया भी वसूल करती हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि वहाँ पर सिटी बस की व्यवस्था कराई जाय। इसके साथ ही एक बात और कहना चाहता हूँ कि लखनऊ से शाम को सात बजे एक बस चलाई जाय जो लखनऊ से रायबरेली, रायबरेली से डीह, पसदेपुर तक चले और पसदेपुर में रुककर प्रातः आठ बजे फिर लखनऊ के लिए रवाना हो जाय तो इससे जनता को बहुत लाभ पहुँचेगा लोग सरकारी कार्य से और न्यायालय के कार्य से लखनऊ समय से आ सकेंगे और साथ ही मैं भी हाउस छूटने के बाद अपने घर पर पहुँच सकूँगा। इसके अतिरिक्त एक बस सलोन से ऊँचाहार तक चलाई जाय तथा एक बस सलोन से लवाना, भवानीगंज होते हुए कुण्डा प्रतापगढ़ तक चलाने की माँग करता हूँ।

मान्यवर, मैं सरकार की नीतियों के सम्बन्ध में एक चुटकुला सुनाना चाहता हूँ। सरकार की नीतियां इस प्रकार हैं कि एक व्यक्ति एक व्यक्ति के पास गया और बोला कि मुझे नौकरी पर रख लो। उस व्यक्ति ने पूछा कि क्या काम कर लेते हो तो उसने कहा कि मैं सारे काम कर लेता हूँ तो उस व्यक्ति ने कहा कि रफू भी कर लेते हो तो उसने कहा कि हाँ रफू भी कर लेता हूँ और बात की भी रफू कर लेता हूँ। तो उस व्यक्ति ने उसको नौकरी पर रख लिया। एक दिन वह व्यक्ति अपने एक मित्र (जनता दल) के पास गया और कहा कि मैंने बन्दूक से ऐसी गोली चलाई कि हिरन का कान और टांग दोनों कटकर अलग हो गये तो उसके मित्र ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता तो उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे मित्र रफू से पूछ लो तो उसने कहा कि यह सही कह रहे हैं। हिरन अपनी टाँग से अपना कान खुजला रहा था तो गोली से उसका कान और टाँग दोनों कटकर गिर गया। इसके बाद एक दिन वह व्यक्ति अपने कांग्रेसी मित्र के यहाँ गया।

श्री हरेन्द्र सिंह–मुजफ्फरनगर

मान्यवर, यह तो व्यापारियों के दलाल हैं, यह क्या कह रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री दल बहादुर कोरी–

कांग्रेसी मित्र के यहां उसने कहा कि आज मैंने ऐसी गोली चलाई कि कहीं शेर आगे तो गोली पीछे और कहीं गोली आगे तो शेर पीछे तो उसके कांग्रेसी मित्र ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है तो उसने कहा कि रफू करने वाले से पूछ लो तो रफू करने वाले ने कहा कि दोनों साथ चलते तब तो रफू करता लेकिन कभी शेर आगे गोली पीछे और कभी गोली आगे शेर पीछे तो इसका रफू कैसे कर पायेंगे तो इसी तरह से मान्यवर, इनकी नीतियां हैं कभी यह आदेश करते हैं तो इनके अधिकारी नहीं मानते। कभी इन्होंने आदेश किया तो सरकारी अधिकारी पीछे और कभी वह आगे तो यह पीछे। तो इस प्रकार की इसकी नीतियां हैं।

इसी के साथ मान्यवर, मैं आपको फिर 101 बार बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

श्री लाल जी यादव उर्फ जोगी–

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ। मान्यवर, आवागमन में निश्चित रूप से कुछ कठिनाइयां हैं। मान्यवर, जब कोई भी आदमी अपने गंतव्य मार्ग पर सही समय पर पहुँचना चाहता है तो वह देखता है कि उसे कहीं ऐसी सुविधा पहले उपलब्ध हो यह रोडवेज की जो सुविधाएं हैं, निश्चित रूप से इसमें पिछले समय से सुधार आया है। लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करते हुए उनका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि जो पुरानी बसें हैं जो अपने गंतव्य पर न पहुँचकर बीच में ही लोगों को छोड़ देती हैं। ऐसी बसों को न चलाकर उसके स्थान पर ऐसी बसें चलाई जाय जो सुरक्षित अपने स्थान पर पहुँचने वाली हों। रात्रि बस सेवा जो बसे दूरगामी है उसमें सशस्त्र पुलिस की व्यवस्था होनी चाहिए और ऐसी ही बसें, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि रोडवेज को उपलब्ध करायें। दूसरा जो प्राइवेट सेक्टर की बसें हैं उसमें आदमी को भेड़ बकरियों की तरह ठूंस दिया जाता है और भाड़ा लिया जाता है, मैंने अपने जनपद में देखा है कि प्राइवेट बसों के मालिक आपस में मार-पीट कर लेते हैं तो इस ओर भी माननीय मंत्री जी को ध्यान देने की आवश्यकता है। जो बस अड्डों पर यात्री बराबर आते जाते रहते हैं उन्हें पेयजल की सुविधा, सुलभ शौचालय की सुविधा उपलब्ध हो, वहां पर सफाई हो इन सबकी ओर भी मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। मैं विशेष रूप से यह कहना चाहता हूँ कि जो उन्होंने जल मार्ग का प्रस्ताव दिया है उसका हम स्वागत करते हैं। मैंने कलकत्ता में भी देखा है वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ होती थी और हुगली नदी में जल बसें चला दी गयीं जिससे वहां पर आवागमन सुगम और सस्ता हो गया। इसी तरह का कार्य माननीय मंत्री जी उत्तर प्रदेश में लेकर आयें, तो मैं निश्चित रूप से यह कहूँगा कि यह अपने में सफल और सस्ता लोगों के लिए आवागमन का साधन होगा और लोगों को समय से पहुंचाने के लिए एक कारगर योजना होगी। किसी भी संस्थान को सही ढंग से चलाने के लिए अति आवश्यक है

कि संस्थान के उच्च स्तरीय प्रबन्धतंत्र को दिन-प्रतिदिन कार्य चलाने के सम्बन्ध में पूर्ण सूचना तथा रिपोर्ट समय से और भलीभांति मिलती रहे तो इस ओर भी माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा । मान्यवर, ग्रामीण क्षेत्रों को परिवहन के माध्यम से शहरों के साथ जोड़ा जाये जिससे गाँव की जनता को आने जाने की सुविधा मिल सके । जो हमारी शोषित, दलित और गरीब जनता है और जो यह सरकार का नारा है उसके तहत परिवहन को जोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है यह बहुत ही अच्छा कार्य है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं केवल माननीय मंत्री जी ने जो अपना बजट प्रस्तुत किया है उसके सम्बन्ध में जो विचार रखे हैं, उसका उल्लेख करूंगा । सर्वप्रथम जो सत्यप्रकाश विकल जी ने कटौती का प्रस्ताव रखा है मैं उस पर बल देता हूँ और उसके पीछे मेरा जो दृष्टिकोण है वह यह है कि उत्तर प्रदेश की गरीब जनता के लिए आवागमन के लिए बसों के सिवाय और कोई साधन उपलब्ध नहीं है । माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि आज हमने उत्तर प्रदेश की चालीस करोड़ लोगों को एक स्थान से गंतव्य स्थान तक पहुंचाने का कार्य किया है और उसके हिसाब से और आबादी के हिसाब से तीन व्यक्ति एक बस में पड़ा है लेकिन मान्यवर, लाखों लोग ऐसे हैं जिन्होंने बस में यात्रा नहीं की है । आज भी परिवहन की बसों से यात्रा, जो प्रदेश का सर्वाधिक गरीब वर्ग है, जिनके पास जो सड़कों पर अवैध रूप से टैक्सी, जीप और मिनी बसें चलती हैं उनको किराया देने के लिए पैसा नहीं है, वही लोग केवल इन्हीं बसों से चलते हैं तो इसलिये यह आवश्यक है कि प्रदेश के करोड़ों लोगों के आवागमन के लिये, उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पहुँचाने का दायित्व इस सरकार के ऊपर है तो फिर बसों की संख्या और यात्रियों की सुख सुविधा का खयाल तथा न्यूनतम आवश्यकतायें जो हैं, उनकी पूर्ति होनी ही चाहिये । मान्यवर, केवल एक-दो महत्वपूर्ण बिन्दुओं की तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा । पिछली सरकार में जब माननीय सत्य प्रकाश विकल जी परिवहन मंत्री थे, तब तमाम शहरों में सिटी बसें चलती थीं, उनको बंद करने का उन्होंने फैसला लिया था और उसकी जगह महानगर बस सेवा शुरू की थी । उन्होंने कुछ बड़े शहरों में नकरीबन 11 शहरों में यह सेवायें शुरू कीं । अगर उनकी सरकार रहती, तो आगे भी कुछ विस्तार करने की योजना होती, यह नहीं होती तो इस सरकार से पूछता। लेकिन आज सरकार गरीबों की है, दलितों की है और जो माननीय मंत्री जी हैं, उनके दिल में दर्द भी है कि हम प्रदेश के गरीबों को, सुविधा दे सकें ।

आज केवल महानगरों में सिटी बसों की सेवायें उपलब्ध हैं, लेकिन आज इन 11 जनपदों को छोड़कर, किसी जनपद में जैसे रेलवे स्टेशन से उतरकर कचेहरी जाना है, शहर के किसी दूसरे स्थान जाना है, जो 10-15 किमी० दूर है, तो उनके लिये कोई साधन नहीं है । उन्हें किसी तरह रिक्शे आदि से जाना पड़ेगा, या अन्य जो सवारियाँ हैं, उनसे जाना पड़ेगा । इस प्रकार जितना बस से आने में खर्च हुआ, उससे ज्यादा शहर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाने में लग

जाता है । मैंने पिछले दिनों माननीय मंत्री जी से इस बात का उल्लेख किया कि पहले बस्ती में सिटी बसें चलती थीं, पूर्ववर्ती सरकार ने उनको बंद करने का फैसला किया । रेलवे स्टेशन से कचेहरी 8 किलोमीटर पर है, उस पर आप सिटी बस चलायें तो मंत्री जी ने कहा कि आप एक स्लिप पर लिखकर दे दीजिए । मैंने कहा कि मैं पत्र लिखकर दे दूंगा तो बोले, नहीं आप स्लिप पर लिखकर दे दीजिये तो कल ही बस चल जायेगी । मैंने स्लिप पर लिखकर दे दिया, लेकिन आज एक महीना हो गया, मुझे तो नहीं मालूम, उस स्लिप का क्या हुआ और उस आदेश का क्या हुआ ? आज यदि विभाग द्वारा आदेशों का पालन नहीं हो रहा है, तो मैं समझता हूँ कि इस विभाग की व्यवस्था को सुधारने में वह कहाँ तक सक्षम हैं ।

एक सदस्य –

बस्ती में बस चल रही हैं।

श्री जगदम्बिका पाल–

आप इस बात को खड़े होकर कह दीजियेगा, तो मैं बस्ती में लोगों को बता दूँगा । जो बस चल रही है, वह कलवारी तक चल रही है । जो बात मैं यहाँ कहता हूँ, बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ । मैं रेलवे स्टेशन से कचेहरी की बात कर रहा हूँ । मान्यवर, जहाँ तक न्यूनतम सुविधाओं को देने की बात है, आज पूरे प्रदेश में करीब 450 बस स्टेशन हैं और वहाँ पेयजल के लिये, कैन्टीन के लिये, यात्रियों को अन्य सुविधाओं के लिये मात्र एक करोड़ सैंतीस लाख का प्राविधान किया गया है तो आप खुद ही कल्पना कर लीजिये कि 13 करोड़ जनता के लिये उसे रोडवेज बस स्टेशन पर क्या सुविधायें उपलब्ध होंगी ?

मान्यवर, जहाँ सुलभ शौचालय बन गये हैं, वहाँ की बात मैं नहीं करता, कुल 46 सुलभ शौचालय हैं, लेकिन दूसरी जगह जो हैं, वहाँ किसी बस स्टेशन पर आप खड़े हो जाइये, जिस तरह वहाँ दुर्गन्ध आती है, जिस तरह की अव्यवस्थायें हैं कि आप वहाँ खड़े नहीं हो सकते । मान्यवर, आज भी 196 बस स्टेशन ऐसे हैं, जो किराये के भवनों में चलते हैं । अभी सत्ता पक्ष के ही श्री शिव प्रसाद यादव ने कहा कि सड़कों पर आप चलिये तो कहीं न कहीं आपको रोडवेज की बसें खड़ी मिल जायेंगी, कोई दायित्व निर्वहन करेंगे । वर्कशाप से जब बस निकलती है तो उसे फिटनेस प्रमाण मिलता है और थोड़ी दूर चली कि पता लगा, मैकेनिकल खराबी आ गयी । मान्यवर, खराबी हो सकती है, लेकिन जिन बसों को फिटनेस के बाद यात्रा के लिये निकाला जाता है, वह बार-बार खराब हो जायें, तो यह उचित नहीं है । पता लगा कि पंक्चर हो गया तो बस खड़ी हो गयी, इनकी बसों में जैक नहीं है । यह टायर नहीं बदल सकते । प्राइवेट बस वाले जो हैं, वह अपने आप बदल लेते हैं ।

आज प्राइवेट बसों में लोग बैठना क्यों पसन्द करते हैं, डग्गामार बसें क्यों चल रही हैं, इसलिये कि प्रदेश की जनता को विश्वास है कि प्राइवेट बस में बैठेंगे तो हम जल्दी पहुँच सकते हैं, वह बस हमें सुनिश्चित रूप से पहुँचा देगी, जबकि रोडवेज की बस से पहुँचना हमारे लिये

मुश्किल है । मान्यवर, एक सुझाव और देना चाहूँगा आप कम से कम ड्राइवरों के लिये पुरस्कार योजना शुरू करें, जिससे दूसरे ड्राइवरों के साथ प्रतिस्पर्धा हो, तभी आप अपने विभाग की छवि को बढ़ा सकेंगे।

श्री हरवंश कपूर–

माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे मा० सत्य प्रकाश विकल द्वारा रखे गये परिवहन विभाग के बजट पर कटौती प्रस्ताव पर बोलने का अवसर प्रदान किया । मैं माननीय सदस्य भारतीय जनता पार्टी, माननीय सदस्य जनता दल, माननीय सदस्य कांग्रेस जिन्होंने कटौती के प्रस्ताव का समर्थन किया है, मैं अपने आपको उनसे सम्बद्ध करता हूँ । मान्यवर, दो-तीन सुझाव देना चाहूंगा । प्रदेश में 1988 में बस अड्डा प्राधिकरण बना था, परन्तु उसके पश्चात् किसी भी जनपद में प्राधिकरण द्वारा कोई अड्डे का निर्माण नहीं कराया गया है । वर्तमान में 450 बस अड्डे हैं, जो कि एक तिहाई हैं और इसमें भी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है । दो तिहाई क्षेत्रों में आज भी कोई बस अड्डे का प्राविधान नहीं है । यात्रियों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है । इसी प्रकार से परिवहन विभाग के कार्यालय में जहाँ पर यात्री कर जमा कराने के लिये, लाइसेंस शुल्क या अन्य कर जमा करने के लिये जाते हैं, उनको सुबह से लेकर शाम तक इंतजार करना पड़ता है लेकिन वहाँ पर किसी व्यक्ति के बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है और यहां तक कि जो फार्म निःशुल्क उपलब्ध होने चाहिए, वह विभागों में निःशुल्क उपलब्ध नहीं है ।

माननीय मंत्री जी ने कहा कि परिवहन विभाग मे भ्रष्टाचार को समाप्त कर दिया गया है और जो दलाल परिवहन विभाग के कार्यालयों पर रहते थे उन्हें वहां से हटा दिया गया है । मान्यवर, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि आज भी परिवहन विभाग के कार्यालयों में दलालों के अड्डे हैं और दलाली का काम करते हैं, वहां पर सैकड़ों दलाल घूमते रहते हैं । बिना दलालों के सहयोग के कोई काम परिवहन कार्यालय में नहीं हो पाता है । मैं अपने जनपद के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं । हमारे जनपद में जितने विक्रम लाइसेंस के सड़कों पर चल रहे हैं उससे दुगने विक्रम ऐसे हैं जो बिना लाइसेंस के हैं, बिना परमिट के हैं । जहाँ एक ओर ऐसे विक्रमों के माध्यम से वहां का पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, वहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है । तथा सरकार को राजस्व की हानि हो रही है ।

श्री अध्यक्ष–

अब 9 बज रहे हैं इसलिये समय समाप्त होता है, जिन माननीय सदस्यों को आज समय नहीं मिल पाया है वह लिखकर दे दें, उन्हें कल बुलवा दिया जायेगा ।

(कई सदस्यों द्वारा आज ही बुलवाये जाने का आग्रह करने पर)

श्री अध्यक्ष–

यदि सभी माननीय सदस्य सहमत हों, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है । वैसे काफी देर हो गयी है । बहुत से माननीय सदस्य परेशान हो गये हैं ।

श्री पटेल जी आप अपनी बात सुझाव के रूप में कह कर तीन मिनट में समाप्त कर दें।

श्री नन्दलाल सिंह पटेल –

मान्यवर, माननीय परिवहन मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर अपनी बात रखते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने छोटे वाहनों से लेकर बड़े वाहनों तक को पुलिस उत्पीड़न से मुक्ति दिलायी है। जब से माननीय मंत्री जी ने इस विभाग का पद भार ग्रहण किया है तब से हर जनपद को उसकी स्थिति के अनुसार सुविधायें देने पर विचार किया है। मैं इलाहाबाद के बारे में कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। इलाहाबाद की दूरी डेढ़ से लेकर पौने दो सौ किलोमीटर है। दूसरे जनपदों की तुलना में इसकी लम्बाई दुगुनी है। यह महानगर के नाम से जाना जाता है। इस नगर में जितनी बसें चलती हैं, वह कम हैं। यहाँ पर एक विश्वविद्यालय है।

मेरे विधानसभा में सिरसा टाऊन एरिया है, जिसमें तीन-तीन इण्टर कालेज व एक डिग्री कालेज है, हंडिया में एक डिग्री कालेज है। इन तीनों क्षेत्रों में जो बसें चल रही हैं वह बी० जे० पी० के जमाने से ही जीर्ण-शीर्ण चल रही हैं। बी०जे०पी० जब मिलीजुली सरकार में थी तो उस समय 136 बसें चलायी गयी थीं और जब बी०जे०पी० के लोग स्वतंत्र रूप से सरकार में आये तो 800 बसें चलाया, जिससे घाटा काफी हो गया था। इन तीन महीनों में माननीय मंत्री जी के प्रयासों से यह घाटा काफी कम रह गया है। अब यह तीन करोड़ रुपये बाकी रह गया है। जिसे ये डेढ़ साल में पूरा नहीं कर पाये, मुझे विश्वास है कि उसे हमारी सरकार 6 महीने में खत्म कर देगी। माननीय मंत्री जी ने लाईट, जनरेटर, पीने के पानी, खड़े होने के लिए स्टैन्ड आदि की व्यवस्था हेतु बजट में जो प्राविधान किया है, इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ और मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूँ।

श्री अजय कुमार पोइया–

मान्यवर, आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद श्री विकल जी द्वारा कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र गोवर्धन मे बसों की काफी अव्यवस्था है। परिवहन विभाग की नाम मात्र की बसें चल रही हैं। मथुरा से जो बसें आगरा जाती हैं या आगरा से मथुरा आती हैं, वे फरहा बस स्टेशन पर नहीं रुकती हैं। वहाँ पर ठेका नहीं होता हैं और न ही लोकल बसें अन्दर तक जाती हैं।

वहां बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है, वहां पर कोई कर्मचारी दूरदराज तक नहीं मिलता है मेरा अनुरोध है बस स्टेशन अविलम्ब प्रारम्भ किया जाय जो भी बसें वहां से गुजरे वह अंदर तक जरूर जायं। पं० दीन दयाल जी के जन्म दिवस पर एक बस सेवा मथुरा से फतेहपुरसीकरी शुरू की थी उसे शासन ने बंद कर दिया है प्रारम्भ किया जाय। आगरा से गोवर्धन की ओर बहुत सी बसें चलती हैं जो मथुरा होते हुए चलती हैं लेकिन आगरा से मथुरा होकर जो आती हैं वह फरह

ओलसोख होते हुये गोवर्धन पहुंचनी चाहिए । तो मेरी मांग है कि जिन्होंने बसें नहीं देखी हैं उनके लिये भी बसें चलाई जायं। मेरा सुझाव है कि मथुरा गोवर्धन सोख, ओल फरह बसें चलाई जायं और यहां स्टेशन बनाया जाय ताकि यहां के लोग उससे लाभान्वित हो सके । ओल से रात्रि डाक लेकर रुककर चलने वाली बस पुनः आरम्भ हो, गोवर्धन बस स्टैण्ड पर डिपो का निर्माण हो, गोवर्धन मथुरा के बीच जमुनवता एवं मथुरा भरतपुर के मध्य जाजम पट्टी पर बस स्टाप हो जहां आम जनता बस से उतर चढ़ सके ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त कीजिये ।

श्री अजय कुमार पोइया–

मथुरा से शोरगढ़ बस नहीं चलती हैं मेरा सुझाव है कि वहां बस चलाई जाय । मथुरा से मानिकपुर मार्ग वाया सादाबाद पर परिवहन निगम की बसें चलें। बसों की व्यवस्था सुधारी जाय । मथुरा वृन्दावन फरह गोवर्धन सिटी बस सेवा प्रारम्भ हो ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठें।

श्री फौजदार प्रसाद–

माननीय, अध्यक्ष जी आपने मुझे परिवहन बजट पर बोलने का मौका दिया मैं आपका आभारी हूँ । मान्यवर, माननीय परिवहन मंत्री जी ने परिवहन के संबंध में जो रूपरेखा रखी है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है । मैं उनकी विचार धारा का स्वागत करता हूं । हमारे साथियों ने जो विचार रखे हैं किसी को परिवहन निगम की बसें खराब दिखाई दीं । किसी ने कहा कि घाटे में चल रही हैं लेकिन हमारे इस थोड़े समय में उसमें सुधार हुआ है । मैं आपके माध्यम से सुझाव देना चाहता हूं कि परिवहन निगम में हर श्रेणी में जो अधिकारी और कर्मचारी काम करते हैं । उनका आरक्षण का कोटा पूरा नहीं हुआ है तो मैं मांग करता हूं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का कोटा पूरा किया जाय । कुछ लोगों की गलत मानसिकता के कारण दर्जनों कंडक्टर और ड्राइवर को बड़े अधिकारियों ने निकाल दिया है । जो गरीब कर्मचारी ईमानदारी की बात करते थे उनको अधिकारियों ने अपनी गलत मानसिकता के कारण निकाल दिया है । मैं चाहता हूं कि इस तरह के भ्रष्ट अधिकारी जो जाति के आधार पर ईर्ष्या करते हैं उनको दंडित किया जाय । जो ड्राइवर और कंडक्टर निकाल दिये गये हैं उन्हें पुनः नौकरी दी जाय ।

मैं एक बात और रखना चाहता हूं माननीय विकल जी ने गंभीरता से अपने विचार रखे हैं। एक दिसम्बर से 10 दिसम्बर तक परिवहन बसों में कारसेवकों को ढोने से पूर्व परिवहन मंत्री ने

परिवहन निगम को घाटा कराया है जिसकी भरपाई के लिए यह सदन जो उचित कार्यवाही हो वह उन पर करे यह मेरी मांग है कि परिवहन विभाग की एक दिन की जो आय है उसी हिसाब से 10 दिन की आय विभाग से भरपाई कर दी जाय । इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद।

श्री हरपाल सिंह–

मान्यवर, आपको मैं बहुत-बहुत हार्दिक बधाई देता हूं कि आपने मुझे कटौती प्रस्ताव पर बल देने के लिए बोलने का समय दिया और मैं कटौती प्रस्ताव पर बल देते हुए कुछ सुझाव देना चाहता हूँ ।

मान्यवर, जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसके अन्तर्गत कुछ खामियां हैं और वह यह कि परिवहन विभाग एक मायने में हम सब सदस्य जब पदासीन होते हैं और जब पदमुक्त होते हैं तब भी यही एक ऐसा विभाग है जो हमारे स्मृति पटल पर बना रहता है । मान्यवर, जब हम पदासीन होते हैं तो हम लोगों को साथ में एक सहवर्ती ले जाने की सुविधा मिलती है और जब पदमुक्त हो जाते हैं तो सहवर्ती की सुविधा समाप्त हो जाती है, इसलिये आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि पद मुक्त होने के बाद भी सहवर्ती साथ में ले जाने की सुविधा प्रदान की जाए जिसको मैं समझता हूं कि सभी स्वीकार करेंगे और पूरा सदन इससे सहमत होगा ।

मान्यवर, मेरा दूसरा सुझाव है कि यही एक ऐसा विभाग है जो अपने कर्मचारियों पर क्रूरतम विधान अपनाये हुए है और ऐसा विधान यदि उत्तर प्रदेश के सभी विभागों में हो जाए तो भ्रष्टाचार बंद हो जाए । मान्यवर, इस परिवहन विभाग में एक छोटा कर्मचारी कंडक्टर यदि 10 या 20 रुपये का प्रलोभनवश टिकट न काटकर चोरी करता है या उसमें टिकट काटने में त्रुटि कोई हो जाती है या कभी किसी का टिकट नहीं बना पाता और चेकिंग हो गयी तो उसे सीधे टरमिनेट कर दिया जाता है । इस संबंध में मैं एक उदाहरण देकर बताना चाहता हूँ कि मेरे गांव का एक कंडक्टर जो बुलन्दशहर से दिल्ली की ओर बस ले जा रहा था, एक दिन जब बस दिल्ली की ओर बढ़ रही थी तो हेकड़ किस्म के कुछ व्यक्ति आए और टिकट नहीं लिए और इसी बीच बस की चेकिंग हो गयी तो उस कंडक्टर को टरमिनेट कर दिया गया । तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ऐसी छोटी गलती पर इतनी कड़ी सजा नहीं देनी चाहिए । इसके पूर्व जब भाजपा की सरकार थी तो मैंने श्री सत्य प्रकाश विकल जी से भी अनुरोध किया था लेकिन उन्होंने भी कह दिया था कि विधान ही ऐसा है । लेकिन मैं चाहता हूं कि इस विधान में संशोधन किया जाना चाहिए और इतनी छोटी गलती पर इतनी बड़ी सजा नहीं दी जानी चाहिए ।

मान्यवर, मेरा तीसरा सुझाव है कि प्रायः बसों में एक ही दरवाजा होता है जिससे प्रदूषण फैलता है, इसलिये सुझाव है कि दो दरवाजे होने चाहिए ताकि यात्री भी सुविधापूर्वक आ जा सकें। वह अपनी सीट आसानी से प्राप्त कर सके ।

मान्यवर, चौथा सुझाव है कि बसें तेज रफ्तार से चलती हैं लेकिन इससे दुर्घटनायें बढ़ती हैं जिससे बसें नष्ट होती हैं और निगम का घाटा बढ़ता है और लोग मारे जाते हैं । इसलिये बसें धीमी गति से चलाने की ओर ध्यान दिया जाए जिससे दुर्घटनायें नहीं होगी और घाटा कम होगा। मेरा पांचवां सुझाव है कि बसें कभी-कभी खाली चलती हैं जिससे निगम को हानि होती है, इसलिये खाली बसों को न चलाने के निर्देश दिये जाएं । इससे निगम को लाभ होगा । धन्यवाद ।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, मैं बहुत ही आभारी हूं सदन के सभी सदस्यों का, खासकर सत्ता पक्ष में बैठे मा० सदस्यों, कांग्रेस के श्री जगदम्बिका पाल का ..

मलिक साहब का और भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्यों का जिन्होंने परिवहन विभाग के इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लिया, किसी न किसी रूप में उन्होंने मेरे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन किया । सबने इस आवश्यकता को स्वीकारा कि जन जीवन में परिवहन का और परिवहन के महत्व की बड़ी आवश्यकता है और सबने यह भी महसूस किया कि जितनी आवश्यकता की पूर्ति होनी चाहिए, उतनी नहीं हो रही है, उस कमी को पूरा किया जाना चाहिए। मान्यवर, जो बातें कही गई हैं, मैं उन सबको दोहराऊंगा नहीं, केवल कुछ बातों की ओर मंत्री जी का ध्यान दिलाऊंगा । उनका और हमारा एक ही ध्येय है कि इस प्रदेश की 13 करोड़ जनता को परिवहन की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए । उस दृष्टि से मैं खासकर उनको यह बताना चाहता हूं कि उन्होंने शायद गौर किया हो या न किया हो, उनके यहां चार जोन हैं। उनमें से एक जोन ऐसा है जो सबसे अधिक कमा कर देता है और एक ऐसा है जो सारी कमाई को खा जाता है और बाकी दो में कुछ घाटा और कुछ मुनाफा, इस तरह से कुल मिलाकर स्थिति खराब है ।

मैंने अपने समय में देखा था 7 महीने का वर्णन- अप्रैल से अक्टूबर, 92 तक का और उसे देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जहां सेन्ट्रल जोन ने सात माह में 1 करोड़ का घाटा दिया, नार्थ जोन ने 140 लाख का मुनाफा दिया, वेस्टर्न ने 7 करोड़ 22 लाख का मुनाफा दिया और इस्टर्न ने 6 करोड़ 75 लाख का घाटा दिखाया । यह जो डग्गामारी की समस्या है, कान्ट्रेक्ट कैरेज के नाम पर बसों को बुक कराते हैं और स्टेट कैरेज में चलाते हैं, इसके ऊपर आपका गम्भीरता से ध्यान जाना चाहिए । परिवहन विभाग के प्रवर्तन भाग का काम ऐसा हो, जिससे डग्गामारी रुके, बसों का अवैध चालन रुके और बसों में बिना टिकट और जाली टिकट के चालन रुके । यदि हम यह कर सके तो इसे लाभ की ओर ले जाने में मदद मिलेगी । इससे आपको पूरब की ओर से शुरू करना होगा । मैं दूसरी बात यह कहना चाहूंगा कि एक बात की ओर आप और ध्यान दें । पिछले तीन वर्षों में आपके परिवहन निगम के मार्गों की संख्या बढ़ी है और लम्बाई भी बढ़ी है । जहां 1991-92 में 2438 मार्ग थे, 93-94 में यह बढ़कर 2847 हो गये हैं और इसी प्रकार से मार्गों की लम्बाई भी बढ़ी है । जहां 91-92 में 4 लाख 79 हजार किलोमीटर थी, वह 92-93 में

बढ़कर 5 लाख 96 हजार किलोमीटर हो गई । हर मार्ग की लम्बाई बढ़ रही है और मार्ग बढ़ रहे हैं और आपकी बसें उतनी ही हैं । जो 50 प्रतिशत हैं, क्योंकि 11 प्रतिशत आफ दि रोड हैं और 37 प्रतिशत ओवरएज वाली दूसरी हैं । इस पर आपका ध्यान जाना चाहिए कि कैसे आप इस कमी को दूर करेंगे तभी ठोस परिणाम निकलेंगे । समय से बसें चलें और उनका करटेलमेंट न हो.....

(समय 9 बजकर 20 मिनट)

अब मैं एक महीने पहले का अपना उदाहरण आपको दे रहा हूँ। मुझे मेरठ जाना पड़ा। सुबह आठ बजे एक्सप्रेस बस चलती है आगरा के लिये। मैं पौने आठ बजे पहुँच गया। जब आठ बज गये तो पता करने पर मालूम चला कि बस है पर ड्राइवर और कन्डक्टर जाने को तैयार नहीं हैं। 15-20 मिनट तक यात्री हंगामा करते रहे। 30 मिनट के बाद याकायक पता चला कि बस जा रही है। दूसरे कन्डक्टर और ड्राइवर तैयार हैं। मैंने बस में बैठकर सुना लोग कह रहे थे कि कोई वी०आई०पी० या पूर्व मंत्री आ गये थे, उनकी वजह से जाना पड़ रहा है। तो मान्यवर, यह हालत है यदि कोई पूर्व मंत्री या वी०आई०पी० न आते तो बस न जाती।

मान्यवर, ऐसी स्थिति है। मेरा निवेदन है कि इस तरह से करटेलमेन्ट नहीं करना चाहिए इससे सभी यात्रियों के मन में बुरा प्रभाव पड़ता है। वह सोचते हैं कि उससे तो अच्छा है कि हम प्राइवेट बस से चले जायं निगम की बस में यात्रा करने से क्या फायदा है? आपके साथ दो/तीन दिक्कतें जरुर हैं जैसे कि बसें कम हैं, आफ रूट ओवर लोड हैं, बस ड्राइवर की कमी और यांत्रिक खराबी। इन चार कारणों से आपके परिवहन निगम को कोई न कोई परेशानी उठानी पड़ती है, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि बसेज में लगेज नहीं ले जाना चाहिए, लेकिन खूब जाता है और खूब पैसा वसूल किया जाता है। यात्री की जेब काटी जाती है। लगेज खूब लादकर यात्रियों से पैसा वसूल किया जाता है, वह परिवहन निगम को तो मिलता नहीं है किसी न किसी की जेब में जाता जरूर है। लगेज न जाने पाये, इसकी चेंकिग करने की आवश्यकता है। इसके लिये कोई ऐसी व्यवस्था की जाय ताकि लगेज न ले जाया जाय यदि लगेज ले जाया जाता है तो उसकी आमदनी परिवहन विभाग को होनी चाहिए, उसका लाभ परिवहन विभाग को मिलना चाहिए ताकि आपकी आमदनी में इजाफा हो।

श्री अध्यक्ष–

अब संक्षेप कर दें।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, बस थोड़ी सी बात और कहनी है, संक्षेप में ही कह रहा हूँ। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि वेतन व डीजल के करीब 68 प्रतिशत के खर्चे में कुछ नहीं कर पायेंगे। बहुत बचा लें तो 32 प्रतिशत अवमूल्यन, ब्याज और स्पेयर पार्टस का होता है। अवमूल्यन एक प्रतिशत

और 31 प्रतिशत ब्याज व अन्य खर्चे, स्पेयर पार्ट्स इसमें एक प्रतिशत बचा लिया तो 38 करोड़ बचा लिये। हम इन चीजों की ओर ध्यान दे रहे थे, आप भी ध्यान देंगे तो आप पायेंगे कि इसमें आपको सफलता मिली है।

मैं आपके मुँह से किराये के बारे में कुछ सुनना चाहता था परन्तु उस विषय में आपने कुछ नहीं कहा। मंत्री बनने के बाद आपने कहा था कि मेरी तमन्ना है कि परिवहन निगम का किराया कम करेंगे। लोगों ने आशा लगाई थी कि आप सम्भवतः बजट प्रस्तुत करते समय किराये में कमी की बात कहेंगे लेकिन आप इस सम्बन्ध में मौन हैं। कम नहीं करते हैं तो आपकी विफलता दिखाई देगी और चुप रहते हैं तो कुछ और अर्थ निकाला जायेगा। मैं वह रास्ता बता रहा हूँ कि बिना किराया बढ़ाये परिवहन निगम को ठीक से चलाया जाये और यह घोषणा करें कि किराया नहीं बढ़ेगा। सेमी डीलेक्स और एक्सप्रेस बसें हैं उनकी संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। कुछ बस ठेके 10 प्रतिशत यह होनी चाहिए इस तरह 800 बसें हैं उनमें से 355 चल रही है। इन बसों से आपकी आमदनी बढ़ेगी, यात्रियों को सुविधा बढ़ेगी। इसके अलावा आपने प्रदूषण के बारे में जो कहा है, इसमें मैं जरूर कहना चाहूँगा कि आपके पास गैसोलाइजर है, स्मोक मीटर है। दुख के साथ कहना पड़ता है कि प्रदूषण नियंत्रण का मीटर वाहनों से निकलने वाले धुंए पर कोई प्रभावी नियंत्रण नहीं हो पाया है। इससे जहां प्रदूषण बढ़ रहा है वहीं मानव जीवन को खतरा बढ़ रहा है इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारे एक मित्र ने कहा कि दस दिन बसों का संचालन बन्द रहा। 1992 में दस करोड़ का नुकसान हुआ, तो हमसे वसूल कर लेंगे। हम दूसरी बात कह दें तो अच्छा नहीं होगा इस तरह की बात न कहने के पहले सदस्यों को सोच लेना चाहिए जो उन्होंने कहा उसका जवाब तीखा भी हो सकता है लेकिन तीखा बोलना मेरे स्वभाव में नहीं है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री आर० के० चौधरी–

मान्यवर, सदन के माननीय सदस्यों ने अपने सुझाव रखे मैं सभी सदस्यों का सम्मान करता हूँ, उनके सुझावों का सम्मान करता हूँ उन्होंने अपने अमूल्य सुझाव दिए और अमूल्य समय दिया। मैं उनका स्वागत करता हूँ। मान्यवर, मुझे थोड़ा सा कहना है एक सदस्य लाज कृष्ण गाँधी जी ने बताया मोटर साईकिल चोरी गई वह पुलिस के पास पहुंचे तो कहा गया कि आपके परिवहन मंत्री जी ही कुछ कर पाएंगे और उनकी बात नहीं सुनी। मैं बताना चाहता हूँ पढ़े-लिखे तौर तरीके सोचने चाहिए यदि चोरी का मामला है आई०पी०सी० का मामला है तो यह जुर्म का मामला बन जाता है। पुलिस विभाग से पावर छीन लिया गया है। परमिट टैक्सैज, रजिस्ट्रेशन पुलिस वाले इसको नहीं देख सकते हैं लेकिन अगर कोई गाड़ी चोरी की है तो तफतीश के सिलसिले में पुलिस को पावर है मैं अपनी पुरानी बात पर बल देता हूँ। पावर पुलिस से वापस ले ली गई है। जहां तक डग्गामार बसों की समस्या है। माननीय विकल जी ने सलाह दी हम पहले से सोचे हैं पिछले चार महीनों में कई बार अभियान चलाया। हमारा संकल्प है। राष्ट्रीयकृत मार्गों पर अनधिकृत संचालन नहीं होने देंगे। इसके संबंध में अपने विभाग के अधिकारियों को लगाया है। जिला प्रशासन को

तैयार किया। जिला लेवल पर टीम बनाएं। चार दिन या दस दिन के लिए अभियान चला सकते हैं। हमने पहले भी अभियान चलाए हैं और उससे फायदे भी हुए हैं। मान्यवर, पत्रकारों के बारे में कहा गया। पत्रकारों को पास ले जाने की सुविधा के बारे में कहा गया था, तो मात्र परिचय पत्र के आधार पर उनको सुविधा दी जाएगी। माननीय विकल जी ने कहा था सूचना विभाग से सम्पर्क किया गया है। सूचना विभाग के अधिकारियों से हमारे विभाग के अधिकारियों ने मिल-बैठकर यह बात तय की है, इस सदन में भी सूचना विभाग का प्रस्ताव आया था उसमें भी यह बात कही गई थी। मान्यवर, दूसरी बात है कि विकल जी ने किराया कम करने की बात कही। कि मैंने कहा था कि किराया कम करेंगे। किराया कम करने की बात मैंने नहीं कही थी। मैंने शपथ लेने की बाद इस बात को दोहराया था कि निगम घाटे में है, करप्शन के नाते घाटे में है अनियमितताओं के नाते घाटे में है हमारी कोशिश होगी कि निगम के घाटे को पूरा करके उसको धीरे-धीरे फायदे की तरफ ले जाएं। अगर फायदा हम कर सकें तो यह हमारी जिन्दगी में खुशी का दिन होगा। अपने अधिकारियों के सहयोग से पिछले दिनों जो घाटा था उसको दूर करने की कोशिश हमने की है। अब तो मात्र 3 करोड़ एक लाख रह गया है। आने वाले चन्द महीने में इसको फायदे की तरफ हम ले जाएंगे। जब इतना फायदा हो सके तो किराया बढ़ाने का सवाल नहीं रहेगा। सभी सदस्यों को मैंने गौर से सुना। सबको ध्यान दिया। अब मैं विकल जी से अनुरोध करूँगा कि वह अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें और बजट प्रस्ताव पास होने दें।

श्री अध्यक्ष–

क्या श्री सत्य प्रकाश विकल जी आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

चूंकि किराया वृद्धि न किए जाने की घोषणा नहीं की गई है। व्यवस्था में सुधार का आश्वासन नहीं दिया गया है, इसलिए मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 43 परिवहन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 43-परिवहन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 9,62,31,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 11.4.1994 को नियम 51 के अन्तर्गत कुल 19 सूचनाएं प्राप्त हुईं।

पहली सूचना श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर) तथा श्री मदन गोपाल वर्मा की जिसका विषय जनपद आगरा में यू०पी०एस०आई०डी०सी० द्वारा किसानों की अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा न दिए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बंध में है, यह वक्तव्य हेतु स्वीकार की जाती है।

दूसरी सूचना श्री बालेश्वर त्यागी की जिसका विषय गाजियाबाद शहर के सीवर व बरसाती पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बंध में है, यह केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की गई है।

तीसरी सूचना डा०सरजीत सिंह डंग की जिसका विषय है मिर्जापुर नगर में पीने के पानी की कमी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, इस पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

चौथी सूचना श्री विनय कुमार पाण्डेय की जिसका विषय जनपद गोण्डा के चीनी मिलों एवं गन्ना विकास विभाग में व्याप्त गम्भीर अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, इस पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

पांचवीं सूचना श्री अजय कुमार पोइया की जिसका विषय जनपद मथुरा के गोवर्धन ब्लाक अन्तर्गत ग्राम रसूलपुर में इन्दिरा कालोनी के निर्माण में विलम्ब होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बंध में है, इस पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

छठीं सूचना श्री सुरेश चन्द्र तितौसिया की जिसका विषय जनपद मुजफ्फरनगर के कस्बा खतौली में घनी आबादी के बीच हड्डी मिलों के स्थापित होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, इस पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

सातवीं सूचना श्री बाबूलाल कुरील की है। विषय है जनपद उन्नाव में बाईपास पर स्थित टेनरीज फैक्ट्री द्वारा फैल रहे प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, इस पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

शेष सूचनाएं अस्वीकार की जाती हैं।

श्री प्यारे लाल भारतीय, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी, ग्राम नगला विधी, थाना रामघाट, जनपद बुलन्दशहर का पुलिस द्वारा उत्पीड़न के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य का स्थगन

नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

(मद सं० 12 पुकारे जाने एवं इस संबंध में कुछ समय तक वक्तव्य न पढ़े जाने पर।)

श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर)–

मान्यवर, इसको स्थगित कर दें, कल के लिये स्थगित कर दें।

राजस्व राज्य मंत्री (श्री विशम्भर प्रसाद निषाद)–

मान्यवर, दिनांक 13-1-94 को शंकर सिंह पुत्र कल्याण सिंह.....

श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर)–

मान्यवर, इस वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

अधिष्ठाता–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना गया।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

[दिनांक 13-1-94 को शंकर सिंह पुत्र कल्याण सिंह निवासी नगलानिधि थाना, रामघाट के बारे में रामघाट पर यह सूचना दी गयी कि वह नलकूप पर गया था और अब तक वापस नहीं आया। उक्त सूचना के आधार पर थाना रामघाट पर गुमशुदगी दर्ज की गयी और जांचोपरान्त दिनांक 16-1-94 को गुमशुदगी को अप० सं० 4/94 धारा 364 भा० दं० वि० में परिवर्तित किया गया तथा पुनः दिनांक 2-2-94 को धारा 364 ए भा० दं० वि० में परिवर्तित किया गया। अपहृत शंकर सिंह के बहनोई यादराम के कथनानुसार भूरा यादव पुत्र गेंदा लाल निवासी मूँड़ाखेड़ा, थाना रामघाट ने अपहृत को छोड़ने के लिये रुपये 50,000 की फिरौती के मांग की तथा और इसमें एक्टर पुत्र ढाल सिंह निवासी नगलानिधि, थाना रामघाट एवं राजू उर्फ राजवीर पुत्र गिरिराज, निवासी मानगढ़ी थाना अतरौली (अलीगढ़) का हाथ बताया। बाद में दिनांक 2-2-94 को अपहृत शंकर सिंह को थाना रामघाट की पुलिस द्वारा मुठभेड़ के बाद गंगा नदी के खादर से छुड़ाया गया परन्तु अभियुक्तगण भागने में सफल हो गये अपहृत शंकर ने विवेचन को यह बयान दिया था कि उसके गाँव के ऐक्टर की फिरौती में साजिश थी और श्री प्यारे लाल भारतीय उसका सहयोगी है। विवेचक द्वारा विवेचना के दौरान डम्बर पुत्र बाबूराम, राजू उर्फ राजवीर, एक्टर पुत्र ढाल सिंह, भूरा यादव पुत्र गेंदा लाल एवं प्यारे लाल भारतीय पुत्र अंगनलाल, निवासी नगलानिधि थाना रामघाट का इस अभियोग में लिप्त होना पाया गया। इन सभी अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही की गयी। बाद में इस प्रकरण की जांच वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर को सौंपी गयी जिनके द्वारा इस अभियोग में विवेचक द्वारा प्रेषित आरोप पत्र दिनांक 13-3-94 को रोक दिया गया एवं अग्रिम विवेचना थाना प्रभारी डिबाई श्री जे० के० सिंह को आवंटित कर दी गयी।]

नोट-[ ] सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर ने सम्पूर्ण प्रकार की जाँच के उपरान्त यह निष्कर्ष दिया है कि अब तक की जांच से कोई भी निष्पक्ष एवं स्वतंत्र साक्षी उपलब्ध न होने एवं कतिपय मुख्य साक्षियों के कथन हेतु उपलब्ध न होने के कारण श्री प्यारे लाल भारतीय को उपरोक्त अपराध संख्या 4/94 धारा 364 ए भा० दि० वि० में झूठा फंसाने अथवा न फंसाने के सम्बन्ध में कोई निश्चित मद नहीं दिया जा सकता है। अभियोग की विवेचना प्रचलित है। उक्त प्रकरण से क्षेत्र की जनता में किसी प्रकार का भय, रोष एवं असन्तोष अथवा आक्रोश व्याप्त नहीं है।]

श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री भारतीय को जेल भेजे जाने की क्या पुष्टि हुयी है और इस संबंध में जिसको जेल भेजा गया है उसकी उम्र क्या है और उसका आपराधिक इतिहास क्या है?

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

मान्यवर, वक्तव्य में यह सारी बातें आ गयी हैं।

श्री जगदम्बिका पाल —

मान्यवर, वक्तव्य में नहीं आया है। वक्तव्य में कहा गया है कि झूठा फंसाने अथवा न फंसाने के संबंध में कोई निश्चित मत नहीं दिया जा सकता है। वक्तव्य से प्रागदर्शन में साबित हो गया है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को फंसाया गया है। उनकी उम्र 80 साल की है और उन पर फर्जी मुकदमा लगाया गया है। मैं जानना चहता हूँ कि जो मुकदमा कायम किया गया है उसको वापस लेने का मंत्री जी आश्वासन देंगे?

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

मान्यवर, सूचना के आधार पर पूरा विवरण दे दिया गया है, यह प्रश्न नहीं उठता है।

श्री हरेन्द्र सिंह –

मान्यवर, साफ-साफ सवाल है, पुलिस ने पैसा मांगा और न मिलने पर 80-85 साल की उम्र के स्वतंत्रा संग्राम सेनानी को जेल भेजा है और 364 का मुकदमा कायम किया गया है। मेरा अनुरोध है कि इस मामले को गंभीरता से लें या तो जबाव दिलवायें या इसे स्थगित कर दें।

नोट :–[ ] यह अंश पद्म हुआ माना गया।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, या तो इस घटना के दोषी व्यक्तियों को दंडित करें या कहें कि उनका अपराध क्या था? इस मामले पर लीपापोती की जा रही है। इसको मान्यवर, स्थगित कर दें। इन्हें तो खेद प्रकट करना चाहिए।

श्री हरेन्द्र सिंह–

जिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की बदौलत हम यहां बैठे हैं और बी० आई० पी० ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है।

माध्यमिक शिक्षा तथा बेसिक शिक्षा मंत्री डा० मसूद अहमद–

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य को आश्वस्थ करना चाहता हूँ कि यह प्रकरण गंभीर है और सूचना मंगायी जा रही है।

श्री हरेन्द्र सिंह–

वक्तव्य आ गया है, अब क्या सूचना मंगायी जा रही है?

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, इसे स्थगित कर दें।

श्री अध्यक्ष–

उत्तर सही न आने की वजह से मैं इसको स्थगित कर रहा हूं।

श्री सुधीर कुमार बालियान–

मान्यवर, इस पर चर्चा कराई जाय।

श्री अध्यक्ष–

मैंने इसे स्थगित कर दिया है, अगले दिन आ जायगा।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं, आपने स्थगित कर दिया है।

जनपद उन्नाव में अवैध बसों के संचालन विषयक नियम 51, के अन्तर्गत वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष –

इसको भी स्थगित कर दिया गया है।

जनपद मुजफ्फरनगर में चल रहे चकबन्दी कार्य में किसानों को हो रही असुविधाओं के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य

राजस्व राज्य मंत्री (श्री विश्वम्भर प्रसाद निषाद)–

मान्यवर, उपर्युक्त विषय पर ..... .

श्री अध्यक्ष–

इसे पढ़ा हुआ माना जाय।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री विश्वम्भर प्रसाद निषाद–

[जनपद मुजफ्फरनगर में चल रही चकबन्दी से हो रही किसानों की तबाही के सम्बन्ध में। उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 51 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सर्वश्री रतन लाल पवार, डा० सुरेश संगल, सुधीर कुमार बालियान तथा सुरेश तितौरिया की एक सम्मिलित सूचना शासन को दिनांक 21 मार्च, 1994 को प्राप्त हुई थी जो दिनांक 11 अप्रैल, 1994 को वक्तव्य के लिए निर्धारित की गयी है। इस संबंध में प्राप्त सूचना के आधार पर मुझे यह सूचित करना है कि जनपद-मुजफ्फरनगर की तहसील कैराना को वर्ष 1979 में द्वितीय चक्र की चकबन्दी में शामिल किया गया था। तहसील बुढ़ाना के 41 ग्राम वर्ष 1988 में व 66 ग्राम 1990 में द्वितीय चक्र की चकबन्दी में लिये गये थे। विकास खण्ड शामली, तहसील कैराना के अन्तर्गत आता है तथा विकास खण्ड काधला व बुढ़ाना तहसील बुढ़ाना के अन्तर्गत आते हैं।

2— उक्त के अतिरिक्त तहसील बुढ़ाना के 6 ग्राम वर्ष 1979 में, 4 ग्राम वर्ष 1983 में प्रथम चक्र की चकबन्दी क्रियाओं के अन्तर्गत लिये गये थे। तहसील मुजफ्फरनगर व जानसठ के 100 ग्राम जो प्रथम चक्र की चकबन्दी में सम्मिलित नहीं किए जा सके थे उनमें से 5 ग्राम वर्ष 1979 में, 83 ग्राम 1983 में, 1 ग्राम वर्ष 1985 तथा 4 ग्राम वर्ष 1987 में और 1-1 ग्राम क्रमशः वर्ष 1988 व 1989 में एवं 5 ग्राम वर्ष 1990 में प्रथम चक्र की चकबन्दी में सम्मिलित किये गये।

3— यह कथन उपयुक्त नहीं है कि जिस ग्राम को चकबन्दी के लिए चुना जाता है उसे पूरा किये बिना ही बीच में छोड़ दिया जाता है वरन् वास्तविकता यह है कि चकबन्दी निदेशालय द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार नियोजित कार्यक्रम तैयार कराके धारा-52 के प्रकाशन का प्रयास किया जाता है। धारा-52 का प्रस्ताव गजट में प्रकाशनार्थ भेजने से पूर्व संबंधित ग्राम के सभी अभिलेख तहसील एवं राजस्व अभिलेखागार में दाखिल कर दिये जाते हैं। कभी-कभी किन्हीं वैधानिक अवरोधों के कारण ग्रामों का धारा-52 का प्रकाशन निर्धारित समय के अन्दर नहीं हो पाता है।

4— यह कहना भी तर्कसंगत नहीं जान पड़ता है कि जहां चकबन्दी क्रियाएं अन्तिम चरण में पहुंचती हैं तो वहां धनी व प्रभावशाली लोगों के प्रभाव में आकर अभिलेख चोरी करा दिये जाते हैं। इस संबंध में यह अवगत करा देना उचित जान पड़ता है कि सहायक चकबन्दी अधिकारी कार्यालय प्रायः ग्रामीण अंचलों में स्थापित हैं जहां चकबन्दी से संबंधित अभिलेख रखे जाते हैं। उक्त कार्यालयों में अभिलेखों की सुरक्षा की दृष्टि से कार्यालय अवधि के पश्चात् कार्यालयों में ताले लगा दिये जाते हैं और रात्रि में चपरासियों की ड्यूटी लगायी जाती है।

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

दुर्भाग्यवश ब्लाक शामली के गांव कुड़ाना, ब्लाक कांधला के ग्राम भनेड़ा व सुन्ना के अभिलेख कार्यालयों से कार्यालय समय के पश्चात् चोरी हो गये हैं। इन अभिलेख चोरियों की नियमानुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधित थानों में दर्ज करवायी जा चुकी है और अभिलेखों की सुरक्षा में उदासीनता बरतने के लिए संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी जिसमें श्री सुमेर चन्द्र लेखपाल व सतीश कुमार चपरासी के ग्राम सुन्ना के संबंध में सेवाओं से पृथक किया जा चुका है व ग्राम कुड़ाना के संबंध में श्री चन्द्रपाल सिंह लेखपाल व राजवीर सिंह चपरासी को निलम्बित किया गया है तथा ग्राम भनेड़ा के संबंध में सूबे सिंह चपरासी को निलम्बित किया गया है जिनके विरुद्ध कार्यवाही चल रही है।

5— लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर जिन बिन्दुओं पर सदन का ध्यान आकर्षित किया गया है उनके संबंध में सूचना निम्नवत् है :–

(I) किसी भी एक मात्र गांव की चकबन्दी का कार्य पूरा करने के लिए अधिकतम समय सीमा निर्धारित किये जाने के संबंध में यह अवगत कराना है कि उ० प्र० जोत चकबन्दी मैनुअल के अध्याय-3 के प्रस्तर-72 के अनुसार चकबन्दी क्रियाओं को पूरा करने की सम्पूर्ण अवधि 60 माह निर्धारित है। जनपद मुजफ्फरनगर के चकबन्दी योजना में सम्मिलित 477 ग्रामों में से 300 ग्रामों का धारा-52 का प्रस्ताव चकबन्दी निदेशालय भेजा गया था जिसमें से 196 ग्रामों का कार्य निर्धारित अवधि के अन्दर ही पूरा किया गया है। अवशेष 104 ग्रामों में निर्धारित अवधि में कार्य पूरा नहीं किया जा सका है। धारा-52 के अन्तर्गत प्रस्तावित 300 ग्रामों में से 258 ग्रामों का प्रकाशन सरकारी गजट में हो चुका है एवं 42 ग्रामों का प्रकाशन अभी अवशेष है। इन अवशेष ग्रामों में चकबन्दी निदेशालय द्वारा प्रकाशन हेतु विज्ञप्ति जारी की जा चुकी हैं परन्तु राजकीय गजट में प्रकाशित नहीं हुआ है।

(II) अवशेष 177 ग्रामों में से 105 ग्राम ऐसे हैं जिनकी 60 माह की निर्धारित अवधि समाप्त हो चुकी है परन्तु चकबन्दी कार्य पूरा नहीं हुआ है। 72ग्रामों में जहां चकबन्दी प्रक्रिया चल रही है निर्धारित अवधि पूर्ण नहीं हुई है। यद्यपि चकबन्दी क्रियाएं पूर्ण करने की अवधि 60 माह निर्धारित है परन्तु अब तक यह अनुभव रहा है कि चकबन्दी योजना में शामिल सभी ग्रामों का कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं हो पाता है। इसका कारण विभिन्न न्यायिक प्रक्रियाएं हैं।

(III) जहां तक किसानों को आर्थिक उत्पीड़न से बचाये जाने का प्रश्न है, इस संबंध में यह अवगत कराना है कि चकबन्दी स्टाफ के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त होने पर अथवा उसके द्वारा कार्य सम्पादन में उदासीनता बरतने पर विधिवत् जांच करा कर दोषी कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जाती है। गत 3 वर्षों में जनपद मुजफ्फरनगर में 41 अधिकारियों/कर्मचारियों को निलम्बित करके विभागीय कार्यवाही की गयी। जांच में दोषी पाये जाने पर 4 कर्मचारियों को सेवा से पृथक किया गया, 9 को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया गया, 1 की पदावनति की गयी व 6 को उनके मूल वेतन पर प्रस्थापन किया गया। इसके अतिरिक्त 11 कर्मचारियों की वेतन वृद्धियां रोकी गयीं एवं 14 को प्रतिकूल प्रविष्टि तथा 9 को निन्दनीय प्रविष्टियां दी गयीं। अभी 6 के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चल रही है।

(IV) फसलों की पैदावार की कमी के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि चकबन्दी क्रियाओं के दौरान फसलों की पैदावार में कोई कमी नहीं होती है क्योंकि इस जनपद में अधिकांश समय तक खेतों में फसलें उगायी जाती रहती हैं और चक अपीलों के निस्तारण के तुरन्त पश्चात् यथाशीघ्र नये चकों पर कब्जा परिवर्तन करा दिया जाता है।

(V) जहां तक चकबन्दी के कागजों की चोरी में लिप्त कर्मचारियों/अधिकारियों का पता लगाने और उन्हें दण्डित किये जाने का प्रश्न है, इस संबंध में यह अवगत कराना है कि ग्राम सुन्ना, कुड़ाना तथा भनेड़ा के अभिलेख सहायक चकबंदी अधिकारी के कार्यालयों से कार्यालय समय के पश्चात् चोरी हुए हैं जिनकी प्रथम सूचना रिपोर्ट नियमानुसार संबंधित थानों में दर्ज करायी जा चुकी हैं और जिसकी जांच संबंधित थानाध्यक्षों द्वारा की जा रही है। अभिलेखों की सुरक्षा में लापरवाही बरतने के आरोप में ग्राम सुन्ना के संबंध में सर्वश्री सुमेर चन्द्र लेखपाल व सतीश कुमार चपरासी को सेवा से पृथक कर दिया गया है। ग्राम कुड़ाना के सम्बन्ध में सर्वश्री चन्द्र पाल सिंह लेखपाल व राजवीर सिंह, चपरासी को तथा ग्राम भनेड़ा के सम्बन्ध में श्री सूबे सिंह चपरासी को निलम्बित करके उनके विरुद्ध विभागीय जांच की जा रही है। दोषी पाये जाने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार यथोचित कार्यवाही की जायेगी।]

श्री सुधीर कुमार बालियान–

मान्यवर, लेखपाल को निलम्बित किया गया है, लेकिन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

श्री अध्यक्ष–

यह केवल वक्तव्य के लिए है। मद संख्या 13 पर कोई भी प्रश्न नहीं पूछियेगा। मद संख्या 14 पर प्रश्न पूछियेगा।

प्रदेश के मण्डलीय विकास निगमों में कार्यरत हजारों कर्मचारियों को एक वर्ष से वेतन न मिलने विषयक, नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

ग्राम्य विकास एवं क्षेत्रीय विकास मंत्री (श्री श्रीराम यादव)–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश शासन के अधीन .....

वक्तव्य पढ़ा हुआ माना जाय।

श्री अध्यक्ष–

इसे पढ़ा हुआ माना जाय।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री श्रीराम यादव–

[1— 10 मण्डलीय विकास निगमों की स्थापना मैदानी क्षेत्र में इलाहाबाद, आगरा, मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ, फैजाबाद, वाराणसी, मेरठ, झांसी व गोरखपुर में वर्ष 1971 से 76 तक की गयी थी।

नोट [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

2— उक्त निगमों के कार्यकलापों की समीक्षा सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, तथा मंत्रि–परिषद् की उप समिति द्वारा की गयी जिसमें यह संस्तुति की गयी कि निगमों द्वारा कोई ऐसा कार्य संचालित नहीं किया जा रहा जो कि आवश्यक अपरिहार्य प्रकृति का हो एवं जिसे सार्वजनिक क्षेत्र में संचालित किया जाना आवश्यक हो।

3— उप समिति की संस्तुति के बाद दिनांक 25-8-92 को मंत्रि–परिषद् की बैठक में समस्त मंडलीय विकास निगमों के कार्यकलापों को बन्द करने के साथ-साथ कर्मचारियों की सेवायें समाप्त करने तथा यथा सम्भव इन्हें हार्टिको व चलचित्र निगम के अनुरूप समायोजित करने एवं कार्मिकों के देयकों तथा निगम की अन्य देनदारियों का भुगतान नियमानुसार किये जाने का निर्णय लिया गया। उल्लेखनीय है कि निगमों की मार्च, 91 तक संचित हानि रु० 799.90 लाख आंकलित की गयी तथा कर्मचारियों की संख्या 597 बतायी गयी। यह भी तथ्य प्रकाश में आया था कि निगम के लेखे वर्ष 85-86 के बाद पूर्ण नहीं रहे।

4— निगम के कार्य कलाप बन्द किये जाने के फलस्वरूप कर्मचारियों नें सामूहिक तथा व्यक्तिगत रूप से मा० न्यायालय में याचिकायें दायर की, जिसमें उन्हें समायोजित किये जाने, वेतन दिये जाने तथा छंटनी पर रोक भी लगायी गयी। इन याचिकाओं का प्रतिरोध किया जा रहा है।

5— निगम के कार्यकलाप बन्द किये जाने के प्रकरण को दिनांक 28-7-93 को पुनः परामर्शदात्री परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिसमें 25-8-92 को निगम के कार्यकलाप बन्द किये जाने के सम्बन्ध में मंत्रि–परिषद् के निर्णय की पुष्टि की गयी इसके साथ ही परिसम्पत्तियों के निस्तारण के सम्बन्ध में भी निर्देश अनुमोदित किये गये।

6— परामर्शदात्री परिषद् के उक्त निर्णय के अनुपालन में मण्डलीय विकास निगम की परिसम्पत्तियों के निस्तारण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–1733/54-2-93-1 (37)/92, दिनांक 25 अगस्त, 1993 द्वारा आदेश निर्गत किये जा चुके हैं।

7— परिसम्पत्तियों का निस्तारण करके कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु संबंधित प्रबन्ध निदेशकों को निर्देश दिये जा चुके हैं। इसके साथ ही परिसम्पत्तियों के शीघ्र निस्तारण हेतु लगातार अनुसरणात्मक कार्यवाही की जा रही है।

8— जहां तक मा० उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन का प्रश्न है याचिका संख्या-12300 आफ 1990 लखनऊ मण्डलीय विकास निगम कर्मचारी संघ बनाम राज्य एवं अन्य ने मा० उच्च न्यायालय को आदेश दिनांक 5-2-90 के अनुपालन में शासनादेश संख्या-3645/54-2-92-441/90 टी०सी० (4), दिनांक 15 जनवरी, 1993 द्वारा 66, 67, 981 रु० 15 पैसे की धनराशि कर्मचारियों के अवशेष देयकों के भुगतान हेतु स्वीकृत की जा चुकी है।

9— जहां तक वैकल्पिक सेवा योजन देने का प्रश्न है कर्मचारियों के समायोजन हेतु कार्मिक विभाग द्वारा शासनादेश संख्या–3/20/92-का०–2/93, दिनांक 11-11-93 द्वारा आदेश जारी किये जा चुके हैं। इन आदेशों के अनुक्रम में कृषि उत्पादन आयुक्त व सचिव क्षेत्रीय

नोट [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

विकास की ओर से लगातार अनुशरणात्मक कार्यवाही की जा रही है। इसके पूर्व दिनांक 25-10-93 को कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया कि कृषि उत्पादन आयुक्त के द्वारा समस्त सचिवों को निर्देश दिये गये हैं कि किसी प्रकार की नई नियुक्ति नहीं की जायेगी। कई निगमों में स्टाफ सरप्लस है तथा कई बन्द निगमों के छंटनी शुदा कर्मचारी उपलब्ध हैं, उनका ही समायोजन प्राथमिकता के आधार पर किया जाय। नई नियुक्तियों के संज्ञान में आने पर सख्त कार्यवाही की जायेगी।

10— कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में समस्त मण्डलायुक्तों तथा कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा के सचिवों से कार्यवाही हेतु अनुरोध किया जा चुका है।

11— कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा दिनांक 19-3-94 को कर्मचारियों के समायोजन की समीक्षा भी की गयी है और मण्डलायुक्त लखनऊ, इलाहाबाद, गोरखपुर, फैजाबाद को 15 अप्रैल 94 तक कर्मचारियों का समायोजन करके शासन को अवगत कराने के निर्देश भी दिये गये हैं। इसके पूर्व कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा समस्त मण्डलायुक्तों को पत्र भेजे जा चुके हैं।

12— विभिन्न मण्डलीय विकास निगमों के लगभग 597 कर्मचारियों में 118 कर्मचारियों का समायोजन हो चुका है लगभग 479 कर्मचारी समायोजन हेतु अवशेष हैं।

मंडलीय विकास निगम के कर्मचारियों के समायोजन की स्थिति

मंडलीय विकास निगम का नाम	कुल कर्मचारियों की सं०	समायोजित कर्मचारियों की सं०	अवशेष
1	2	3	4
आगरा	76	37	39
झांसी	31	07	24
इलाहाबाद	56	03	53
बरेली	50	14	36
फैजाबाद	69	07	62
वाराणसी	38	01	37
गोरखपुर	108	06	102
मेरठ	34	29	05
लखनऊ	115	10	105 (दैनिक वेतन भोगी 20)
मुरादाबाद	20	4	16

श्री श्रीराम यादव–

मान्यवर, समायोजन किया जा रहा है।

श्री जगदम्बिका पाल–

वह तो लिखा ही हुआ है।

श्री अध्यक्ष–

अगर आपके पास सूचना हो तो दे दें।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या इसकी स्वीकृति दी जा चुकी है?

श्री श्रीराम यादव–

इसके लिये आदेश जारी हो गये हैं।

श्री हरेन्द्र सिंह–

कुल कितने कर्मचारियों को समायोजित कर लिया गया है, इसे बता दें?

श्री श्रीराम यादव–

118 कर्मचारियों को समायोजित कर लिया गया है और 479 का समायोजन अवशेष है और उनके समायोजन की कार्यवाही चल रही है।

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

इसके बाद सदन 9 बजकर 48 मिनट पर मंगलवार अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।

लखनऊ : 11 अप्रैल, 1994

प्रेम चन्द्र सक्सेना,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये अता० प्र० सं० 29 का उत्तर पीछे पृष्ठ- 46 पर)

प्रथम सत्र 1994 के तीसरे सोमवार हेतु अतारांकित प्र० सं० 29

बी०टी०सी० प्रशिक्षित बेरोजगार अभ्यर्थियों की वर्गवार सूची

जनपद – फैजाबाद

क्र०-सं०	वर्ष	सामान्य	पिछड़ी जाति	अनु०जाति	अनु० जनजाति	विकलांग	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित	भूतपूर्व सैनिक	शिल्पशिक्षक	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1976	103	89	03	—	—	02	—	—	197
2	1977	35	05	08	—	01	01	01	—	51
3	1978	57	04	13	—	02	01	02	03	82
4	1979	86	—	18	—	—	01	05	03	113
5	1980	16	04	04	—	01	01	01	—	27
6	1981	34	08	09	—	02	02	01	02	58
7	1982	11	02	03	—	01	01	01	—	59
8	1983	15	05	07	—	02	01	02	—	32
9	1984	22	04	06	—	02	01	02	01	38
10	1985	17	05	04	—	02	02	02	02	34
11	1986	20	07	09	—	02	02	02	02	44
12	1987	20	07	09	—	02	02	02	02	44
13	1988	20	07	07	—	02	02	02	02	42
14	1989	16	06	07	—	02	02	02	—	35
15	1990	37	12	11	—	02	03	02	—	67
16	1991	41	11	11	—	02	02	03	—	70
17	1992	30	08	07	01	—	01	01	—	48
	योग :	580	184	136	01	25	27	31	17	1001

उत्तर प्रदेश विधान सभा

परिशिष्ट 'ख'

(देखिये अतां प्र० सं० 59 का उत्तर पीछे पृष्ठ 62 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र 1994 के तीसरे सोमवार के लिए निर्धारित श्री ओमप्रकाश सिंह द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–59 के संलग्नक की सूची।

(1) सीखड़

1— मडिया
2— बसारतपुर
3— मगीरथपुर
4— कालपुर
5— गौरबूया
6— लालपुर

(2) नरायनपुर

1— दर्रा
2— कालउन
3— कटका
4— देवरासी
5— सोनई
6— चांदपुर
7— मैठी
8— पूरा दुर्वासा
9— चन्दापुर
10— भोरमारमाफी
11— काकुआ

(3) जमालपुर

1— टकानीपुर
2— गोरखी
3— आराजी कंचनपुर
4— रसूलपुर
5— गोरखपुर
6— तेतरिया खुर्द
7— पुरैनी
8— देवरिल्ला
9— महुवारी
10— गोठीरा
11— रोशनपुर
12— जिगना

नत्थी 'ग'

(देखिये अता प्र० सं० 100 का उत्तर पीछे पृष्ठ–84 पर)

वर्ष 1990-91

क्र०सं०	दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी का नाम	पता	दैनिक मजदूरी
1	2	3	4
1	सर्वश्री योगेन्द्र पुत्र श्री राम फेर	ग्राम–हलवलवेहटा पो०–हिंलाही जिला–गोण्डा	रु० 25/- प्रतिदिन
2	ब्रजपाल पुत्र केदार	ग्राम–टेढ़ई, पो०–सांयनपुरवा जिला–रायबरेली	रु० 25/- प्रतिदिन
3	राजकिशोर पुत्र गुरु प्रसाद	ग्राम–छोटी जुगौली, फैजाबाद, रोड, लखनऊ	रु० 25/- प्रतिदिन
4	राजवंशी प्रसाद पुत्र-श्री अर्जुन प्रसाद	ग्राम–शमटिपटिस पो०–भाटपाररानी जिला–देवरिया।	रु० 25/- प्रतिदिन
5	रंजन चटर्जी पुत्र एस०आर० चटर्जी	सेक्टर क्यू, अलीगंज, लखनऊ।	रु० 25/- प्रतिदिन
6	ललित कुमार पुत्र महादेव प्रसाद	ग्राम–विश्वनाथपुर पो०–वजीरगंज, जिला-गोण्डा।	रु० 25/- प्रतिदिन
7	मोहन चन्द्र जोशी पुत्र नरोत्तम जोशी	जापलिंग रोड, लखनऊ।	रु० 25/- प्रतिदिन
8	जंगबहादुर पुत्र श्री बद्री प्रसाद	ग्राम–चिड़ियापुर पो०–बापागंजधानेपुर जिला–गोण्डा।	रु० 25/- प्रतिदिन
9	हौसला प्रसाद पुत्र श्री सुखदीन	ग्राम व पो०–करवा, जिला–बाराबंकी।	रु० 25/- प्रतिदिन
10	रामदीन पुत्र श्री बद्री प्रसाद	नई बस्ती उदयगंज, लखनऊ	रु० 25/- प्रतिदिन
11	किशुनदेव शुक्ला पुत्र श्री गौरी शंकर शुक्ला	ग्राम–खुरवन्द, पो०–बालेपुर परसिया, देवरिया।	रु० 25/- प्रतिदिन
12	सरोज कुमार पुत्र श्री सहदेव	ग्राम–मुजेहनारहीम, पो०–हाटा जिला–देवरिया।	रु० 25/- प्रतिदिन
13	इश्तियाक पुत्र श्री नकवीउल्ला	ऐना बीबी का पुरवा उदयगंज, लखनऊ	रु० 25/- प्रतिदिन

1	2	3	4
14	रामशंकर पुत्र श्री झूरी	ग्राम–किशुनपुर करोड़िया पो०–नीर्वा, जिला लखनऊ	रु० 25/- प्रतिदिन
15	अजय कुमार पुत्र श्री जागेश्वर	के०जी० मेडिकल कालेज, लखनऊ।	रु० 25/- प्रतिदिन
16	राम सकल मिश्रा पुत्र श्री राम स्वारथ	ग्राम–सेमरढाठी, पो०-खढ़ानी जिला-गोरखपुर।	रु० 25/- प्रतिदिन
17	राम कुमार पुत्र श्री छेदीलाल	छितवापुर भुइयां लालकुआं, लखनऊ।	रु० 25/- प्रतिदिन
18	चन्द्र प्रकाश मिश्रा पुत्र श्री रामसागर	म०नं० 417/119-3 नियर माली वाला मंदिर, लखनऊ।	रु० 25/- प्रतिदिन
19	जवाहर लाल पुत्र नत्थूलाल	मेवरमील कानपुर।	रु० 25/- प्रतिदिन
20	नन्द लाल पुत्र रामगरीब	ग्रा० व पो०-जनुका, जिला–गोण्डा	रु० 25/- प्रतिदिन
21	जोतिन अधिकारी पुत्र श्री बृजगोपाल	माडल हाऊस, लखनऊ।	रु० 25/- प्रतिदिन
22	जगेश्वर राय पुत्र श्री रामसकल राय	ग्राम व पो०-भागीपट्टी झील गोपालगंज, बिहार।	रु० 25/- प्रतिदिन
23	राम प्रसाद पाण्डेय पुत्र श्री सत्यनारायन	ग्राम-कैथलिया पो०-रुपलरी गोरखपुर।	रु० 25/- प्रतिदिन
24	विनोद कुमार पुत्र श्री ज्ञानू	ग्राम-चतखरी पो०-चतखरी, जिला-बस्ती।	रु० 25/- प्रतिदिन
25	हरनाम सिंह पुत्र कल्लूराम	ग्राम व पो० गन्देला जिला-हमीरपुर।	रु० 25/- प्रतिदिन
26	राम लखन पुत्र श्री नन्हूं	ग्राम-बायलमऊ, पो०-सोढ़ियामऊ जिला–बाराबंकी	रु० 25/- प्रतिदिन
27	राम चन्द्र वर्मा पुत्र बदलू	ग्राम–बायनमऊ, पो०–सोढियामऊ, बाराबंकी	रु० 25/- प्रतिदिन
28	राधेश्याम पुत्र शंकर प्रसाद	ग्राम–परसाखौबे पो०–जसवल, जिला-बस्ती	रु० 25/- प्रतिदिन
29	कमलेश पुत्र श्री रामसमुझ	ग्राम व पो०–परेमश्चापर जिला–गोरखपुर।	रु 25/- प्रतिदिन
30	राम कुमार पुत्र महेश	ग्राम व पो०–बढ़पुर अतौरिलिया जिला–आजमगढ़।	रु० 25/- प्रतिदिन
31	मो० फुर्कान पुत्र श्री मो० बइतबुल हुसैन	ग्राम व पो०–उजरियांव, गोमतीनगर, लखनऊ।	रु० 25/- प्रतिदिन

1	2	3	4
32	सुरेन्द्र प्रसाद दूबे पुत्र श्री गया प्रसाद दूबे	ग्राम व पो०–सरायगोकुल जिला–सुल्तानपुर।	रु० 25/- प्रतिदिन
33	दुर्गाबक्श सिंह पुत्र श्री हरी सिंह	ग्राम व पो०–रामावापुर बिलवारी, जिला-बाराबंकी।	रु० 25/- प्रतिदिन
34	गिरीश कुमार पुत्र श्री चन्द्र किशोर लाल	पवनपुर, आलमबाग, लखनऊ।	रु० 25/- प्रतिदिन
35	जय प्रकाश राय पुत्र श्री सुधाकर राय	ग्राम-लदेवा पो०–नसीरुद्दीनपुर जिला–आजमगढ़।	रु० 25/- प्रतिदिन
36	बेनी माधव पुत्र रामसुख	ग्राम–गौरीलाल घोसा, पो०–सोनीडीह, जिला–बलिया।	रु० 25/- प्रतिदिन
37	मेड़ी लाल पुत्र श्री रामकुमार	ग्राम–बैजनाथ खेड़ा पो०–अमरपुरवा, जिला–उन्नाव।	रु० 25/- प्रतिदिन
38	बशारत अली पुत्र श्री सज्जादअली	सहादतगंज, नूरबाड़ी, लखनऊ	रु० 25/- प्रतिदिन
39	विश्राम सागर पुत्र रामनन्द	ग्राम–रामपुर, पो०-हैदरगढ़ जिला–बाराबंकी।	रु० 25/- प्रतिदिन
40	सूर्य प्रसाद पुत्र राम शंकर	ग्राम–टेढ़ई, पो०-सातनपुरवा जिला–रायबरेली।	रु० 25/- प्रतिदिन
41	रामबक्श सिंह पुत्र श्री राजपाल सिंह	ग्राम–मरहर, पो०–पवई जिला–आजमगढ़।	रु० 25/- प्रतिदिन
42	दूधनाथ सिंह पुत्र श्री रामकृपाल सिंह	ग्राम व पो०–हाबिवनगर, जिला–सिवान (बिहार)।	रु० 25/- प्रतिदिन
43	मनोज कुमार सिंह पुत्र श्री विजय बहादुर सिंह	पेपर मिल कालोनी, लखनऊ।	रु० 25/- प्रतिदिन
44	रमेश पुत्र राम सहाय	ग्राम व पो०–अर्जुनगंज, लखनऊ।	रु० 25/- प्रतिदिन
45	शेर सिंह पुत्र श्री नारायन सिंह	ग्राम-कालीघाट पो०–फकैटा, जिला–अल्मोड़ा	रु० 25/- प्रतिदिन

वर्ष 1991-92

1	मो० फुर्कान पुत्र श्री मो० मतलुबुल हुसैन	उजरियांव ग्रा० व पो०– गोमतीनगर, लखनऊ।	रु० 25/- प्रतिदिन
2	सुरेन्द्र प्रसाद दूबे पुत्र श्री गया प्रसाद दूबे	सरायगोकुल, जि०सुल्तानपुर	रु० 25/- प्रतिदिन

1	2	3	4
3	दुर्गाबक्श सिंह पुत्र श्री हरी सिंह	ग्राम व पो०–रामावापुर बिलवारी, जिला-बाराबंकी।	रु० 25/- प्रतिदिन
4	गिरीश कुमार पुत्र चन्द किशोर	पवनपुरी आलमबाग, लखनऊ	रु० 25/- प्रतिदिन
5	जयप्रकाश राय पुत्र श्री सुधाकर राय	ग्राम–सेढ़ुवा पो०नसीरुद्दीनपुर जिला–आजमगढ़।	रु० 25/- प्रतिदिन
6	विश्राम सागर पुत्र श्री रामानन्द	ग्राम-रामपुर पो०-हैदरगढ़ जिला–बाराबंकी।	रु० 25/- प्रतिदिन
7	बेनीमाधव पुत्र श्री रामसुख	ग्राम-गौरीतालघोसा पो०-सोनाडीह जि०-बलिया।	रु० 25/- प्रतिदिन
8	वशारत अली पुत्र सज्जाद अली	सहादतगंज नूरखेड़ा, लखनऊ।	रु० 25/- प्रतिदिन
9	सूर्य प्रसाद पुत्र रामशंकर	ग्राम–टेढ़ई पो०-सावनपुरवा, जिला–रायबरेली।	रु० 25/- प्रतिदिन
10	रामबक्श सिंह पुत्र राजपाल सिंह	ग्राम–मरहर पो०-पवई, जिला–आजमगढ़।	रु० 25/- प्रतिदिन
11	दूधनाथ सिंह पुत्र श्री रामकृपाल सिंह	ग्राम व पो०–हाबिवनगर पो०–सिवान (बिहार)	रु० 25/- प्रतिदिन
12	मनोज कुमार पुत्र श्री विजय बहादुर सिंह	पेपर मिल कालोनी, लखनऊ।	रु० 25/- प्रतिदिन
13	शेर सिंह पुत्र श्री नारायन सिंह	ग्राम–कालीघाट, पो०-हमौटा जिला–अल्मोड़ा।	रु० 25/- प्रतिदिन
14	श्रीमती पद्मावती पत्नी श्री शरद कुमार सक्सेना	बी–253 राजाजीपुरम, लखनऊ	रु० 25/- प्रतिदिन
15	सत्येन्द्र कुमार सिंह पुत्र श्री राम प्यारे	ग्राम-बड़ेवन बाजी रोड, बस्ती, संबबस्ती।	रु० 25/- प्रतिदिन
16	जफर हुसैन पुत्र श्री इनायत हुसैन	चौक टकसालवाली गली लखनऊ	रु० 25/- प्रतिदिन
		वर्ष 1992-93	
1	श्री शेर सिंह पुत्र श्री नारायन सिंह	ग्राम-कालीघाट पो०-हकेटा जिला–अल्मोड़ा।	रु० 25/- प्रतिदिन
2	श्रीमती पदमावती पत्नी श्री शरद–कुमार सक्सेना	बी–253 राजाजीपुरम, लखनऊ	रु० 25/- प्रतिदिन
3	सत्येन्द्र कुमार पुत्र श्री रामप्यारे	ग्राम–बड़ेवन बांसीरोड	रु० 25/- प्रतिदिन
4	जाफर हुसैन पुत्र इनायत हुसैन	चौकटक साल वाली गली लखनऊ	रु० 25/- प्रतिदिन
5	वसीन जिलानी पुत्र श्री गुलाम बस्तगीर	10 लाटूश रोड, लखनऊ	रु० 50/- प्रतिदिन मैकेनिक के रूप में (नियुक्ति 2-11-91) की गई

1	2	3	4
		वर्ष 1993-94	
1	श्री शेर सिंह पुत्र श्री नारायन सिंह	ग्राम-कालीघाट पो०हकेटा जिला–अल्मोड़ा	रु० 25/- प्रतिदिन
2	श्रीमती पद्मावती पत्नी श्री शरद कुमार सक्सेना	बी–253 राजापुरम्, लखनऊ	रु० 25/- प्रतिदिन
3	सत्येन्द्र कुमार पुत्र श्री रामप्यारे	ग्राम–बड़ेवन बांसीरोड	रु० 25/- प्रतिदिन
4	जाफर हुसैन पुत्र इनायत हुसैन	चौक, टकसाल वाली गली, लखनऊ	रु० 25/- प्रतिदिन
5	वसीन जिलानी पुत्र श्री गुलाम बस्तगीर (नियुक्ति 2-11-91) की गई	10 लाटूश रोड, लखनऊ	लखनऊ

उत्तर प्रदेश विधान सभा

परची 'घ'

(देखिये अता० प्र० सं० 129 का उत्तर पीछे पृष्ठ-97 पर)

संलग्नक–1

विधान सभा के प्रथम-सत्र 1994 के तीसरे सोमवार के लिए निर्धारित मा० श्री ओम प्रकाश सिंह द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न-संख्या–129 के उत्तर का संलग्नक।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नियमानुसार हर मामले में गुण अवगुण के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं।

मुलायम सिंह यादव,
मुख्यमंत्री।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

संलग्नक–2

विधान सभा के प्रथम सत्र 1994 के तीसरे सोमवार के लिए निर्धारित श्री ओम प्रकाश सिंह द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–129 के उत्तर का संलग्नक :–

दिनांक 1-12-93 से 31-1-1994 तक वापस लिए गये मुकदमों का विवरण

क्र०सं०	जिले का नाम	मुकदमें का विवरण	अन्तर्गत धारा	मुकदमा दायर करने का वर्ष	क्या मुकदमा हत्या डकैती या अपहरण अपराध से आरोपित है।
1-	उत्तर प्रदेश के समस्त जिले	उ० प्र० सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण अधिनियम 1992 (अधिनियम संख्या-25/92) के अधीन उ० प्र० के विभिन्न जनपदों में छात्रों पर लम्बित मुकदमें।	—	1992	नहीं
2-	लखीमपुर खीरी	मुकदमा अपराध सं० 74/91 राज्य बनाम बलवन्त सिंह आदि थाना-सम्पूर्णानगर	3/4 टाडा ऐक्ट तथा 216 ए आई०पी०सी०	1991	नहीं
3-	मुरादाबाद	(1) मुकदमा अपराध सं० 89/78 राज्य बनाम मुनाजिर आदि	436/395 आई०पी०सी०	1978	हां
		(2) मुकदमा अपराध सं० 105/78 राज्य बनाम इरफान आदि	147/148/149 436 आई०पी०सी०	1978	नहीं
		(3) मुकदमा अपराध सं० 110/78 राज्य बनाम इरफान आदि	147/148/149/ 436 आई०पी०सी०	1978	नहीं
		(4) मुकदमा अपराध सं० 113/78 राज्य बनाम मिनजार हुसैन आदि	395/436 आई०पी०सी०	1978	हां
		(5) मुकदमा अपराध सं० 120/78 राज्य बनाम रिजवान आदि	395/436 आई०पी०सी०	1978	हां
		(6) मुकदमा अपराध सं० 125/78 राज्य बनाम इरफान हुसैन आदि	395/436 आई०पी०सी०	1978	हां
		(7) मुकदमा अपराध सं० 171/78 राज्य बनाम जुबेर आदि	147/148/149 395/436 आई०पी०सी०	1978	हां
		(8) मुकदमा अपराध सं० 241/78 राज्य बनाम इरफान आदि	147/148/149/ 395/436 आई०पी०सी०	1978	हां

क्र०सं०	जिले का नाम	मुकदमें का विवरण	अन्तर्गत धारा	मुकदमा दायर करने का वर्ष	क्या मुकदमा हत्या डकैती या अपहरण अपराधसे आरोपित है।
4-	गाजीपुर	(1) मुकदमा अपराध सं० 107/91 राज्य बनाम कुबेर आदि	323/506/427 आई०पी०सी०	1991	नहीं
		(2) मुकदमा अपराध सं० 107 ए/91 राज्य बनाम पारस नाथ आदि	323/352/504 आई०पी०सी०	1991	नहीं
5-	बरेली	मुकदमा अपराध सं० 569/86 राज्य बनाम रामजीवन कुरील व अन्य थाना-कोतवाली	147/332/353 504/506 आई०पी०सी०	1986	नहीं
6-	अलीगढ़	फौजदारी वाद सं० 408/93 राज्य बनाम चौधरी हरपाल सिंह व अन्य	224/225/379 आई०पी०सी०	1992	नहीं

मुलायम सिंह यादव,

मुख्य मंत्री।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० एस० यू० पी०—ए०पी०—136 LA—1.8.94—(203)—813—(कम्प्यूटर/आफसेट)।